

वार्षिक रिपोर्ट  
Annual  
**REPORT**  
2016-17



राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सर्विसिज़ इंक  
रा.सू.वि. के. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अर्न्तगत भारत सरकार का उपक्रम

**NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.**  
A Government of India Enterprise under NIC Ministry of Electronics and Information Technology



## नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक, नई दिल्ली

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थापना 1995 में राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन (भूतपूर्व धारा 25 कंपनी) कंपनी, की धारा-8 के रूप में की गई, जो मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करती है।

### दूरदृष्टि :

भारत की प्रौद्योगिकी को सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व स्थिति को प्राप्त करना तथा अन्य विकासशील देशों को प्रभावी रूप से योगदान देकर सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाना।

### मिशन:

सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर ग्राहकों के लिए सेवाओं की प्राप्ति तथा व्यापार के समाधान को शामिल करते हुए पारदर्शी मूल्य आधारित सूचना व संचार प्रौद्योगिकी को एंड टू एंड सोल्यूशन की सुविधा प्रदान करना तथा उसे संवर्धित करना।

### उद्देश्य:

सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर संचार नेटवर्क, सूचना-विज्ञान आदि का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, भारत सरकार द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता तथा कम्प्यूटर संचार नेटवर्क, निकनेट व संबद्ध अवसंरचना व सेवाओं को लाभदायक बनाते हुए भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को प्रोन्नत करना।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र की राजस्व उपार्जन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सेवाओं, प्रौद्योगिकियों, अवसंरचना एवं सुविज्ञता के निरन्तर विकास को प्रोन्नत करना।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र तथा निकनेट द्वारा विकसित मूल अवसंरचना व सेवाओं पर मूल्य संवर्धित कम्प्यूटर और कम्प्यूटर संचार सेवाओं को विकसित एवं संवर्धित करना।

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक अपने उद्देश्यों के अनुसार मंत्रालयों, विभागों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित राज्य क्षेत्रों के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में निम्नलिखित उत्पाद व सेवाएं प्रदान कर रही है –

- हार्डवेयर
- सिस्टम सॉफ्टवेयर
- अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर
- सॉफ्टवेयर विकास
- इंटर-नेटवर्किंग
- व्यापक क्षेत्र की नेटवर्किंग
- वीडियो कांफ्रेंसिंग
- कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर
- आई टी प्रशिक्षण
- आई टी परामर्श सेवाएं
- आई टी कार्यान्वयन संबंधी सहायता
- डेटा/सदस्यता सेवाएं



नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है।



निकसी:

पूर्णतया सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सोल्यूशन कंपनी है जो राष्ट्र की सेवा में संलग्न है।

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक:  
ई-शासन में प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु  
सहक्रिया का विनिर्माण।

भारत के दूरस्थ भागों में प्रौद्योगिकी लाभों के समावेशन हेतु निकसी सरकार, उद्योग एवं शिक्षा जगत में लोगों के नेटवर्क स्थापित करती है।

जिससे सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को कार्यगत किया जा सके।

## NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC., NEW DELHI

National Informatics Centre Services Inc. (NICS) was set up in 1995 as a section 8 Company (erstwhile Section 25 Company) under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to provide total ICT solutions to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs P S Us.

### Vision

"Achieve leadership position in the technology enablement of India and other developing countries thereby contributing effectively to accelerate socio-economic growth".

### Mission

"To promote and provide transparent value added Information and Communication Technology on end to end solutions including procurement services and business solutions to customers at competitive prices with a focus on socio-economic development".

### Objectives

To provide the economic, scientific, technological social and cultural development of India by promoting the utilization of Information Technology. Computer-Communication Networks, Informatics etc. by a spinoff of the services, technologies, infrastructure and expertise developed by the National Informatics Centre of the Government of India including its computer-communication network, NICNET and associated infrastructure and services.

To promote further development of services, technologies, infrastructure and expertise supplementing that developed by NIC, in directions which will increase the revenue earning capacity of NIC.

To develop and promote value added computer and computer-communications services over the basic infrastructure and services developed by NIC including NICNET.

In furtherance of these objectives, NICS has been providing following Products & Services to Ministries, Departments, Organizations in the Central Government, State Governments, UTs and P S Us etc.:

- Hardware
- Systems Software
- Application Software
- Software Development
- Intra-Networking
- Wide Area Networking
- Video-conferencing
- Customized Software
- I.T. Training
- I.T. Consultancy
- I.T. Implementation Support
- Data/Membership Services



Changes in the activity of the active and passive market is uncertain. Established positive trends in various market segments.

**NIC Services Inc. is truly a Total ICT solutions Company in the Service of the Nation.**

of the securities market key p



**NICSI:**

**Is truly a total ICT Solutions Company  
in the Service of the Nation.**

**NIC Services Inc. Creating Synergy  
for Technology Diffusion in  
e-governance.**

**NIC Services Inc. Networks people in  
Government, Industry & academia  
to permeate the technology benefits  
to the remotest part of India.**

**Harnessing Information &  
Communication Technologies.**

**वार्षिक रिपोर्ट**  
**ANNUAL REPORT**  
**2016-17**

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक**  
**नई दिल्ली**  
**National Informatics Centre Services Inc.**  
**New Delhi**

# विषय सूची

निदेशक मंडल .....	07
22वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना .....	09
निदेशकों की रिपोर्ट .....	12
31 मार्च, 2017 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र .....	48
आय व व्यय लेखा .....	50
नकदी प्रवाह विवरण .....	52
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ.....	55
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट .....	104
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां .....	112

# CONTENTS

Board of Directors.....	118
Notice for 22nd Annual General Meeting .....	120
Directors' Report.....	122
Balance Sheet as at 31st March, 2017 .....	160
Income and Expenditure Account.....	162
Cash Flow Statement.....	164
Significant Accounting Policies & Notes to the Financial Statements for the year ended March 31, 2017 .....	167
Auditor's Report.....	212
Comments of the Comptroller and Auditor General of India.....	219



## निदेशक मण्डल (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष	:	डॉ. अजय कुमार अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
निदेशक	:	डॉ. एम. आर. आनंद वरिष्ठ सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
	:	श्री आर के सुधांशु संयुक्त सचिव, इले. व सू. प्रौ. मंत्रालय
	:	सुश्री अनुराधा मित्रा, अपर सचिव, व वित्तीय सलाहकार, इले. व सू. प्रौ.मंत्रालय
	:	डॉ. नीना पाहूजा महानिदेशक, अर्नेट इंडिया
	:	श्री संजय सिंह गहलौत उप महानिदेशक, एनआईसी
	:	श्री दीपक चंद्र मिश्रा उप महानिदेशक, एनआईसी
	:	डॉ. रंजना नागपाल उप महानिदेशक, एनआईसी
	:	श्री विष्णु चन्द्र उपमहानिदेशक एनआईसी व वित्तीय सलाहकार/सनदी लेखाकार, निकसी
	:	श्री पी. वी. भट्ट वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक
	:	सुश्री शालिनी मथरानी वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
	:	श्री मनोज कुमार मिश्रा प्रबंध निदेशक, निकसी
कम्पनी सचिव	:	डॉ. गिरीश कुमार
लेखापरीक्षक	:	गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार, 18 भू-तल, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-IV, नयी दिल्ली-24
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं0 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
बैंकर्स - नई दिल्ली	:	कार्पोरेशन बैंक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 कार्पोरेशन बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ़ ट्रावनकोर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली बैंक ऑफ़ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड

## निदेशक मण्डल (30.09.2017 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष	:	डॉ. अजय कुमार अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
निदेशक	:	श्री संजय कुमार राकेश संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
	:	सुश्री अनुराधा मित्रा, अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, इले. व सू. प्रौ.मंत्रालय
	:	डॉ० देबाशीष दत्ता वैज्ञानिक जी, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
	:	डॉ. नीना पाहूजा महानिदेशक, अर्नेट इंडिया
	:	श्री संजय सिंह गहलौत उप महानिदेशक, एनआईसी
	:	श्री दीपक चंद्र मिश्रा उप महानिदेशक, एनआईसी
	:	डॉ. रंजना नागपाल उप महानिदेशक, एनआईसी
	:	श्री विष्णु चन्द्र उपमहानिदेशक एनआईसी व वित्तीय सलाहकार/सनदी लेखाकार, निकसी
	:	श्री पी. वी. भट्ट वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक
	:	सुश्री शालिनी मथरानी वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र
	:	श्री मनोज कुमार मिश्रा प्रबंध निदेशक, निकसी
कम्पनी सचिव	:	डॉ. गिरीश कुमार
लेखापरीक्षक	:	गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार, 18 भू-तल, नेशनल पार्क, लाजपत नगर-IV, नयी दिल्ली-24
पंजीकृत कार्यालय	:	हॉल नं० 2 व 3, 6वाँ तल, एन बी सी सी टावर, 15वाँ, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
बैंकर्स – नई दिल्ली	:	कॉर्पोरेशन बैंक, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 कार्पोरेशन बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ़ ट्रावन्कोर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली पंजाब नेशनल बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली बैंक ऑफ़ इंडिया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली और आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड

## २२वीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) के सदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य-व्यापार संपन्न करने के लिए इसकी 22 वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार दिनांक 26 सितम्बर, 2017 को अपराह्न 3.00 बजे कांफ्रेंस कक्ष सं0 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जायेगी।

### सामान्य कार्यव्यापार:

1. दिनांक 31.03.2017 की स्थिति अनुसार लेखा-परीक्षित तुलनपत्र तथा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की आय व व्यय लेखा और उसके संबंध में निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, विचार करना और उनका अनुपालन करना।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त किये गये सांविधिक लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक का नियतन करना।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक

ह0/-

(डॉ. गिरीश कुमार)

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.09.2017

### टिप्पणी :

1. मत देने वाला सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित होने तथा मत देने के लिए परोक्षी नियुक्त करने का पात्र है।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी का सदस्य होने के नाते कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परोक्षी नियुक्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि वह ऐसी किसी कंपनी का सदस्य न हो।
3. इसे प्रभावी होने के लिए परोक्षियों के प्रपत्र बैठक शुरू होने से कम-से-कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में विधिवत रूप से भरे जाने चाहिए तथा कार्यालय में जमा हो जाने चाहिए।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक

ह0/-

(डॉ. गिरीश कुमार)

कम्पनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11.09.2017



## सूचना

# २२वीं वार्षिक आम बैठक

नेशनल इन्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निक्सी) के सदस्यों को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि 22 वीं वार्षिक आम बैठक कांफ्रेंस कक्ष सं० 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003 में सोमवार 26 सितम्बर, 2017, की बजाय अब शुक्रवार दिनांक 29 सितम्बर, 2017 को अपराह्न 12.00 बजे आयोजित की जाएगी।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

नेशनल इन्फोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक

ह०/—

(डा. गिरीश कुमार)

कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 25.09.2017

## सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) की स्थगित की गई 22वीं वार्षिक आम बैठक बहस्पतिवार दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 12.00 बजे कांफ्रेंस कक्ष सं0 4009, चतुर्थ तल, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जायेगी:

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक  
ह0/-

(डा. गिरीश कुमार)  
कंपनी सचिव

प्रतिलिपि  
अध्यक्ष,निकसी  
निकसी के सभी शेयरधारक  
बोर्ड के सभी सदस्य

## निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकगण दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा विवरण तथा कम्पनी के कार्य-व्यापार व प्रचालन कार्यों से संबंधित 22 वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूर्व वर्ष 2015-2016 की तुलना में संक्षिप्त वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं:

### (क) वित्तीय विशेषताएं

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	विवरण	2016-17	2015-16
<b>(क)</b>	<b>प्राप्तियाँ</b>		
1.	स्टॉक व बिक्रियाँ	514.19	312.36
2.	सेवायें व सहायता	726.50	533.34
3.	ऑपरेटिंग मार्जिन*	0.72	2.04
4.	ब्याज/अन्य आय कम करें: अनुदान सहायता और एन के एन परियोजनाओं पर प्रदत्त ब्याज 4.99 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 7.82 करोड़ रुपये)	85.66	82.64
	<b>योग (क)</b>	<b>1327.07</b>	<b>930.38</b>
<b>(ख)</b>	<b>भुगतान</b>		
1.	बेचे गये माल की लागत	486.69	296.78
2.	सेवायें व सहायता	638.22	458.10
3.	कर्मचारियों के पारिश्रमिक व लाभ	9.94	7.45
4.	अन्य व्यय	64.82	53.90
5.	मूल्यहास	16.71	5.76
	<b>योग (ख)</b>	<b>1216.38</b>	<b>821.99</b>
	<b>कुल अधिशेष (क)-(ख)</b>	<b>110.69</b>	<b>108.38</b>
6.	कम करें: परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अशक्तता	1.51	-
7.	कम करें: अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की अशक्तता	2.16	-
8.	कर हेतु प्रावधान	42.61	38.69
9.	निवल अधिशेष	<b>64.41</b>	<b>69.69</b>
10.	अंतिम वर्ष के तुलनपत्र के अनुसार अधिशेष व आरक्षिति	<b>541.37</b>	<b>471.68</b>
	<b>कुल आरक्षिति और अधिशेष (9+10)</b>	<b>605.78</b>	<b>541.37</b>

\* उपर्युक्त आय स्टॉक और बिक्रियों के अतिरिक्त हार्डवेयर मदों की आपूर्ति से परियोजनाओं पर ऑपरेटिंग मार्जिन (जिसे पूर्व में प्रशासनिक प्रभार के रूप में जाना जाता है) लगाकर आई है। निकसी के ऑपरेटिंग मार्जिन परियोजना के मूल्य पर निर्भर करते हुए दिनांक-15.01.2015 से 5% अथवा 7% हैं।

### (2) लाभांश:

यह कम्पनी एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत (अब कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8) है और कम्पनी को उसके सदस्यों को किसी लाभांश का भुगतान करना निषेध है।



### (3) आरक्षिती हेतु स्थानांतरण

कंपनी ने आरक्षिती हेतु कोई राशि स्थानांतरित नहीं की है।

### (4) डी पी ई द्वारा ग्रेडिंग

#### (i) मूल्यांकन हेतु प्रक्रिया

- डीपीई प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के साथ प्रत्येक वर्ष समझौता ज्ञापन करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करता है।
- डीपीई ने समझौता ज्ञापन पर आंतरिक अनुसचिवीय समिति (आई एम सी) की स्थापना की है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

1	सचिव, डीपीई	अध्यक्ष
2	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो।	सदस्य
3	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो।	सदस्य
4	अपर सचिव, नीति आयोग अथवा उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर के हो।	सदस्य
5	सचिव डीपीई किसी अधिकारी का चयन करेंगे, जो आवश्यक समझे जाने वाले मामले में वित्त विशेषज्ञ हो।	
6	संयुक्त सचिव/सलाहकार (समझौता ज्ञापन) डीपीई, समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे।	

- मसौदा समझौता ज्ञापन वित्तीय और गैर वित्तीय मानदंडों को मिलाकर निकसी द्वारा अपने बोर्ड को अनुमोदन के लिए एमईआईटीवाई के माध्यम से डीपीई को अग्रेषित करने से पहले प्रस्तुत किया जाता है।
- आईएमसी इसकी सीमाओं पर बातचीत करती है तथा बैठकों में समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लक्ष्य निर्धारित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, एनआईसी तथा निकसी के पदाधिकारी उपस्थित होते हैं।
- समझौता ज्ञापन में निकसी तथा एमईआईटीवाई के बीच हस्ताक्षर किये जाते हैं।
- वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात, विधिवत् रूप से बोर्ड द्वारा अनुमोदित लेखा-परीक्षित लेखा निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण सहित डीपीई को प्रस्तुत किये जाते हैं।
- उपर्युक्त के आधार पर डीपीई समझौता ज्ञापन में उल्लिखित लक्ष्य के मद्दे निकसी के वास्तविक कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करता है और ग्रेडिंग की घोषणा करता है।

#### (ii) डी पी ई द्वारा निकसी की ग्रेडिंग

वित्तीय वर्ष	लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर समझौता ज्ञापन स्कोर
2015 – 16	उत्कृष्ट
2014 – 15	उत्कृष्ट
2013 – 14	बहुत अच्छा
2012 – 13	बहुत अच्छा
2011 – 12	बहुत अच्छा

- (iii) कमजोरी का पूर्व चिन्ह : कंपनी के लिए शून्य दावे, जिनकी पूर्व वर्ष में ऋण के रूप में (सीपीएसई तथा अन्य द्वारा प्रस्तुत किए गए) सूचना नहीं दी गई है।
- (iv) निकसी ने वित्तीय वर्ष 2016 –17 में समझौते ज्ञापन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैरा 14.2 और 14.3 में लागू सीमा तक, यथा उल्लिखित अतिरिक्त पात्रता कसौटी का अनुपालन किया है।
- (v) पूर्व वर्षों में 6 माह की अवधि में व्यापार प्राप्ति योग्य राशि में कटौती 6.99% थी।
- (vi) वित्तीय वर्ष 2016 – 17 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुबंध के अनुसार समय ओवररन के बिना ग्राहक के आदेशों (10 करोड़ अथवा उससे अधिक के ) का समापन 93.75% है।
- (vii) मैसर्स रोल्टा इंडिया से प्राप्त प्रमाणपत्र के अनुसार ईआरपी को दिनांक 8 –11–2016 से निकसी में कार्यान्वित किया गया है।

#### **(5) वित्तीय वर्ष 2016–17 में चल रही मुख्य परियोजना**

##### **राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क (एनकेएन परियोजना)**

वर्ष 2009 – 10 में शुरू की गयी एनकेएन परियोजना को लगभग 5990 /— करोड़ रुपये की लागत से दस वर्षोंकी अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। एन आई सी इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है जबकि निकसी सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सहायता प्रदान कर रही है तथा उसकी प्राप्ति में मदद भी दे रही है। यह परियोजना उच्च गति वाले डाटा संचार नेटवर्क की स्थापना करेगी, जो उच्चतर अधिगम और अनुसंधान संस्थानों को परस्पर जोड़ेगी ताकि उनके बीच जानकारी, संसाधन को स्थापित करने और उसके सृजन, अर्जन करने में सुविधा प्राप्त हो। यह राज्यों/संघ शासित राज्यों क्षेत्रों में केंद्र स्थापित करने, एनआईसी जिला केन्द्रों को संस्थान संबंधी कनेक्टिविटी से जोड़कर सहयोगी अनुसंधान, देशव्यापी क्लासरूम की सुविधा भी प्रदान करेगी।

##### **ई-विधान – एक ग्रीन शासन उपस्कर, हिमाचल प्रदेश सरकार**

निकसी वर्ष के दौरान ई विधान परियोजना – को सहायता प्रदान करती रहेगी, जिसे मोबाइल ऐप्स तथा उनकी टेबल पर लगाए गए टच स्क्रीन के जरिये माननीय विधान सभा के सदस्यों के सदन से सम्बंधित सभी दस्तावेजों को उपलब्ध कराया गया है। इस परियोजना में माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री कार्यालय और राज्य सरकार के विभागों/उपकरणों तथा उनके नागरिकों को भी लिंकेज से जोड़कर इन गतिविधियों को सफलतापूर्वक जारी रखा गया है।

##### **“के.वी.शाला दर्पण” केन्द्रीय विद्यालय संगठन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार**

डिजिटल इंडिया विजन के अधीन निकसी ने लगभग 1200 केन्द्रीय विद्यालयों की पीएएन इण्डिया में इस परियोजना में गतिविधियों को जारी रखा, जिसका उद्देश्य प्रशासन तथा उनके शासन की कुशलता बनाकर अधिगम गुणवत्ता में सुधार लाना, पणधारियों अर्थात विद्यार्थियों, उनके माता-पिता, अध्यापकों और स्कूलों के साथ स्कूल के शिक्षा विभाग की सेवा प्रदायगी में सुधार लाना और निर्णय लेने में सहायक बेहतर गुणवत्ता डाटा प्रदान करने के लिए उचित समय पर अधिगम सुविधा उपलब्ध कराना है।

##### **शास्त्री पार्क में निकसी डाटा केन्द्र (एन डी सी)**

शास्त्री पार्क, दिल्ली में निकसी डाटा केंद्र (एनडीसी ) सरकारी विभागों और उनके संगठनों को आपदा प्रबंधन सुविधा सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान कर रहा है जिसमें अत्याधुनिक टायर-III सुविधा भी उपलब्ध है। वर्ष के दौरान सहज रूप से व सफलतापूर्वक इन गतिविधियों को कार्यान्वित करना जारी रखा।

## लक्ष्मी नगर में डाटा केन्द्र

निकसी का लक्ष्मी नगर में अपना डाटा केंद्र है। यह अपने डाटा का रखरखाव करते हुए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संगठनों को सेवायें प्रदान कर रहा है।

## निकसी विकास केन्द्र

डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली में दूसरे तल पर विकास केंद्र स्थित है, जिसमें लगभग 400 वर्कस्टेशन है, जिसका उद्देश्य प्रयोक्ताओं को परियोजना को सहज और संतोषजनक रूप से कार्यान्वित करने से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराना है।

## (6) 1. एमईआईटीवाई से अन्य परियोजनायें

वर्ष के दौरान, एमईआईटीवाई से विभिन्न परियोजनाओं के अधीन निकसी ने निम्नलिखित गतिविधियों को जारी रखा :

परियोजना का नाम	परियोजना संक्षेप में
सरकारी अनुप्रयोग के स्रोत कोड की शुरुआत करके सहयोगी अनुप्रयोग विकास प्लेटफार्म।	स्रोत ओपन पहल कार्य को अपनाने के लिए परिचालनात्मक और कानूनी रूपरेखा सृजित करना।
ई शासन मानकों तथा प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा विभिन्न मदों की प्राप्ति	ई शासन परियोजनाओं को प्रवाही और दक्ष रूप से कार्यान्वित करने हेतु आई सी टी मानकों तथा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना तथा उन्हें अपनाना
पंचायतों की परिसम्पति का मापन	नागरिकों को उनके मोहल्लों में प्रस्तावित परिसम्पतियों तथा चालू परिसम्पतियों की स्थिति से संबंधित महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना।
लोकसभा के सांसदों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर	एकल साइन- ऑन सुविधा प्रदान करके लोकसभा के सांसदों के लिए लागिन पोर्टल विकसित करना।
केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण (कैट), मामला प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन (सीएमएस) – 2015 का कम्प्यूटरीकरण	पणधारियों के लिए समय पर सूचना उपलब्ध कराने और कैट सेवाओं तथा उनकी आसानी से पहुँच क्षमता प्रदान करने की मामला प्रबंधन प्रणाली में सुधार लाना।
कार्योत्तर शासन और समय कार्यान्वयन (प्रगति)	एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रगति के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएं आयोजित करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शिकायतों का समाधान प्राप्त करना और राज्य स्तर की परियोजनाओं, केन्द्रीय स्तर की परियोजनाओं को शीघ्रता से कार्यान्वित करना।
छह राज्यों में कार्यान्वित की जाने वाली राष्ट्रीय सूचना अवसंरचना	चालू आंशिक अवसंरचना से एकीकृत तथा सुरक्षित संचार नेटवर्क को सृजित करना जो सदृश प्लेटफार्म पर डाटा, वॉयस तथा वीडियो सेवाओं की सुविधा उपलब्ध करायेगा।
पोर्टल विकास और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम	पोर्टल को विकसित करना, जिसमें अग्रिम विशेषताओं और नवीनतम मानकों की सुविधा उपलब्ध हो तथा विभिन्न पणधारियों को सुरक्षित प्रतिबंधित पहुँच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भूमिका आधारित अधिगम प्रबंधन प्रणाली की सुविधा भी मौजूद हो। सभी प्लेटफॉर्मों जैसे सभी मुख्य ब्राउजरों आदि पर अधिगमगत साइट निर्मित करना।



परियोजना का नाम	परियोजना संक्षेप में
वेबसाइट गुणवत्ता मूल्यांकन	निकसी के नामिकाबद्ध और अन्य निजी विक्रेताओं को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना तथा उसे बनाने में व्यय प्रबंधकों/विकासकर्ताओं को मदद करके समर्पित विशषज्ञों के जरिये परामर्शदायी सेवायें उपलब्ध कराना।
ई – अस्पताल	देशभर में केन्द्र तथा राज्य सरकार के अस्पताल में सॉस मॉडल के जरिये ई- अस्पताल/ओआरएस/ई – ब्लड बैंक पर आधारित क्लाउड कार्यान्वित करना।
हिमाचल प्रदेश जन सेवा आयोग के लिए मानक आईसीटी समाधान करने की परियोजना का विकास	राज्य जन सेवा आयोग के लिए मानक आईसीटी समाधान विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

## II. वित्तीय वर्ष 2016 –17 में मुख्य नई परियोजनाएं

प्रयोक्ता का नाम	परियोजना विवरण
<b>महिला व बाल विकास मंत्रालय :</b> निकसी परियोजना संख्या: सी 162644 एचएनएनडी लागत रु 26.43 करोड़ रुपये	आईसीडीएस प्रणालियों को सुदृढ़ करने तथा पोषण सुधार परियोजना (आईएसएसएनआईपी) के अधीन आई सी डी एस की एनआईसी क्लाउड सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में सक्षम उचित समय पर निगरानी करने (आईटीसी – आरटीएम) के सम्बन्ध में आईसीडीएससीएस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के लिए आई टी अवसंरचना को 8 उच्च कुपोषण वाले राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है।
<b>स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय:</b> निकसी परियोजना संख्या: सी160952 जीएनएनडी लागत : 29.13 करोड़ रुपये	राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) परियोजना के लिए अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर विकास, सुरक्षा और निष्पादन लेखा परीक्षा, प्रशिक्षण, कार्यशालायें आदि जिसमें सर्वर, आई वी आर एस, एस एम एस/यू एस एस डी तथा कॉल केन्द्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य उनको पोस्टग्री एस क्यू एल सहायता प्रदान करते हुए 40 करोड़ एन एच पी एस के लाभभोगियों के डाटा को प्रबंधित करना और वेब आधारित अनुप्रयोग सुविधा उपलब्ध कराना है।
<b>ई-शासन केंद्र-लखनऊ (उत्तर प्रदेश)</b> निकसी परियोजना संख्या:एस160256 जीएनयूपी लागत : 29.12 करोड़ रुपये	राज्य की निधि से उत्तर प्रदेश के जिलों में स्वान पी ओ पी का कार्यान्वयन, आईटी जन शक्ति सहायता प्रदान करना।
मेरा शासन, नई दिल्ली निकसी परियोजना संख्या : डी161106 एमआईएनडी लागत रु 25.97 करोड़ रुपये	मेरा शासन को राष्ट्रीय एसएमएस गेटवे सेवायें उपलब्ध कराना।
<b>राजकाम्प इन्फो सर्विसिज लिमिटेड, राजस्थान</b> निकसी परियोजना संख्या: एस161720 एमपीआरजे लागत रु 33.94 करोड़ रुपये	डाटा केंद्रों और अन्य गतिविधियों के लिए राजस्थान राज्य में कार्यान्वयन/इमेज प्रक्रमण तथा अंकीकरण सहायता सेवायें प्रदान कराना।

प्रयोक्ता का नाम	परियोजना विवरण
एनआईसी क्लाउड सेवाओं का संवर्धन व उन्नयन करना। निकसी परियोजना संख्या: आई160683 जीएनएनडी लागत : 191.83 करोड़ रुपये	दिल्ली, पुणे, हैदराबाद में राष्ट्रीय डाटा केंद्र में एनआईसी क्लाउड सेवाओं का संवर्धन व उन्नयन करना, जिसकी निकसी द्वारा सम्पूर्ण निधि से कुल लागत 191.83 करोड़ रुपये है। इसका सरकार के विभिन्न स्तरों पर ई-शासन अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन और विकास की गति पर प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण सरकार में सेवाओं का स्वचालन करने तथा क्षमता निर्माण करने, क्लाउड सेवाओं के स्पेक्ट्रम में वृद्धि करने, आई सी टी अवसंरचना की क्षमताओं में वृद्धि होगी।
<b>गृह मंत्रालय</b> निकसी परियोजना संख्या : सी161399 जीएनएनडी लागत रु 40.00 करोड़ रुपये	निकसी ने डीएमआरसी, आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली में पांचवां तल किराये पर लिया और उसमें साज-सज्जा का कार्य पूरा करने के पश्चात, गृह मंत्रालय को वसूलनीय आधार पर सम्पूर्ण स्थान दिया है, ताकि विभिन्न देशों के लिए ई - पर्यटक वीजा योजना को कार्यान्वित किया जा सके, वीजा प्रक्रिया सीमा सहायता केंद्र को स्थापित किया जा सके और अन्य प्रशासनिक गतिविधियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा सके।
<b>झारखण्ड राज्य में विभिन्न कॉलेजों में वाई-फाई कैंपस लॉन की स्थापना करना</b> निकसी परियोजना संख्या: एस163170 एनडब्ल्यूजेएच लागत : 78.87 करोड़ रुपये	इस परियोजना का उद्देश्य कैंपस आदि में विभिन्न ब्लॉकों के भीतर वाई - फाई के जरिये इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधाएं प्रदान करके, वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराते हुए नई लॉन सुविधाएँ अथवा मौजूदा लॉन अवसंरचना को संवर्धित करके प्रत्येक कैंपस में सीमारहित तथा सुरक्षित वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा स्थापित करके, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की अधिगम आवश्यकताओं की सुविधायें उपलब्ध कराना है।
<b>बनारस हिंदू विश्वविद्यालय</b> निकसी परियोजना संख्या: सी161537 एनडब्ल्यूएनडी लागत : 33.21 करोड़ रुपये	इसका कार्य क्षेत्र विनिर्देशनों के अनुसार हॉटस्पॉट/वाई -फाई कैंपस कनेक्टिविटी को कार्यान्वित करना है और हॉटस्पॉट/वाई -फाई आदि का संतोषजनक रूप से परिचालन करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त उपकरणों आदि हेतु अंतराल विश्लेषण आयोजित करना है।

**(7) वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु विशेषताएं**

		अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017	अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016
(क) प्राप्त की गई नई परियोजनाओं का खंड-वार ब्यौरा	हार्डवेयर मर्दें	670	466
	सॉफ्टवेयर मर्दें	108	143
	जनशक्ति	1710	1440
	वेब/सॉफ्टवेयर विकास	162	127
	प्रशिक्षण	NIL	NIL
	नेटवर्क	382	124
	सामान्य परियोजनायें	382	443
	अन्य मर्दें	550	569
<b>योग</b>	<b>3964</b>	<b>3312</b>	

(ख) खंडवार जारी किये गये कार्य आदेश		<b>अप्रैल 2016 से मार्च, 2017</b>	<b>अप्रैल 2015 से मार्च, 2016</b>
	हार्डवेयर मर्दें	2209	1521
	सॉफ्टवेयर मर्दें	205	241
	जनशक्ति	5354	5655
	नेटवर्क व विविध	1802	1520
	<b>योग</b>	<b>9570</b>	<b>8937</b>
(ग) जारी किये गये प्रोफार्मा इनवॉयस	<b>जारी किये गये पी आई की संख्या</b>	<b>अप्रैल 2016 से मार्च, 2017</b>	<b>अप्रैल 2015 से मार्च, 2016</b>
	हार्डवेयर	4268	3764
	सॉफ्टवेयर	690	733
	जनशक्ति	7123	6220
	नेटवर्क	2451	1937
	विविध	2796	1882
	<b>योग</b>	<b>17328</b>	<b>14536</b>
		<b>अप्रैल 2016 से मार्च, 2017</b>	<b>अप्रैल 2015 से मार्च, 2016</b>
(घ) प्लवमान निविदाएं	खुली निविदाओं की संख्या	26	36
	सीमित निविदाओं की संख्या	08	04
	महत्वपूर्ण गठबंधनों की संख्या	25	Nil
	<b>योग</b>	<b>59</b>	<b>40</b>

#### टिप्पणी :

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त की गयी 1 करोड़ रुपये से अधिक के नये आदेशों की संख्या 218 थी।
- दुष्कर राज्यों जैसे पूर्वोत्तर, जम्मू व कश्मीर, उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त की गयी कुल परियोजनायें 240 थी।
- पूर्व वर्ष में केंद्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों/संगठनों से ई-शासन परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि का: 19.69% था।
- ईआरपी समापन प्रमाणपत्र मैसर्स रोल्टा से प्राप्त किया गया है जिसे उसने दिनांक 8.11.2016 को पूरा किया।
- स्वदेशीकरण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए पीएमए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के अधीन भारत में निर्मित हार्डवेयर विक्रेताओं/विनिर्माताओं को नामिकाबद्ध करने की तारीख 15.12.2016 थी।

#### (8) जनशक्ति :

भारत के राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदित जनशक्ति संरचना (प्रोफाइल) के अनुसार, निकसी में जनशक्ति की तैनाती एनआईसी से पूरी तरह से उनके पदों सहित अस्थायी आवर्तन करते हुए प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगी।



निकसी के कुल स्टाफ की संख्या 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार 41 थी।

### (9) कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी का कोई भी कर्मचारी कम्पनी नियम, 2014 (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक) के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

### (10) निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निकसी) धारा 8 कम्पनी है (पूर्व में कम्पनी धारा 25)। निकसी का उद्देश्य आई सी टी सोल्यूशनों/प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है और उसका लाभ, यदि कोई है, को लागू करना या अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने में अन्य आय दर्शाना और अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश का भुगतान करने के लिए निषेद्ध है।

धारा-8 (पहले धारा-25 कम्पनी) के तहत कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 तथा कम्पनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2015, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के साथ पठित धारा 135 के अनुसार, अन्य कम्पनियों के निदेशक मंडल एतद्वारा अधिनियम की धारा 8 के तहत एक कम्पनी जैसे निकसी या एक पंजीकृत सोसायटी या एक पंजीकृत ट्रस्ट के माध्यम से अपनी सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित अपनी सीएसआर के कार्यक्रमलापों को शुरू करने का निर्णय ले सकती है।

तदनुसार, संबद्ध नियमावली के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम-2013 के पूर्वोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 तथा 2015-16, 2016-17 के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा निकसी के बीच किये गये समझौता ज्ञापन के अनुसार जन उद्यम विभाग, हेवी उद्योग और जन उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यदल के सदस्यों द्वारा निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों को प्रस्तुत डायनामिक परिधियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तथापि, निकसी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में शामिल किये गए विषयों से संबंधित उद्देश्यों से राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केन्द्र की क्लाउड सेवाओं को संवर्धित करने की प्रक्रिया को छोड़कर, पांच वर्षों में खर्च की जाने वाली 191.83 करोड़ रुपये की सामूहिक राशि सृजित की है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान, राष्ट्रीय सूचना – विज्ञान केन्द्र की क्लाउड सेवाओं को संवर्धित करने के संबंध में आईसीटी अवसंरचना और सेवाओं के लिए अधिशेष राशि को पुनः प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में 66.31 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। तत्पश्चात, बोर्ड ने अपनी दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को आयोजित बैठक में सीएसआर कमेटी को गठित किया जिसमें निकसी के निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री आर के सुधांशु, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संयुक्त सचिव एमईआईटीवाई	अध्यक्ष
2. श्री एस एस गहलोत, उपमहानिदेशक, एन आई सी	सदस्य
3. श्री डी सी मिश्रा, उपमहानिदेशक, एन आई सी	सदस्य
4. डॉ.(श्रीमती) रंजना नागपाल, प्रबंध निदेशक निकसी और उपमहानिदेशक, एन आई सी	सदस्य

सी एस आर समिति की संदर्भ शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- बोर्ड की सीएसआर नीति बनाने के लिए सिफारिश करना और उसे निर्मित करना, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निकसी द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों को दर्शाया जायेगा।
- कंपनी द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली व्यय राशि की समीक्षा करना और उसकी सिफारिश करना।

- कंपनी की सीएसआर नीति की समय-समय पर निगरानी करना।
- निदेशक मंडल का अनुमोदन लेने के पश्चात कोई अन्य मामला जोकि सी एस आर समिति उपयुक्त समझे अथवा निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निदेशित किया जाये।

सीएसआर कमेटी की बैठक के लिए कोरम में उसकी कुल संख्या का एक तिहाई होगा(एक तिहाई के आंशिक भाग को पूर्णांकित करके एक माना जाएगा) अथवा दो सदस्य होंगे, जो भी ज्यादा हो।

निकसी के कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

### (11) निगमित शासन

निगमित शासन एक नैतिक दृष्टि से संचालित व्यापार प्रक्रिया है जोकि संगठन के ब्रांड और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसे नैतिक व्यावसायिक निर्णय लेकर और मूल्यों के लिए एक निश्चित प्रतिबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाता है। निकसी में, यह जरूरी है कि हमारी कम्पनी के मामले निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रबंधित हों। यह हमारे पणधारियों का विश्वास बनाये रखने और लाभ के लिए महत्वपूर्ण है।

#### (i) वित्तीय वर्ष 2016-17 में संयोजित बोर्ड की बैठकों और वार्षिक सामान्य बैठकों की संख्या

क्र.सं०	वित्तीय वर्ष 2016-17	तारीख	स्थान
1.	97वीं	23.06.2016	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं० 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2.	असाधारण सामान्य बैठक	11.08.2016	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, ए- ब्लॉक सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
3.	98वीं	30.09.2016	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं० 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	वार्षिक आम बैठक	30.09.2016	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं० 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	99वीं	26.12.2016	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं० 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
6.	100वीं	28.03.2017	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं० 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

#### (ii) वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयोजित सामान्य बैठकों तथा बोर्ड की बैठकों की संख्या

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2015-16	तारीख	स्थान
1.	91वीं	23.04.2015	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं० 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
2.	92वीं	13.05.2015	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं० 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष 2015-16	तारीख	स्थान
3.	असाधारण आम बैठक	10.07.2015	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
4.	93वीं	27.07.2015	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
5.	94वीं	23.09.2015	निकसी मुख्यालय, हॉल संख्या-2 व 3, छटा तल, एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
6.	असाधारण आम बैठक	02.11.2015	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम नं0 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7.	95वीं	18.12.2015	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
8.	96वीं	18.03.2016	इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक निकेतन, कॉफ्रेंस रुम 4009, चौथा तल, 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
9.	20वीं वार्षिक आम बैठक	23.09.2015	निकसी मुख्यालय, हॉल संख्या-2 व 3, छटा तल, एनबीसीसी टॉवर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

## (12) लेखा – परीक्षा समिति

कंपनी सम्पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के कारण, उससे यह अपेक्षा नहीं की गयी कि वह कंपनी ( बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियों) नियमावली 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के अधीन लेखा – परीक्षा समिति गठित करे। तथापि, निदेशक मंडल ने दिनांक 26 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में बेहतर शासन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी कि लेखा – परीक्षा समिति गठित की जाये, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 1. | श्री आर के सुधांशु, भारतीय प्रशासनिक सेवा, संयुक्त सचिव एमईआईटीवाई                         | अध्यक्ष |
| 2. | श्री एस एस गहलोत, उपमहानिदेशक, एन आई सी  | सदस्य   |
| 3. | श्री विष्णु चन्द्र, उपमहानिदेशक और अपर वित्तीय सलाहकार, एनआईसी<br>और वित्तीय सलाहकार निकसी | सदस्य   |

लेखा – परीक्षा समिति निकसी के वित्तीय और लेखा – परीक्षा मामलों की समीक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित करती है कि निकसी निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुसरण करती है और निकसी के कंपनी सचिव लेखा – परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

## (13) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी को कंपनीज (निदेशकों की नियुक्ति तथा अर्हता) नियमावली, 2014 के नियम 4 तथा धारा 149 (4) के अधीन स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कोई घोषणा प्राप्त नहीं की गयी।

(14) निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति जिसमें धारा 178 की धारा (3) के अंतर्गत निदेशक की स्वतंत्रता सकारात्मक गुण, अर्हता निर्धारण हेतु मानदंड सहित अन्य मामले शामिल है

कंपनी को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी प्राइवेट कंपनी होने के नाते कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 178 (5) के अंतर्गत पणधारी रिलेशनशिप समिति तथा कंपनीज (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियों) की नियमावली 2014 के नियम 6 तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 178(1) के अंतर्गत नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

#### **(15) फार्म एम जी टी – 9 में वार्षिक रिटर्न का हवाला**

कंपनीज (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसरण में फार्म एम जी टी 9 अर्थात् वार्षिक रिटर्न का हवाला अनुबंध में प्रस्तुत किया जाता है।

#### **(16) सामग्री परिवर्तन तथा बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख तथा वित्त वर्ष के अंत के बीच वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली प्रतिबद्धताएं**

कोई भी सामग्री परिवर्तन तथा प्रतिबद्धताएं यदि कोई हो, नहीं हैं, जो रिपोर्ट की तारीख तथा वित्तीय विवरणों से संबंधित कंपनी के वित्त वर्ष के अंत के बीच में हुई हो, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हो।

#### **(17) व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन**

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

#### **(18) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 – 17 के लिए वार्षिक लेखा**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लेखाओं को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया गया है। इस सम्बन्ध में 11 सितम्बर 2017 को एक प्रमाणपत्र मैसर्स के एम जी एस एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, बेसमेंट, 18 नेशनल पार्क, लाजपत नगर– IV, नई दिल्ली–110024 से प्राप्त भी किया गया है।

#### **(19) ऊर्जा, तकनीकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण**

ऊर्जा व तकनीकी अवशोषण के संरक्षण पर सूचना शून्य है। वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा उपार्जन शून्य था तथा कंपनी का बाह्य (outgo) खर्च 31.23 लाख रुपये (प्रोदभूत आधार पर) था।

#### **(20) कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश के विवरण**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी को किसी भी ऋणध्दी गयी गारंटी/किये गये निवेश के लिए कोई भी अग्रिम राशि नहीं दी गयी है।

#### **(21) पार्टी से संबंधित लेनदेन**

कंपनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के फार्म एओसी–2 में धारा 188 की उपधारा (1) में सभी संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के लेन–देन अव्यवहारिक आधार पर थे तथा व्यापार के सामान्य अवधि में हुए थे।

कंपनीज (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के नियम तथा अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (ज) के अनुपालन में :

1. अनुबंध अथवा प्रबंधन अथवा लेन–देन के विवरण जो अव्यवहारिक आधार पर नहीं थे : शून्य

2. सामग्री अनुबंध अथवा प्रबंधन अथवा लेन-देन के विवरण, जो अव्यवहारिक आधार पर थे : शून्य

**(22) भविष्य में कंपनी के परिचालन तथा चालू संबंधित स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण सामग्री के आदेश**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भविष्य में कंपनी के परिचालन तथा चालू संबंधित स्थिति को प्रभावित करने वाले विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा पारित ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री के कोई आदेश नहीं हैं ।

**(23) सहायक कंपनी**

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है ।

**(24) लेखा परीक्षक**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा की लेखा-परीक्षा करने के लिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा मैसर्स गोयल गर्ग एंड कम्पनी, सनदी लेखाकार, 18 भू-तल, राष्ट्रीय पार्क, लाजपत नगर – IV नई दिल्ली – 110024 की नियुक्ति की गयी ।

**(25) निदेशकों के उत्तरदायित्व से संबंधित विवरण :**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ग) के अधीन अपेक्षा के अनुसार कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एतद्वारा निम्नलिखित का उल्लेख किया है :

- क) कि वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय, सामग्री रवानगी से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण देते हुए लागू लेखा विधि मानकों का अनुसरण किया गया था ।
- ख) कि निदेशकों ने ऐसे लेखा नीतियों का चयन किया था और उनको अनवरत रूप से लागू करते हुए और अधिनिर्णय देते हुए प्राक्कलन प्रस्तुत किया जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण था, जिससे कि उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ तथा हानि तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी की कार्य स्थिति के बारे में सही और उचित विचार प्रस्तुत किए जा सकें ।
- ग) कि कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा धोखेबाजी को रोकने व उसका पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को दूर करने तथा उससे बचाव करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा-विधि रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित व पर्याप्त ध्यान दिया था ।
- घ) कि निदेशकों ने एक कार्यरत संस्था के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया ।
- ङ) निदेशकों द्वारा कंपनी द्वारा अनुपालन किये जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया गया था तथा ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं ।
- च) निदेशकों द्वारा सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की गयीं थीं तथा ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त थीं तथा प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं ।

**(26) आभार-पूर्ति**

बोर्ड ने केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा कम्पनी को

सहयोग, सहायता व मार्गदर्शन देने के लिए आभार व्यक्त किया है। निदेशक भी भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तथा लेखापरीक्षकों द्वारा उनका महत्वपूर्ण सहयोग देने के लिए उनके आभारी हैं। बोर्ड ने सदस्यों, बैंकरों तथा ग्राहकों को उनके सतत सहयोग देने के लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया है। बोर्ड ने भी कम्पनी के सभी स्टाफ व कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक धन्यवाद भी व्यक्त किया है।

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के  
निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

ह0/—  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 29 सितम्बर, 2017



## फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न के उद्घरण

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन)

नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

### I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i)	सीआईएन	यू74899डीएल1995एनपीएल072045
ii)	पंजीकरण की तारीख	29.08.1995
iii)	कंपनी का नाम	नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोर्पोरेटिड
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन प्राइवेट लिमिटेड धारा 8 (भूतपूर्व धारा 25) कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	हॉल सं. 2 और 3, 6वां तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 फोन : 91-11-26105054, 26105193 फैक्स : 91-11-26105212
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है - हां/नहीं	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई है, का नाम, पता और संपर्क विवरण	शून्य

### II. कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

सभी व्यवसाय संबंधी गतिविधियों जिनमें कंपनी की कुल बिक्री की 10% अथवा उससे अधिक राशि का अंशदान लगा हो, बताया जायेगा। :

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं के एन आई सी कोड	कंपनी के कुल बिक्री का %
1	आईसीटी सॉल्यूशन - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर		41.45
2	जनशक्ति, नेटवर्क और अन्य		58.55

### III. होल्डिंग, सहायक और संबद्ध कंपनियों के विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/ संबद्ध	धारित शेयर का प्रतिशत	लागू धारा
1			शून्य		

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

(i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष की समाप्ति पर धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डीमेट	प्रत्यक्ष	योग	कुल शेयर का %	डीमेट	प्रत्यक्ष	योग	कुल शेयर का %	
<b>क. प्रवर्तक</b> (1) भारतीय (क)संबद्ध व्यक्ति/एचयूएफ <b>(ख)केंद्रीय सरकार</b> (ग)राज्य सरकार (सरकारें) (घ)निकाय निगम (ङ)बैंक/ वित्तीय संस्थान (च)कोई अन्य <b>उप-योग (ए) (1)</b>  (2)विदेश (क)एनआरआई-संबद्ध व्यक्ति (ख)अन्य संबद्ध व्यक्ति (ग)निकाय निगम (घ)बैंक/ वित्तीय संस्थान (ङ)कोई अन्य <b>उप-योग (ए) (2)</b>  <b>प्रवर्तकों की कुल शेयर होल्डिंग</b> <b>(ए) = (ए)(1)+(ए)(2)</b>	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य
<b>ख. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग</b>	लागू नहीं								
<b>1. संस्थान</b> क) म्यूचुअल फंड ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान ग) केंद्रीय सरकार घ) राज्य सरकार (सरकारें) ङ) उद्यम पूंजी निधि च) बीमा कंपनियां छ) एफआईआई ज)विदेशी उद्यम पूंजी निधि झ) अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें) <b>उप-योग (बी)(1)</b>	लागू नहीं								

<b>2. गैर-संस्थान</b> क) निकाय निगम i) भारतीय ii) विदेशी ख) संबद्ध व्यक्ति i) संबद्ध शेयर होल्डर जिसके पास 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी है। ii) संबद्ध शेयर होल्डर जिसके पास 1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी है। ग) अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें) <b>उप-योग (बी) (2)</b>	लागू नहीं									
<b>कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)</b>	लागू नहीं									
<b>सी) जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर</b>	लागू नहीं									
<b>सकल योग (ए+बी+सी)</b>	शून्य	200000	200000	100	शून्य	200000	200000	100	शून्य	

**(ii) प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग**

क्र.सं.	शेयर होल्डर का नाम	वर्ष के शुरु में शेयर होल्डिंग			वर्ष की समाप्ति पर शेयर होल्डिंग			
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों का ऋणभार/बंधक शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों का ऋणभार/बंधक शेयरों का %	वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में परिवर्तन का %
1	एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	200000	100	शून्य	200000	100	शून्य	शून्य
	<b>योग</b>	<b>200000</b>	<b>100</b>	<b>शून्य</b>	<b>200000</b>	<b>100</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

**(iii) प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें, यदि कोई परिवर्तन है)**

क्र.सं.		वर्ष के शुरु में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का :	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का :
1					
2	वर्ष के शुरु में	कोई परिवर्तन नहीं			
3	वर्ष के दौरान धारित प्रवर्तक शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, तथा वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें।				
4	वर्ष की समाप्ति पर				

(iv) सबसे ऊपर के दस शेयर होल्डरों (निदेशक, प्रवर्तक और जीडीआर और एडीआर के होल्डरों के अलावा) के शेयर होल्डिंग पैटर्न:

क्र.सं.	सबसे ऊपर के दस शेयरधारकों के प्रत्येक के लिए	वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का :	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का :
	वर्ष के शुरू में	लागू नहीं			
	वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें।				
	वर्ष की समाप्ति पर (अथवा अलग होने की तारीख को, यदि वर्ष के दौरान अलग किया गया है)				

(v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयर होल्डिंग:

क्र.सं.	केएमपी और प्रत्येक निदेशकों के के लिए	वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का :	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का :
	वर्ष के शुरू में	शून्य			
	वर्ष के दौरान धारित शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि और कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) का उल्लेख करें।				
	वर्ष की समाप्ति पर				

V. ऋणभार कंपनी का ऋणभार जिसमें बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परंतु जो भुगतान हेतु देय नहीं है, शामिल है।

	प्रतिभूत ऋण जिसमें जमा राशि शामिल नहीं है	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशि	कुल ऋणभार
एएसक्यू वित्तीय वर्ष के शुरू में ऋण भार	लागू नहीं			
i) मूल राशि				
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज				
iii) प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज				
<b>योग (i+ii+iii)</b>				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
- - आवर्धन	लागू नहीं			
- - कटौती				
<b>निवल परिवर्तन</b>				
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणभार				
i) मूल राशि				
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज				
iii) प्रोद्भूत परंतु अदेय ब्याज	लागू नहीं			
<b>योग (i+ii+iii)</b>				

VI. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि
		(i) श्री राजेश बहादुर, प्रबंध निदेशक 01.04.2016 से 26.12.2016 और (ii) श्री मनोज कुमार मिश्रा 15.02.2017 से आगे	(i) 22.87 लाख (पूर्व वर्ष 20.85 लाख रुपये) प्रति वर्ष (ii) 3.97 लाख रुपये (पूर्व वर्ष शून्य)
1	<b>सकल वेतन</b> (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ	निकसी को भारत सरकार द्वारा रा.सू.वि. केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से प्राइवेट लिमिटेड धारा 25 कंपनी (अब धारा 8 कंपनी) के रूप में संवर्धित किया गया है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 59 (1) के अनुसार प्रबंध निदेशक को भारत के राष्ट्रपति की ओर से एनआईसी के उपयुक्त अधिकारी की तैनाती करके महानिदेशक एनआईसी के द्वारा नियुक्त किया जायेगा। कंपनी के श्री राजेश बहादुर, प्रबंध निदेशक को (01.04.2016 से 26.12.2016 तक ) वित्तीय वर्ष 2016 – 2017 के लिए दिये जाने वाला प्रबंधकीय पारिश्रमिक केवल 22.87/- लाख रुपये (पूर्व वर्ष 20.85 लाख रुपये ) था और कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार मिश्रा (15.02.2017 से आगे) का पारिश्रमिक केवल 3.97 लाख रुपये (पूर्व वर्ष शून्य) है।	
2	स्टॉक विकल्प		
3	स्वीट इक्विटी		
4	कमीशन – लाभ के : के अनुसार – अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें।		
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें कुल (ए) अधिनियम के अनुसार कुल सीमा योग (ए) अधिनियम के अनुसार कुल सीमा		लागू नहीं

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम		कुल राशि	
		-----	-----	-----	-----
	3. स्वतंत्र निदेशक • • बोर्ड/समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क ....कमीशन ....अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।				
	<b>योग (1)</b>				
	4. अन्य गैर कार्यकारी निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क • • कमीशन • • अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।				लागू नहीं
	<b>योग (2)</b>				
	<b>योग (B)=(1+2)</b>				
	<b>कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक</b>				
	<b>अधिनियम के अनुसार सम्पूर्ण कुल सीमा</b>				

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	योग
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	कंपनी के कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दिये जाने वाले पारिश्रमिक 7,20,500/- रु. है।		लागू नहीं	7,20,500/-रु.
2	स्टॉक विकल्प	लागू नहीं			
3	स्वीट इक्विटी				
4	कमीशन - लाभ के % के अनुसार - अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।				
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।				
	<b>योग</b>				<b>7,20,500/-रु.</b>

VII. जुर्माना/दंड/अपराध करना

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना/दंड/लगाये गये शुल्क के विवरण	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट]	दायर की गई अपील, यदि कोई है। (विवरण दें)
जुर्माना			शून्य		
दंड					
अपराध					
<b>ख. चूक करने वाले अन्य अधिकारी</b>					
जुर्माना			शून्य		
दंड					
अपराध					

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/-  
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 29 सितंबर, 2017



# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकोरपोरेटिड (निकसी)

## वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निकसी के लेखाओं पर  
मैसर्स गोयल गर्ग एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों से प्राप्त

दिनांक 11-09-2017 की सांविधिक लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में दी गई मदों के उत्तर

लेखा परीक्षा अवलोकन	निकसी के उत्तर
1. अनुदान सहायता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 49 और 59 देखें।	
(क) अनुदान सहायता परियोजनाओं के अलेखापरीक्षित लेखाओं को कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।	<p>निकसी अपनी शुरुआत होने से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से बहुत-सी अनुदान सहायता परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इससे पूर्व, निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त की गई निधि को अग्रिम के रूप में माना जा रहा था और इसलिए अलग-अलग परियोजनाओं की लेखा-परीक्षा नहीं की गई। इसके पश्चात, निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 21.12.2011 को आयोजित 75 वीं बैठक में इस मामले पर पुनः विचार किया और प्रत्येक लेखा परीक्षित की गई परियोजनाओं के लेखाओं को प्राप्त करने के संबंध में अनुदान सहायता जारी करने से संबंधित मजबूरियों में दी गई निबंधन व शर्तों में दर्शाये गये प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सनदी लेखाकार फर्म के माध्यम से प्रत्येक परियोजना के लिए प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षित लेखा प्राप्त करने हेतु अनुमोदन दिया गया। तदनुसार तत्पश्चात् अनुदान सहायता परियोजनाओं की लेखा परीक्षा सी ए फर्म के माध्यम से निकसी द्वारा सतत आधार पर की जा रही है और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया गया है।</p> <p>निदेशक मण्डल ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि प्रत्येक वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा पूर्ण करने से पहले सभी अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाओं की लेखा परीक्षा का कार्य पूरा करा लिया जाए जिससे कि इस पैरा को पुनरु प्रस्तुत ना किया जाए।</p>
(ख) चालू वर्ष के दौरान, गारंटीकर्ता संस्थान द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं की इस्तेमाल न की गयी निधियों पर उपार्जित वास्तविक ब्याज राशि के बदले प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये बचत बैंक खाते पर ब्याज दर के अनुसार वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज आय में से अनुदान सहायता परियोजनाओं पर आने वाली 499.10लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 786.85लाख रुपये) को कम किया गया है।	<p>निकसी अपनी शुरुआत होने से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से बहुत-सी अनुदान सहायता परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इससे पूर्व, निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार अनुदान सहायता के रूप में प्राप्त की गई निधि को अग्रिम के रूप में माना जा रहा था और इसलिए निकसी द्वारा उपार्जित ब्याज राशि की न तो गणना की गई और न ही उस राशि की अनुदान दाता विभागों को वापसी की गई। इसके पश्चात, निदेशक मंडल ने अपनी दिनांक 21.12.2011 को आयोजित 75 वीं बैठक में इस मामले पर पुनः विचार किया और उपार्जित व्यय की वापसी/ब्याज का समायोजन करने के संबंध में अनुदान सहायता जारी करने हेतु मंजूरीयों में दी गई निबंधन व शर्तों में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करते हुए, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की बचत लेखा नीति के अनुसार प्रत्येक अनुदान सहायता परियोजना में समय-समय पर उपलब्ध खर्च न की गई राशि पर ब्याज की गणना करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।</p> <p>तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकसी ने ब्याज के रूप में 499.10 लाख रुपये की राशि की वापसी की है/प्रदान किये हैं, जिसमें पूर्व वर्ष के लिए शून्य और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 499.10 लाख रुपये शामिल हैं।</p>

<p>(ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 तक, कंपनी ने अनुदान सहायता परियोजनाओं में प्रदान किये गये बिक्री कर पर विचार किये बिना अनुदान सहायता परियोजनाओं की खर्च न की गई राशि पर ब्याज का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2015-16 से कंपनी ने अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन किया है और ब्याज की गणना करते समय अनुदान सहायता परियोजनाओं में भुगतान किये गये बिक्री कर पर विचार किया है। पूर्व वर्ष की ब्याज भुगतान राशि पर उसके प्रभाव की गणना नहीं की गई है। वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा के संदर्भ में मामले के संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2014-15 तक निकसी ने व्यय के रूप में अग्रिम पर प्रदत्त सेवा कर को नहीं लिया (क्योंकि इसका भविष्य में किये जाने वाले भुगतान में समायोजन किया जाना था।) और संपूर्ण राशि के संबंध में अनुदान सहायता की इस्तेमाल न की गई राशि पर ब्याज की गणना की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 से, अग्रिम पर प्रदत्त सेवा कर को व्यय माना गया है और निवल इस्तेमाल न की गई राशि पर ब्याज का भुगतान किया गया है। गारंटीकर्ता विभाग ने पूर्व वर्षों में उसके संबंध में किसी अनियमितता के बारे में नहीं बताया है। वास्तव में निकसी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान पूर्व पद्धति द्वारा प्रदत्त ब्याज के संबंध में कुछ अधिक राशि की वापसी की है। लेखा परीक्षक ने अनुदान सहायता की लेखा परीक्षा आयोजित की और इन वर्षों के दौरान उन्होंने पद्धति भी स्वीकार की है तथा गारंटीकर्ता विभाग द्वारा उनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वीकृत किया गया। भविष्य में भी गारंटीकर्ता विभाग को राशि वापसी करने हेतु ब्याज की गणना करते समय अग्रिम पर प्रदान की जाने वाली सेवा कर राशि की परियोजना में इस्तेमाल न की गई राशि से कटौती की जायेगी।</p>
<p>2. परिचालन सीमांत राशि की पहचान करने के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 48 और 51 देखें।</p>	
<p>(i) एमईआईटीवाई के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी अपनी आंतरिक परियोजना के संबंध में प्राप्ति पर एनआईसी से कोई परिचालन सीमांत राशि वसूल नहीं कर रही है।</p>	<p>सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के लिए आईसीटी समाधान प्राप्त करने के संबंध में एनआईसी और निकसी के बीच "भूमिका" स्पष्ट करने से संबंधित मुद्दों पर 26.05.2014 को एक बैठक ली। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एनआईसी की आंतरिक अपेक्षा परियोजनाओं के लिए निकसी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राप्तियों को परिचालन सीमांत राशि के भुगतान करने से छूट दी जायेगी। इस संबंध में एनआईसी ने दिनांक 18.06.2014 की संख्या जी-30012/02/2014/आईएफएस के द्वारा एक परिपत्र जारी किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि "एनआईसी की आंतरिक अपेक्षाओं के लिए निकसी द्वारा उपलब्ध कराई गई प्राप्तियों को परिचालन सीमांत राशि के भुगतान से छूट दी जायेगी।"</p>
<p>(ii) कंपनी परियोजना की लागत पर ध्यान दिये बिना डिजीटल हस्ताक्षर परियोजना पर 5% की दर से एकरूप परिचालन सीमांत राशि ले रही है।</p>	<p>इसकी वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 51 के अनुसार पहचान की जा रही है।</p>
<p>(iii) परिचालन से प्राप्त राजस्व राशि में एनकेएन परियोजनाओं पर खर्च किये गये व्यय के प्रशासनिक प्रभारों के रूप में पहचान की गई 1% की दर से आय शामिल है। इस पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का अनुमोदन मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।</p>	<p>निदेशक मण्डल ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि अपनी परिचालनात्मक सीमांत राशि के रूप में 1% की दर पर आय राशि की पहचान करने हेतु लेखा परीक्षा करने के लिए अनुमोदन प्रदान करें।</p>
<p>विवरण और प्रलेखन न होने के कारण, वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा में दिये गये मामले का संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।</p>	<p>इस स्थिति का पूर्ववर्ती उप पैराओं में प्रत्येक के समक्ष स्पष्टीकरण दिया गया है।</p>

3.	<p>“पंचायतों की परिसम्पत्ति मापन” के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परियोजना के बारे में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 52 देखें जिसकी कुल लागत 3238.99/-लाख रु. है। प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार निकसी की परिचालन सीमांत राशि 100.00 लाख रु. नियत की गई है। तथापि निकसी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन सीमांत राशि की दर के अनुसार वर्ष के दौरान परियोजना हेतु खर्च की गई व्यय राशि की 7% की दर पर अपनी आय प्रस्तुत की है। एमईआईटीवाई से फीडबैक प्राप्त नहीं हुये हैं।</p>	<p>निकसी ने दिनांक 10.09.2015 के पत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस मामले को प्रस्तुत किया जिससे कि प्रशासनिक अनुमोदन की सीमा तक उसमें संशोधन किया जा सके कि निकसी अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दर के अनुसार इस परियोजना में 7% की दर से अपनी परिचालन सीमांत राशि वसूल करेगी। इस संबंध में निकसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 28.07.2016 को अनुस्मारक भी जारी किया गया है और दूसरा अनुस्मारक 27.07.2017 को भी जारी किया।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अभी शुरू की जाने वाली परियोजना को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना में परिचालनात्मक सीमांत राशि की लागू दर अनुमोदित करने हेतु एमईआईटीवाई के साथ अनुवर्ती कारवाई करें।</p>
4.	<p>हमारे विचार में परियोजना प्रबंधन, बुक कीपिंग, बीजक, प्राप्ति, भंडार, वस्तु-सूची, अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन और कंपनी की निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणालियों/आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया उसके प्रचालन संबंधी कार्यों के आकार व प्रकृति के अनुरूप नहीं है।</p>	<p>निकसी के पास शक्तियों का प्रत्यायोजन और निदेशक मंडल से समय-समय पर प्राप्त निदेशों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है। निकसी की सभी गतिविधियों को उसके अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के भीतर पूरा भी किया गया है।</p> <p>इसके अलावा, निकसी निविदा प्रक्रिया के जरिये समय-समय पर आंतरिक लेखा-परीक्षक को नामिकाबद्ध कर रही है तथा कंपनी उसे दिये गये कार्यक्षेत्र के अनुसार लेखा परीक्षा आयोजित कर रही है और तिमाही आधार पर रिपोर्ट जारी कर रही है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई कमियों को दर्शाया नहीं गया है और यह सामान्य टिप्पणियाँ भी हैं। माल, भंडार, वस्तु सूची, अचल परिसम्पत्तियों, बुक कीपिंग आदि की खरीद के संबंध में उपयुक्त लेखा प्रणाली और अन्य पद्धतियों को अपनाया जा रहा है।</p>
5.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41 देखें। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि के लिए ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता राशि और व्यापार देय राशि, व्यापार प्राप्ति योग्य राशि, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, बयाना जमा राशि, प्राप्तियाँ, प्रतिभूति जमा राशि के संबंध में शेष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। पुष्टियाँ न मिलने के कारण, हम शेष राशि की यथार्थता और उसकी समायोजन क्षमता तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।</p>	<p>निकसी समय समय पर सभी लेनदारों, देनदारों आदि को शेष पुष्टि पत्र जारी करती है। यह एक नियमित विशेषता है कि निकसी के प्रयोक्ता/ग्राहक सभी सरकारी मंत्रालय/विभाग/संगठनों के हैं, जिन्हें ऐसे पत्र जारी किए गए हैं परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। निकसी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसे पत्र भी जारी किए हैं परन्तु अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। हाल ही में निकसी ने संबंधित विभागों/संगठनों से इन बकाया देनदारों पर कारवाई करने हेतु एक कक्ष की स्थापना की है और यह संभावना है कि इस स्थिति को भविष्य में सुधारा जायेगा।</p>
6.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 और संख्या 2 (xvii) के संबंध में लेखा नीति देखें। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु दीर्घावधि व्यापार प्राप्ति योग्य राशि के मद्दे 303.28 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 271.48 लाख रुपये) की राशि का प्रावधान किया गया है।</p> <p>शेष पुष्टियाँ और उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण, हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव, यदि कोई है, और ऐसे प्रावधान की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।</p>	<p>निदेशक मंडल की दिनांक 20.3.2013 को आयोजित 81वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित “नीति” के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए पहली बार “अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्रावधान” किया गया है। तथापि, उपर्युक्त पूर्व पैरा में उल्लिखित किये गये अनुसार अभी तक शेष पुष्टियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं, इसलिए निकसी इस मामले में आगे कोई टिप्पणी नहीं करेगी।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103वीं बैठक में निकसी को यह सलाह दी कि पुरानी बकाया राशियों, विशेष रूप से 10 वर्षों से अधिक की अवधि की बकाया राशियों की वसूली करने के लिए किए गए प्रयासों के विवरण बोर्ड को दें तथा उसके पुरे विवरणों की जांच की जायें। तत्पश्चात राशियों, यदि कोई है को बट्टे खाते में डालने हेतु विचार करने के लिए निकसी के बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जायें।</p>

7.	<p>साख टिप्पणी जारी करने के संबंध में लेखा नीति संख्या 2 (ix) देखें। ऐसी अधिक्य आय के उत्क्रमण की पूर्णता के संबंध में उपयुक्त और पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण हम यथार्थता और पूर्णता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकसी ने अपने निदेशक मंडल के द्वारा अनुमोदित किये गये अनुसार परियोजना की कुल लागत के 7% अथवा 5% की दर से परिचालन सीमांत राशि प्रस्तुत की है। वर्ष के दौरान प्रयोक्ता विभागों द्वारा कुछ आदेश रद्द किये गये और तदनानुसार क्रेडिट टिप्पणियां जारी करके बिक्री को बदला गया। इसके अलावा कुछ परियोजनाओं में परिचालन सीमांत राशि की दर में परियोजना लागत में वृद्धि होने के कारण परिवर्तन किया गया। इसलिए वही परिचालन सीमांत राशि प्रदान करने के लिए क्रेडिट टिप्पणियां जारी की गईं।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में विचार विमर्श करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि परिचालनात्मक सीमांत राशि को निम्नानुसार वसूल किया जाये:</p> <table border="1" data-bbox="738 630 1469 1071"> <thead> <tr> <th>परियोजना मूल्य</th> <th>परियोजना मूल्य का %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 करोड़ रुपये तक</td> <td>7% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रुपये के समकक्ष अथवा उससे कम हो जाता है तो निकसी केवल 7% की दर से ही परिचालनात्मक सीमांत राशि वसूल करेगी)</td> </tr> <tr> <td>50 करोड़ रुपये से अधिक</td> <td>5% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो निकसी 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य पर केवल 5% की दर से ही परिचालनात्मक सीमांत राशि ही वसूल करेगी।</td> </tr> </tbody> </table>	परियोजना मूल्य	परियोजना मूल्य का %	50 करोड़ रुपये तक	7% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रुपये के समकक्ष अथवा उससे कम हो जाता है तो निकसी केवल 7% की दर से ही परिचालनात्मक सीमांत राशि वसूल करेगी)	50 करोड़ रुपये से अधिक	5% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो निकसी 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य पर केवल 5% की दर से ही परिचालनात्मक सीमांत राशि ही वसूल करेगी।
परियोजना मूल्य	परियोजना मूल्य का %							
50 करोड़ रुपये तक	7% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रुपये के समकक्ष अथवा उससे कम हो जाता है तो निकसी केवल 7% की दर से ही परिचालनात्मक सीमांत राशि वसूल करेगी)							
50 करोड़ रुपये से अधिक	5% (परियोजना को कार्यान्वित करते समय यदि परियोजना का मूल्य 50 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो निकसी 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य पर केवल 5% की दर से ही परिचालनात्मक सीमांत राशि ही वसूल करेगी।							
8.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 65 देखें। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में चालू और गैर चालू के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गयी ऐसे द्विविभाजन हेतु उचित आधार दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हम ऐसे प्रकटीकरण की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम हैं।</p>	<p>चालू और गैर-चालू के अंतर्गत परिसम्पत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण अपेक्षाओं के आधार पर वित्तीय सलाहकार, निकसी तथा प्रबंध निदेशक, निकसी के अनुमोदन से किया गया है।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में विचार विमर्श करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि इस मामले से संबंधित संबंध प्रावधानों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर एक दस्तावेज सृजित किया जाये और उसे लेखा परीक्षा में दिखलाया जाये ताकि इस पैरा को पुनः प्रस्तुत न किया जाये।</p>						
9.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 14 देखें। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार वसूलनीय कर राशि में वित्तीय वर्ष 1996-97 से 2013-14 के संबंध में 117.70 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए कार्य संविदा पर स्रोत पर कटौती किये गये कर के 117.70 लाख रुपये शामिल हैं। उपर्युक्त वसूलनीय क्षमता के बारे में पर्याप्त दस्तावेज न होने तथा उचित कारण का पता न होने के कारण, हम इन शेष राशियों की यथार्थता और मौजूदगी तथा वित्तीय विवरणों पर उसके परिणामात्मकता संबंधी प्रभाव, यदि कोई है पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।</p>	<p>दीर्घ अवधि बकाया बिक्री कर मामलों पर कार्रवाई की गई है और संबद्ध कर प्राधिकरण के साथ निकसी द्वारा उस पर नियमित रूप से अभी कार्रवाई की जा रही है और तथापि, कर प्राधिकारियों द्वारा अभी इस पर निर्णय लिया जायेगा।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि पुरानी बकाया कर राशियों को शीघ्रता से निपटान करने हेतु संबंधित कर प्राधिकारियों को प्रभावशाली ढंग से मामले को प्रस्तुत करें।</p>						

10.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 68 देखें। 6036.78 लाख रुपये की चालू कर परिसम्पत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक स्त्रोत पर कटौती की गयी कर राशि ६ अग्रिम कर वसूली की कुछ शेष राशियां शामिल हैं। उपर्युक्त की वसूली करने के संबंध में उचित और पर्याप्त दस्तावेज न मिलने के कारण हम इन शेष राशियों की शुद्धता और मौजूदगी तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, यदि कोई है, पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव पर, यदि कोई है, टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>निकसी अपने आवेदनों का शीघ्रता से निपटान करने के लिए संबंधित कर प्राधिकारियों के साथ इस मामले पर कारवाई करेगी।</p>
11.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 57 देखें। कंपनी द्वारा वर्ष 2010-11 से 2013-2014 तक की अवधि के दौरान एलटीसी भुगतान पर आने वाली राशि एमईआईटीवाई के अनुमोदन के बिना 1.89 करोड़ रुपये है। मामले पर अनुमोदन/उसे अंतिम रूप देने तक हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम हैं।</p>	<p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.17 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि वह अपनी सेवा नियमावली को शीघ्रता से ठीक करने के लिए एमईआईटीवाई के साथ अनुवर्ती कारवाई करें जिससे कि नियंत्रक और महालेखाकार के कार्यालय को इस पैरा का निपटान करने के संबंध में उसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जा सके।</p>
12.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें। कंपनी द्वारा वर्ष 2007-08 से 2015-2016 तक की अवधि के लिए प्रदान की गयी प्रदत्त परियोजना प्रोत्साहन राशि एमईआईटीवाई के अनुमोदन के बिना 3.02 करोड़ रुपये है। मामले पर अनुमोदन मिलने/उसको अंतिम रूप देने तक, हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम हैं।</p>	<p>निकसी ने डाक और दूर संचार कार्यालय से मामले में एक प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा (डीएपी) प्राप्त किया है। अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 02.07.2015 के अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा इस मामले तथा विशेष परिस्थितियों (जिसके अधीन छोटे-छोटे प्रोत्साहन निकसी के कर्मचारियों को दिये जा रहे थे) से संबंधित विवरणों की सूचना महानिदेशक लेखा परीक्षा, डाक व दूर संचार को दी।</p> <p>इस बीच मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (संचार व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की रिपोर्ट (2015 की रिपोर्ट संख्या 55) को दिनांक 11.03.2016 को संसद में प्रस्तुत किया गया जिसे निकसी में प्राप्त किया गया। जो निकसी के कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन/मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का अनियमित भुगतान करने के संबंध में थी। आईएफडी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 24.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिपोर्ट से प्राप्त संबद्ध उदाहरण (पैरा संख्या 5.6) निकसी को अग्रेषित किये, जिसमें उसने महानिदेशक लेखा परीक्षा, पी एंड टी कार्यालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणी (एटीएन) भेजने से पहले वेटिंग हेतु दिनांक 04.07.2016 के उत्तर भेजने का अनुरोध किया। निकसी ने दिनांक 04.07.2016 के पत्र के द्वारा वेटिंग हेतु पैरा से संबंधित उत्तर आईएफडी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अग्रेषित किये तथा उसे डाक व तार लेखा-परीक्षा कार्यालय को भी अग्रेषित किया। आईएफडी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 02.08.2016 के पत्र द्वारा अभी इस उत्तर को एनआईसी से उसे वेट करवाने के पश्चात् डाक व तार, लेखा-परीक्षा कार्यालय को भी अग्रेषित किया है।</p> <p>तथापि, कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के संबंध में वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।</p>

13.	<p>भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 61 देखें। कंपनी द्वारा दिनांक 1.7.2007 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए परिवहन और गृह किराया भत्ता की भुगतान राशि, एमआईईटीवाई के अनुमोदन/परिशोधन के बिना, प्रदान की गई/प्रदान की जा रही है। मामले पर अनुमोदन मिलने से उसको अंतिम रूप देने तक, हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम हैं।</p>	<p>निकसी ने डाक और दूर संचार कार्यालय से मामले में एक प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा (डीएपी) प्राप्त किया है। अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 28.8.2015 के अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा इस मामले को तथा विशेष परिस्थितियों, जिसके अधीन छोटे-छोटे प्रोत्साहन दिये जा रहे थे, से संबंधित विवरणों की सूचना महानिदेशक लेखा परीक्षा, डाक व दूर संचार को दी।</p> <p>इस बीच मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए (संचार व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र) भारत के नियंत्रक तथा महालेखाकार की रिपोर्ट (2015 की रिपोर्ट संख्या 55) को दिनांक 11.03.2016 को संसद में प्रस्तुत किया गया जिसे निकसी में प्राप्त किया गया जो निकसी के कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन/मकान किराया भत्ता/परिवहन भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का अनियमित भुगतान करने के संबंध में थी। आईएफडी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 24.06.2016 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा रिपोर्ट से प्राप्त संबद्ध उदाहरण (पैरा संख्या 5.6) निकसी को अग्रेषित किये, जिसमें उसने महानिदेशक लेखा परीक्षा, पी एंड टी कार्यालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणी (एटीएन) भेजने से पहले वेटिंग हेतु दिनांक 04.07.2016 के उत्तर भेजने का अनुरोध किया। निकसी ने दिनांक 04.07.2016 के पत्र के द्वारा वेटिंग हेतु पैरा से संबंधित उत्तर आईएफडी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अग्रेषित किये तथा उसे डाक व तार लेखा-परीक्षा कार्यालय को भी अग्रेषित किया। आईएफडी, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिनांक 02.08.2016 के पत्र द्वारा अभी इस उत्तर को एनआईसी से उसे वेट करवाने के पश्चात् डाक व तार, लेखा-परीक्षा कार्यालय को भी अग्रेषित किया है।</p>
14.	<p>अप्रचलित परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 69 देखें। कंपनी द्वारा आयोजित की गई अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कुछ परिसंपत्तियों की अप्रचलित/कार्य न करने के रूप में पहचान की गई है। उसके प्रभाव को भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में यह नहीं बताया गया है। दस्तावेज तथा विवरण प्राप्त न होने के कारण वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव व पता नहीं है और वह अनिश्चित है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निपटान करने हेतु अप्रचलित और अनुपयोज्य मदों की पूर्व पहचान की गयी है तथा दिनांक 08.07.2016 को मैसर्स जैनिकस कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड से निकसी द्वारा 6,31,500/- रुपये की राशि प्राप्त की गयी। तथापि आगे पहचान की जाने वाली परिसंपत्तियों की अप्रचलित तथा अनुपयोज्य मदों का निपटान करने की प्रक्रिया चल रही है।</p>
15.	<p>लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों की गणना करने की पद्धति और डीओटी द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस शुल्क के बारे में 65445.02 लाख रुपये की तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रुपये की मांग के संबंध में टिप्पणी सं. 47 देखें। कंपनी ने वर्ष के दौरान पिछली पद्धति के अनुसार डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों के लिए भुगतान किया है/भुगतान प्रदान किया है, क्योंकि भारत के माननीय सुप्रीम न्यायालय में यह मामला लंबित है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।</p>	<p>दिनांक 29.02.2016 के अपने अंतरिम अधिनिर्णय में भारत के माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार यह निर्णय लिया:</p> <p>“भारत संघ अपनी समझ के अनुसार मांग उठाना जारी रखेगा। तथापि, इस न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के प्रतिकूल होने तक उसको लागू नहीं किया जायेगा।”</p> <p>उक्त अधिनिर्णय के अनुसार, डीओटी ने अपने दिनांक 10.05.2016 के अर्द्ध शासकीय पत्र के द्वारा निकसी को यह सूचित किया है कि समय-समय पर जारी किये गये विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांतों/निरीक्षणों/स्पष्टीकरणों के अनुसार, संबद्ध लाइसेंस करार की निबंधन व शर्तों के अनुसार निर्धारण किया जाता रहेगा जैसा कि अगले आदेश होने तक किया जा रहा है।</p>



		<p>तदनुसार, निकसी दिनांक 20.11.2009 के करार के अनुसार तथा उससे संबंधित स्पष्टीकरण अनुसार डीओटी के लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों की गणना कर रही है और उसे प्रेषित कर रही है।</p> <p>उपर्युक्त के अलावा, निकसी ने वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक की अवधि के लिए स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 323.83 करोड़ रुपये तथा बकाया लाइसेंस फीस के संबंध में लगभग 654.45/- करोड़ रुपये की राशि जमा करने के लिए प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा कार्यालय, दूर संचार विभाग दोनों से दिनांक 09.02.2017 को दो पत्र प्राप्त किये।</p> <p>निकसी ने इस मामले पर एमईआईटीवाई के साथ कारवाई शुरू की जिसके आधार पर सचिव एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.03.2017 के अर्धशासकीय पत्र के द्वारा सचिव, दूर संचार विभाग को विवरणों की सूचना दी जिससे यह अनुरोध किया गया कि उक्त मांग को परिशोधित किया जाये। सचिव एमईआईटीवाई ने दिनांक 18.09.2017 के अर्ध शासकीय पत्र के द्वारा सचिव, दूरसंचार विभाग के साथ इस मामले पर पुनरु कारवाई की है। तथापि, इस मामले में आगे फीडबैक प्राप्त होने हैं।</p>
16.	<p>डीएवीपी के माध्यम से रोजमर्रा में "सूचना आमंत्रित करने वाली निविदाओं" को प्रकाशित करने के लिए अग्रिम राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 66 देखें। निपटान व समायोजन करने पर अग्रिम राशि प्रदान की गई है। वित्तीय विवरणों पर उसके परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का कोई पता नहीं है और वह अनिश्चित है।</p>	<p>निकसी डीएवीपी के माध्यम से ही समाचार पत्रों में निविदा आदि प्रकाशित करने के संबंध में अपने सभी विज्ञापन प्राप्त करती है। अपनी नीति के अनुसार डीएवीपी विज्ञापन देकर संगठनों से एकमुश्त अग्रिम राशि प्राप्त करने के पश्चात् विज्ञापनों को प्रकाशित करता है। विज्ञापनों के लिए अग्रिम राशि प्राप्त होने और उन्हें प्रकाशित करने के पश्चात् डीएवीपी संबद्ध संगठनों द्वारा उसके समायोजन हेतु अपनी साइट पर बिल प्रस्तुत करता है। निकसी भी उसी प्रकार की पद्धति अपना रही है और अपनी साइट पर डीएवीपी द्वारा बिल प्रदर्शित करने के पश्चात् निकसी ने अपने बही खातों में अग्रिम राशि को समायोजित किया।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि अग्रिम राशि का समायोजन करने के संबंध में डी ए वी पी साइट से बिलों तथा अन्य दस्तावेज का प्रिंट आउट लेखा परीक्षक को दिखलाये जिससे कि इस पैरा को पुनरु प्रस्तुत न किया जाये।</p>
17.	<p>अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 19 देखें जिसमें 1396.41/- लाख रुपये बयाना जमा राशि की देयता शामिल है। पर्याप्त और उचित दस्तावेज/साक्ष्य न मिलने के कारण हम इस राशि की शुद्धता और पूर्णतया पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले उसके परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।</p>	<p>बयाना जमा राशि के संबंध में 1396.41 लाख रुपये की राशि को लेखाओं में दर्शाया गया है, जोकि ठीक है।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि बकाया राशियों की जांच करके उनका निपटान किया जाये जिससे कि उस पैरा को पुनरु प्रस्तुत न किया जाये।</p>
18.	<p>अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 17 और 19 देखें जिसमें 51.46/- लाख रुपये देय प्रतिभूति जमा और 1396.41/- लाख रुपये की देय बयाना जमा राशि शामिल है जिसे वित्तीय देयताओं को प्रस्तुत करने के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2(vii) तथा (viii) के अनुसार उचित मूल्य पर तथा प्रस्तुत लागत पर आँका नहीं गया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसका परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।</p>	<p>बयाना जमा राशि के संबंध में 1396.41/- लाख रुपये तथा देय प्रतिभूति जमा राशि के संबंध में 51.46/- लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है, जो कि सही है तथापि इन राशियों को वापिस करने की अवधि संबंधित बोली दस्तावेजों में प्रस्तुत किये गये प्रावधानों पर निर्भर करती है।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि बकाया राशियों की जांच करके उनका निपटान किया जाये जिससे कि उस पैरा को पुनः प्रस्तुत न किया जाये।</p>

19.	कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा-विधि मानक) नियमावली 2015 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित भारतीय लेखा विधि मानक (भारतीय लेखांकन मानक) का अनुपालन नहीं किया है –	
	(i) नकदी प्रवाह विवरण देखें 3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि पर वर्ष के शुरू में और उसकी समाप्ति पर नकदी समकक्ष राशि के रूप में विचार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक-7 “नकदी प्रवाह विवरण” की अपेक्षा का अनुपालन नहीं हुआ है।	इसकी स्थिति को भारतीय लेखांकन मानक 7 व “नकदी प्रवाह विवरण” में दर्शाया गया है।
	(ii) कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित होने वाली घटनाओं और आकस्मिकताओं की अपेक्षाओं के प्रकटीकरण का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए तीसरे दल की ओर से सेवा तथा सामग्री प्राप्त की है। हमें दी गयी सूचना के अनुसार, ऐसी व्यय और अर्जन राशि से संबंधित सूचना कई बार समाप्ति तारीख के पश्चात् प्राप्त होती है और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में उसकी पहचान नहीं की जाती है।	निकसी, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के पश्चात् और उस के आधार पर विक्रेताओं से बिल प्राप्त कर रही है। इसलिए 31 मार्च के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिलों के लिए खाते में तब तक प्रविष्टियां की जाती हैं जब तक कि उस वर्ष के वित्तीय विवरण बंद न कर दिये जायें।
	(iii) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2(ix) देखें, कंपनी की नीति के अनुसार बीजक तैयार करते समय माल की बिक्री पर राजस्व की पहचान की जा रही है, जबकि माल की स्वीकृति पर जोखिम और प्रतिफल ग्राहकों को अंतरित किये जाते हैं। यह भारतीय लेखा मानक-18 “राजस्व की पहचान” का अनुपालन न करने के कारण हुआ है।	व्यवहार्यता, निकसी माल की बिक्री के संबंध में बीजक तैयार करते समय राजस्व राशि की पहचान कर रही है।
	(iv) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 37 देखें। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार पेंशन अंशदान और छुट्टी वेतन देयता हेतु प्रावधान को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, न कि उसे भारतीय लेखा मानक-19 “कर्मचारी लाभ (परिशोधित 2005)” की अपेक्षा के अनुसार किया गया है।	भारत सरकार की दिनांक 3.3.1998 की अधिसूचना में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निकसी के सभी अधिकारी तथा उनके पद एन आई सी से रोटेशनल प्रतिनियुक्ति पर है। उन मामलों में भारत सरकार के छुट्टी वेतन अंशदान तथा पेंशन अंशदान के भुगतान से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत लागू होते हैं। इस प्रकार राशि की भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गणना की जाती है और उसका तदनुसार एन आई सी को भुगतान किया जाता है।
	(v) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38 देखें। कंपनी ने कंपनी के एकमात्र मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति को संबद्ध पार्टी के रूप में बताया है। कंपनी ने अन्य संबद्ध पार्टियों के साथ किये जाने वाले लेनदेनों की न तो जांच की है और न ही उसके बारे में बताया है। जिसके परिणामस्वरूप “संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण” पर भारतीय लेखा मानक-24 का अनुपालन नहीं हुआ है।	प्रबंध निदेशक कंपनी से पारिश्रमिक लेने के कारण संबद्ध पार्टी हैं। किसी अन्य निदेशक अथवा शेयरधारक को कंपनी द्वारा किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में भी यही स्थिति थी।

	<p><b>उपयुक्त राय</b></p> <p>हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना के अनुसार तथा उपयुक्त पैराग्राफ “उपयुक्त विचार हेतु आधार” में वर्णित मामलों के संभव प्रभाव को छोड़कर, हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति के बारे में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी अधिशेष राशि (जिसमें अन्य व्यापक आम शामिल है) तथा उसकी नकदी प्रवाह राशि के बारे में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उपर्युक्त विचार प्रदान करते हैं।</p>	
	<p><b>अन्य मामले</b></p> <p>हमारे विचारों में कोई बदलाव किये बिना हम इस तथ्य पर बल देते हैं कि –</p>	
	<p>(क) कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन चालू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए कंपनी को अपने साधनों को बढ़ाने हेतु अपनी अधिशेष राशि, यदि कोई है, के लिए आवेदन करना होगा। कंपनी ने उपार्जित लाभ के कारण 60578.14/-लाख रुपये (पूर्व वर्ष 54137.11/-लाख रुपये) की आरक्षिती राशि संचित की है। संगम ज्ञापन (एमओए) में उल्लिखित अपने साधनों को बढ़ाने हेतु अपनी अधिशेष राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के संबंध में कंपनी की भावी योजनाओं के बारे में कोई उपयुक्त सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>वर्ष के दौरान, एनआईसी ने अगस्त 2015 में “एनआईसी क्लाउड सेवाओं का संवर्धन” पर एसएफसी ज्ञापन को प्रतिपादित किया। इस ज्ञापन पर स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दिनांक 15.10.2015 को आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया और उसे अनुमोदित किया गया तथा 191.83 करोड़ रुपये (पूजी के रूप में 128.90 करोड़ रुपये तथा परिचालनात्मक के रूप में 62.93 करोड़ रुपये) की संपूर्ण परियोजना परियव्य की पूर्ति निकसी द्वारा 5 वर्षों की अवधि में उसकी “आरक्षिती राशि” में से पूरी की जायेगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 15.10.2015 को आयोजित एसएफसी बैठक में इस परियोजना के संबंध में दिनांक 19.10.2015 को कार्यवृत्त जारी किये। इस वर्ष के दौरान, निकसी ने इस परियोजना में 66.31 करोड़ रुपये की व्यय राशि खर्च की है तथा 0.86 करोड़ रुपये की राजस्व राशि अर्जित की।</p>
	<p>(ख) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 63 देखें, कंपनी ने कुछ परियोजनाओं की स्थिति में प्रयोक्ता विभागों से प्राप्त की गयी अग्रिम राशियों में से अतिरिक्त व्यय राशि खर्च की है उसने निकसी को 40% अथवा जी एफ आर के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम राशि जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 देखें। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 28130.13/-लाख रुपये (पूर्व वर्ष 18774.25/-लाख रुपये) की दीर्घावधि व्यापार प्राप्ति योग्य राशि तथा 99,78,70,711/-रु0 (पूर्व वर्ष 86,73,52,208/-रु0) की अल्पावधि व्यापार प्राप्ति योग्य राशि कंपनी द्वारा वहन की गई ऐसी आधिक्य परियोजना व्यय राशि के कारण है।</p>	<p>सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में परियोजना की कुल लागत के 40% तक अथवा इसी प्रकार की अग्रिम राशि जारी करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि निकसी को पूरी सीमा तक नामिकाबद्ध विक्रेताओं को कार्य आदेश जारी करने होंगे। आदेश दिये जाने के बाद, विक्रेता भुगतान हेतु निकसी को बिल प्रस्तुत करेंगे और उसके आधार पर निकसी शेष भुगतान जारी करने के लिए प्रयोक्ता संगठन को कहेगी। प्रयोक्ता विभागों/संगठनों से शेष निधि प्राप्त होने में विलंब होने के कारण, परियोजनाओं में लगने वाली शेष राशि नकारात्मक है इसलिए निकसी को नामिकाबद्धता/कार्य आदेशों की निबंधन व शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा।</p> <p>बोर्ड ने दिनांक 29.09.2017 को आयोजित अपनी 103 वीं बैठक में इस मामले पर विचार करने के पश्चात निकसी को यह सलाह दी कि बकाया राशि की यथाशीघ्र वसूली करने के संबंध में निकसी में गठित कक्ष द्वारा संबंधित प्रयोक्ता विभागों/संगठनों के पास प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत की गयी बकाया राशियों को प्राप्त करें जिससे कि इस पैरा को पुनः प्रस्तुत न किया जाये।</p>
	<p>(ग) कंपनी अलग परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई राशि हेतु अलग से किसी बैंक खाता का रखरखाव नहीं कर रही है। इस प्रकार कंपनी लेखा सॉफ्टवेयर में प्रत्येक परियोजना हेतु अलग से परियोजना लेखा का रखरखाव कर रही है।</p>	<p>निकसी प्रत्येक वर्ष बहुत सी नई परियोजनाएँ प्राप्त करती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निकसी ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र से कार्यान्वयन हेतु 3964 नई परियोजनाएँ प्राप्त की हैं। प्रत्येक परियोजनाओं के लिए न तो अलग से बैंक खाता रखने की जरूरत है। और न ही यह व्यवहार्य है। तथापि निकसी के निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017को आयोजित अपनी 100 वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि प्रत्येक अनुदान सहायता परियोजना के लिए अलग से बैंक खाता खोला जाये और उसके संबंध में कारवाई चल रही है।</p>

<p>(घ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 देखें: भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के संबंध में 931.50 लाख रुपये का वाहन/हक विलेख एतद्वारा निष्पादन/पंजीकरण हेतु लंबित है।</p>	<p>निकसी ने शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन भूमि तथा विकास कार्यालय तथा एनबीसीसी के साथ इस मामले पर समय-समय पर कार्रवाई करना शुरू किया है। परंतु विलेख का अभी पंजीकरण किया जाना है। निकसी शीघ्र ही पंजीकृत विलेख प्राप्त करने के लिए संबद्ध प्राधिकारियों के साथ इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी।</p>
<p>(ङ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60 देखें। कंपनी द्वारा पाँचवाँ तल, (डीएमआरसी, आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली) में किराये पर लिये गये स्थान में साज-सज्जा उपस्कर निर्माण कार्य का अनियमित/अनुपयुक्त निष्पादन करने के कारण जी एफ आर के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और किराये पर लिये गये स्थान का कब्जा लेने में काफी विलम्ब हुआ है, जिसके कारण किराया और रखरखाव प्रभार राशि का अनुचित भुगतान हुआ है।</p>	<p>निदेशक मण्डल के अनुमोदन से निकसी ने पाँचवाँ तल, शास्त्री पार्क, दिल्ली में साज-सज्जा और फर्निशिंग का कार्य करवाने के लिए फर्म को कार्य आदेश दिया। उसके पश्चात् बोर्ड के निर्णय के अनुसार निकसी को वह कार्य रद्द करना पड़ा और उसके लिए नया कार्य आदेश मैसर्स एन बी सी सी लिमिटेड को दिया गया। साज सज्जा और फर्निशिंग का कार्य अभी पूरा हो गया है। और दिनांक 11.07.2016 को गृह मंत्रालय को स्थान सुपुर्द किया गया है जिससे कि उसके प्रवासन वीजा, विदेशियों का पंजीकरण और उसका पता लगाया जा सके।</p>
<p>(च) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 64 देखें। कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण हेतु 13.6.2013 को "आयकर आयुक्त" के पास आवेदन प्रस्तुत किया, तथापि "आयकर आयुक्त" द्वारा उस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। सीआईटी आदेश के मददे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पास कंपनी की अपील पर उसके पक्ष में निर्णय लिया गया है। अभी अपील आयकर विभाग के पास लंबित है।</p>	<p>कंपनी ने अभी अपील करने के लिए आयकर विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया है।</p>
<p>(छ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32 देखें। पूर्वावधि व्यय /आय के संबंध में, कम्पनी ने उसे पूर्वावधि के रूप में त्रुटि अथवा चूक माना है।</p>	<p>कम्पनी ने भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में पूर्वावधि के रूप में केवल त्रुटि और चूक को लिया है तथापि इस वर्ष के दौरान कोई पूर्वावधि नहीं है।</p>
<p>(ज) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 53 देखें। हमें दी गयी सूचना के अनुसार, कंपनी ने राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क "एन के एन" परियोजना के लिए खर्च की गयी वास्तविक व्यय राशि के बदले प्राप्त की गयी अग्रिम राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 1303/-करोड़ रुपये की राजस्व राशि की पहचान की। चालू वर्ष में, कंपनी ने उपर्युक्त अग्रिम राशि में से खर्च की गयी व्यय राशि पर किसी आय की पहचान नहीं की है।</p>	<p>एनकेएन परियोजना के संबंध में, निकसी ने लगभग 1303.83 करोड़ रु. की अग्रिम राशियों पर वित्तीय वर्ष 2010-11 में अपनी आय को असावधानीपूर्वक प्रस्तुत किया है जिसे व्यय माना जाये। इन अधिकांश अग्रिमों को अभी समायोजित किया गया है</p>

	<p>(झ) भारतीय लेखांकन मानक 18 राजस्व पहचान के अनुसार, कम्पनी एजेंट के रूप में कार्य कर रही है क्योंकि अर्जित सम्पूर्ण राशि पूर्वनिर्धारित है जोकि प्रति लेनदेन नियत शुल्क हो सकती है अथवा ग्राहकों को दी गयी बिल राशि का प्रतिशत हो सकती है। मूल पर प्रदत्त और वसूल की गयी राशि राजस्व राशि नहीं है। तथापि, कम्पनी वसूल की गयी राशि को राजस्व के रूप में दिखला रही है। जिसके कारण भारतीय लेखांकन मानक 18 राजस्व पहचान की अपेक्षा का अनुपालन नहीं हो रहा है।</p>	<p>कम्पनी समय समय पर अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार प्रयोक्ताओं से अपनी परिचालनात्मक सीमांत राशि ले रही है। और उसे तदनुसार लेखाओं में दिखला रही है।</p>
	<p>(ञ) चालू वर्ष के लिए परियोजना प्रोत्साहन राशि का कोई प्रावधान न करने के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें। जोकि डी पी ई के मार्गदर्शी सिद्धांतों की दिशा के अनुसार नहीं है।</p>	<p>निकसी के कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि यह योजना भारत सरकार के विचाराधीन है।</p>
<b>अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट</b>		
1.	<p>कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन परिचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए इस अधिनियम की धारा 143 (II) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>
2.	<p>इस अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जैसा कि अपेक्षित है कि :</p>	
	<p>(क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किये हैं जोकि उपर्युक्त अर्हता प्राप्त विचार के उपर्युक्त पैराग्राफ के आधार पर यथा उल्लिखित को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>
	<p>(ख) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किये हैं जोकि उपर्युक्त अर्हता प्राप्त विचार के उपर्युक्त पैराग्राफ के आधार पर यथा उल्लिखित को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>
	<p>(ग) तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरण तथा इस रिपोर्ट से संबंधित इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तक के अनुरूप है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>
	<p>(घ) हमारे विचार में अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप है।</p>	<p>कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>

	(ड) उपर्युक्त विचार में ऊपर दिये गये अर्हता प्राप्त विचार के आधार के अधीन उप पैरा 6 में वर्णित आंतरिक नियंत्रण का कम्पनी की कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	
	(च) चूंकि यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी एस आर – 463 (ई) की शर्तों के अनुसार कम्पनी पर लागू नहीं होती है।	कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।
	(छ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता ऐसे नियंत्रणों की परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में "अनुबंध क " में हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट को देखें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के बारे में अर्हता प्राप्त विचार प्रस्तुत किये गये।	कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।
	(ज) कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में और हमको दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी बेहतर सूचना के अनुसार:	
	(i) कम्पनी ने (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 33 देखें) अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित वादों के प्रभाव के बारे में बताया है।	कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।
	(ii) कम्पनी ने किसी दीर्घावधि संविदाओं को प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें गौण संविदायें शामिल हैं जिसके लिए किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्व देखी गई हानियाँ भी शामिल थी।	कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।
	(iii) किसी भी प्रकार की ऐसी राशियाँ नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को आंतरिक करना अपेक्षित था।	कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।
	(iv) कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों में लेनदेन करने तथा उसे बनाये रखने के लिए अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण प्रस्तुत किया है और वह कम्पनी द्वारा रखे गये लेखा बहियों के अनुसार है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 10 देखें।	कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।
3.	कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट अनुबंध बी में संलग्न है।	कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (i)  
के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

<p><b>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय</b></p> <p>वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों से वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया में उसकी नीतियां तथा पद्धतियां शामिल हैं। (1) रिकार्डों का रखरखाव करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना तथा उसके लेन-देनों के उचित विवरण प्रदान करना, यथार्थ रूप से तथा स्पष्ट रूप से उनको प्रतिबिम्बित करना (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिससे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक लेन-देनों को रिकार्ड किया जा सके और कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय राशियों को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार प्रस्तुत भी किया जा रहा है। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रबंधन करने अथवा उसके अप्राधिकृत अर्जन करने तथा उसका इस्तेमाल करने के संबंध में समय पर उसका पता लगाने अथवा उसकी रोकथाम करने के संबंध में उचित आश्वासन देना जिसका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर भरसक प्रभाव पड़ सकता है।</p>	<p>सामान्यतः कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>
<p><b>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं</b></p> <p>वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण तथा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अथवा उसको प्रस्तुत करने की संभावनाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत वक्तव्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनका पता नहीं चलता है इसके साथ ही भावी अवधि के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रक्रिया का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई जोखिम न हो, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया परिस्थित वश कोई बदलाव आने के कारण अथवा नीतियां अथवा पद्धतियों का अनुपालन होने के कारण, अपर्याप्त हो सकती है।</p>	<p>निकसी कंपनी अधिनियम 2013 (जिसे पहले धारा 25 कंपनी के रूप में जाना जाता है) के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई धारा 8 कंपनी है। इसके सभी कर्मचारी तथा इसके पद भारत सरकार की दिनांक 03.03.1998 की अधिसूचना के अनुसार रोटेशन प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात है। निकसी का इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) अपर सचिव की अध्यक्षता में अपना निदेशक मंडल है तथा अन्य सभी निदेशक भारत सरकार से लिए जा रहे हैं। इसका निदेशक मंडल विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांत/नीतियां बनाता है जिसका निकसी द्वारा कोई बदलाव किये बिना अनुसरण किया जाता है। बोर्ड ने आंतरिक शक्तियों के आंतरिक प्रत्यायोजन को भी अनुमोदित किया है जिसका निकसी में कोई व्यय खर्च करते समय पूरी तरह से पालन किया जाता है। व्यय विभाग (डीओई) तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा जीएफआर 2005 के अनुसार बनाये गये प्रावधानों को व्यय खर्च करते हुए ध्यान में भी रखा जाता है।</p>



	<p>निकसी की लेखा शाखा की सहायक स्टाफ के अलावा उप प्रबंधक और सनदी लेखाकार तथा (भारत सरकार में निदेशक के समकक्ष) महाप्रबंधक के रैंक में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा अध्यक्षता की जाती है।</p> <p>इसके अलावा, निकसी की सी ए फर्म है जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षक है, जिन्हें उक्त जी एफ आर में दिये गये प्रावधानों के अनुसार निविदा प्रक्रिया के आधार पर नामिकाबद्ध किया जाता है। यह फर्म तिमाही आधार पर लेखा-परीक्षा आयोजित करती है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। निकसी उसकी जांच करती है और रिपोर्ट में दिये गये सभी पैरों पर उपयुक्त कार्रवाई/सुधारात्मक उपाय करती है तथा इन रिपोर्टों से प्राप्त विभिन्न मुद्दों को निदेशक मंडल को उनके विचारार्थ अथवा सलाह हेतु भेजती है।</p> <p>तत्पश्चात्, सांविधिक लेखा-परीक्षक इन लेखाओं पर कार्य करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। निकसी के लेखाओं का नियंत्रक और महा लेखा-परीक्षक कार्यालय के दलों द्वारा निरीक्षण भी किया जाता है।</p> <p>उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह कहना सही नहीं है कि निकसी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त है अथवा अपर्याप्त हो सकता है।</p>
<p><b>अर्हता प्राप्त विचार</b></p> <p>हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है।</p>	
<p>(क) कंपनी के पास विक्रेताओं की शेष राशियों का मिलान करने/पुष्टि करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी जिसके कारण कंपनी की देय व्यापार राशियों में गलत वक्तव्य प्रस्तुत होने की संभावना पैदा हो गई।</p>	<p>निकसी का लेखा विभाग प्रयोक्ता विभागों/संगठनों को शेष पुष्टि पत्र भेजता है जिसमें शेष राशियों की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है। इनका पत्राचार और निजी चर्चा के माध्यम से संबंधित परियोजना समन्वयक द्वारा अनुसरण भी किया जाता है। यह कहना गलत है कि इसके परिणामस्वरूप गलत वक्तव्य प्रस्तुत हो सकते हैं।</p>
<p>(ख) कंपनी के पास विक्रेताओं की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी जारी करने की उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप बकाया विक्रेताओं से हर्जाने की वसूली नहीं हो पाई है।</p>	<p>निकसी के पास विक्रेताओं की समाप्त हो गई कार्य निष्पादन बैंक गारंटी को जारी करने की पूर्ण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। यह कहना गलत होगा कि इसके परिणामस्वरूप संभावतया बकाया विक्रेताओं से जुर्माने की वसूली नहीं हो सकी।</p>
<p>(ग) कम्पनी के पास ग्राहक विभाग द्वारा कम्पनी के बैंक में इलेक्ट्रानिकी के रूप से स्थानांतरित की गयी/सीधे जमा की गयी राशि के संबंध में उचित लेखा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता तथा वह निधि बैंक में बेकार पड़ी रहती है।</p>	<p>कम्पनी प्रयोक्ता विभागों/संगठनों से आर टी जी एस/एन ई एफ टी के माध्यम से राशियाँ प्राप्त करती है। तथापि पूर्ण विवरण आरटीजीएस/एनईएफटी में दर्शाये नहीं गये हैं और न ही वे प्रयोक्ताओं से प्राप्त किये गये हैं, इसलिए कम्पनी के लिए यह कठिन हो गया है कि वे संबंधित परियोजनाओं से प्राप्त राशियों को लिंक करें या उनकी पहचान करें। तत्पश्चात् उन राशियों को संबंधित परियोजनाओं से जोड़ने के प्रयास किये गये हैं और चूंकि उसमें समय लगता है इसलिए कुछ अवधि के लिए उन राशियों की पहचान नहीं हो पायी है। तथापि निकसी संबंधित परियोजनाओं के बारे में ऐसी राशियों को भविष्य में जोड़ने का और अधिक प्रयास करेगी।</p>

<p>(घ) कंपनी के पास फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा राशि) में आधिक्य राशि के निवेश पर एक उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप संभावतया ब्याज से आय प्राप्त नहीं हो पाई।</p>	<p>निकसी लगातार अपनी आवश्यकताओं अर्थात् अपनी अधिशेष राशि का स्टॉक रखती है और आंतरिक मंजूरी लेने के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) में ही उस राशि को निवेश करती हैं। यह एफडी इस प्रकार से तैयार की जाती है कि इसको अवधि से पहले नहीं तुड़वाया जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की सावधि जमा राशि का प्रभावी रूप से रखरखाव हो सका है। इसके अलावा, एफ डी का तत्काल आधार पर पुनः नवीनीकरण करवा लिया जाता है जिससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो। सभी बनवाई गई/नवीकृत की गई/भुनाई गई/परिपक्व हुई एफडी का उपयुक्त रिकार्ड सीएस ब्रांच तथा लेखा शाखा दोनों में रखा जाता है ताकि सावधि जमा राशियों के संबंध में रिकॉर्ड में कोई विसंगति न रहे तथा बैंक के आंकड़ों के साथ इसका मिलान किया जा सके। इसलिए यह कहना गलत है कि संभावतया इसके परिणामस्वरूप ब्याज से प्राप्त आय की हानि हुई।</p>
<p>(ङ) कंपनी के पास प्रयोक्ताओं को विक्रेता द्वारा पूर्ति किए गए माल की प्रदायगी के सत्यापन हेतु एक उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। जिसके कारण प्रयोक्ताओं से प्रत्यक्ष पुष्टि के बिना माल प्रदायगी की उचित निश्चितता जाने बिना कंपनी के द्वारा संभावतया राजस्व की पहचान हो सकी।</p>	<p>निकसी प्रयोक्ता विभागों/संगठनों से सामग्री की पूर्ति हेतु समय-समय पर सूचीबद्ध विक्रेताओं को कार्य आदेश जारी करती है। उपस्करों आदि की स्थापना/वास्तविक प्रदायगी करने आदि के लिए विक्रेता प्रयोक्ताओं से विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्रदायगी चालान तथा स्थापना प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है और उसे मूल रूप से निकसी को भुगतान हेतु अपने बिलों के साथ प्रस्तुत करता है। निकसी उक्त की जांच करती है तथा बिलों को पूरी तरह से यह सत्यापित करके, कि सभी अपेक्षित दस्तावेज मूल रूप में संलग्न है तथा वे पूरी तरह से पूर्ण है, विक्रेताओं को भुगतान करती है। अतः यह कहना गलत होगा कि प्रयोक्ता से प्रत्यक्ष पुष्टि के प्रदायगी की उपयुक्त निश्चितता जाने बिना राजस्व की पहचान संभावतया हो पाई।</p>
<p>(च) कम्पनी के पास ग्राहकों से देय राशि की वसूली करने के लिए नियमित अनुवर्ती कारवाई करने और उसकी वसूली हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है।</p>	<p>यह नियमित विशेषता है कि निकसी देय राशि की वसूली करने के लिए समय समय पर प्रयास करती है। हाल ही में निकसी में एक कक्ष की स्थापना की गयी है और इस मामले पर ग्राहकों के साथ कारवाई की जाएगी जिससे कि बकाया राशियों का निपटान किया जा सके।</p>
<p>(छ) कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है जिससे कि सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुरूप कम्पनी द्वारा की गयी खरीद को सुनिश्चित किया जा सके। ओपन निविदाओं के बिना महत्वपूर्ण नीतियों के जरिये खरीद की जा रही है।</p>	<p>निकसी सामान्य वित्तीय नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से निविदाओं को प्रस्तुत करती है। निकसी नीतिगत और स्वामित्व रखने वाले उत्पादों के लिए ओईएम के साथ सीधे ही महत्वपूर्ण नीति करारों में प्रवेश भी कर चुकी है। इस प्रक्रिया को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की दिनांक 28.08.2015 की आई डी के द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। तथापि, बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार निकसी ने 30.04.2017 के बाद महत्वपूर्ण नीति करार के माध्यम से आईसीटी उत्पादों और सेवाओं को प्राप्त करना रोक दिया है।</p>
<p>(ज) कम्पनी के पास लिक्विडिटी क्षति को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है इसलिए पूर्तिकार द्वारा आपूर्ति करने में होने वाले विलम्ब के सभी मामलों में कटौतियाँ की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप, विलम्ब होने पर जुर्माना की कटौती किये बिना पूर्तिकारों को अधिक भुगतान हो जाता है।</p>	<p>निकसी कार्य आदेशों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से विक्रेताओं को किये जाने वाले भुगतान में से लिक्विडिटी क्षति राशि की कटौती करती है।</p>

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के संबंध में 'महत्वपूर्ण कमजोरी' एक ऐसी कमी है अथवा कमियों का एक ऐसा संयोजन है जैसे कि वहां एक उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक वित्त विवरणों के गलत वक्तव्यों को समय पर रोका अथवा उनका पता नहीं लगाया जायेगा।

हमारे विचार में नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभाव/संभव प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार रखरखाव किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से चल रही थी। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा-परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण रखने के महत्वपूर्ण संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली परिचालित थी।

हमने कंपनी के 31.03.2017 के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा करते हुए लागू लेखा-परीक्षा जांच की सीमा और उसकी प्रकृति व समय का निर्धारण करते हुए ऊपर बताई गई तथा पहचान की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है और इन कमियों का कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सामान्य कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'बी'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143/5 के अधीन भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट

<p>क्या कम्पनी के पास क्रमशरू फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड के लिए स्पष्ट हक/लीज्ड विलेख उपलब्ध है, यदि नहीं, तो कृपया उस फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड भूमि का क्षेत्र बतायें, जिसके लिए हक/लीज्ड विलेख उपलब्ध नहीं है।</p> <p>हमें दी गयी सूचना के अनुसार कम्पनी के स्वामित्व में सभी परिसंपत्तियों की हक विलेख को लेखा परीक्षित विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 में उल्लेखित को छोड़कर पंजीकृत किया गया है।</p>	<p>क्रमशरू वर्ष 2003 और 2001 में एनबीसीसी टावर भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली छठे तल पर हॉल नं० 2 और 3 की खरीद करने के संबंध में वाहन विलेख/हक विलेख को निकसी से बहुत से अनुरोध प्राप्त होने के बावजूद एनबीसीसी लिमिटेड द्वारा अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है। इस मामले पर निकसी द्वारा एन बी सी सी लिमिटेड के साथ नियमित रूप से कारवाई की जा रही है। इस मामले पर आगे कारवाई की जाएगी।</p>
<p>कृपया बतायें कि क्या छोड़ने/बट्टे खाते में डालने/ऋण/लोन / ब्याज आदि का कोई मामला है, यदि हाँ तो, उसका कारण बतायें और उसमें शामिल राशि भी बतायें।</p> <p>हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार छोड़े गये/बट्टे खाते में डाले गये ऋण/लोन/ब्याज आदि का कोई मामला नहीं है। फिर भी, पार्टियों से कम्पनी द्वारा कटौती की गयी 30.04/- लाख रुपये की प्रदायगी राशि पर जुर्माना राशि को छोड़ दिया गया है।</p>	<p>वास्तव में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>
<p>क्या तीसरी पार्टियों के पास रखी गयी वस्तु सूचियों के लिए उचित रिकार्ड बनाये गये हैं और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में परिसंपत्तियाँ प्राप्त की गयीं?</p> <p>हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी से संबंधित कोई भी वस्तु सूचियाँ तीसरी पार्टियों के पास नहीं पड़ी हुई हैं और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई भी उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में हमें दी गयी सूचना के अनुसार कोई भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की गयी है। तथापि, अनुदान सहायता के अधीन प्रयोक्ताओं के लिए प्राप्त की गयी परिसंपत्तियाँ संबंधित प्रयोक्ता विभागों से संबंधित हैं, न कि कम्पनी से।</p>	<p>वास्तव में कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है।</p>

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/-  
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 29 सितंबर, 2017

# नेशनल इंफॉमेटिक्स सेंटर सर्विसिज् इंक

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम  
31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
	<b>सम्पत्तियां</b>				
1	<b>गैर चालू परिसम्पत्तियां</b>				
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	4,633.46	2,184.70	2,516.37
	पूंजीगत कार्य प्रगति		-	640.38	147.92
	अन्य अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियां	4	3,098.57	57.48	96.71
	<b>वित्तीय परिसम्पत्तियां</b>				
	(क) ऋण	5	618.35	573.72	376.54
	(ख) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	320.35	318.25	316.31
	आस्थगित कर संपत्तियां (निवल)	7	-	35.04	-
	अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियां	8	2,282.70	2,593.44	1,514.11
2	<b>चालू परिसम्पत्तियां</b>				
	<b>वित्तीय परिसम्पत्तियां</b>				
	(क) व्यापार प्राप्तियां	9	28,130.13	18,774.25	19,167.59
	(ख) नकदी व नकदी के समकक्ष राशियां	10	20,470.42	24,090.02	13,788.60
	(ग) ऊपर (ख) के अलावा बैंक शेष राशि	11	120,372.46	99,729.68	98,992.11
	(घ) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	12	4,201.14	4,129.01	4,469.46
	चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	13	6,036.78	3,252.17	1,915.72
	अन्य चालू परिसम्पत्तियां	14	27,183.74	16,034.72	15,358.95
	<b>कुल परिसम्पत्तियां</b>		<b>217,348.10</b>	<b>172,412.86</b>	<b>158,660.39</b>
	<b>इक्विटी और देयताएं</b>				
	<b>इक्विटी</b>				
	इक्विटी शेयर पूंजी	15	200.00	200.00	200.00
	अन्य इक्विटी	16	60,578.15	54,137.11	47,167.72
	<b>देयताएं</b>				
	<b>गैर चालू देयताएं</b>				

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
	वित्तीय देयताएं				
	(क) अन्य वित्तीय देयताएं	17	51.46	52.46	14.96
	प्रावधान				
	आस्थगित कर देयताएं (निवल)	7	507.31	-	52.81
	<b>चालू देयताएं</b>				
	वित्तीय देयताएं				
	(क) व्यापार देय राशियाँ	18	47,782.97	33,392.69	36,893.55
	(ख) अन्य वित्तीय देयताएं	19	2,485.00	2,410.54	1,897.13
	अन्य चालू देयताएं	20	105,668.69	82,145.54	72,359.70
	प्रावधान	21	74.52	74.52	74.52
	<b>कुल ईक्विटी और देयताएं</b>		<b>217,348.10</b>	<b>172,412.86</b>	<b>158,660.39</b>
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2			

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार  
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के  
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से  
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0 / -  
**अजय रस्तोगी**  
भागीदार  
सदस्यता सं. 084897

ह0 / -  
**मनोज कुमार मिश्रा**  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 03630471

ह0 / -  
**डॉ अजय कुमार**  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 01975789

ह0 / -  
**डॉ. गिरीश कुमार**  
कंपनी सचिव  
एफसीएस: 6468

ह0 / -  
**प्रदीप कुमार**  
वित्तीय सलाहकार  
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11-09-2017

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 08-09-2017

# नेशनल इंफॉमेटिक्स सेंटर सर्विसिज् इंक

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन

भारत सरकार का निगमित उदगम

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
I	परिचालन से राजस्व	22	124,141.06	84,774.40
II	अन्य आय	23	8,566.34	8,264.05
III	<b>कुल आय (i)+(ii)</b>		<b>132,707.40</b>	<b>93,038.45</b>
IV	<b>व्यय</b>			
	व्यापार में स्टॉक की खरीद	24	48,669.21	29,678.02
	सेवा सहायता व्यय		63,821.94	45,809.84
	कर्मचारी के हितों से संबंधित व्यय	25	993.84	745.29
	मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय	3	1,671.56	575.89
	अन्य व्यय	26	6,482.05	5,390.95
	<b>कुल व्यय (iv)</b>		<b>121,638.60</b>	<b>82,199.99</b>
V	कर और असाधारण मदों से पहले लाभ (हानि) (iii-iv)		11,068.80	10,838.46
VI	<b>असाधारण मदें</b>			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का नुकसान	3	151.15	-
	अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का नुकसान	4	215.65	-
VII	कर (V-VI) से पहले लाभ/(हानि)		10,702.00	10,838.46
VIII	<b>कर व्यय</b>		<b>4,260.95</b>	<b>3,869.07</b>
	(1) चालू कर		3,410.69	4,023.28

क्रम सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष
	(2) आस्थगित कर		542.35	(87.85)
	(3) पूर्व वर्ष के लिए समायोजित कर / (रिटन बैंक)		307.91	(66.36)
<b>IX</b>	चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ / (हानि)(VII-VIII)		<b>6,441.05</b>	<b>6,969.39</b>
<b>X</b>	उपार्जन प्रति इक्विटी शेयर (चालू परिचालन के लिए):			
	(1) मूल	27	3,220.52	3,484.69
	(2) कम उपार्जन	27	3,220.52	3,484.69

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार  
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**  
 सनदी लेखाकार  
 फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के  
 निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से  
 सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0 / -  
**अजय रस्तोगी**  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 084897

ह0 / -  
**मनोज कुमार मिश्रा**  
 प्रबंध निदेशक  
 डीआईएन: 03630471

ह0 / -  
**डॉ अजय कुमार**  
 अध्यक्ष  
 डीआईएन: 01975789

ह0 / -  
**डॉ. गिरीश कुमार**  
 कंपनी सचिव  
 एफसीएस: 6468

ह0 / -  
**प्रदीप कुमार**  
 वित्तीय सलाहकार  
 व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 11-09-2017

स्थान : नई दिल्ली  
 दिनांक : 08-09-2017



# नेशनल इंफॉमेटिक्स सेंटर सर्विसिज् इंक

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन

भारत सरकार का निगमित उदगम

31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
<b>परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
<b>कराधान से पहले तथा असाधारण मदों के लिए अधिशेष/(घाटा)</b>	<b>11,068.80</b>	<b>10,838.46</b>
समायोजन के लिए		
अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1,671.56	575.89
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि (लाभ)	(0.09)	(0.04)
ब्याज व्यय	502.10	785.02
घटाएं		
ब्याज आय	8,827.97	8,814.17
<b>कार्यगत पूंजी में परिवर्तनों से पहले परिचालन अधिशेष/(घाटा)</b>	<b>4,414.40</b>	<b>3,385.16</b>
निम्नलिखित के लिए समायोजन		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(9,355.88)	393.34
ऋणों व अग्रिमों व अन्य परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(13,741.75)	(2,950.22)
व्यापार देय और अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	37,986.89	6,835.87
प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	-	-
परिचालनों से सृजित नकदी	<b>19,303.66</b>	<b>7,664.15</b>
प्रदत्त आयकर	(3,410.69)	(4,023.28)
पूर्व वर्षों के लिए आयकर	(307.91)	66.36
परिचालन गतिविधियों (क) से निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह)	<b>15,585.06</b>	<b>3,707.23</b>
<b>निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(7,528.31)	(205.05)
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	0.18	0.11
विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति	640.38	(492.46)
प्राप्त ब्याज	8,827.97	8,814.18
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/बहिर्वाह (ख)	<b>1,940.22</b>	<b>8,116.78</b>
<b>वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह</b>		
प्रदत्त ब्याज	(502.10)	(785.02)

वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी अंतर्वाह/बहिर्वाह (ग)	(502.10)	(785.02)
नकदी व नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	<b>17,023.18</b>	<b>11,038.99</b>
वर्ष के शुरु में नकदी व नकदी समकक्ष	<b>124,111.30</b>	<b>113,072.32</b>
वर्ष की समाप्ति पर नकदी व नकदी समकक्ष	<b>141,134.48</b>	<b>124,111.30</b>

### टिप्पणी

- 1) उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण को भारत के सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में भारतीय लेखा मानक-5 में यथा निर्धारित 'अप्रत्यक्ष पद्धति' के अधीन तैयार किया गया है।
- 2) वर्ष की समाप्ति पर रोकड़ और बैंक शेष राशियों में बैंक में रखी गई नकदी तथा शेष राशियां शामिल हैं। ये विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार
<b>नकदी व नकदी समकक्ष</b>		
बैंकों में शेष	20,470.02	24,089.72
अग्रदाय खाता	0.40	0.30
<b>अन्य बैंक में शेष राशियां</b>		
सावधि जमा	120,664.06	100,021.28
	<b>141,134.48</b>	<b>124,111.30</b>

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार  
कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के  
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से  
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0/—  
अजय रस्तोगी  
भागीदार  
सदस्यता सं. 084897

ह0/—  
ननोज कुमार मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 03630471

ह0/—  
डॉ अजय कुमार  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 01975789

ह0/—  
डॉ. गिरीश कुमार  
कंपनी सचिव  
एफसीएस: 6468

ह0/—  
प्रदीप कुमार  
वित्तीय सलाहकार  
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11-09-2017

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 08-09-2017

# नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी में परिवर्तन विवरण

क. 100/- रुपये प्रत्येक के निर्गम,अभिदत्त और प्रदत्त ईक्विटी शेयर के लिए ईक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	टिप्पणी	₹ लाखों में राशि
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान परिवर्तन	15.00	200.00
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान परिवर्तन	15.00	200.00
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	15.00	200.00

ख. अन्य ईक्विटी (टिप्पणी 16 देखें)

	आरक्षित और अधिशेष प्रतिधारण उपार्जन	₹ लाखों में कुल ईक्विटी
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार वर्ष के लिए निवल आय/(हानि )	47,167.72	47,167.72
कुल व्यापक आय	6,969.39	6,969.39
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार वर्ष के लिए निवल आय/(हानि )	<b>6,969.39</b>	<b>6,969.39</b>
कुल व्यापक आय	<b>54,137.11</b>	<b>54,137.11</b>
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	6,441.04	6,441.04
	6,441.04	6,441.04
	60,578.15	60,578.15

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां  
हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार  
कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के  
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से  
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0/-  
अजय रस्तोगी  
भागीदार  
सदस्यता सं. 084897

ह0/-  
मनोज कुमार मिश्रा  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 03630471

ह0/-  
डॉ अजय कुमार  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 01975789

ह0/-  
डॉ. गिरीश कुमार  
कंपनी सचिव  
एफसीएस: 6468

ह0/-  
प्रदीप कुमार  
वित्तीय सलाहकार  
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11-09-2017

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 08-09-2017

# नेशनल इंफॉमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक

(कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार धारा 8 के अधीन भारत सरकार का निगमित उदगम)

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और टिप्पणियां

## 1. निगमित सूचना

नेशनल इंफॉमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (निगम) को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत दिनांक 29 अगस्त, 1995 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत शामिल किया गया था। निगम को सरकारी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सकल आई टी सोल्यूशन प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है।

## 2. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

### (i) वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम (अधिनियम) 2013 की परिशोधित अनुसूची – III के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली 2015 के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों तथा अधिसूचित सीमा तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रोदभूत आधार पर तैयार किया गया है। रिपोर्टिंग अवधि वित्तीय वर्ष 2017–2016 के लिए प्रथम भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनिवार्य अपेक्षाओं को 500 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक निगम की कुल राशि होने के कारण उसे अनिवार्य किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 तक वित्तीय विवरणों को कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम – 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में निर्धारित पूर्व भारतीय लेखा मानक (आईजीएपी) के अनुसार तथा अधिसूचित सीमा तक इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करते समय, कंपनी द्वारा इस्तेमाल की गयी लेखा नीतियाँ पूर्व जीएएपी अथवा सामान्य रूप से स्वीकृत भारतीय लेखांकन नीतियाँ (आईजीएपी) के अनुसार पूर्व रूप में इस्तेमाल की गई लेखा नीतियों से भिन्न हो सकती है, जिसके कारण समायोजन को भारतीय लेखांकन मानक प्रस्तुत करने की तारीख पर अर्थात् 01 अप्रैल 2015 को प्रतिधारण उपार्जन राशि में सीधे ही दर्शाया गया है जिसके कारण भारतीय लेखांकन मानक को प्रस्तुत करने की तारीख से पहले ही घटनाएँ और लेनदेन हो गया है।

वित्तीय विवरणों में वित्तीय आंकड़ों को भारतीय रुपये में अंकित किया गया है जोकि निगम की रिपोर्टिंग मुद्रा तथा कार्यात्मक मुद्रा है।

### (ii) भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना (भा. ले. मा.)

भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाना – भारतीय लेखांकन मानक 101 की अपेक्षाओं के अनुसार निगम के वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल है:

### तुलन पत्र जैसे

(क) पारगमन की तारीख अर्थात् 01.04.2015 को प्रारंभिक तुलन पत्र

(ख) तुलनात्मक अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए तुलन पत्र और

(ग) प्रथम भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए तुलन पत्र

इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा लाभ और हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण:

- (क) तुलनात्मक अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए और  
(ख) प्रथम भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ।

**(iii) भारतीय लेखांकन मानक 101 – भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने की प्रक्रिया के प्रभावी अनुप्रयोग से अनिवार्य अपवादात्मक तथा स्वैच्छिक छूट**

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार निगम पर लागू नीचे उल्लिखित अनिवार्य अपवादात्मकता को नीचे संकलित किया गया है:

- (क) वित्तीय परिसम्पत्तियों तथा वित्तीय देयताओं को अस्वीकार करना  
(ख) प्राक्कलन  
(ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मापन  
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियों की अशक्तता

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय, भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार निगम पर लागू स्वैच्छिक छूट को निम्नानुसार चुना गया है:

- (क) डीम्ड लागत  
(ख) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की लागत में देयताओं को चालू न करने का कार्य भी शामिल किया गया ।

**(iv) परिसम्पत्तियों और देयताओं का गैर चालू बनाम चालू वर्गीकरण:**

किसी परिसम्पत्ति को चालू परिसम्पत्ति माना जायेगा जब,

- यह अपेक्षा की जाती है कि उसको सामान्य परिचालन स्थिति में प्रस्तुत किया जाए अथवा उसको बेचने का विचार किया जाये अथवा उसकी खपत की जाये ।
- व्यापार करने के उद्देश्य से उसे मुख्य रूप से रखा जाये ।
- रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा हो ।
- नकदी अथवा नकदी के समकक्ष राशि जब तक कि उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम बारह माहों के लिए निपटान करने हेतु उसका इस्तेमाल न किया जाये अथवा उसका विनिमय करने पर प्रतिबंध न लगा दिया जाये ।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

एक देयता को चालू देयता माना जाता है जब:

- यह अपेक्षा की जाती है कि उसका सामान्य परिचालन स्थिति में निपटान किया जाये ।
- उसे व्यापार करने के उद्देश्य से मुख्य रूप से रखा जाये ।
- उसे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् 12 माह के भीतर निपटान करना जरूरी हो अथवा
- ऐसा कोई भी बिना शर्त अधिकार प्राप्त न हो जिससे रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान की प्रक्रियाओं को टाला जाये ।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर चालू परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों तथा देयताओं को गैर चालू परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

परिचालन स्थिति नकदी और नकदी के समकक्ष राशियों को प्रस्तुत करने और उन्हें वसूल करने के उद्देश्य से परिसम्पत्तियों के अर्जन के बीच की अवधि होती है। निगम ने उसकी परिचालन की स्थिति के रूप में 12 माह की अवधि की पहचान की है।

#### **(v) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) तथा मूल्यह्रास**

(क) प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ

पूर्व जीएएपी (भारतीय जीएएपी) के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और संचित अशक्तता, यदि कोई है, की निवल लागत पर तुलन पत्र में आगे ले जाया गया। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक की पारगमन तारीख को अर्थात् 1 अप्रैल 2015 को संपत्ति के मूल्य को डीमड लागत के रूप में लिया है ।

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लागत पर दर्शाया गया है (अर्थात् अर्जन की लागत अथवा मालभाड़ा को शामिल करके निर्माण लागत, निर्माण अथवा उसे चालू करने के प्रभार, अवसूलनीय शुल्क अथवा कर, निर्माण अवधि के दौरान व्यय राशि, अर्जन/स्थानापन की तारीख तक उधार लेने की लागत (अहर्ता प्राप्त परिसम्पत्ति की स्थिति में), संचित निवल मूल्यह्रास, और संचित अशक्तता हानियाँ, यदि कोई है ।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के महत्त्वपूर्ण पुर्जों (पृथक रूप से संघटक के रूप में जिनकी पहचान की गयी) को एक अंतराल पर बदलने की जरूरत होती है, तब कंपनी बदले हुये पुर्जों को पुनः देखती है और उसकी उपयोगी अवधि के अनुसार नए पुर्जे देखती है और तदनुसार उनका मूल्यह्रास किया जाता है। जब भी मुख्य निरीक्षण/जांच/मरम्मत की जाती है तब उसकी लागत को स्वीकृत कसौटी पूर्ण हो जाने पर संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि में प्रतिस्थापन लागत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत को आय और व्यय विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने के पश्चात् उसे स्थापित करने हेतु प्रत्याशित लागत के वर्तमान मूल्य को, प्रावधान हेतु स्वीकृत कसौटी पूर्ण हो जाने पर, उससे संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया गया है ।

परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को निपटान करने पर अथवा उनका सक्रिय इस्तेमाल न होने पर वित्तीय विवरणों से निकाल दिया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर खराब हो जाने/उनका निपटान करने के कारण होने वाले लाभ हानियों को घटित वर्ष में आय और व्यय विवरण में प्रस्तुत किया गया है ।

पीपीई की मदों पर मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – II में निर्धारित दरों पर अथवा रिटन डाउन मूल्य पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। निगम ने कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार पीपीई की सभी मदों की उपयोगी अवधि का निर्धारण किया गया है ।

#### **(vi) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ और परिशोधन**

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का शुरू में लागत पर आंकलन किया गया है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों का तत्पश्चात संचित अशक्तता हानियों तथा संचित परिशोधन हानियों की राशि को कम करके आने वाली लागत पर आंकलन किया गया है। अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की उपयोगी अवधि सीमित अथवा असीमित हो सकती है। सीमित अवधि वाली अप्रत्यक्ष

परिसम्पत्तियों को रिटर्न डाउन मूल पद्धति के अनुसार उनकी उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में परिशोधित किया गया है। सीमित उपयोगी अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों के लिए परिशोधन पद्धति तथा परिशोधन अवधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाती है। परिसंपत्तियों में शामिल किए गए भावी आर्थिक लाभों की खपत के प्रत्याशित पैटर्न अथवा प्रत्याशित उपयोगी अवधि में होने वाले परिवर्तनों पर यथा उपयुक्त पद्धति अथवा परिशोधन अवधि को परिशोधित करने के लिए विचार किया गया है तथा उन्हें लेखा प्राक्कलन में परिवर्तनों के रूप में माना गया है। सीमित अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर होने वाले परिशोधन व्यय की तब तक आय और व्यय विवरणों में पहचान की जाती है जब तक कि ऐसी व्यय राशि अन्य परिसंपत्तियों के मूल्यों का एक अभिन्न अंग न हो।

कंपनी अधिनियम के अनुसार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्वर से संबंधित लागत को क्रमशः छह वर्षों अथवा तीन वर्षों की उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में सीधी पद्धति के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है तथा उसको परिशोधित किया जाता है। ईआरपी सॉफ्टवेयर से संबंधित लागत को पूंजीकृत किया जाता है और उसे दस वर्षों की उनकी अनुमानित उपयोगी आर्थिक अवधि के संबंध में सीधी पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है।

### **(vii) वित्तीय परिसंपत्तियाँ तथा वित्तीय देयतायें**

वित्तीय परिसम्पत्तियों में गैर चालू वित्तीय उपकरण जैसे इक्विटी में निवेश, ऋण, प्रतिभूतियाँ और कृत्रिम और चालू परिसंपत्तियाँ जैसे नकदी और नकदी समकक्ष राशि, व्यापार प्राप्त योग्य राशियाँ, बैंक शेष राशियाँ, बैंकों में सावधि जमा, बिल प्राप्तियाँ, प्रतिभूतियाँ जमा शामिल है।

वित्तीय देयताओं में चुकाए गए वरीयता शेयर, नकदी क्रेडिट सुविधाएं, व्यापार प्राप्तियाँ, बिल देय राशियाँ शामिल है। बकाया सांविधिक देय राशियाँ जैसे आयकर, सेवाकर, भविष्य निधि, ईएसआई आदि वित्तीय देयतायें नहीं हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (i) परिशोधित लागत (ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) (iii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर आंकलन किया गया।

वित्तीय देयताओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: (i) परिशोधित लागत (ii) एफवीटीपीएल पर आंकलन किया गया।

दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं की अंतरू शेष राशि डीमड परिशोधित लागत बन जाएगी। पहली बार अंगीकरण करने पर भारतीय लेखांकन मानक 101 में दी गयी अनिवार्य अपवादात्मक तथा वैकल्पिक छूट के अनुसार दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य बन जायेगा।

### **(viii) उचित मूल्य का मापन**

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को उचित मूल्य पर वित्तीय साधन जैसे कृत्रिम और कुछ निवेशों का आंकलन करती है।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं, जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य का आंकलन तथा प्रकटीकरण किया गया है उन्हें सम्पूर्ण उचित मूल्य आंकलन के अनुसार महत्त्वपूर्ण निम्न स्तर के इनपुट पर आधारित निम्नानुसार वर्णित उचित मूल्य के भीतर वर्गीकृत किया गया है।

- स्तर 1 – पहचानी गयी परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उदधृत (असमायोजित) बाजार मूल्य

- स्तर 2 – मूल्यन प्रविधियाँ जिनके लिए निम्न स्तर के इनपुट उचित मूल्य आंकलन प्रस्तुत करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, उनका सीधे ही अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया जाता है।
- स्तर 3 – मूल्यन प्रविधियाँ, जिनके लिए निम्न स्तर के इनपुट जो उचित मूल्य मापन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं, उनका अवलोकन नहीं किया जाता है।

आवर्ती आधार पर तुलन पत्र में प्रस्तुत की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के लिए कंपनी यह निर्धारण करती है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर (कुल मिलकर उचित मूल्य आंकलन के लिए महत्त्वपूर्ण निम्न स्तर के इनपुट पर आधारित) श्रेणीकरण का पुनः मूल्यांकन करके क्रमबद्धता में स्तरों के बीच कोई स्थानांतरण हुआ है।

उचित मूल्यों का प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से कंपनी ने प्रकृति के आधार पर, विशेषताओं तथा परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के जोखिम तथा ऊपर स्पष्ट किए गये अनुसार उचित मूल्य क्रम से संबंधित स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं की श्रेणियों का निर्धारण किया है।

### (ix) राजस्व की पहचान

राजस्व की संभावित सीमा तक पहचान की जाती है जिससे निगम को आर्थिक लाभ होगा और राजस्व राशि को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकेगा। राजस्व को सरकार की ओर से वसूल किए गए शुल्कों अथवा करों को छोड़कर तथा भुगतान की संविदाबद्धता युक्त निश्चित शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किये गये अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर आंका जाता है।

माल/स्टॉक्स तथा बिक्री मदों की बिक्री करने के संबंध में राजस्व राशि की पहचान की जाती है जब माल की अक्सर प्रदायगी करने पर माल के स्वामित्व का श्रेय तथा महत्त्वपूर्ण जोखिम खरीददार के पास चला जाता है। माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व राशि का प्राप्त किये गये अथवा प्राप्ति योग्य प्रतिफल के उचित मूल्य, निवल लाभ तथा भत्ते, व्यापार में छूट तथा भारी मात्रा में छूट के अनुसार आंकलन किया जाता है।

निगम, परियोजना की लागत पर निर्भर करते हुए समय-समय पर निर्धारित दर – श्रेणी पर परिचालन सीमांत राशि की पहचान करता है। अक्सर परिचालन सीमांत राशि की दरें परियोजना लागत के अनुपात में प्रतिकूल होती हैं अर्थात् परियोजना की लागत ज्यादा हो जाती है, परिचालन सीमांत राशि की दरें कम हो जाती हैं। परियोजना की लागत में वृद्धि होने के कारण परिचालन सीमांत राशि की दरों में उत्तरवर्ती कमी हो जाती है जिसका परियोजना समाप्त होने के समय पर अथवा वर्ष की समाप्ति पर तदनुसूची क्रेडिट टिप्पणियाँ जारी करके लेखा-जोखा रखा जाता है। इस प्रकार जारी की गयी क्रेडिट टिप्पणियों को संबंधित आय शीर्ष से प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकों में सावधि जमा (एफडी) पर प्राप्त ब्याज आय की प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर पहचान की जाती है। ईआईआर वह दर होती है जोकि सावधि जमा की सकल राशि पर सावधि जमा की परिपक्व होने वाली अवधि पर अनुमानित भावी प्राप्तियों पर वास्तव में छूट देती है। किसी भी प्रकार की लेनदेन लागत न होने पर सावधि जमा की बैंक ब्याज दर ही ईआईआर होती है।

### (x) वस्तु-सूचियां

वस्तुसूचियों की लागत में वस्तुसूचियों को उनकी वर्तमान स्थिति तथा स्थान पर लाने में वहन की गई अन्य लागत, खरीद की सभी लागत, परिवर्तन लागत शामिल हैं। वस्तु सूची (जिसमें सॉफ्टवेयरों की वस्तु सूची भी शामिल है) की लागत पर या निवल वसूलनीय मूल्य पर, जो भी फर्स्ट-इन-फर्स्ट आउट (एफआईएफओ) की पद्धति के आधार पर कम हो, का मूल्य निर्धारित किया गया है। उपभोज्य भण्डार को नगण्य होने के नाते खरीद वर्ष में राजस्व के अंतर्गत प्रभावित किया गया है।



### (xi) सेवानिवृत्ति लाभ

एन आई सी के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार, छुट्टी वेतन व पेंशन अंशदान राशि की भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के आधार पर संबद्ध कर्मचारी के मूल वेतन और ग्रेड वेतन पर गणना की जाती है और उसे एन आई सी को प्रेषित किया जाता है। यह कम्पनी इन कर्मचारियों को कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ अदा करने के लिए दायी नहीं है, जिन्हें भविष्य में पूरी तरह से एनआईसी द्वारा वहन किया जायेगा।

### (xii) पूर्वावधि मदें

पूर्वावधि मदों में सत्ता की पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों में दिये गये गलत विवरण तथा चूक शामिल होती है, जिसमें तुलना पत्र का गलत वर्गीकरण करना भी शामिल है। भारतीय लेखांकन मानक – 8 में प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए जिसमें गलतियाँ हुई हैं, तुलनात्मक राशियों का उल्लेख करके उनका पता लगाने के पश्चात् अनुमोदित वित्तीय विवरणों के पहले सेट में प्रभावी रूप से दर्शायी गयी पूर्वावधि त्रुटियों का परिशोधन करना अपेक्षित है। तथापि, ऐसा गलत विवरण अव्यवहार्य हो जाता है अर्थात् जब ऐसा करने का प्रत्येक उचित प्रयास करने के पश्चात् भी सत्ता उस पर लागू नहीं की जा सकती, तब भारतीय लेखांकन मानक में पूर्व अवधियों की तुलनात्मक मदों में ऐसी पूर्वावधि की मदों के बारे में पुनः विवरण देने की अपेक्षा नहीं की जाती।

### (xiii) रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनायें

प्रत्येक वर्ष में निगम रिपोर्टिंग अवधि के बाद रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित कुछ व्यय बीजक की प्राप्ति करता है। रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय बीजक को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् परन्तु प्रबंधन की अनुमोदित निश्चित तारीख से पहले अथवा निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित विवरणों के अनुमोदन से पहले, निगम द्वारा प्राप्त किया जाता है जिनपर उनसे संबंधित रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा रखा जाता है और रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् समायोजन के रूप में उनपर विचार किया जाता है। ऐसे व्यय राशि से संबंधित बीजकों पर तदनुरूपी आय का उसी रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा भी रखा जाता है। रिपोर्टिंग अवधि से संबंधित व्यय बीजक निगम द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् और यहाँ तक कि प्रबंधन की अनुमोदित निश्चित तारीख के बाद भी अथवा निगम के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों का अनुमोदन मिलने के पश्चात् प्राप्त किये जाते हैं जिनको रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् समायोजन न की जाने वाली घटनाओं के रूप में विचार किया जाता है और उनका उस रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा रखा जाता है जिसमें वह प्राप्त होते हैं। तदनुरूपी आय का उस रिपोर्टिंग अवधि में लेखा – जोखा भी रखा जाता है जिसमें वह बीजक प्राप्त हुए हैं और उनका लेखा – जोखा रखा गया है।

### (xiv) पट्टे (पट्टा)

पट्टे पर ली गयी परिसम्पत्तियों को परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहाँ पट्टेदाता लीज्ड शर्तों के अनुसार स्वामित्व के लाभ तथा पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों को लेता है। परिचालन पट्टे के भुगतान को पट्टे की शर्तों के उपयुक्त आधार पर आय और व्यय लेखा में व्यय के रूप में मान्यता दी गयी है। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक 17 किराये पर सीधे ही लीज्ड देने की प्रक्रिया को अनिवार्य नहीं करती है यदि उसे सामान्य मुद्रास्फीति स्थितियों में सुधार लाने के लिए निर्मित किया गया है।

### (xv) आस्थगित कर

आस्थगित कर का रिपोर्टिंग तारीख पर वित्तीय रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से उनकी राशि को प्रस्तुत करने तथा परिसंपत्तियों तथा देयताओं के कर आधार के बीच आने वाले अस्थायी अंतर के आधार पर देयता पद्धति का इस्तेमाल करके प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए, इस्तेमाल न की गयी कर जमा राशियों तथा किसी इस्तेमाल न की गयी कर हानियों को आगे ले जाने के लिए पहचान की गयी है। आस्थगित कर की उस संभव सीमा तक पहचान की गयी है जहाँ तक कर योग्य लाभ, कटौती करने योग्य अस्थायी अंतरों के मददे उपलब्ध होगा और इस्तेमाल न की गई कर जमा राशियों को आगे भेजने और इस्तेमाल न की गई कर जमा हानियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की उस स्थिति में पहचान नहीं की जाती है यदि वे क्रमशः देयताओं/परिसंपत्तियों की प्रारंभिक पहचान से उत्पन्न हो और लेनदेन के समय पर वे लेखा लाभ/हानि अथवा कर योग्य लाभ/हानि को प्रभावित न करें। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रेषित राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर समीक्षा की जाती है और उसकी उस सीमा तक कटौती की जाती है जहाँ तक कि वह लम्बी अवधि तक संभव न हो, क्योंकि पर्याप्त कर योग्य लाभ की सुविधा सभी अथवा सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए उपलब्ध होगी। पहचान न की गयी आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है और उसकी संभव सीमा तक पहचान की जाती है जोकि भावी कर योग्य लाभ में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली करने की अनुमति प्रदान करेंगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का उन कर दरों पर आंकलन किया जाता है जो उस वर्ष में लागू करने के लिए अपेक्षित हो, जब परिसंपत्तियाँ वसूल की जाती हैं अथवा देयता का रिपोर्टिंग तारीख पर अधिनियमित करने अथवा तत्पश्चात् अधिनियमित करने पर प्राप्त कर दरों (और कर कानून) के आधार पर देयता का निपटान किया जाता है।

लाभ अथवा हानि के बाहर पहचान की गयी मदों के संबंध में आस्थगित कर की लाभ अथवा हानि के बाहर (अन्य व्यापक आय में अथवा इक्विटी में) पहचान की जाती है। आस्थगित कर मदों की ओसीआई में अथवा सीधे ही इक्विटी में लेनदेन करने के संबंध में पहचान की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ तथा आस्थगित कर देयतायें ऑफसेट होती हैं यदि चालू कर देयताओं के मददे चालू कर परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करने तथा सदृश्य कर योग्य सत्ता से संबंधित आस्थगित कर और सादृश्य कराधान प्राधिकार प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से लागू अधिकार मौजूद हो।

#### **(xvi) परिसम्पत्तियों की क्षति**

आन्तरिक/बाह्य तथ्यों के आधार पर किसी क्षति का संकेत मिलने पर परिसम्पत्तियों की प्राप्त हुई राशियों की तुलनपत्र की प्रत्येक तारीख पर समीक्षा की जाती है। हानि उसे माना जाता है जहाँ परिसम्पत्तियों की प्राप्ति राशि उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो। वसूलनीय राशि परिसम्पत्तियों की निवल बिक्री मूल्य और प्रचलन मूल्य से अधिक होगी। प्रचलन मूल्य का आंकलन करते हुए, निगम ने चालू मूल्यों पर आधारित अगले पाँच वर्षों के अनुमानित प्रक्षेपणों पर ध्यान न दिए गए नकदी प्रवाह के आधार पर 'प्रचलन मूल्य' को आंका है।

क्षति के बाद, परिसम्पत्ति की शेष अवधि पर परिशोधित प्राप्ति राशि पर मूल्यहास/परिशोधन प्रदान किया गया है।

#### **(xvii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति/अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान**

व्यापार प्राप्तियों के संबंध में 5% की दर से प्रावधान किया जाता है जो कि तुलनपत्र की तारीख को तीन से अधिक वर्षों के लिए बकाया हैं।

#### **(xviii) प्रति शेयर उपार्जन**

मूल उपार्जन प्रति शेयर की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयर धारकों को प्रभावित करने वाली अवधि के लिए निवल अधिशेष अथवा घाटे को भाग करके आने वाली राशि से गणना की जाती है।

डिल्यूटिड उपार्जन प्रति शेयर की संभावित इक्विटी शेयर (पीईएस) के समायोजन प्रभाव के पश्चात् गणना की जाती है। पीई एस वह शेयर होते हैं जिन्हें अंतिम चरण पर इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जायेगा। अधिशेष/घाटा का सदृश पीईएस पर वहन किये गये व्ययों से समायोजन किया जायेगा। समायोजित अधिशेष/घाटे को भारित सामान्य औसत संख्या में संभावित इक्विटी शेयर को जोड़कर आने वाली राशि से विभाजित किया जाता है।

### (xix) प्रावधान और आकस्मिकता

तब प्रावधान किया जाता है जब किसी उद्यम के पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता होती है और यह संभावित होता है कि संसाधनों के बहिर्वाह को उन बाध्यताओं का निपटान करना अपेक्षित होगा, जिनके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। दीर्घावधि प्रावधान को कटौती की गई दर को समायोजित करके उपयुक्त जोखिम पर उनके वर्तमान मूल्यों के अनुसार छूट दी जायेगी। अल्पावधि प्रावधानों को छूट देने की जरूरत नहीं है। प्रावधानों की तुलना पत्र की प्रत्येक तारीख को समीक्षा की जाती है और उनको चालू प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। अनिवार्य बाध्यताओं के संबंध में प्रावधानों को सृजित करने की भी जरूरत होती है। तथापि, निगम के पास रिपोर्टिंग अवधि में कोई अनिवार्य बाध्यता नहीं है।

आकस्मिक देयताओं का गत घटनाओं से उत्पन्न होने वाली संभव बाध्यताओं के बारे में प्रकटीकरण किया जाता है और उनकी मौजूदगी की कम्पनी के नियंत्रण में पूरी तरह से न आने वाली भावी घटनाओं के घटित अथवा घटित न होने पर ही पुष्टि की जायेगी।

### (xx) नकदी और नकदी समकक्ष राशि

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से नकदी और नकदी समकक्ष राशि में बैंक में रहने वाली नकदी तथा हस्तगत नकदी और अल्पावधि निवेश तथा 3 माह या इससे कम की अवधि में परिपक्व होने वाली मूल नकदी शामिल है। नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है।

## 2.1 महत्त्वपूर्ण लेखांकन अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान

कंपनी के वित्तीय विवरणों को तैयार करते हुए प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजस्व, व्यय, परिसंपत्ति तथा देयताओं तथा संलग्न प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक देयताओं को प्रकटीकरण करने की स्थिति को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान का सतत् रूप से मूल्यांकन करें और वह प्रबंधन के अनुभव तथा अन्य तथ्यों पर आधारित हो जिसमें भावी घटनाओं की अपेक्षाएँ शामिल होती हैं जोकि परिस्थितियों के अधीन उचित मानी जाती हैं। इनका पूर्वानुमान और प्राक्कलन अनिश्चित होने के कारण भावी अवधियों में प्रभावित देयताओं अथवा परिसंपत्तियों की अग्रेणित राशियों में महत्त्वपूर्ण समायोजन करने के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त होता है।

विशेष रूप से, कंपनी ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ महत्त्वपूर्ण अधिनिर्णय, प्राक्कलन और पूर्वानुमान अपेक्षित है। इन प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित आगे की सूचना और वे विभिन्न लेखा नीतियों पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, इसकी पद्धति को नीचे तथा वित्तीय विवरणों की संबंधित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है। प्राक्कलन में परिवर्तनों का प्रत्याशित रूप से लेखा – जोखा भी रखा गया है।

### अधिनिर्णय

कंपनी की लेखा नीतियों को लागू करते हुए प्रबंधन ने निम्नलिखित अधिनिर्णय दिए हैं जोकि वित्तीय विवरणों में पहचान की गयी राशियों को प्रभावित करने के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

## आकस्मिकताएं

आकस्मिक देयताएं कंपनी के विरुद्ध दावा करने तथा कानूनी, ठेकेदार, भूमि पहुंच तथा अन्य दावों से संबंधित कार्य व्यवसाय की सामान्य कार्य अवधि में उत्पन्न हो सकती है। स्वाभाविक रूप से आकस्मिकताओं को केवल तभी दूर किया जाएगा, जब एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी घटनायें उत्पन्न हों या उत्पन्न न हों। आकस्मिकताओं की मौजूदा तथा संभावित प्रमात्रा के मूल्यांकन में भावी घटनाओं के परिणाम से संबंधित प्राक्कलन का इस्तेमाल करना तथा महत्त्वपूर्ण अधिनिर्णय करना शामिल है।

## प्राक्कलन और पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग तारीख पर अनिश्चित प्राक्कलन के भावी व अन्य मुख्य स्रोतों से संबंधित मुख्य पूर्वानुमान को नीचे वर्णित किया गया है, जोकि अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की राशि को आगे ले जाने के लिए सम्पूर्ण समायोजन के कारण उत्पन्न महत्त्वपूर्ण जोखिम उपलब्ध कराती हो। कंपनी तब उसके पूर्वानुमान पर आधारित होती है और उपलब्ध परिधियों के आधार पर प्राक्कलन करती है जब समेकित वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं। तथापि, भावी विकास प्रक्रियाओं के बारे में वर्तमान परिस्थितियों और पूर्वानुमान के कारण कंपनी के नियंत्रण से परे होने वाली परिस्थितियों अथवा बाजार में बदलाव आने के कारण यह परिवर्तन हो सकता है। ऐसे परिवर्तनों को उनके घटित होने पर पूर्वानुमान में दर्शाया गया है।

### (क) गैर- वित्तीय परिसंपत्तियों की अशक्तता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर यह मूल्यांकन करती है, चाहे इस तथ्य का यह संकेत हो कि परिसंपत्तियाँ अशक्त हो सकती हैं। यदि कोई संकेत मिल जाता है अथवा जब ऐसी परिसंपत्तियों के लिए वार्षिक अशक्तता परीक्षण करना जरूरी हो जाता है, तब कंपनी परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि परिसंपत्तियों से अधिक हो जाती है अथवा सी जी यू का उचित मूल्य उसकी निपटान लागत और उसके प्रचलित मूल्य से कम हो जाता है। इसका पृथक परिसंपत्तियों के लिए निर्धारण किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियाँ नकदी प्रवाह राशि उत्पन्न ना कर दे य जो कि परिसंपत्तियों के वर्गों अथवा अन्य परिसंपत्तियों से बड़े पैमाने पर पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। जहाँ परिसंपत्तियों अथवा सी जी यू की अग्रेषित राशि उसकी वसूलनीय राशि से अधिक हो जाती है वहाँ परिसंपत्तियों को अशक्त माना जाता है और उसे उसकी वसूलनीय राशि में रिटन डाउन किया जाता है।

प्रचलित मूल्य का मूल्यांकन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाह राशि में कर पूर्व कटौती दर का इस्तेमाल करके उसके वर्तमान मूल्य के अनुसार कटौती की जाती है, जिसे परिसंपत्तियों के लिए निर्दिष्ट जोखिम तथा राशि के समय मूल्य के अनुसार चालू बाजार मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रतिबिम्बित किया गया है। निपटान की कम लागत, उचित मूल्य का निर्धारण करते समय वर्तमान बाजार लेनदेनों का लेखा-जोखा रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेनों की पहचान नहीं की जाती है तो उपयुक्त मूल्यन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। इन गणनाओं में गुणनात्मक मूल्यन, अन्य उपलब्ध उचित मूल्य के संकेत को अथवा सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली सहायक कंपनियों के लिए उद्घृत शेयर मूल्यों को शामिल किया गया है।

### (ख) वित्तीय उपस्करों का उचित मूल्य आंकलन

जब तुलन पत्र में रिकॉर्ड की गयी वित्तीय परिसंपत्तियों तथा वित्तीय देयताओं का सक्रिय बाजार में उद्घृत मूल्यों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तब डीसीआईएल मॉडल सहित मूल्यन प्रविधियों का इस्तेमाल करके उनके उचित मूल्य का आंकलन किया जाता है। इन मॉडलों इनपुट को अवलोकनीय बाजार से संभव होने पर लिया जाता है, परन्तु जहाँ यह व्यवहार्य नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य को स्थापित करने में स्तरीय अधिनिर्णय अपेक्षित होता है। अधिनिर्णय में इनपुट का प्रतिफल जैसे लिक्विडिटी का जोखिम, जमा जोखिम और अस्थिरता शामिल हैं। इन तथ्यों के बारे में पूर्वानुमान में होने वाले परिवर्तनों से वित्तीय उपस्करों से रिपोर्ट किये गए उचित मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा।

**(ग) वित्तीय परिसंपत्तियों की अशक्तता**

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशक्तता प्रावधान चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि की दरों के बारे में पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। कंपनी अशक्तता गणना से संबंधित इनपुट का चयन करने और इन पूर्वानुमान के बारे में अधिनिर्णय का इस्तेमाल करती है जो कि कंपनी के पिछले इतिहास, वर्तमान बाजार की स्थितियों तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्राक्कलन का अवलोकन करने पर आधारित होती हैं।

**टिप्पणी सं० 3 – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर**

₹ लाखों में

	भवन	संयंत्र और उपस्कर	फर्नीचर और उपकरण	वाहन	कार्यालय उपस्कर	कंप्यूटर	योग
<b>लागत</b>							
<b>01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार</b>	1,985.85	147.36	549.49	7.01	1,772.22	3,153.11	7,615.04
आवर्धन	-	-	11.97	-	173.13	16.67	201.77
निपटान	-	-	7.30	-	0.27	-	7.57
<b>31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>1,985.85</b>	<b>147.36</b>	<b>554.16</b>	<b>7.01</b>	<b>1,945.08</b>	<b>3,169.78</b>	<b>7,809.24</b>
आवर्धन	-	-	7.70	-	324.01	3,420.17	3,751.88
निपटान	-	-	-	-	0.19	-	0.19
<b>31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>1,985.85</b>	<b>147.36</b>	<b>561.86</b>	<b>7.01</b>	<b>2,268.90</b>	<b>6,589.95</b>	<b>11,560.93</b>
<b>मूल्यह्रास</b>							
<b>01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार</b>	854.59	103.81	339.07	4.52	1,008.89	2,787.79	5,098.67
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	55.34	8.90	59.89	0.82	275.16	133.25	533.36
निपटान	-	-	7.23	-	0.27	-	7.50
<b>31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>909.93</b>	<b>112.71</b>	<b>391.73</b>	<b>5.34</b>	<b>1,283.78</b>	<b>2,921.04</b>	<b>5,624.53</b>
वर्ष के लिए मूल्यह्रास प्रभार	52.63	7.05	46.17	0.55	216.21	829.27	1,151.89
अशक्तता हानि	-	-	-	-	-	151.15	151.15
निपटान	-	-	-	-	0.10	-	0.10
<b>31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>962.56</b>	<b>119.76</b>	<b>437.90</b>	<b>5.89</b>	<b>1,499.89</b>	<b>3,901.46</b>	<b>6,927.47</b>
<b>निवल बही मूल्य</b>							
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	1,023.29	27.60	123.96	1.12	769.01	2,688.49	4,633.46
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1,075.92	34.65	162.43	1.67	661.30	248.74	2,184.70
01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार	1,131.26	43.55	210.42	2.49	763.33	365.32	2,516.37

टिप्पणी सं० 4 – अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

	सॉफ्टवेयर	योग
लागत		
<b>01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार</b>	284.68	284.68
आवर्धन	3.25	3.25
निपटान		-
<b>31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>
आवर्धन	3,776.41	3,776.41
निपटान	-	-
<b>31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>4,064.34</b>	<b>4,064.34</b>
परिशोधन		
01अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार	187.96	187.96
वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	42.49	42.49
निपटान		-
<b>31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>230.45</b>	<b>230.45</b>
वर्ष के लिए परिशोधन प्रभार	519.67	519.67
अशक्तता हानि	215.65	215.65
निपटान	-	-
<b>31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार</b>	<b>965.77</b>	<b>965.77</b>
निवल बही मूल्य		
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	3,098.57	3,098.57
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	57.48	57.48
01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार	96.71	96.71

टिप्पणी सं० 5 – ऋण

₹ लाखों में

विवरण	गैर चालू		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
<b>प्रतिभूति जमा</b>			
अप्रतिभूति जिन्हें अच्छा समझा गया	618.35	573.72	376.54
<b>योग</b>	<b>618.35</b>	<b>573.72</b>	<b>376.54</b>

टिप्पणी: गैर चालू प्रतिभूति जमा 10.85% प्रति वर्ष की कर पूर्व कटौती दर का इस्तेमाल करके उनके वर्तमान मूल्य के अनुसार कटौती की गयी है।

टिप्पणी सं० 6 – अन्य वित्तीय परिसंपत्ति

₹ लाखों में

विवरण	गैर चालू		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
<b>सावधि जमा</b>			
सावधि जमा की परिवक्तता जिनकी अवधि 12 माह से अधिक की है	291.60	291.60	291.60
<b>सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज</b>			
प्रोदभूत ब्याज	28.75	26.65	24.71
	<b>320.35</b>	<b>318.25</b>	<b>316.31</b>

\*बैंक गारंटी के मद्दे बंधक सावधि जमा

टिप्पणी सं० 7 – आयकर

31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं:

क. लाभ और हानि के विवरण

₹ लाखों में

सं.	(i) लाभ और हानि अनुभाग	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
	चालू आयकर प्रभार	3,410.69	4,023.28

	पूर्व वर्ष के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	307.91	(66.36)
	आस्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों के प्रतिकूल और मूल के संबंध में	542.35	(87.85)
	लाभ और हानि के विवरण में सूचित किये गये आयकर व्यय	4260.95	3,869.07
<b>(ii)</b>	<b>(ओसीआई) अन्य व्यापक आय अनुभाग</b>		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में पहचान की गयी मदों के सम्बन्ध में आस्थगित कर	-	-
	निश्चित लाभ योजना का पुनः आंकलन करने के संबंध में	-	-
	निवल हानि / (लाभ)	-	-
	ओसीआई में प्रभारित आयकर		

(ख) 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारत की घरेलू कर दर के द्वारा गुणा करके आने वाले लेखा लाभ और व्यय का मिलान:

₹ लाखों में

	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
सतत परिचालन कार्यों से प्राप्त कर से पहले लेखा लाभ	10,701.99	10,838.46
<b>आयकर से पहले लेखा लाभ</b>	<b>10,701.99</b>	<b>10,838.46</b>
34.608% पर भारत की सांविधिक आयकर दर (31 मार्च 2016: 34.608%)	3,703.74	3,750.97
पूर्व वर्षों की चालू आयकर के संबंध में समायोजन	307.91	(66.36)
कर उद्देश्यों से कटौती न किये जाने वाले व्यय	249.30	184.46
<b>39.81% की प्रभावी आयकर दर पर (31 मार्च 2016: 35.70%)</b>	<b>4,260.95</b>	<b>3,869.07</b>
लाभ और हानि विवरण में सूचित किये गये आयकर व्यय	4,260.95	3,869.07
	<b>4,260.95</b>	<b>3,869.07</b>



(ग) आस्थगित कर

निम्नलिखित से संबंधित आस्थगित कर

₹ लाखों में

	तुलन पत्र			आय और व्यय का विवरण	
	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016
कर उददेश्यों से वृद्धि किया गया मूल्यहास	(679.22)	(132.02)	(203.88)	547.20	(71.86)
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	104.95	93.95	89.67	(11.00)	(4.28)
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान	-	15.85	15.24	15.85	(0.61)
प्रतिभूति जमा का वर्तमान मूल्यन(परिसंपत्तियाँ)	66.96	57.26	46.16	(9.70)	(11.10)
<b>आस्थगित कर व्यय / (आय)</b>				<b>542.35</b>	<b>(87.85)</b>
<b>निवल आस्थगित कर संपत्तियाँ / (देयताएं)</b>	<b>(507.31)</b>	<b>35.04</b>	<b>(52.81)</b>		

निम्नानुसार तुलनपत्र में दर्शाया गया :

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2016	01 अप्रैल 2015
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (सतत परिचालन)	171.91	167.06	151.07
आस्थगित कर देयतायें (सतत परिचालन)	679.22	132.02	203.88
<b>आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (देयतायें), निवल</b>	<b>(507.31)</b>	<b>35.04</b>	<b>(52.81)</b>

टिप्पणी सं 8 – अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित लीज्ड व्यय	784.27	857.03	928.10
पूर्तिकारों को अग्रिम	1,498.43	1,736.41	586.01
	<b>2,282.70</b>	<b>2,593.44</b>	<b>1,514.11</b>

टिप्पणी सं. 9 – व्यापार प्राप्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
अप्रतिभूत , जिन्हें अच्छा समझा गया	28,130.13	18,774.25	19,167.59
अप्रतिभूत, जिन्हें संदिग्ध समझा गया	303.28	271.48	263.84
घटायेंरू संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान*	(303.28)	(271.48)	(263.84)
<b>योग</b>	<b>28,130.13</b>	<b>18,774.25</b>	<b>19,167.59</b>

\* संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान व्यापार प्राप्तियों पर आधारित है जो तुलन पत्र की तारीख को 3 वर्ष से ज्यादा की अवधि के लिए बकाया है।

टिप्पणी सं० 10 – नकदी व नकदी समकक्ष

₹ लाखों में

विवरण	चालू संपत्तियाँ		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
(क) बचत बैंक			
खाता में शेष	20,470.02	24,089.72	13,788.30
(ख) अन्य			
अग्रदाय खाता	0.40	0.30	0.30
<b>योग</b>	<b>20,470.42</b>	<b>24,090.02</b>	<b>13,788.60</b>

विशिष्ट बैंक टिप्पणियाँ (एसबीएन)

08 नवम्बर 2016 से 30 दिसम्बर 2016 की अवधि के दौरान लेनदेन किए गए और धारित विशिष्ट बैंक टिप्पणियाँ (एसबीएन) से संबंधित प्रकटीकरण

विवरण	एसबीएन	अन्य मूल्यवार टिप्पणियाँ	योग
8 नवम्बर 2016 की स्थिति के अनुसार हस्तगत अंतः शेष	-	-	-
(+) बैंक खाते से निकाली गयी राशि	-	-	-
(+) अनुमत प्राप्तियाँ	-	-	-
(-) अनुमत भुगतान	-	-	-
(-) बैंक में जमा राशि	-	-	-
30.12.2016 की स्थिति के अनुसार हाथ में अंतः नकदी	-	-	-

टिप्पणी:

उपर्युक्त प्रकटीकरण के उद्देश्य से 'विशिष्ट बैंक टिप्पणियाँ' शब्द का वही अभिप्राय होगा जोकि वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग भारत सरकार की दिनांक 08 नवम्बर 2016 के एसओ की संख्या 3407 (ई) की अधिसूचना में दिया गया है।

टिप्पणी संख्या 11 – अन्य बैंक शेष राशियां

₹ लाखों में

विवरण	चालू संपत्तियां		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
सावधि जमा*	119,260.15	98,617.37	98,249.48
बैंक गारंटी के लिए बंधक रखी गई सावधि जमा	1,112.31	1,112.31	742.63
<b>योग</b>	<b>120,372.46</b>	<b>99,729.68</b>	<b>98,992.11</b>

\*स्वीप जमा खाते की बैंक शेष राशियां शामिल है।

टिप्पणी सं० 12 – चालू कर परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	चालू संपत्तियां		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
सावधि जमा पर प्रोद्धत ब्याज			
प्रोद्धत ब्याज	4,201.14	4,129.01	4,469.46
<b>योग</b>	<b>4,201.14</b>	<b>4,129.01</b>	<b>4,469.46</b>

टिप्पणी सं० 13 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
प्रदत्त आयकर (निवल प्रावधान)	6,036.78	3,252.17	1,915.72
<b>योग</b>	<b>6,036.78</b>	<b>3,252.17</b>	<b>1,915.72</b>

टिप्पणी सं० 14 – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
<b>कर्मचारियों को अग्रिम</b>			
अप्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया	22.84	16.86	3.66
<b>योग</b>	<b>22.84</b>	<b>16.86</b>	<b>3.66</b>
<b>अन्य अग्रिम</b>			
अप्रतिभूत, जिन्हें अच्छा समझा गया			
पूर्तिकारों को अग्रिम	9,954.90	2,409.60	6,334.17
अग्रिम पर सेवा कर**, एसबीसी और केसीसी	16,878.25	13,215.05	8,789.12
पूर्व प्रदत्त व्यय	207.69	259.36	97.05
वसूलनीय कर*	120.06	133.85	134.95
	<b>27,160.90</b>	<b>16,017.86</b>	<b>15,355.29</b>
<b>कुल योग</b>	<b>27,183.74</b>	<b>16,034.72</b>	<b>15,358.95</b>

\* वसूलनीय कर का ब्यौरा

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	01अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
बिक्री कर/वसूलनीय डीवीएटी(1996-97 से 2013-14)	117.70	131.50	132.60
कार्य सविदा 2000-2001 पर टीडीएस	2.34	2.33	2.33
<b>योग</b>	<b>120.04</b>	<b>133.83</b>	<b>134.93</b>

\*\* विरोधाधीन जमा किया गया सेवा कर के संबंध में 3029.27 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 3029.27 लाख रूपये) की राशि शामिल है। (टिप्पणी सं० 50 देखें)

टिप्पणी संख्या 15 – इक्विटी शेयर पूंजी:

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017, की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार
<b>प्राधिकृत शेयर पूंजी</b>			
100/-रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 200,000 (पूर्व वर्ष 200,000)	200.00	200.00	200.00
निगमित, अभिदत्त और पूर्णतया प्रदत्त शेयर			
100/- रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर 200,000 (पूर्व वर्ष 200,000)	200.00	200.00	200.00
	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>

क) शेयरधारकों की सूचना\* :

शेयरधारकों के नाम	संबंध	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार		1 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार	
		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
महानिदेशक, एनआईसी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति	शेयरधारक	199,995.00	100.00	199,995.00	100.00	199,995.00	100.00
श्री श्याम बिहारी सिंह	शेयरधारक	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
श्री संजय सिंह गहलौत	शेयरधारक	1.00	0.00	-	-	-	-
डॉ. अम्बरीश कुमार	शेयरधारक	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
सुश्री जे आर डी कैले	शेयरधारक	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00
श्री विष्णु चन्द्र	शेयरधारक	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
श्री आर एस मणि	शेयरधारक	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
डॉ (श्रीमती)शेफाली सुशील दास	शेयरधारक	-	-	-	-	1.00	0.00
श्री महेश चंद्र	शेयरधारक	-	-	-	-	1.00	0.00
श्री राजीव पी. सक्सेना	शेयरधारक	-	-	-	-	1.00	0.00
<b>योग</b>		<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>

\* भारत सरकार की ओर से धारित

(ख) रिपोर्टिंग वर्ष के शुरू और समाप्ति पर बकाया प्रदत्त शेयरों का मिलान:

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार		01अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार	
	संख्या	रुपये	संख्या	रुपये	संख्या	रुपये
वर्ष के शुरू में बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
जोड़े :- वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े हुए अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध :

कंपनी के पास एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसका समतुल्य मूल्य 100/-रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक मत देने का पात्र है।

टिप्पणी संख्या 16 – अन्य इक्विटी :

₹ लाखों में

विवरण	राशि
प्रतिधारित उपार्जन	
1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार	47,167.72
वर्ष 2015–2016 के लिए लाभ	6,969.39
31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	54,137.11
वर्ष 2016–2017 के लिए लाभ	6,441.04
31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	60,578.15

टिप्पणी संख्या 17 – अन्य वित्तीय देयताएं

विवरण	गैर-चालू		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
देय प्रतिभूति जमा	51.46	52.46	14.96
<b>योग</b>	<b>51.46</b>	<b>52.46</b>	<b>14.96</b>

टिप्पणी संख्या 18 – व्यापार प्राप्तियां

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
व्यापार देय राशियां			
सूक्ष्म और लघु उदयमों के कारण	-	-	-
सूक्ष्म और लघु उदयमों के अलावा	47,782.97	33,392.69	36,893.55
<b>योग</b>	<b>47,782.97</b>	<b>33,392.69</b>	<b>36,893.55</b>

टिप्पणी संख्या 19 – अन्य वित्तीय देयतायें

₹ लाखों में

विवरण	चालू		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
व्यय हेतु देनदार	376.89	191.97	149.90
देय बयाना जमा राशि	1,396.41	1,341.56	1,147.01
देय कर्मचारी लाभ	312.16	191.10	161.24
देय व्यय	103.36	314.34	168.97
प्रतिधारण राशि*	296.18	371.57	270.01
<b>योग</b>	<b>2,485.00</b>	<b>2,410.54</b>	<b>1,897.13</b>

\*टिप्पणी संख्या 67 देखें।

टिप्पणी संख्या 20 – अन्य चालू देयतायें

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
सांविधिक देय राशि और कर	1,615.74	608.68	1,056.76
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	101,363.31	72,013.19	51,908.91
ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता	2,689.64	9,523.67	19,394.03
<b>योग</b>	<b>105,668.69</b>	<b>82,145.54</b>	<b>72,359.70</b>

टिप्पणी संख्या 21 – प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	चालू		
	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार	1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार
स्टांप शुल्क हेतु प्रावधान	74.52	74.52	74.52
<b>योग</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>

टिप्पणी संख्या 22 – परिचालन से राजस्व

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
<b>परिचालन से प्राप्त राजस्व</b>		
व्यापार हेतु माल की बिक्री	51,419.03	31,236.34
सेवा आय	72,650.39	53,334.34
<b>योग (क)</b>	<b>124,069.42</b>	<b>84,570.68</b>
प्रशासनिक प्रभार	71.64	203.72
<b>योग (ख)</b>	<b>71.64</b>	<b>203.72</b>
<b>परिचालनों से प्राप्त कुल राजस्व (क)+(ख)</b>	<b>124,141.06</b>	<b>84,774.40</b>

टिप्पणी संख्या 23 – अन्य आय

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
ब्याज की आय	8,827.96	8,814.17
अन्य गैर परिचालन आय	192.76	193.59
घटाएं :-		
अनुदान सहायता परियोजनाओं पर ब्याज (एनकेएन के अलावा)	408.72	721.14
एनकेएन परियोजनाओं पर ब्याज (अनुदान सहायता)	90.38	61.53
प्रतिभूति जमा राशियों पर छूट देना	44.72	38.96
	<b>8,566.34</b>	<b>8,264.05</b>



टिप्पणी संख्या 24 – व्यापारगत स्टॉक की खरीद

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
खरीद—		
हार्डवेयर	41,499.00	19,405.04
साफ्टवेयर	7,170.21	10,272.98
	48,669.21	29,678.02

टिप्पणी संख्या 25 – कर्मचारी के हितों संबंधी व्यय

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
वेतन व प्रोत्साहन	959.70	670.62
परियोजना प्रोत्साहन (टिप्पणी संख्या 58 देखें)	-	45.80
स्टाफ कल्याण	34.14	28.87
	<b>993.84</b>	<b>745.29</b>

टिप्पणी संख्या 26 – अन्य व्यय

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
लेखा परीक्षा शुल्क (2014–15)	-	0.65
लेखा परीक्षा शुल्क (2016–17)	7.54	6.82
विज्ञापन व्यय	18.90	29.44
बैंक प्रभार	3.33	2.39
पुस्तकें व पत्रिकाएं	24.45	20.31
कांफ्रेंस सेमिनार कार्यशाला व्यय	126.86	41.00
उपभोज्य भंडार	43.00	34.58
सवारी व्यय	7.19	6.28

संदिग्ध ऋण	31.80	7.64
डी जी सेट के लिए डीजल	1.39	-
बिजली और जल प्रभार	521.61	493.93
विदेशी मुद्रा में अंतर	0.55	0.01
भाड़ा प्रभार	4.19	4.40
गृह व्यवस्था व सफाई प्रभार	173.56	154.23
गृह लीज्ड प्रभार	25.60	26.70
आंतरिक लेखा-परीक्षा शुल्क	0.75	1.01
सदस्यता व अभिदान प्रभार	1.18	1.23
विविध व्यय	32.23	52.95
कार्यालय व्यय	965.12	668.18
कार्यालय किराया	2,558.18	2,267.79
मुद्रण व लेखन सामग्री	14.65	15.51
व्यावसायिक व परामर्शदायी प्रभार	242.00	273.92
किराया दर तथा कर	4.27	4.28
मरम्मत व रखरखाव	387.63	346.71
पिछले प्रभारों पर सेवा कर	18.24	17.47
धारा 6 (3) नियमावली के अधीन सेवा कर	259.23	173.81
स्वच्छ भारत कर गैर परिवर्तनीय	361.97	133.82
स्वच्छ भारत कर अन्य गैर परिवर्तनीय	10.76	3.67
टैक्सी भाड़ा प्रभार	308.79	237.35
टेलीफोन व्यय	62.16	74.78
यात्रा व्यय (स्टाफ) विदेश	31.23	7.01
यात्रा व्यय (निदेशक)	0.21	-
यात्रा व्यय (स्टाफ)	231.68	279.98
वाहन – पेट्रोल	1.48	2.38
वाहन का रखरखाव	0.31	0.71
	<b>6,482.05</b>	<b>5,390.95</b>

बिजली, और जल प्रभार तथा गृह व्यवस्था तथा सफाई प्रभारों के लिए शीर्ष के अधीन आंकड़ों को निवल प्रतिपूर्ति के बाद दर्शाया गया है।

टिप्पणी संख्या 27 – प्रत्येक शेयर का उपार्जन

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष
<b>प्रति शेयर उपार्जन</b>		
इक्विटी शेयरधारकों को प्रभावित करने वाला अधिशेष (लाख रुपये में)	6,441.05	6,969.39
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाखों में)	2	2
<b>मूल उपार्जन प्रति शेयर (रुपये की राशि)</b>	<b>3,220.52</b>	<b>3,484.69</b>
<b>कम उपार्जन प्रति शेयर (रुपये की राशि)</b>	<b>3,220.52</b>	<b>3,484.69</b>
अंकित मूल्य प्रति शेयर (रुपये की राशि)	100	100

टिप्पणी संख्या 28 – उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणी में वित्तीय उपकरण

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		1 अप्रैल 2015	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
	-	28,130.13	-	18,774.25	-	19,167.59
व्यापार प्राप्ति योग्य राशियाँ	-	20,470.42	-	24,090.02	-	13,788.60
नकदी और नकदी समकक्ष राशियाँ	-	120,372.46	-	99,729.68	-	98,992.11
प्रोदभूत ब्याज (चालू)	-	4,201.14	-	4,129.01	-	4,469.46
प्रतिभूति जमा	-	618.35	-	573.72	-	376.54
सावधि जमा	-	291.60	-	291.60	-	291.60
प्रोदभूत ब्याज(गैर चालू)		28.75	-	26.65	-	24.71
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	174,112.85	-	147,614.93	-	137,110.61
वित्तीय देयतायें						
व्यापार देय राशियाँ	-	47,782.97	-	33,392.69	-	36,893.55
अन्य वित्तीय देयतायें (चालू)	-	2,485.00	-	2,410.54	-	1,897.13
अन्य वित्तीय देयतायें (गैर चालू)	-	51.46	-	52.46	-	14.96
कुल वित्तीय देयतायें	-	50,319.43	-	35,855.69	-	38,805.64

## (ii) उचित मूल्य की क्रमबद्धता

सभी वित्तीय साधनों जिसके लिए उचित मूल्य की पहचान की गयी है अथवा उनका प्रकटीकरण किया गया है उनको उचित मूल्य के क्रमबद्धता के भीतर वर्गीकृत किया गया है जिन्हें कुल मिलाकर उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्त्वपूर्ण निम्न स्तर पर वर्णित किया गया है :

स्तर-1: सदृश्य परिसंपत्तियाँ अथवा देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में मूल्य उदधृत (असमायोजित)।

स्तर-2 : मूल्यन प्रविधियाँ जिसके लिए उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले निम्न स्तर के इनपुट को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देखा गया है।

स्तर-3: मूल्यन प्रविधियाँ जिसके लिए उचित मूल्य मापन के अनुसार महत्त्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले निम्न स्तर के इनपुट अवलोकनीय बाजार डाटा पर आधारित नहीं है।

निम्नलिखित सारणी में, जिसमें उचित मूल्य का अनुमान लग जाता है, उनको छोड़कर कंपनी की परिसंपत्तियाँ और देयताओं की उचित मूल्य मापन की क्रमबद्धता का प्रावधान किया गया है।

परिसंपत्ति और देयताओं जिनका उस परिशोधन लागत पर आकलन किया गया है, जिनके लिए 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्यों को दर्शाया गया है।

₹ लाखों में

	मूल्यन की तारीख	योग	उचित मूल्य मापन का इस्तेमाल करके		
			उदधृत सक्रिय मूल्य	महत्त्वपूर्ण अवलोकनीय	महत्त्वपूर्ण अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट
			(स्तर-1)	(स्तर-2)	(स्तर-3)
<b>वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>					
दी गयी प्रतिभूति जमा	31-Mar-17	423.46	-	-	423.46

इस अवधि के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है।

परिसंपत्ति और देयताओं जिनका उस परिशोधन लागत पर आकलन किया गया है, जिनके लिए 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्यों को दर्शाया गया है

₹ लाखों में

	मूल्यन की तारीख	योग	उचित मूल्य मापन का इस्तेमाल करके		
			उदधृत सक्रिय मूल्य	महत्त्वपूर्ण अवलोकनीय	महत्त्वपूर्ण अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट
			(स्तर-1)	(स्तर-2)	(स्तर-3)
<b>वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>					
दी गयी प्रतिभूति जमा	31-Mar-16	375.45	-	-	375.45

इस अवधि के दौरान स्तर 1 और स्तर 2 के बीच कोई स्थानांतरण नहीं किया गया है।

परिसंपत्ति और देयताओं जिनका उस परिशोधन लागत पर आकलन किया गया है, जिनके लिए 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उचित मूल्यों को दर्शाया गया है

₹ लाखों में

	मूल्यन की तारीख	योग	उचित मूल्य मापन का इस्तेमाल करके		
			उदधृत सक्रिय मूल्य	महत्त्वपूर्ण अवलोकनीय	महत्त्वपूर्ण अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट
			(स्तर-1)	(स्तर-2)	(स्तर-3)
<b>वित्तीय परिसंपत्तियाँ</b>					
दी गयी प्रतिभूति जमा	01-Apr-15	279.65	-	-	279.65

नकदी और नकदी समकक्ष राशियों, व्यापार प्राप्तियाँ, योग्य राशियाँ, अन्य प्राप्तियाँ, अल्पावधि उधार, व्यापार देय राशियाँ तथा अन्य चालू वित्तीय देयताओं के लिए प्रबंधन यह निर्धारण करता है कि इन साधनों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण बड़े पैमाने पर आगे ले जाई गयी राशियों का उनके उचित मूल्य में अनुमान लगाया जाता है।

कंपनी की दीर्घवधि ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य का निर्धारण कटौती दर का इस्तेमाल करके कटौती की गयी नकदी प्रवाह (डीसीएफ) पद्धति को लागू करके निर्धारण किया जाता है जिसमें रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की उधार दर को दर्शाया जाता है। इन्हें प्रति पार्टी क्रेडिट जोखिम को शामिल करके अवलोकन न किये जाने वाले इनपुट को न जोड़ने के कारण उचित मूल्य की क्रमबद्धता में स्तर 3 के उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

## 29. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियाँ

कंपनी के मुख्य वित्तीय देयताओं में व्यापार देय राशियाँ, प्रतिभूति जमा, बयाना जमा राशि तथा कर्मचारी की देयताएँ शामिल हैं। कंपनी की मूल वित्तीय परिसम्पत्तियों में व्यापार प्राप्तियाँ, प्रतिभूति जमा, सावधि जमा, उनके परिचालन से सीधे ही प्राप्त होने वाली नकदी और बैंक शेष राशियाँ शामिल हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम तथा लिक्विडिटी जोखिम के बारे में बताती है। कंपनी का प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन कार्यों को देखता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को निदेशक मंडल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो कंपनी के लिए वित्तीय जोखिम तथा उपयुक्त वित्तीय जोखिम शासन रूपरेखा बनाने के सम्बन्ध में सलाह देते हैं। बोर्ड कंपनी के प्रबंधन को यह आश्वासन देता है कि कंपनी के वित्तीय जोखिम से सम्बंधित गतिविधियों को उपयुक्त नीतियों तथा पद्धति के द्वारा शासित किया जाता है और वित्तीय जोखिमों को कंपनी की नीतियों तथा जोखिम उद्देश्यों के अनुसार पहचान की जाती है, उनका आकलन तथा प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन नीचे संक्षेप में दिए गए इन प्रत्येक जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनपर सहमति प्रदान करता है।

### 1. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह के उचित मूल्यों में बाजार मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों के कारण वृद्धि हो जाएगी। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य मूल्य जोखिम शामिल होते हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में सावधि जमा शामिल होती है।

### **(क) ब्याज दर जोखिम**

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य में होने वाले नकदी प्रवाह अथवा उचित मूल्यों में बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन होने वाले परिवर्तनों के कारण वृद्धि हो जायेगी। कंपनी बैंकों के पास रखी गयी सावधि जमा में कंपनी के निवेश से मुख्य रूप से सम्बंधित बाजार की ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों के जोखिम के बारे में बताती है। कंपनी की सावधि जमा को नियत दर पर ले जाया जाता है। अतः ब्याज दर जोखिम पर निर्भर करते हुए, जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक के 107 में परिभाषित किया गया है कि न कि आगे ले जाने वाली राशि के कारण और न ही भावी नकदी प्रवाह के कारण बाजार की ब्याज दरों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वृद्धि होगी।

### **(ख) विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता**

विदेशी मुद्रा का जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें कि भविष्य में होने वाली नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण वृद्धि होगी। विदेशी मुद्रा जोखिम संवेदनशीलता का आर्थिक परिसंपत्तियों तथा देयताओं के उचित मूल्यों में कर देय होने से पहले परिवर्तन हो जाने पर कंपनी के लाभ पर प्रभाव पड़ता है। कंपनी विदेशी मुद्रा के जोखिम को नहीं बताती है क्योंकि उसके पास कोई विदेशी मुद्रा आर्थिक परिसम्पत्तियाँ और देयतायें उपलब्ध नहीं होती हैं।

### **II क्रेडिट जोखिम**

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें प्रति पार्टी वित्तीय हानियों के कारण वित्तीय साधन अथवा ग्राहक संविदा के अधीन उसकी बाध्यताओं की पूर्ति नहीं करेगी। कंपनी उसकी वित्तीय गतिविधियों से (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियाँ) क्रेडिट जोखिम के बारे में बताती है।

अधिकतम क्रेडिट जोखिम में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत मूल्य दवारा प्रस्तुत वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में बताया गया है।

### **(क) व्यापार प्राप्तियाँ**

ग्राहक के क्रेडिट जोखिम को कम्पनी के प्रबंधन द्वारा ग्राहक के क्रेडिट जोखिम प्रबंधन से सम्बंधित स्थापित नीतियों, पद्धतियों और नियंत्रण प्रक्रियाओं के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। ग्राहक की क्रेडिट गुणवत्ता का व्यापक क्रेडिट समीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और अलग-अलग क्रेडिट सीमाओं को इस मूल्यांकन के अनुसार परिभाषित किया जाता है। शेष ग्राहकों की प्राप्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के पास टिप्पणी-9 में दर्शायी गयी स्थिति के अलावा डूबे गए ऋण के जोखिम के बारे में कोई महत्त्वपूर्ण स्थिति मौजूद नहीं है।

अशक्तता विश्लेषण को मुख्य ग्राहकों के लिए पृथक आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर पूरा किया जाता है। यह गणना ऐतिहासिक डाटा पर आधारित होती है। रिपोर्टिंग तारीख पर क्रेडिट जोखिम के संबंध में अधिकतम प्रकटीकरण टिप्पणी-9 में बताये गए प्रत्येक श्रेणी की वित्तीय परिसंपत्तियों का अग्रेनीत मूल्य होता है। कंपनी प्रतिभूति के रूप में कोई राशि नहीं रखती है। कंपनी व्यापार की कम प्राप्त होने वाली प्राप्तियों के संबंध में जोखिम स्थितियों का मूल्यांकन करती है, क्योंकि उसके ग्राहकों में मुख्य रूप से भारत सरकार तथा उसके मंत्रालयों के ग्राहक शामिल होते हैं।

### **(ख) वित्तीय साधन और नकदी जमा**

बैंक के पास शेष राशियों से होने वाले क्रेडिट जोखिम को कंपनी की नीति के अनुसार कंपनी के कोषागार विभाग द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। अधिशेष राशियों के निवेश संबंधी लेनदेन को अनुमोदित प्रतिपार्तियों के साथ ही किया जाता है।

### III. लिक्विडिटी जोखिम

लिक्विडिटी जोखिम वह जोखिम होता है जिनका कंपनी वित्तीय देयताओं से संबंधित बाध्यताओं की पूर्ति करने में आने वाली कठिनाईयों का सामना करेगी, जिनका नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के द्वारा निपटान किया जाता है। लिक्विडिटी रखने के लिए कंपनी को यथा संभव यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास उसकी देयताओं की पूर्ति करने के लिए देयतायें देय होने की स्थिति में पर्याप्त लिक्विडिटी राशि उपलब्ध है। प्रबंधन प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकद हुए नकदी समकक्ष राशियों तथा कंपनी की लिक्विडिटी की स्थिति के पूर्वानुमान प्रक्रिया की निगरानी करता है। कंपनी बाजार की लिक्विडिटी का लेखा जोखा रखती है जिसमें सत्ता परिचालन कार्य पूरा किया जाता है।

संविदात्मक बतायी न गयी भुगतान राशियों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का सार नीचे सारणी में दिया गया है।

₹ लाखों में

	मांगपर	3 से कम माह	3 से 12 माह	1 से 5 वर्ष	5 वर्षों से कम	योग
<b>31 मार्च 2017</b>						
<b>को समाप्त वर्ष</b>						
व्यापार प्राप्तियाँ	47,782.97					47,782.97
अन्य वित्तीय देयतायें(गैर चालू)	51.46					51.46
अन्य वित्तीय देयतायें(चालू)	2,485.00					2,485.00
	50,319.43	-	-	-	-	50,319.43
<b>31 मार्च 2016</b>						
<b>को समाप्त वर्ष</b>						
व्यापार प्राप्तियाँ	33,392.69					33,392.69
अन्य वित्तीय देयतायें(गैर चालू)	52.46					52.46
अन्य वित्तीय देयतायें(चालू)	2,410.54					2,410.54
	<b>35,855.69</b>	-	-	-	-	<b>35,855.69</b>
<b>1 अप्रैल 2015 की स्थिति के अनुसार</b>						
<b>व्यापार प्राप्तियाँ</b>	36,893.55					36,893.55
अन्य वित्तीय देयतायें(गैर चालू)	14.96					14.96
अन्य वित्तीय देयतायें(चालू)	1,897.13					1,897.13
	<b>38,805.64</b>	-	-	-	-	<b>38,805.64</b>

#### IV. आधिक्य जोखिम स्थिति

यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब बहुत सी प्रतिपार्टियाँ एक जैसे भौगोलिक क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों अथवा एक समान व्यवसाय की गतिविधियों में लगी हुई होती है अथवा उनकी आर्थिक विशेषताएं होती है, जिसके कारण संविदात्मक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता आर्थिक, राजनैतिक अथवा अन्य स्थितियों में बदलाव होने पर सदृश्य रूप से प्रभावित करती हैं। इस स्थिति में विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकास कार्यों के सम्बन्ध में कंपनी की कार्य निष्पादन के बारे में संबंधित संवेदनशीलता को दर्शाया जाता है।

जोखिम की आधिक्य स्थितियों से बचने के लिए कंपनी की नीतियों तथा पद्धतियों में विविध पोर्टफोलियों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल किये गए हैं। क्रेडिट जोखिम से संबंधित पहचान की गयी स्थितियों को तदानुसार नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाता है।

#### 30. पूंजी प्रबंधन

कंपनी की पूंजी प्रबंधन की संरचना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करनी है कि वचनबद्ध कार्य कार्यक्रम की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी के भीतर पर्याप्त लिक्विडिटी उपलब्ध हो। कंपनी लचीलापन बनाये रखने तथा उसके उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु पूंजी संरचना में होने वाले परिवर्तनों की अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए व्यवसाय की दीर्घावधि नकद प्रवाह अपेक्षाओं की निगरानी करती है।

कंपनी आर्थिक स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूंजी संरचना को व्यवस्थित करती है और उसमें समायोजन करती है। पूंजी संरचना का रखरखाव करने अथवा उसमें समायोजन करने के लिए कंपनी नकदी हेतु नये शेयर जारी करने के लिए, शेयरहोल्डरों को प्रतिफल पूंजी, ऐसी अन्य यथा उपयुक्त पुनः संरक्षित गतिविधियों को शुरू करने अथवा उसके स्थान पर नई ऋण सुविधाएं प्रदान करने हेतु लाभांश भुगतान का समायोजन करेगी।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

₹ लाखों में

विवरण	31मार्च 2017	31मार्च 2016	1अप्रैल 2015
उधार राशियाँ			
व्यापार प्राप्तियाँ	47,782.97	33,392.69	36,893.55
अन्य प्राप्तियाँ	108,279.67	84,683.06	74,346.31
घटायें : नकदी और नकदी समकक्ष राशियाँ	(20,470.42)	(24,090.02)	(13,788.60)
<b>निवल ऋण</b>	<b>135,592.22</b>	<b>93,985.73</b>	<b>97,451.26</b>
<b>कुल इक्विटी</b>	<b>60,778.15</b>	<b>54,337.11</b>	<b>47,367.72</b>
<b>पूंजी और निवल ऋण</b>	<b>196,370.37</b>	<b>148,322.84</b>	<b>144,818.98</b>
<b>अनुपात (%)</b>	<b>69.05%</b>	<b>63.37%</b>	<b>67.29%</b>



31(क) 01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार इक्विटी का मिलान

₹ लाखों में

विवरण	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीएएपी	भारतीय लेखांकन मानक का समायोजन	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक
<b>1. परिसम्पत्तियाँ</b>			
<b>i) गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
(क) परिसम्पत्तियाँ, संयंत्र और उपस्कर	2,516.37	-	2,516.37
(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	147.92	-	147.92
(ग) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	96.71	-	96.71
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
i) गैर – चालू निवेश			-
ii) ऋण	2,024.01	(1,647.47)	376.54
iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ		316.31	316.31
(ङ) आस्थगित कर संपत्तियाँ (निवल)	632.88	(632.88)	-
(च) अन्य गैर – चालू परिसम्पत्तियाँ	8,286.86	(6,772.75)	1,514.11
<b>2. चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
क) वस्तु सूचियाँ			
ख) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	8,673.52	10,494.07	19,167.59
(ii) नकदी और नकदी के समकक्ष राशियाँ	112,780.71	(98,992.11)	13,788.60
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष		98,992.11	98,992.11
(iv) ऋण	26,587.44	(26,587.44)	-
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ		4,469.46	4,469.46
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		1,915.72	1,915.72
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	4,469.46	10,889.49	15,358.95
योग	166,215.88	(7,555.49)	158,660.39

<b>ii) इक्विटी और देयताएं</b>			
i) इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	200.00	-	200.00
(ख) अन्य इक्विटी	45,960.41	1,207.31	47,167.72
<b>2. गैर – चालू देयताएं</b>			
(क)वित्तीय देयताएं			
(i) उधार			
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	14.96	14.96
(ख)अन्य गैर – चालू देयताएं	21,703.27	(21,703.27)	-
(ग)प्रावधान	1,859.50	(1,859.50)	-
(घ)आस्थगित कर देयताएं (निवल)	-	52.81	52.81
<b>3. चालू देयताएं</b>			
(क)वित्तीय देयताएं			
(प) उधार			
(पप) व्यापार देय	85,411.96	(48,518.41)	36,893.55
(पपप) अन्य वित्तीय देयताएं	-	1,897.13	1,897.13
(ख)अन्य चालू देयताएं	1,507.15	70,852.55	72,359.70
(ग)अल्पावधि प्रावधान	9,573.60	(9,499.08)	74.52
(घ)चालू कर देयताएं (निवल)			
<b>योग</b>	<b>166,215.88</b>	<b>(7,555.49)</b>	<b>158,660.39</b>

31(ख) 01अप्रैल, 2016 की स्थिति के अनुसार इक्विटी का मिलान

₹ लाखों में

विवरण	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीएएपी	भारतीय लेखांकन मानक का समायोजन	01 अप्रैल, 2015 की स्थिति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक
<b>1. परिसम्पत्तियाँ</b>			
<b>प) गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
(क) परिसम्पत्तियाँ, संयंत्र और उपस्कर	2,184.70	-	2,184.70
(ख) पूंजी कार्य प्रगति पर	640.38	-	640.38
(ग) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ	57.48	-	57.48
(घ) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
i) गैर – चालू निवेश			
ii) ऋण	3,332.62	(2,758.90)	573.72
iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	-	318.25	318.25
(ङ) आस्थगित कर संपत्तियाँ (निवल)	867.65	(832.61)	35.04
(च) अन्य गैर – चालू परिसम्पत्तियाँ	9,113.79	(6,520.35)	2,593.44
<b>2. चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
क) वस्तु सूचियाँ			
ख) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	9,978.71	8,795.54	18,774.25
(ii) नकदी और नकदी के समकक्ष राशियाँ	123,819.70	(99,729.68)	24,090.02
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	-	99,729.68	99,729.68
(iv) ऋण	29,195.92	(29,195.92)	-
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	-	4,129.01	4,129.01
(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	-	3,252.17	3,252.17

(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	4,129.01	11,905.71	16,034.72
<b>योग</b>	<b>183,319.96</b>	<b>(10,907.10)</b>	<b>172,412.86</b>
<b>ii) इक्विटी और देयताएं</b>			
<b>i) इक्विटी</b>			
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	200.00	-	200.00
(ख) अन्य इक्विटी	52,832.65	1,304.46	54,137.11
<b>2. गैर – चालू देयताएं</b>			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार			
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	52.46	52.46
(ख) अन्य गैर – चालू देयताएं	16,384.71	(16,384.71)	-
(ग) प्रावधान	2,283.29	(2,283.29)	-
(घ) आस्थगित कर देयताएं (निवल)			
<b>3. चालू देयताएं</b>			
(क) वित्तीय देयताएं	-	-	-
(i) उधार	100,130.83	(66,738.14)	33,392.69
(ii) व्यापार देय	-	2,410.54	2,410.54
(ख) अन्य चालू देयताएं	1,306.50	80,839.04	82,145.54
(ग) प्रावधान	10,181.99	(10,107.47)	74.52
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)			
<b>योग</b>	<b>183,319.96</b>	<b>(10,907.10)</b>	<b>172,412.86</b>

31 (ग) 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का मिलान

₹ लाखों में

विवरण	वर्ष की समाप्ति पर भारतीय जीएएपी	वर्ष की समाप्ति पर जीएएपी का समायोजन	वर्ष की समाप्ति पर भारतीय लेखांकन मानक
1. चालू परिचालन			
परिचालन से राजस्व	84,774.40	-	84,774.40
अन्य आय	8,225.09	38.96	8,264.05
कुल राजस्व	92,999.49	38.96	93,038.45
<b>व्यय</b>			
(क) खपत की गयी सामग्री की लागत			
(ख) तैयार माल, अर्ध तैयार और अन्य उत्पादों की खरीद	29,678.02	-	29,678.02
(ग) सेवा सहायता व्यय	45,809.84	-	45,809.84
(घ) कर्मचारी के हितों से संबंधित व्यय	745.29	-	745.29
(ङ) मूल्यह्रास और परिशोधित व्यय	575.88	-	575.88
(च) अन्य व्यय	5,726.45	(335.50)	5,390.95
<b>कुल खर्च</b>	<b>82,535.49</b>	<b>(335.50)</b>	<b>82,199.98</b>
कर और अपवादात्मक मदों से पहले लाभ/हानि	10,464.00	374.46	10,838.47
अपवादात्मक मदें	(130.38)	130.38	
चालू परिचालन से पहले कर और लाभ/हानि	10,594.38	244.08	10,838.47
कर व्यय			
चालू कर	4,023.28	-	4,023.28
पूर्व अवधि से संबंधित कर समायोजन	(66.37)	-	(66.37)
आस्थगित कर	(234.78)	146.93	(87.85)
<b>कुल कर व्यय</b>	<b>3,722.14</b>	<b>146.93</b>	<b>3,869.06</b>
<b>सतत् परिचालन से कर के पश्चात् लाभ/हानि</b>	<b>6,872.24</b>	<b>97.16</b>	<b>6,969.41</b>
<b>अवधि के लिए लाभ/हानि</b>	<b>6,872.24</b>	<b>97.16</b>	<b>6,969.41</b>
अन्य व्यापक आय	-	-	-
<b>अवधि के लिए कुल व्यापक आय</b>	<b>6,872.24</b>	<b>97.16</b>	<b>6,969.41</b>

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि और 1 अप्रैल 2015 तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार इक्विटी का मिलान करने के संबंध में पाद टिप्पणियाँ

### 1. प्रतिभूति जमा

पूर्व जीएएपी के अधीन लीज किराये के लिए प्रदत्त प्रतिभूति जमा को लेनदेन मूल्य में दर्शाया गया है जहाँ भारतीय लेखांकन मानक के अधीन उसमें प्रारम्भ में छूट दी गयी है और तत्पश्चात् उसे प्रत्येक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिशोधित लागत पर रिकार्ड किया गया है। तदनुसार लेनदेन और लीज किराये के संबंध में प्रदत्त प्रतिभूति जमा के कटौती किये गये मूल्य के बीच के अंतर की आस्थगित लीज के व्यय के रूप में पहचान की गयी है और उसे लीज शर्तों की अवधि के अनुसार परिशोधित किया गया है। इसके अलावा, लीज किराये के लिए प्रदत्त प्रतिभूति जमा के वर्तमान मूल्य पर ब्याज दिया गया है।

### 2. आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ

पूर्व जीएएपी में लाभ व हानि लेखा पहुँच का इस्तेमाल करके आस्थगित कर लेखा प्रणाली अपेक्षित होती है जो अवधि के लिए कर योग्य लाभ और लेखा लाभ के बीच के अंतर पर ध्यान केन्द्रित करती है। भारतीय लेखांकन मानक 12 में तुलन पत्र पहुँच का इस्तेमाल करके आस्थगित कर का लेखा-जोखा रखने के लिए सत्ता की अपेक्षा की जाती है जो तुलन पत्र में देयता और उसके कर आधार अथवा परिसंपत्ति की अग्रेनीत राशि के बीच के अस्थायी अंतरों पर ध्यान केन्द्रित करती है। भारतीय लेखांकन मानक 12 के अनुप्रयोग पहुँच के परिणामस्वरूप विभिन्न पारगमन समायोजनों के संबंध में नये अस्थायी अंतरों से संबंधित आस्थगित कर की पहचान हो पायी है जिसमें इक्विटी में अलग संघटक के रूप में या प्रतिधारित उपार्जन राशि के रूप में लेनदेन करने के संबंध में पहचान की जाती है।

### 3. समरूप आरक्षिती लीज

पूर्व जीएएपी के अधीन, लीज किराया व्यय राशि (रदद न की जाने वाली लीज की स्थिति में, जिनकी अवधि 12 से अधिक माह की होती है) की प्रत्यक्ष आधार पर लाभ व हानि विवरण में पहचान की है और लीज प्रदत्त किराया तथा व्यय के रूप में पहचान किये गये किराये के बीच के अंतर को यथास्थिति समरूप आरक्षिती लीज में क्रेडिट/डेबिट किया जाएगा। तथापि, भारतीय लेखांकन मानक के अधीन, यदि लीज किराये में वृद्धि सामान्य आर्थिक मुद्रास्फीति को दर्शाती है तो लीज किराये को सीधे प्रस्तुत किये जाने की जरूरत नहीं होती है। तदनुसार कंपनी ने समरूप आरक्षिती लीज को उस स्थिति में रदद कर दिया है जहाँ किराये में वृद्धि होने से सामान्य मुद्रास्फीति प्रभावित हुई।

### 4. पुनः वर्गीकरण

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के वर्गीकरण के अनुसार पूर्व वर्ष के आंकड़ों का पुनः वर्गीकरण किया है।

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का मिलान करने से संबंधित पाद टिप्पणियाँ

#### 1. पूर्वावधि मदें

पूर्व जीएएपी के अधीन, पूर्वावधि मदों की उस अवधि में पहचान की गयी है जिसमें उनका पता चला था, जबकि भारतीय लेखांकन मानक के अधीन, पूर्वावधि मदों की उनसे संबंधित अवधि में पहचान की गयी है।

#### 2. किराया व्यय

आस्थगित लीज व्यय की जमा की शर्तों के लिए प्रतिभूति जमा की अवधि में प्रत्यक्ष आधार पर पहचान की गयी है।

**32. पूर्व संबंधित अवधि के वित्तीय विवरणों में समायोजित पूर्वावधि मर्दे**

₹ लाखों में

वर्ष से संबंधित	वित्तीय वर्ष 2015-16 में पता लगायी गयी पूर्वावधि मर्दे	
	व्यय	आय
2014-15	2,388.97	2,523.52
योग	2,388.97	2,523.52

वित्तीय वर्ष 2016-17 दौरान, कंपनी ने केवल चूक और त्रुटि को पूर्वावधि के रूप में माना है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2016-17 में कोई चूक और त्रुटि नहीं हुई है और इसलिए कोई पूर्वावधि व्यय अथवा आय नहीं है।

**33. आकस्मिक देयतायें**

तुलन पत्र की तारीख के अनुसार, कंपनी द्वारा प्रयोक्ताओं को प्रदान की गई ऑफ साइट वारंटी के संदर्भ में आकस्मिक देयताओं पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि परियोजनाओं के तहत पूर्ति किये गये सभी उपकरणों को वारंटी अवधि के बाद समय-समय पर विक्रेताओं/पूर्तिकारों से एएमसी के तहत शामिल किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा प्रावधान न की गई आकस्मिक देयतायें नीचे दिये गए अनुसार है:

₹ लाखों में

i.	विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार (रूपये)	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार (रूपये)
	कंपनी से दावे, जिनकी ऋण के रूप में सूचना नहीं दी गई है।	108.47	7.45
	गारंटी	1359.58	1068.27
	आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2010-11)	7.91	7.91
	आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2012-13)	-	37.26
	आयकर मांग (निर्धारण वर्ष 2013-14)	-	8.44
	योग	1475.96	1129.33

ii. 2009 से 2016 तक की अवधि के लिए स्पैक्टम प्रभागों के संबंध में 32383.09 लाख रूपये और लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65445.02 लाख रूपये की डीओटी द्वारा जुर्माना के रूप में वसूली की गई है (संदर्भ टिप्पणी संख्या 47 (a) देखें)

iii. डीओटी लाइसेंस – राशि के संबंध में वी – सेट (सीएससी परियोजना और एनडीआरएफ परियोजना) से आय पर 2 प्रतिशत की दर से लगाए गए जुर्माना का पता नहीं है।

**34. वचनबद्धता**

कंपनी ने व्यापारिक माल की खरीद करने तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ किये गये करारों तथा क्रय आदेशों पर आधारित उत्तरवर्ती अवधि में इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की वचनबद्धता दी है। इन वचनबद्धताओं को स्वीकृत शर्तों के अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है। तथापि, कंपनी की आंतरिक परियोजनाओं के संबंध में ऐसी की गयी वचनबद्धताओं की राशि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 17.98 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 4.94 लाख रूपये) है। इसके

अतिरिक्त, एनआईसी क्लाउड सेवाओं में वृद्धि व उन्नयन की दिशा में भी 61.67 लाख /-रु. (पूर्व वर्ष 573.78 लाख रुपये) की प्रतिबद्धता है।

**35. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में दिये गये आय व व्यय लेखा तैयार करने के सामान्य अनुदेशों के पैरा 5 (viii) के अनुसार सूचना**

- i. सी आई एफ आधार पर आयात का मूल्य रु शून्य
- ii. विदेशी मुद्रा में व्यय (प्रोद्भूत आधार पर)

₹ लाखों में

विवरण	31, मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (रूपये)
यात्रा-स्टाफ (विदेशी)	31.23	7.02
<b>योग</b>	<b>31.23</b>	<b>7.02</b>

iii. विदेशी मुद्रा में उपार्जन (प्रोद्भूत आधार पर) शून्य रूपये (पूर्व वर्ष शून्य रूपये) है।

**36. लेखा परीक्षक पारिश्रमिक \***

₹ लाखों में

विवरण	31, मार्च 2017 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31, मार्च 2016 को समाप्त वर्ष (रूपये)
कर लेखा शुल्क शामिल करते हुए लेखा परीक्षक शुल्क	7.54	6.83
व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु	2.00	1.58
<b>योग</b>	<b>9.54</b>	<b>8.41</b>

\* सेवाकर को शामिल करते हुए। इसके अलावा, 4.82 लाख रूपये (पूर्व वर्ष 4.63 लाख रूपये) का विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रमाणन कार्य के लिए भुगतान किया गया है जिसे सीधे ही संबंधित परियोजनाओं में डेबिट किया जाता है।

**37. लेखांकन मानक के अनुसार प्रकटीकरण-19 "कर्मचारी लाभ"**

**(i) भविष्य निधि में अंशदान**

निकसी की कोई भविष्य निधि योजना नहीं है क्योंकि 3 मार्च, 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार निकसी के सभी पदाधिकारी तथा उनके पद एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हैं। भविष्य निधि की इस प्रयोजन हेतु निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्येक माह उनके वेतन से कटौती की गई है तथा सरकार से मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार तत्पश्चात् उसे एनआईसी को भेजा जाता है क्योंकि सम्पूर्ण लेखा का रखरखाव उनके द्वारा किया जाता है। इसलिए निकसी की कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा के भुगतान के संबंध में कोई देयता नहीं है।

**(ii) छुट्टी वेतन**

चूंकि 3 मार्च, 1998 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार रा.सू.वि.केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं,



छुट्टी वेतन अंशदान राशि की (संबंधित कर्मचारी के वेतन से निर्धारित दरों के अनुसार) निकसी द्वारा प्रत्येक माह उनके खाते में गणना की जाती है/प्रदान की जाती है तथा उसके पश्चात् उसे रा.सू.वि.केंद्र के पास भेज दिया जाता है। इस प्रकार, निकसी की छुट्टी वेतन भुगतान/छुट्टी भुनाने के संबंध में कोई देयता नहीं है।

### (iii) पेंशन अंशदान

चूंकि 3 मार्च, 1998 की उक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, रा.सू.वि.केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए पेंशन अंशदान राशि की (संबंधित कर्मचारी के वेतन से निर्धारित दरों के अनुसार) प्रत्येक माह उनके खाते में निकसी द्वारा गणना/प्रदान की जाती है तथा उसके पश्चात् उसे रा.सू.वि. केंद्र को भेज दिया जाता है। इस प्रकार पेंशनरी लाभ के भुगतान के लिए निकसी की कोई देयता नहीं है

### (iv) उपदान

चूंकि 3 मार्च, 1998 की उक्त भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, रा.सू.वि. केंद्र के सभी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए कंपनी भुगतान करने के लिए दायी नहीं है क्योंकि उसको एन आई सी द्वारा पूरी तरह से वहन किया जायेगा।

## 38. संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण

### i. संबंधित पार्टियों की सूची

पार्टी का नाम	संबंध
श्री मनोज कुमार मिश्रा (15-2-2017 के आगे से )	प्रबंध निदेशक
डॉ (श्रीमती) रंजना नागपाल (27-12-2016 से 14-02-2017)	प्रबंध निदेशक
श्री राजेश बहादुर (1-4-2016 से 26-12-2016)	प्रबंध निदेशक

### ii. संबंधित पार्टियों से लेन-देन

₹ लाखों में

पार्टी का नाम	अवधि	लेन देन की प्रकृति	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रूपये)	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष रूपये)
श्री मनोज कुमार मिश्रा	15-02-2017 के आगे से	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.97	शून्य
डॉ (श्रीमती) रंजना नागपाल*	(27-12-2016 से 14-02-2017)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	शून्य	शून्य
श्री राजेश बहादुर	(1-4-2016 से 26-12-2016)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक	22.87	20.85
	<b>योग</b>		<b>26.84</b>	<b>20.85</b>

\* प्रबंध निदेशक, निकसी का अतिरिक्त प्रभार संभाला गया और एनआईसी से वेतन लिया गया।

संबद्ध पार्टियों को 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार देय शेष राशि रु 2.00 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 1.52 लाख रुपये) थी।

### 39. परिचालित (ऑपरेटिंग) लीज

कंपनी ने परिचालित (ऑपरेटिंग) लीज के अंतर्गत कार्यालय स्थल को भाड़े पर लिया है। इसके अलावा, भारतीय लेखांकन मानक 17 'लीज्ड हेतु कुल भावी न्यूनतम लीज्ड भुगतान के विवरण निम्नानुसार है:-

₹ लाखों में

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार (रुपये)	31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार (रुपये)
i.	एक वर्ष से अधिक नहीं	1322.59	1261.56
ii.	एक वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम नहीं	7337.06	6916.11
iii.	पांच वर्ष से अधिक	15807.82	17488.08

### 40. भारतीय लेखांकन मानक – 108 परिचालन खंड के अनुसार प्रकटीकरण

निकसी दिल्ली में केंद्रीयकृत कार्यालय से केवल "सूचना प्रौद्योगिकी" खंड पर ही सेवायें प्रदान कर रही है। उस पर एक खंड के रूप में विचार करते हुए, वित्तीय विवरणों में भारतीय लेखांकन मानक 108 – परिचालन खंड के अनुसार कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

### 41. शेष पुष्टि

ऋण व अग्रिम, व्यापार प्राप्तियां, व्यापार देय राशियां ग्राहकों से अग्रिम, बयाना जमा राशियां तथा प्रतिभूति जमा शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई शेष राशियों, को अभिपुष्टि, मिलान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई है, किए जाने पर दर्शाया गया है।

### 42. सवारी/हक विलेख का गैर निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2003 और 2001 में क्रमशः मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से हॉल संख्या 2 और 3, 6वां तल एनबीसीसी टावर, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली खरीदा। तथापि, उसकी 931.50 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 931.50 लाख रुपये) के संबंध में सवारी विलेख/हक विलेख को एनबीसीसी द्वारा कंपनी से बहुत से अनुरोध प्राप्त होने के बावजूद भी अभी तक पंजीकृत नहीं कराया गया है। कंपनी द्वारा इन मामले में मैसर्स एनबीसीसी को नियमित रूप से याद दिलाया जा रहा है। अतः स्टैम्प ड्यूटी की राशि के संबंध में 74.51 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 74.51 लाख रु.) का प्रारंभिक प्रावधान वित्तीय विवरणों में किया गया है और अंतर राशि, यदि कोई हो, साल में प्रावधान किया जायेगा और उसे पंजीकृत किया जायेगा।

43. प्रबंधन के विचार में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यविधि के दौरान वसूलनीय मूल्य होना चाहिए जोकि उल्लिखित राशि के कम-से-कम समतुल्य हो।

**44. एमएसएमईडी अधिनियम, 2016 की धारा 22 के अधीन प्रकटीकरण**

क्रम सं	विवरण	वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष
		2016-17	2015-16
1	किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया भुगतान के लिए देय प्रधान राशि और ब्याज	शून्य	शून्य
2	पूर्तिकार को की गई भुगतान की राशि तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीददार द्वारा प्रदान की गई ब्याज की राशि	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज और देय राशि, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	शून्य	शून्य
4	प्रोदभूत ब्याज तथा शेष भुगतान न की गई राशि	शून्य	शून्य
5	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती करने वाले व्यय को न देने के प्रयोजन से, उस तारीख से जब उपर्युक्त देय ब्याज राशि का लघु उद्यम को वास्तव में भुगतान किया जाता है, यहां तक कि उत्तरवर्ती वर्षों में आगे की ब्याज राशि देय रह गई हो और देय हो।	शून्य	शून्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन कोई पार्टी शामिल नहीं है।

**45. व्यापारगत स्टॉक से संबंधित सूचना**

चूंकि कंपनी की कोई विनिर्माण यूनिट या अपनी कोई सुविधा नहीं है इसलिए लाइसेंस प्राप्त/प्रतिस्थापित क्षमता के संबंध में ऐसी कोई सूचनाएं लागू नहीं होती हैं। व्यापारगत स्टॉक की सूचना नीचे दिये गये अनुसार है :-

₹ लाखों में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-2017		वित्तीय वर्ष 2015-16	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
	(नग)	(रूपये)	(नग)	(रूपये)
प्रारंभिक स्टॉक				
हार्डवेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सॉफ्टवेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>योग</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
खरीद				
हार्डवेयर	3414096	41498.99	2395924	19405.04
सॉफ्टवेयर	278201	7170.21	107050	10272.98

<b>योग</b>	<b>3692297</b>	<b>48669.20</b>	<b>2502974</b>	<b>29678.02</b>
बिक्रियां				
हार्डवेयर	3414096	43768.25	2395924	20748.06
सॉफ्टवेयर	278201	7650.78	107050	10488.28
<b>योग</b>	<b>3692297</b>	<b>51419.03</b>	<b>2502974</b>	<b>31236.34</b>
अंत: स्टॉक				
हार्डवेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सॉफ्टवेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>योग</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

#### 46. भारतीय लेखा मानक-36 "परिसंपत्तियों की अशक्तता" के अनुसार प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक-36 "परिसंपत्तियों की अशक्तता" के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान शास्त्री पार्क स्थान में स्थित विकास केन्द्र और लक्ष्मी नगर में डॉटा केन्द्र के संबंध में परिसंपत्तियों की अशक्तता का निर्धारण किया गया है जो कि कम्पनी की नकदी प्रस्तुत करने वाली यूनिटें हैं और इस संबंध में किसी अशक्तता हानि का पता नहीं चला है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान परिसम्पत्तियों की अशक्तता का मूल्यांकन कार्य निकसी द्वारा "एनआईसी क्लाउड सेवाओं" पर निवेश करने के संबंध में शास्त्री पार्क में स्थित राष्ट्रीय डाटा केन्द्र में कार्यान्वित भी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 366.81 लाख रुपये की अशक्तता हानि हुई है जिसे लेखाओं में दर्शाया गया है।

47. (क) दिनांक 20.11.2009 की डीओपी लाइसेंस सं0 815-100/निकसी/2009-डीएस के मद्दे वी-सैट परियोजनाओं में राजस्व उत्पादन (जी आर/ए जी आर) और उस पर डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान निकसी ने दिनांक 25.11.2009 को दूरसंचार विभाग के साथ एक वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस समझौता किया था और दूरसंचार विभाग को तदनुसार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान इस लाइसेंस के मद्दे दो परियोजनायें यथा सीएससी और एनडीआरएफ कार्यान्वित की गयी है। अक्टूबर, 2015 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह इंगित किया था कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 11.10.2011 के आदेश में कहा था कि समायोजित सकल राजस्व की विस्तृत परिभाषा, जिसमें लाइसेंस से परे राजस्व शामिल है, अगर किसी तरह से लाइसेंसधारक को प्रभावित करती है तो लाइसेंसधारकों को छूट है कि वे टेलीग्राफ अधिनियम के खंड (4) के तहत लाइसेंस की आवश्यकता न होने वाले कार्यकलाप न करें तथा ऐसे कार्यकलापों को किसी अन्य व्यक्ति या फर्म या कम्पनी को स्थानांतरित कर दें। निकसी, उसके बाद एमईआईटीवाई के माध्यम से दूरसंचार विभाग से इस मामले पर कारवाई करेगी कि दूरसंचार विभाग निकसी के संबंध में केवल उन परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व पर ही वसूली करेगा, न कि प्रारंभिक स्वीकृत शर्तों के अनुसार कम्पनी के पूरे राजस्व पर वसूली करेगा। दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10.5.2016 के अर्धशासकीय सं0 32-4/सीसीए-दिल्ली/2015-एलएफपी (के डब्ल्यू-2) द्वारा सूचित किया कि एजीआर मामला फिलहाल माननीय उच्चतम न्यायालय में "अपील" के अधीन है और 29.02.2016 को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत संघ अपनी समझ के अनुसार मांगें उठाती रहेगी, हालांकि इस कोर्ट द्वारा विवाद के अंतिम निर्णय होने तक इसे लागू नहीं किया जायेगा। दूरसंचार विभाग ने आगे कहा कि मूल्यांकन कार्य, प्रासंगिक लाइसेंस करारों की निबंधन व शर्तों और समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के अनुसार, अगले आदेशों तक जारी रखा जायेगा।

तथापि, डीओटी ने दिनांक 09.02.2017 की पत्र सं. 7-16/2009-एलएफ/वी सेट 2015-16/107 तथा दिनांक 09.02.2017 की सं. डब्ल्यूपी एफ-1000/निकसी/वाणिज्य वी सेट/2010-11/107 के द्वारा निकसी को 2009 से 2016 तक की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में 65445.02 लाख रुपये तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रुपये निकसी को अंतरिम मूल्यांकन भेजा। इस मांग के लिए निकसी ने एमईआईटीवाई के साथ इस मामले पर कारवाई शुरू की और सचिव, एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.03.2017 को अर्ध शासकीय पत्र सं. 80752/सामान्य/नई दिल्ली, सचिव डीओटी को भेजा जिसमें उन्होंने दिनांक 25.11.2009 के पत्र के द्वारा दिये गए उनके मूल स्पष्टीकरण के अनुसार केवल वी-सैट सेवाओं से निकसी की राजस्व राशि के अनुसार उक्त मांग को परिशोधित करने के लिए कहा और माननीय भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अंतिम निर्णय होने तक मूल्यांकन के संबंध में दिनांक 29.02.2016 को अंतरिम सूचना भेजने को कहा। डीओटी से अभी उत्तर प्राप्त होना है।

निकसी ने इसलिए दूरसंचार विभाग को वर्ष के दौरान तदनुसार पहले अपनाई गई पद्धति के अनुसार प्रभारों का भुगतान प्रदान किया है।

### (ख) सीएससी परियोजनाओं के लिए वीसैट

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 20.11.2009 की डीओटी लाइसेंस संख्या 815-100/निकसी/2009-डीएस के मद्दे पूर्वोत्तर परियोजना में सीएससी हेतु वी सेट राजस्व के रूप में 296.56 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गयी है। इनके विवरण निम्नानुसार है -

₹ लाखों में

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-2017 (रुपये)	वित्तीय वर्ष 2015-2016 *(रुपये)
(क)	कंपनी के आय और व्यय लेखा के अनुसार कुल राजस्व	132707.40	92999.49
(ख)	उपर्युक्त डी.ओ.टी लाइसेंस से संबंधित वीसैट सेवाओं (सीएससी परियोजना) से आय	296.56	879.04
(ग)	(ख) के अलावा परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व	132410.84	92120.45

निकसी राजस्व पर इस परियोजना के संबंध में उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे डीओटी के शुल्क को परियोजना संख्या 80752/जीईएन/एनडी में प्रभारित किया गया है।

इस परियोजना में डी ओ टी द्वारा लगाए जाने वाले जुर्माने, यदि कोई है, का उस वर्ष में लेखा - जोखा रखा जाएगा-, जिसमें उसकी वसूली की जाएगी।

### (ग) एनडीआरएफ परियोजना हेतु वीसैट

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दिनांक 20.11.2009 की डीओटी लाइसेंस संख्या 815-100/निकसी/2009-डीएस के मद्दे पूर्वोत्तर परियोजना के लिए वीसैट से संबंधित राजस्व के रूप में 343.54 लाख रुपये की राशि प्राप्त की गयी है। इनके विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-2017 (रुपये)	वित्तीय वर्ष 2015-2016* (रुपये)
(क)	कंपनी के आय और व्यय लेखा के अनुसार कुल राजस्व	132707.40	92999.49
(ख)	उपर्युक्त डी.ओ.टी लाइसेंस से संबंधित वीसैट सेवाओं (एनडीआरएफ परियोजना) से आय	343.54	1283.61
(ग)	(ख) के अलावा परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व	132363.86	91715.88

निकसी राजस्व पर इस परियोजना के संबंध में उपर्युक्त लाइसेंस के मद्दे डीओटी के शुल्क को परियोजना संख्या 111116/जीईएन/एनडी में प्रभारित किया गया है।

इस परियोजना में डीओटी द्वारा लगाए गए जुर्माने, यदि कोई है, का उस वर्ष में लेखा-जोखा रखा जायेगा, जिसमें उसकी वसूली की गई है।

\*वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखा-परीक्षित लेखा विवरणों के अनुसार

#### 48. एनकेएन परियोजना पर परिचालन सीमान्त राशि (प्रशासनिक प्रभार)

एनकेएन परियोजना पर दिनांक 19.7.2011 को आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, एन के एन परियोजना के अधीन व्यय पर 1% दर से परिचालन सीमान्त राशि वसूल करने के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग, प्रभाग (आईएफडी) से विशेष अनुमोदन प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। तथापि, निदेशक मण्डल से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक एतद्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अनुमोदन मिलने के अनुसार व्यय के 1% की दर से अपनी परिचालन सीमान्त राशि की प्रविष्टि कर रही है।

#### 49. अनुदान सहायता परियोजनाएं

- कम्पनी 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं के खातों की लेखा परीक्षा करवाने की प्रक्रिया में लगी हुई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात, वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान सहायता परियोजनाओं की लेखा परीक्षा आयोजित की जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान सहायता परियोजनाओं (जिसमें एनकेएन परियोजना भी शामिल है) पर इस्तेमाल न की गई निधि पर 499.10 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 786.85 लाख रुपये) (जिसमें एनकेएन परियोजना भी शामिल है) की राशि पर कुल ब्याज को वर्ष हेतु ब्याज की आय से घटा दिया गया है।

#### 50. अग्रिम पर सेवा कर

389.02/- करोड़ रुपये का सेवा कर और 13.94/-करोड़ रुपये की ब्याज राशि जमा करने के संबंध में सेवा कर आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली से निकसी में दिनांक 24.06.2014 की मांग व कारण बताओ सूचना संख्या 38/परीक्षा/2014-15/13266-71 प्राप्त हुई है। उपर्युक्त सूचना के मद्दे अंतिम उत्तर प्रस्तुत करने और निजी सुनवाई दिनांक 10.3.2015 को आयोजित की गयी। दिनांक 16.6.2015 के मूल आदेश सं0 16/एसटी/एसवीएस/डीएल-111/2015 सेवा कर मुख्य आयुक्त (दिल्ली-111 आयुक्त कार्यालय) से प्राप्त की गयी जिसके अनुसार निर्णय पर निम्नानुसार कारवाई की जा रही है।

(क) मैं एतद्वारा 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए एस सी एन में प्रस्तावित शिक्षा कर तथा एस और एच ई उपकर सहित 389,02,36,342/-रुपये (केवल तीन सौ नवासी करोड़, दो लाख, छत्तीस हजार, तीन सौ तथा बयालीस रुपये) के संपूर्ण सेवा कर की मांग करता हूँ और

(ख) मैं 13,93,72,760/-रुपये (केवल तेरह करोड़, तिरान्नेवे लाख, बहत्तर हजार, सात सौ और साठ रुपये) की ब्याज मांग की पुष्टि करता हूँ और यह आदेश देता हूँ कि कर निर्धारिती द्वारा प्रतिवाद के अधीन जमा की गयी (44.23 करोड़ रुपये) राशि में से उसका समायोजन किया जाये।

कम्पनी ने 13,93,72,760/-रुपये (केवल तेरह करोड़ तिरान्नेवे लाख, बहत्तर हजार, सात सौ और साठ रुपये) की ब्याज मांग के मद्दे कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है और इसे वित्त वर्ष 2014-15 के लेखा पुस्तकों में व्यय राशि के रूप में चार्ज किया गया है।

हालांकि सर्विस टैक्स विभाग ने दिनांक 16.10.2015 की अपील सं. एसटी/अपील सं. 53521 ऑफ 2015 एसटी (डीबी) द्वारा माननीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीई एसटीएटी) के समक्ष 3,89,02,36,342/-रु. के कथित सेवा कर मांग को छोड़ने के लिए "अपील" दायर की है और अपील पर निर्णय आने तक "स्टे" के लिए भी एक आवेदन किया है। सीईएसटीएटी ने 10.5.2016 को "स्टे" के लिए दिए गए आवेदन पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया। सीईएसटीएटी के समक्ष अपील पर सुनवाई की प्रतीक्षा है। कम्पनी ने तदनुसार दिनांक 15.06.2016 को 30,29,27,240/-रुपयों की वापसी के लिए सेवा कर कार्यालय में एक स्वच्छ आवेदन दायर किया है। सेवा कर विभाग ने दिनांक 30.11.2016 के आदेश के द्वारा निकसी को 30,29,27,240/- रुपये की वापिस राशि स्वीकृत की, जो प्राप्त हो गई है।

### 51. परिचालन सीमान्त राशि की पहचान

कंपनी सरकारी विभागों तथा संगठनों की ओर से कंप्यूटर हार्डवेयर की सुविधा प्रदान कर रही है जिसके लिए बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित प्रशासनिक प्रभारों की बिल प्राप्ति पर तथा ग्राहकों को सुपुर्दगी किए जाने पर पावती सूचना प्राप्त होने पर वसूली की जा रही है।

बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान परिचालन सीमान्त राशि की दरें निम्नानुसार हैं-

परियोजना लागत	परियोजना लागत के प्रतिशत की दर
50 करोड़ रुपये तक	7%
50 करोड़ रुपये से अधिक	5%

उपर्युक्त दरें 15.01.2015 से लागू हैं और उससे पहले अलग-अलग स्लैब दरें परियोजना की लागत के 3 से 8% के बीच लागू थी।

तथापि, एमईआईटीवाई के अनुमोदन के अनुसार, कम्पनी अपनी आंतरिक परियोजनाओं के संबंध में प्राप्ति पर एन आई सी से किसी परिचालन सीमान्त राशि की वसूली नहीं कर रही है और इसके आगे, डिजीटल हस्ताक्षर परियोजना के संबंध में, कंपनी परियोजना लागत पर ध्यान दिए बिना 5% की दर से एकरूप परिचालन सीमान्त राशि ले रही है।

### 52. एमईआईटीवाई से निकसी परियोजना सं. डी-150084, डी-150085, डी-150086 और डी-150087 में नियत परिचालन सीमान्त राशि

एमईआईटीवाई ने दिनांक 29.03.2015 के अपनी प्रशासनिक अनुमोदन सं0 3(64)/2014- ईजी-।। द्वारा "पंचायतों का परिसंपत्ति मानचित्रण" निकसी को प्रदान किया, जिसकी कुल लागत 3238.99 लाख रुपये है। जिसमें यह उल्लेख

किया गया कि निकसी की परिचालन सीमान्त राशि 100.00 लाख रुपये होगी। निकसी ने मामले को एमईआईटीवाई के समक्ष रखते हुए सूचित किया कि परियोजना की लागत पर परिचालन सीमान्त राशि की दर 7% है और तदनुसार प्रशासनिक अनुमोदन को संशोधित किया जाये। एमईआईटीवाई से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। हालांकि निकसी ने वर्ष के दौरान परियोजना में अपनी आय 7% की दर से वसूल की है और परियोजना में उसकी परिचालन सीमान्त राशि की दरधराशि को संशोधित करने के लिए मामले को एमईआईटीवाई के पास अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु भेजा जायेगा।

### **53. एन के एन परियोजना के अधीन अग्रिम**

वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभिन्न विक्रेताओं/आपूर्तिकारों को अग्रिम के रूप में 1303 (अनुमानित) करोड़ रुपये दिये गये, जिस पर उस वर्ष में 1% दर से प्रशासनिक प्रभार (परिचालन सीमान्त राशि) वसूल किये गये। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यद्यपि 1303 करोड़ रुपये के उपर्युक्त अग्रिम राशि के लिए निपटान करने हेतु बिल प्राप्त किये गये, पर उन पर प्रशासनिक प्रभार (परिचालन सीमान्त राशि) वसूल नहीं किये गये। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार, कथित 1303 करोड़ रूपयों में से शून्य करोड़ रुपये (लगभग) (पूर्व वर्ष 44.02 करोड़) का अग्रिम अभी भी विक्रेताओं/आपूर्तिकर्तृताओं के साथ निपटान करने के लिए लंबित है।

### **54. चौथा तल, डीएमआरसी, शास्त्री पार्क, दिल्ली के संबंध में व्यय**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निकसी ने किराया, रखरखाव, विद्युत, सुरक्षा आदि के संबंध में 419.03 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 366.67 लाख रुपये) की व्यय राशि खर्च की है जिसको सम्पूर्ण रूप से एनकेएन परियोजना (100069/जीईएन/एनडी) में डेबिट किया गया है।

### **55. राष्ट्रीय डाटा केन्द्र परियोजना, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर खर्च होने वाली आय/व्यय राशि**

एमईआईटीवाई ने यह अनुमोदित किया कि दिनांक 1.4.2014 के आगे से, निकसी राष्ट्रीय डाटा केन्द्र, शास्त्री पार्क, दिल्ली पर किराया व रखरखाव/बुनियादी ढांचे के रखरखाव/बुनियादी अवसंरचना ओ एण्ड एम जनशक्ति शीर्षों पर केवल 8 करोड़ रुपये तक परिचालनात्मक व्यय शीर्षवार खर्च करेगी और एनआईसी विद्युत और डीजल प्रभारों/प्रत्यक्ष सुरक्षा व गृहव्यवस्था प्रभारों/जल प्रभारों/लोजिस्टिक सहायता/आकस्मिकता प्रभारों के संबंध में निकसी द्वारा प्रारंभ में ये व्यय वहन करने के पश्चात् अपने बजटीय प्रावधान में से इन सभी प्रभारों के 3% तक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। 8 करोड़ रुपये की व्यय राशि में से निकसी अन्य संगठनों को प्रभार योग्य आधार पर दिये गये सर्वरों के जरिये आय को प्रस्तुत करेगी। यदि आय व्यय से कम होती है तो शेष राशि को निकसी उद्देश्यों के बारे में संवर्धनात्मक व्यय राशि माना जायेगा। वर्ष के दौरान 570.95 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 818.61 लाख रुपये के व्यय में से) निकसी की आय 1235.20 लाख रुपये है (पूर्व वर्ष 1801.17 लाख रुपये है)

### **56. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में व्यय राशि**

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में कोई व्यय राशि अलग से दर्ज नहीं की गयी है जोकि धारा 8 कम्पनी होने के कारण लागू नहीं होती है।

### **57. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर निकसी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत**

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये निकसी के कर्मचारियों को निकसी की सेवा नियमों के आधार पर छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में 1.89 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की है। निदेशक मण्डल की दिनांक 17.5.2006 को आयोजित उनकी 49वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों के आधार पर कंपनी द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति की गई है और उसे दिनांक 24.9.2010 को आयोजित 69वीं बैठक में संशोधित किया गया था, जोकि डीपीई/डीओटीपी के दिशानिर्देशों और सीसीएस के छुट्टी यात्रा रियायत नियमों के अनुसार नहीं है। उसके बाद इन सेवा नियमों को निकसी द्वारा 11.11.2014 को परिशोधन हेतु एनआईसी/डीईओटीवाई



को भेजा गया है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार वसूली किस्तों में की जायेगी। निकसी ने मई, 2015 में कर्मचारियों के वेतन से राशि की वसूली की है। इसके लिए कर्मचारियों ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में वसूली के लिए याचिका दायर की है और इस मामले में न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय देने तक दिनांक – 9.6.2015 के “आदेश” द्वारा कर्मचारियों से राशि की वसूली करने के संबंध में “रोक” लगा दी गयी है। अंत में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.3.2016 के अपने फैसले में निर्णय लिया कि सेवा शर्तें, जो अपीलकर्ता को निकसी में प्रतिनियुक्ति पर आवेदन करने के लिए प्रेरित करती है और एलटीसी के उदारीकरण विकल्प को चुनने की सुविधा प्रदान करती है, उसे रोका जाये। पर उस सुविधा का सतत् रूप से लाभ उठाया गया। उसके बाद एलटीसी के नियमों में संशोधन किया गया—जिस पर कोई विवाद नहीं था कि निकसी के मूल विनियम तथा उसमें किये गये संशोधन लागू रहेंगे। इन परिस्थितियों में सेवा की शर्तों में बदलाव किये बिना की जाने वाली वसूली को रोका नहीं जा सका। तदनुसार प्रतिवादी अर्थात् निकसी को 2010 से पूर्व प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार अधिक भुगतान की गयी राशि ही वसूल करने की अनुमति दी गयी है क्योंकि मौजूदा कुछ कर्मचारियों ने संगठन में अभी कार्यग्रहण किया अथवा जो 2010 के संशोधन के प्रतिकूल है। इस अपील को उस सीमा तक माना जाता है।

एमईआईटीवाई ने दिनांक 14.07.2016 के पत्र के द्वारा निकसी को यह निदेश दिया कि जो कर्मचारी अनियमित रूप से छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा ले रहे थे उन्हें आधिक्य भुगतान की वसूली करना जारी रखें। निकसी ने दिनांक 29.07.2016 के पत्र के द्वारा एमईआईटीवाई को यह सूचित किया कि चालू निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निकसी ने छुट्टी यात्रा रियायत के कारण कर्मचारियों को किए गए आधिक्य भुगतान की वसूली प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी है और उन्हें इसके संबंध में 29.07.2016 को कार्यालय ज्ञापन जारी भी किया जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया है कि यह वसूली अगस्त 2016 माह के वेतन से शुरू की जाएगी। इसके साथ – साथ दिनांक 16.08.2016 को निकसी द्वारा एमईआईटीवाई को यह मामला प्रस्तुत किया गया।

इसी बीच, प्रभावित कर्मचारी दिनांक 29.07.2016 के निकसी के उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वसूली पुनरु शुरू की गयी प्रक्रिया के विरोध में अवमानना याचिका दायर करके माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चले गए जिसमें निकसी तथा एमईआईटीवाई दोनों को प्रतिवादी बनाया गया। एमईआईटीवाई ने इस मामले पर पुनः विचार किया और निकसी को दिनांक 17.03.2017 की टिप्पणी द्वारा यह सलाह दी कि वह इस मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राप्त दिनांक 18.03.2016 के उक्त निर्णय का अनुपालन करें। एमईआईटीवाई के निर्देशों के आधार पर निकसी ने दिनांक 21.03.2017 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि एनआईसी/निकसी के कर्मचारियों द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की दावा की गई राशि की वसूली न की जाये और इसके अलावा उचित समय पर संबंधित अधिकारियों को पहले से वसूली की गई राशि की पुनः वापसी की जाये। प्रतिवादियों ने तदानुसार दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन की फोटोकॉपी को सुपुर्द करके, दिनांक 23.03.2017 को अपनी सुनवाई में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को इस निर्णय की सूचना दी। अवमानना याचिका को इस प्रकार संतुष्ट हो जाने पर निपटान किया गया माना गया और प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया गया कि वे दिनांक 21.03.2017 के कार्यालय ज्ञापन को तत्काल लागू करें।

#### **58. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को परियोजना प्रोत्साहन**

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2007–2008 से 2013–2014 तक के लिए एनआईसी से प्रतिनियुक्त पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को परियोजना, प्रोत्साहन के संबंध में 2.11 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, इसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2014–2015 के लिए लेखाओं में 44.84 लाख रुपये और वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए 45.80 लाख रुपये की राशि प्रदान की गयी है, जो निदेशक मंडल की दिनांक 22.12.2008 को आयोजित 60वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित नियमों पर आधारित है, जोकि डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नहीं है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर अनुमोदन लेने के लिए निकसी द्वारा इस मामले को एनआईसी/एमईआईटीवाई को प्रस्तुत किया गया

है। परियोजना प्रोत्साहन पर टी डी एस की कटौती वास्तविक भुगतान के समय की जायेगी। चूंकि इस मामले में अभी तक कोई फीडबैक नहीं मिले हैं इसलिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में परियोजना प्रोत्साहन राशि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

### **59. अनुदान सहायता परियोजना की उपयोग न की गयी निधि पर ब्याज**

वित्तीय वर्ष 2011-2012 तक, कम्पनी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए गारंटीकर्ता संस्थान से प्राप्त की गयी राशि को अनुदान सहायता प्राप्ति के रूप में उसे मानने के बदले "ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि" मान रही है और तदनुसार गारंटीकर्ता संस्थान को प्रयोग न की गयी निधि पर कोई ब्याज नहीं दिया गया। निदेशक मण्डल ने दिनांक 21.12.2011 को आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खाता में लागू ब्याज दर के अनुसार समय-समय पर अनुदान सहायता परियोजनाओं में उपलब्ध प्रयोग न की गयी निधि पर उपार्जित ब्याज राशि की गणना करने और उसकी वापसी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। तदनुसार कम्पनी ने गारंटीकर्ता संस्थानों को ब्याज राशि अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खातों में लागू ब्याज की दर की गणना कर उसकी वापसी की है जबकि गारंटीकर्ता संस्थानों द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं की प्रयोग न की गयी शेष राशि पर उपार्जित वास्तविक ब्याज राशि की वापसी करनी होगी।

निदेशक मंडल ने दिनांक 28.03.2017 को आयोजित अपनी 100वीं बैठक में, इस मामले पर पुनरु विचार किया है और निकसी को यह सलाह दी कि वे प्रोदभूत आधार पर अनुदान सहायता पर ब्याज की वापसी करें। तदनुसार निकसी उत्तरवर्ती वर्ष में वास्तविक आधार पर सरकार को अनुदान सहायता परियोजनाओं पर प्राप्त ब्याज राशि लौटाएगी।

### **60. शास्त्री पार्क, दिल्ली में पांचवें तल पर "किराये पर लिये गये स्थान में साज-सज्जा उपस्कर (सिविल/विद्युत) कार्य आदि"**

कम्पनी ने शास्त्री पार्क, दिल्ली में पांचवें तल पर साज-सज्जा फर्नीशिंग आदि का कार्य करवाने के संबंध में अप्रैल, 2013 में मैसर्स टीकेज को कार्य आदेश दिया। कुछ कारणों से मैसर्स टीकेज को दिये गये कार्य आदेश को बाद में नवम्बर 2013 में रद्द कर दिया गया और उसके पश्चात् उसे निदेशक मण्डल के अनुमोदन से नामांकन आधार पर शहरी विकास मंत्रालय (कार्य निर्माण प्रभाग) से प्राप्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर जनवरी 2014 में मैसर्स एनबीसीसी लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक सीपीएसई है, को प्रदान किया गया। एनबीसीसी ने तदनुसार निविदा प्रक्रिया के आधार पर चुने गये संविदाकार के माध्यम से साज-सज्जा का कार्य करना शुरू किया है और अभी यह कार्य पूरा हो गया है। अब दिनांक 11.07.2016 को उसके आईवीएफआरटी केंद्र के लिए निकसी द्वारा यह तल गृह मंत्रालय को दिया गया है।

### **61. एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता और मकान किराया भत्ता**

कम्पनी ने दिनांक 1.7.2007 से 31.03.2014 तक की अवधि के दौरान एनआईसी से प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले निकसी कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता के संबंध में 0.17 करोड़ रुपये और परिवहन भत्ता के संबंध में 0.49 करोड़ की आधिक्य राशि का भुगतान किया है। कम्पनी द्वारा निदेशक मण्डल की दिनांक 17.5.2006 को आयोजित 49वीं बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित सेवा नियमों के आधार पर इस राशि का भुगतान किया गया है जोकि भारत सरकार के नियमों के अनुसार नहीं है। निकसी द्वारा एनआईसी/एमईआईटीवाई को दिनांक 11.11.2014 को सेवा नियम परिशोधन हेतु भेजे गये हैं। इसके अलावा, इस मामले में फीडबैक मिलना शेष है। वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान कम्पनी द्वारा भुगतान भी किया गया है।

### **62. निकसी में निदेशक (वित्त)**

वर्ष 1995 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत रासूविकेन्द्र द्वारा कम्पनी की स्थापना की गयी है। तब से अपर वित्तीय सलाहकार (ए एफ ए) रासूविकेन्द्र, अतिरिक्त प्रभार के रूप में वित्त सलाहकार, निकसी

के कार्यकलापों को देख रहे हैं। निकसी के निदेशक मंडल ने 30.09.2016 को आयोजित अपनी 98वीं बैठक में, यह महसूस किया था कि निकसी की खरीद प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए और उपयुक्त जांच करने और शेष प्रणाली को बेहतर पद्धतियों के लिए शुरू किया जाये, निकसी के पास पूर्ण रूप से संपन्न वित्त प्रभाग है, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के सदस्य के रूप में पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) द्वारा अपेक्षित जनशक्ति की सहायता से की जाती है। दिनांक 26-12-2016 के पत्र के द्वारा एनआईसी की सूचना के अनुसार, निकसी ने दिनांक 23-05-2017 की कार्यालय आदेश संख्या 1 (1)/2017- प्रशासन के द्वारा दिनांक 23-05-2017 से पूर्णकालिक वित्तीय सलाहकार/लेखा नियंत्रक के रूप में महा प्रबंधक की नियुक्ति की है। इसे महानिदेशक एनआईसी तथा सचिव, एमईआईटीवाई द्वारा अनुमोदित भी किया गया है। निकसी के बोर्ड ने दिनांक 22-06-2017 को आयोजित अपनी 101वीं बैठक में इसके संबंध में अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत की है।

### 63. प्राप्ति योग्य व्यापार

निकसी एतद्वारा प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों तथा राज्यों/संघ शासित राज्य क्षेत्रों से बहुत-सी नई परियोजनाएं कार्यान्वित करती हैं। सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार, निकसी को 40 प्रतिशत तक अथवा इसी प्रकार की दी गई अग्रिम राशि को जारी करने के लिए उसे प्रतिबंधित करती है, जबकि बहुत से मामलों में मुख्य रूप से आई सी टी हार्डवेयर की प्राप्ति करने से संबंधित मामलों में निकसी को उन मदों की प्रदायगी/प्रतिस्थापन करने के पश्चात् और उसकी पूरी सीमा तक कार्य आदेश जारी करने होंगे। निकसी को कार्य आदेशों में दी गयी भुगतान शर्तों के अनुसार विक्रेताओं को भुगतान जारी करना होगा। इसके परिणामस्वरूप, बहुत से अवसरों पर, व्यापार प्राप्ति योग्य राशि को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 में दर्शाया गया, जिसमें 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 28130.13 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 18774.25 लाख रुपये) की व्यापार प्राप्ति योग्य राशि शामिल है, जिस पर निकसी द्वारा उसे वसूल करने के लिए संबद्ध विभाग/संगठन से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

### 64. आईटीएटी के पास आयकर छूट अपील

कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(क) के अधीन उसके पंजीकरण हेतु दिनांक 13.06.2013 को आयकर आयुक्त के पास आवेदन प्रस्तुत किया। तथापि, दिनांक 17.12.2013 के "आदेश" के द्वारा सक्षम प्राधिकारी ने इस अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया। निकसी ने तत्पश्चात् इस मामले में दिनांक 17.12.2013 के आदेश के मद्दे दिनांक 20.2.2014 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) नई दिल्ली के पास अपील दायर की। दिनांक 17.04.2017 के आदेश के अनुसार माननीय आईटीएटी ने निकसी हेतु धारा 12 ए के अधीन पंजीकरण प्रदान करने के लिए अनुदान देने का आयकर प्राधिकारियों को निर्देश दिया है। कंपनी ने आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए आयकर विभाग के पास एक आवेदन दायर किया है।

### 65. चालू तथा गैर-चालू परिसंपत्तियों तथा देयताओं का वर्गीकरण

कंपनी परिचालन श्रेणी के भीतर वसूलनीय क्षमता/भुगतान के अनुमान के आधार पर वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं का "चालू तथा गैर-चालू" के अंतर्गत द्विविभाजन की सुविधा प्रदान करती है।

### 66. डीएवीपी के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में निकसी द्वारा प्रकाशित "सूचना निविदाएं आमंत्रित (एन आई टी) करना"

दिनांक 1.4.2016 की स्थिति के अनुसार, डीएवीपी के पास प्रकाशनों के संबंध में निकसी की बकाया राशि में से 39.93 लाख रुपये की अग्रिम राशि मौजूद थी। वर्ष के दौरान, निकसी ने डीएवीपी को 6.37 लाख रुपये की ओर अग्रिम राशि

जारी की। वर्ष के दौरान समायोजन की गई राशि 18.90 लाख रुपये थी।

### 67. प्रतिधारण राशि

वर्ष 2016-17 के दौरान, कुछ विक्रेताओं ने नामिकाबद्धता की निबंधन और शर्तों के अनुसार निष्पादन बैंक गारंटियां प्रस्तुत नहीं कीं हैं, बल्कि कंपनी से अनुरोध किया कि वह अपनी भुगतान राशि से निष्पादन बैंक गारंटी के समतुल्य राशि को बरकरार रखे। तदनुसार 296.18 लाख रुपये (पूर्व वर्ष 371.57 लाख रुपये) को बनाए रखा गया है और एक प्रतिधारण राशि नामक नये शीर्ष में उसे स्थानांतरित किया गया है।

### 68. आयकर

आयकर का भुगतान (अनुसूची 13-वर्तमान कर परिसंपत्तियों) में वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2014-15 तक की वापसी के लिए टीडीएस/अग्रिम कर की कुछ शेष राशियां शामिल हैं। कंपनी ने वापिसी राशि/समायोजन के लिए आयकर विभाग के पास आवश्यक आवेदन दायर किया है। अंतिम प्रवेश, यदि कोई हो, वापिसी राशि/समायोजन के वर्ष में किया जाएगा।

### 69. अप्रचलित मदें

कम्पनी के पास दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्ति की कुछ अप्रचलित मदें हैं उन मदों का निपटारा करने की प्रक्रिया पर कारवाई चल रही है। उनके निपटान करने के समय तक, ऐसी परिसंपत्तियों के आगे ले गए मूल्य को अचल परिसंपत्ति में दर्शाया गया है और मूल्यहास को कम्पनी की लेखा नीतियों के अनुसार वसूल किया जा रहा है।

हमारी सम तारीख रिपोर्ट के अनुसार  
**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन

**नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के  
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से**  
सीआईएन : यू 74899डीएल1995एनपीएल072045

ह0/-  
**अजय रस्तोगी**  
भागीदार  
सदस्यता सं. 084897

ह0/-  
**मनोज कुमार मिश्रा**  
प्रबंध निदेशक  
डीआईएन: 03630471

ह0/-  
**डॉ अजय कुमार**  
अध्यक्ष  
डीआईएन: 01975789

ह0/-  
**डॉ. गिरीश कुमार**  
कंपनी सचिव  
एफसीएस: 6468

ह0/-  
**प्रदीप कुमार**  
वित्तीय सलाहकार  
व सनदी लेखकार

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 11-09-2017

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 08-09-2017

# स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

## नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के सदस्यों हेतु

### भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक (कंपनी) के संलग्न किए गए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें तत्कालीन समाप्त होने वाले वर्ष हेतु तुलना पत्र में आय व व्यय लेखा, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां व अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है।

### भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कि इस अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी में नकदी प्रवाह और परिवर्तन, कार्य स्थिति, आय और व्यय (जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है), के बारे में एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करे।

इन जिम्मेदारियों में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों का रखरखाव करना तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और उनको रोकने की प्रक्रिया, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और उन्हें लागू करना, अधिनिर्णय लेना, उचित और विवेक पूर्ण प्राक्कलन करना शामिल है तथा इसमें पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव करना, उसका डिजाइन बनाना और उसका कार्यान्वयन करना शामिल है जोकि भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उसको प्रस्तुत करने के संबंध में लेखा-रिकार्डों की यथार्थता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्य कर सके और जो एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करें तथा जो सामग्री का गलत विवरण न दे, चाहे वह धोखाधड़ी अथवा त्रुटियों के कारण हो।

### लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।

हमने इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इस अधिनियम की धारा 143 (11) के अधीन आदेशों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए अपेक्षित मानकों तथा मामलों की लेखा-परीक्षा तथा लेखा-नीति, इस अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखा है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। हम नीति विषयक अपेक्षाओं का पालन करते हैं और उनकी योजना बनाते हैं तथा इस तथ्य कि क्या भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण गलत वक्तव्यों से रहित है, के संबंध में उचित आश्वासन देने के लिए लेखा परीक्षा करवाते हैं जो कि इन मानकों में अपेक्षित है।

लेखा-परीक्षा में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रकटीकरण तथा राशियों के संबंध में लेखा-परीक्षा

साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को निष्पादित करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं जिसमें भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के जोखिमों का निर्धारण करना शामिल है, चाहे वे धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो। जोखिम निर्धारण करते हुए लेखा परीक्षक कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने पर विचार करता है, जोकि परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा-परीक्षा पद्धतियों को प्रस्तुत करने के संबंध में एक सही और उचित विचार प्रस्तुत करें, न कि इस विचार को व्यक्त करने के उद्देश्य से कि क्या कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशाली परिचालन प्रक्रिया मौजूद है। लेखा परीक्षा में प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना तथा कंपनी के निदेशक द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखा प्राक्कलनों की उपयुक्तता तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा-परीक्षा साक्ष्य भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे योग्य लेखा-परीक्षा के विचार का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

### **1. अनुदान सहायता के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 49 और 59 देखें।**

- (क) अनुदान सहायता परियोजनाओं के अलेखापरीक्षित लेखाओं को कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
- (ख) चालू वर्ष के दौरान, गारंटीकर्ता संस्थान द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार अनुदान सहायता परियोजनाओं की इस्तेमाल न की गयी निधियों पर उपार्जित वास्तविक ब्याज राशि के बदले प्रबंधन प्राक्कलन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये बचत बैंक खाते पर ब्याज दर के अनुसार वर्ष के दौरान उपार्जित ब्याज आय में से अनुदान सहायता परियोजनाओं पर आने वाली 499.10लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 786.85लाख रुपये) को कम किया गया है।
- (ग) वित्तीय वर्ष 2014-15 तक, कंपनी ने अनुदान सहायता परियोजनाओं में प्रदान किये गये बिक्री कर पर विचार किये बिना अनुदान सहायता परियोजनाओं की खर्च न की गई राशि पर ब्याज का भुगतान किया। वित्तीय वर्ष 2015-16 से कंपनी ने अपनी गणना की पद्धति में परिवर्तन किया है और ब्याज की गणना करते समय अनुदान सहायता परियोजनाओं में भुगतान किये गये बिक्री कर पर विचार किया है। पूर्व वर्ष की ब्याज भुगतान राशि पर उसके प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा के संदर्भ में मामले के संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।

### **2. परिचालन सीमांत राशि की पहचान करने के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 48 और 51 देखें।**

- (i) एमईआईटीवाई के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी अपनी आंतरिक परियोजना के संबंध में प्राप्ति पर एनआईसी से कोई परिचालन सीमांत राशि वसूल नहीं कर रही है।
- (ii) कंपनी परियोजना की लागत पर ध्यान दिये बिना डिजीटल हस्ताक्षर परियोजना पर 5% की दर से एकरूप परिचालन सीमांत राशि ले रही है।

(iii) परिचालन से प्राप्त राजस्व राशि में एनकेएन परियोजनाओं पर खर्च किये गये व्यय के प्रशासनिक प्रभारों के रूप में पहचान की गई 1% की दर से आय शामिल है। इस पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) का अनुमोदन मिलने पर कार्रवाई की जायेगी।

विवरण और प्रलेखन न होने के कारण, वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पूर्ववर्ती पैरा में दिये गये मामले का संपूर्ण प्रभाव का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।

3. "पंचायतों की परिसम्पत्ति मापन" के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परियोजना के बारे में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 52 देखें जिसकी कुल लागत 3238.99/-लाख रु. है। प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार निकसी की परिचालन सीमांत राशि 100.00 लाख रु. नियत की गई है। तथापि निकसी ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिचालन सीमांत राशि की दर के अनुसार वर्ष के दौरान परियोजना हेतु खर्च की गई व्यय राशि की 7% की दर पर अपनी आय प्रस्तुत की है। एमईआईटीवाई से फीडबैक प्राप्त नहीं हुये हैं।
4. हमारे विचार में परियोजना प्रबंधन, बुक कीपिंग, बीजक, प्राप्ति, भंडार, वस्तु-सूची, अचल संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन और कंपनी की निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणालियों/आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया उसके प्रचालन संबंधी कार्यों के आकार व प्रकृति के अनुरूप नहीं है।
5. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41 देखें। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशि के लिए ग्राहकों से प्राप्त अनुदान सहायता राशि और व्यापार देय राशि, व्यापार प्राप्ति योग्य राशि, ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि, बयाना जमा राशि, प्राप्तियों, प्रतिभूति जमा राशि के संबंध में शेष पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। पुष्टियाँ न मिलने के कारण, हम शेष राशि की यथार्थता और उसकी समायोजन क्षमता तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।
6. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 और संख्या 2 (xvii) के संबंध में लेखा नीति देखें। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों हेतु दीर्घावधि व्यापार प्राप्ति योग्य राशि के मद्दे 303.28 लाख रुपये की राशि (पूर्व वर्ष 271.48 लाख रुपये) की राशि का प्रावधान किया गया है। शेष पुष्टियाँ और उपयुक्त दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण, हम भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले उसके प्रभाव, यदि कोई है, और ऐसे प्रावधान की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।
7. साख टिप्पणी जारी करने के संबंध में लेखा नीति संख्या 2 (ix) देखें। ऐसी अधिव्यय आय के उत्क्रमण की पूर्णता के संबंध में उपयुक्त और पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण हम यथार्थता और पूर्णता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है।
8. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 65 देखें। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में चालू और गैर चालू के अंतर्गत परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गयी ऐसे द्विविभाजन हेतु उचित आधार दर्शाने वाले दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण हम ऐसे प्रकटीकरण की यथार्थता पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम हैं।
9. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 14 देखें। तुलन-पत्र की तारीख के अनुसार वसूलनीय कर राशि में वित्तीय वर्ष 1996-97 से 2013-14 के संबंध में 117.70 लाख रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए कार्य संविदा पर स्रोत पर कटौती किये गये कर के 117.70 लाख रुपये शामिल है। उपर्युक्त वसूलनीय क्षमता के बारे में पर्याप्त दस्तावेज न होने तथा उचित कारण का पता न होने के कारण, हम इन शेष

राशियों की यथार्थता और मौजूदगी तथा वित्तीय विवरणी पर उसके परिणामात्मकता संबंधी प्रभाव, यदि कोई है पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।

10. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 68 देखें। 6036.78 लाख रुपये की चालू कर परिसम्पतियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2014-15 तक स्रोत पर कटौती की गयी कर राशि/अग्रिम कर वसूली की कुछ शेष राशियां शामिल हैं। उपर्युक्त की वसूली करने के संबंध में उचित और पर्याप्त दस्तावेज न मिलने के कारण हम इन शेष राशियों की शुद्धता और मौजूदगी तथा भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण, यदि कोई है, पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव पर, यदि कोई है, टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
11. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 57 देखें। कंपनी द्वारा वर्ष 2010-11 से 2013-2014 तक की अवधि के दौरान एलटीसी भुगतान पर आने वाली राशि एमईआईटीवाई के अनुमोदन के बिना 1.89 करोड़ रुपये है। मामले पर अनुमोदन/उसे अंतिम रूप देने तक हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।
12. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें। कंपनी द्वारा वर्ष 2007-08 से 2015-2016 तक की अवधि के लिए प्रदान की गयी प्रदत्त परियोजना प्रोत्साहन राशि एमईआईटीवाई के अनुमोदन के बिना 3.02 करोड़ रुपये है। मामले पर अनुमोदन मिलने/उसको अंतिम रूप देने तक, हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।
13. भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 61 देखें। कंपनी द्वारा दिनांक 1.7.2007 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए परिवहन और गृह किराया भत्ता की भुगतान राशि, एमआईआईटीवाई के अनुमोदन/परिशोधन के बिना, प्रदान की गई/प्रदान की जा रही है। मामले पर अनुमोदन मिलने/उसको अंतिम रूप देने तक, हम कंपनी के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले प्रभाव, यदि कोई है, पर कोई टिप्पणी करने में असक्षम है।
14. अप्रचलित परिसंपत्तियों के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 69 देखें। कंपनी द्वारा आयोजित की गई अचल परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान कुछ परिसंपत्तियों की अप्रचलित/कार्य न करने के रूप में पहचान की गई है। उसके प्रभाव को भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में यह नहीं बताया गया है। दस्तावेज तथा विवरण प्राप्त न होने के कारण वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले परिणामात्मक प्रभाव व पता नहीं है और वह अनिश्चित है।
15. लाइसेंस शुल्क तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों की गणना करने की पद्धति और डीओटी द्वारा प्रस्तुत लाइसेंस शुल्क के बारे में 65445.02 लाख रुपये की तथा स्पैक्ट्रम प्रभारों के संबंध में 32383.09 लाख रुपये की मांग के संबंध में टिप्पणी सं. 47 देखें। कंपनी ने वर्ष के दौरान पिछली पद्धति के अनुसार डीओटी को लाइसेंस शुल्क और स्पैक्ट्रम प्रभारों के लिए भुगतान किया है/ भुगतान प्रदान किया है। क्योंकि भारत के माननीय सुप्रीम न्यायालय में यह मामला लंबित है। परिणामस्वरूप, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।
16. डीएवीपी के माध्यम से रोजमर्रा में "सूचना आमंत्रित करने वाली निविदाओं" को प्रकाशित करने के लिए अग्रिम राशि के संबंध में टिप्पणी संख्या 66 देखें। निपटान व समायोजन करने पर अग्रिम राशि प्रदान की गई है। वित्तीय विवरणों पर उसके परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का कोई पता नहीं है और वह अनिश्चित है।



17. अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 19 देखें जिसमें 1396.41₹- लाख रुपये बयाना जमा राशि की देयता शामिल है। पर्याप्त और उचित दस्तावेज/साक्ष्य न मिलने के कारण हम इस राशि की शुद्धता और पूर्णतया पर कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण पर पड़ने वाले उसके परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।
18. अन्य वित्तीय देयताओं की टिप्पणी संख्या 17 और 19 देखें जिसमें 51.46/- लाख रुपये देय प्रतिभूति जमा और 1396.41/- लाख रुपये की देय बयाना जमा राशि शामिल है जिसे वित्तीय देयताओं को प्रस्तुत करने के संबंध में महत्वपूर्ण लेखांकन नीति 2(vii) तथा (viii) के अनुसार उचित मूल्य पर तथा प्रस्तुत लागत पर आँका नहीं गया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर उसका परिणामात्मक प्रभाव, यदि कोई है, का पता नहीं है और वह अनिश्चित है।
19. कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा-विधि मानक) नियमावली 2015 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित भारतीय लेखा विधि मानक (भारतीय लेखांकन मानक) का अनुपालन नहीं किया है –
- नकदी प्रवाह विवरण देखें 3 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि पर वर्ष के शुरू में और उसकी समाप्ति पर नकदी समकक्ष राशि के रूप में विचार किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, भारतीय लेखा मानक-7 “नकदी प्रवाह विवरण” की अपेक्षा का अनुपालन नहीं हुआ है।
  - कंपनी ने भारतीय लेखा मानक-10 रिपोर्टिंग अवधि के बाद घटित होने वाली घटनाओं और आकस्मिकताओं की अपेक्षाओं के प्रकटीकरण का अनुपालन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने कुछ परियोजनाएं कार्यान्वित करने के लिए तीसरे दल की ओर से सेवा तथा सामग्री प्राप्त की है। हमें दी गयी सूचना के अनुसार, ऐसी व्यय और अर्जन राशि से संबंधित सूचना कई बार समाप्ति तारीख के पश्चात् प्राप्त होती है और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में उसकी पहचान नहीं की जाती है।
  - भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 2(ix) देखें, कंपनी की नीति के अनुसार बीजक तैयार करते समय माल की बिक्री पर राजस्व की पहचान की जा रही है, जबकि माल की स्वीकृति पर जोखिम और प्रतिफल ग्राहकों को अंतरित किये जाते हैं। यह भारतीय लेखा मानक-18 “राजस्व की पहचान” का अनुपालन न करने के कारण हुआ है।
  - ‘वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 37 देखें। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार पेंशन अंशदान और छुट्टी वेतन देयता हेतु प्रावधान को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, न कि उसे भारतीय लेखा मानक-19 “कर्मचारी लाभ (परिशोधित 2005)” की अपेक्षा के अनुसार किया गया है।
  - भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 38 देखें। कंपनी ने कंपनी के एकमात्र मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति को संबद्ध पार्टी के रूप में बताया है। कंपनी ने अन्य संबद्ध पार्टियों के साथ किये जाने वाले लेनदेनों की न तो जांच की है और न ही उसके बारे में बताया है। जिसके परिणामस्वरूप “संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण” पर भारतीय लेखा मानक-24 का अनुपालन नहीं हुआ है।

### उपयुक्त राय

हमारे विचार में और हमारी बेहतर सूचना के अनुसार तथा उपयुक्त पैराग्राफ “उपयुक्त विचार हेतु आधार” में वर्णित मामलों के संभव प्रभाव को छोड़कर, हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय

विवरण इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कार्य स्थिति के बारे में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी अधिशेष राशि (जिसमें अन्य व्यापक आम शामिल है) तथा उसकी नकदी प्रवाह राशि के बारे में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और उपर्युक्त विचार प्रदान करते हैं।

## अन्य मामले

हमारे विचारों में कोई बदलाव किये बिना हम इस तथ्य पर बल देते हैं कि –

- (क) कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन चालू करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए कंपनी को अपने साधनों को बढ़ाने हेतु अपनी अधिशेष राशि, यदि कोई है, के लिए आवेदन करना होगा। कंपनी ने उपार्जित लाभ के कारण 60578.14/-लाख रुपये (पूर्व वर्ष 54137.11/-लाख रुपये) की आरक्षित राशि संचित की है। संगम ज्ञापन (एमओए) में उल्लिखित अपने साधनों को बढ़ाने हेतु अपनी अधिशेष राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के संबंध में कंपनी की भावी योजनाओं के बारे में कोई उपयुक्त सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।
- (ख) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 63 देखें, कंपनी ने कुछ परियोजनाओं की स्थिति में प्रयोक्ता विभागों से प्राप्त की गयी अग्रिम राशियों में से अतिरिक्त व्यय राशि खर्च की है उसने निकसी को 40% अथवा जी एफ आर के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम राशि जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 9 देखें। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 28130.13/-लाख रुपये (पूर्व वर्ष 18774.25/-लाख रुपये) की दीर्घावधि व्यापार प्राप्ति योग्य राशि तथा 99,78,70,711/-रु0 (पूर्व वर्ष 86,73,52,208/-रु0) की अल्पावधि व्यापार प्राप्ति योग्य राशि कंपनी द्वारा वहन की गई ऐसी आधिक्य परियोजना व्यय राशि के कारण है।
- (ग) कंपनी अलग परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई राशि हेतु अलग से किसी बैंक खाता का रखरखाव नहीं कर रही है। इस प्रकार कंपनी लेखा सॉफ्टवेयर में प्रत्येक परियोजना हेतु अलग से परियोजना लेखा का रखरखाव कर रही है।
- (घ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 देखें: भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के संबंध में 931.50 लाख रुपये का वाहनधक विलेख एतद्वारा निष्पादन/पंजीकरण हेतु लंबित है।
- (ङ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 60 देखें। कंपनी द्वारा पॉचवॉ तल, (डीएमआरसी, आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, दिल्ली) में किराये पर लिये गये स्थान में साज-सज्जा उपस्कर निर्माण कार्य का अनियमित/अनुपयुक्त निष्पादन करने के कारण जी एफ आर के मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है और किराये पर लिये गये स्थान का कब्जा लेने में काफी विलम्ब हुआ है, जिसके कारण किराया और रखरखाव प्रभार राशि का अनुचित भुगतान हुआ है।
- (च) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 64 देखें। कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकरण हेतु 13.6.2013 को "आयकर आयुक्त" के पास आवेदन प्रस्तुत किया, तथापि "आयकर आयुक्त" द्वारा उस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। सी आई टी आदेश के मददे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पास कंपनी की अपील पर उसके पक्ष में निर्णय लिया गया है। अभी अपील आयकर विभाग के पास लंबित है।

- (छ) भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 32 देखें। पूर्वावधि व्यय/आय के संबंध में, कम्पनी ने उसे पूर्वावधि के रूप में त्रुटि अथवा चूक माना है।
- (ज) वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 53 देखें। हमें दी गयी सूचना के अनुसार, कम्पनी ने राष्ट्रीय जानकारी नेटवर्क एनएनएन के एनएनएन परियोजना के लिए खर्च की गयी वास्तविक व्यय राशि के बदले प्राप्त की गयी अग्रिम राशि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 1303/-करोड़ रुपये की राजस्व राशि की पहचान की। चालू वर्ष में, कम्पनी ने उपर्युक्त अग्रिम राशि में से खर्च की गयी व्यय राशि पर किसी आय की पहचान नहीं की है।
- (झ) भारतीय लेखांकन मानक 18 राजस्व पहचान के अनुसार, कम्पनी एजेंट के रूप में कार्य कर रही है क्योंकि अर्जित सम्पूर्ण राशि पूर्वानिर्धारित है जोकि प्रति लेनदेन नियत शुल्क हो सकती है अथवा ग्राहकों को दी गयी बिल राशि का प्रतिशत हो सकती है। मूल पर प्रदत्त और वसूल की गयी राशि राजस्व राशि नहीं है। तथापि, कम्पनी वसूल की गयी राशि को राजस्व के रूप में दिखला रही है। जिसके कारण भारतीय लेखांकन मानक 18 राजस्व पहचान की अपेक्षा का अनुपालन नहीं हो रहा है।
- (ञ) चालू वर्ष के लिए परियोजना प्रोत्साहन राशि का कोई प्रावधान न करने के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 58 देखें। जोकि डी पी ई के मार्गदर्शी सिद्धांतों की दिशा के अनुसार नहीं है।

#### अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

- कम्पनी को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अधीन परिचालित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है इसलिए इस अधिनियम की धारा 143 (II) की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनियाँ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण लागू नहीं होता है।
- इस अधिनियम की धारा 143(3) के द्वारा जैसा कि अपेक्षित है कि:
  - हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किये हैं जोकि उपर्युक्त अर्हता प्राप्त विचार के उपर्युक्त पैराग्राफ के आधार पर यथा उल्लिखित को छोड़कर हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
  - हमारे विचार में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से दिखाई देता है, कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियों को कम्पनी द्वारा रखा गया है।
  - तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा और नकदी प्रवाह विवरण तथा इस रिपोर्ट से संबंधित इक्विटी में परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तक के अनुरूप है।
  - हमारे विचार में अर्हता प्राप्त विचार के आधार में वर्णित मामलों को छोड़कर, पूर्वोक्त भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण इस अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक के अनुरूप है।
  - उपर्युक्त विचार में ऊपर दिये गये अर्हता प्राप्त विचार के आधार के अधीन उप पैरा 6 में वर्णित आंतरिक नियंत्रण का कम्पनी की कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - चूंकि यह कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए निदेशक की अयोग्यता के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना संख्या जी एस आर - 463 (ई) की शर्तों के अनुसार कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

- (छ) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता ऐसे नियंत्रणों की परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के संबंध में "अनुबंध क " में हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट को देखें। हमारी रिपोर्ट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की पर्याप्तता और परिचालन संबंधी प्रभावशीलता के बारे में अर्हता प्राप्त विचार प्रस्तुत किये गये।
- (ज) कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार में और हमको दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारी बेहतर सूचना के अनुसार:
- (i) कम्पनी ने (भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 33 देखें) अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में दर्शायी गयी अपनी वित्तीय स्थिति पर लम्बित वादों के प्रभाव के बारे में बताया है।
  - (ii) कम्पनी ने किसी दीर्घावधि संविदाओं को प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें गौण संविदायें शामिल हैं जिसके लिए किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्व देखी गई हानियाँ भी शामिल थी।
  - (iii) किसी भी प्रकार की ऐसी राशियाँ नहीं थी जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को आंतरिक करना अपेक्षित था।
  - (iv) कम्पनी ने 8 नवम्बर 2016 से 30 दिसंबर 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक टिप्पणियों में लेनदेन करने तथा उसे बनाये रखने के लिए अपनी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों में अपेक्षित प्रकटीकरण प्रस्तुत किया है और वह कम्पनी द्वारा रखे गये लेखा बहियों के अनुसार है। भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 10 देखें।
3. कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित हमारी अलग से दी गयी रिपोर्ट अनुबंध बी में संलग्न है।

**कृते गोयल गर्ग एण्ड कम्पनी**  
सनदी लेखाकार  
(फर्म पंजीकरण संख्या 000397एन)

ह0 / -  
(अजय रस्तोगी)  
भागीदार  
(सदस्यता संख्या. 084897)

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 11 सितम्बर, 2017

# नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक के वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा-परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय लेखांकन मानक कंपनी के वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा के सहयोजन से 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा-परीक्षा की है।

## आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने से संबंधित लेखा-परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव करने और उसकी स्थापना करने का जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में उसके कार्य व्यापार को प्रभावी रूप से चलाने तथा उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से परिचालित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया का डिजाइन, कार्यान्वयन करना तथा उसका रखरखाव करना शामिल है तथा इसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों का बचाव करना, धोखा-धड़ी तथा त्रुटियों को रोकना तथा उनका पता लगाना और लेखा रिकार्डों की यथार्थता तथा उनकी पूर्णता प्रस्तुत करना तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल है।

## लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार प्रस्तुत करना है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी की गई लेखा-परीक्षा से संबंधित मानकों तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणियों के अनुसार अपनी लेखा-परीक्षा आयोजित की और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किये गये तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए दोनों पर लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा करने के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित किये जाने के लिए डीम्ड माना जायेगा। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणियों में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं उनकी योजना बनाते हैं तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा-परीक्षा करते हैं और उसको प्रमाणित तथा उसका रखरखाव किया जाता है मानो कि ऐसे नियंत्रणों को सभी पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किया गया हो।

हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की यथार्थता से संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने तथा उनको प्रभावी रूप से लागू करने की पद्धतियों को प्रस्तुत करना भी शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के लिए हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना और समग्र कमजोरी होने के जोखिम को निर्धारण करना तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के प्रभावशीलता को शीघ्रता लागू करना, उसका परीक्षण करना, उसके डिजाइन का मूल्यांकन करना शामिल है। लेखा-परीक्षक के अधिनिर्णय पर निर्भर करते हुए चुनी गई पद्धतियों में वित्तीय विवरणों के गलत वक्तव्य, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, के जोखिम का निर्धारण करना भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये लेखा-परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अर्हता प्राप्त करने के विचार का आधार उपलब्ध करवाने हेतु उपयुक्त है।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतया स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों से वित्तीय विवरण तैयार करने तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया में उसकी नीतियां तथा पद्धतियां शामिल हैं। (1) रिकार्डों का रखरखाव करना, कंपनी की परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना तथा उसके लेन-देनों के उचित विवरण प्रदान करना, यथार्थ रूप से तथा स्पष्ट रूप से उनको प्रतिबिम्बित करना (2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिससे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक लेन-देनों को रिकार्ड किया जा सके और कि कंपनी की प्राप्ति और व्यय राशियों को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार प्रस्तुत भी किया जा रहा है। और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के प्रबंधन करने अथवा उसके अप्राधिकृत अर्जन करने तथा उसका इस्तेमाल करने के संबंध में समय पर उसका पता लगाने अथवा उसकी रोकथाम करने के संबंध में उचित आश्वासन देना जिसका भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर भरसक प्रभाव पड़ सकता है।

### **वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्वाभाविक सीमाएं**

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्वाभाविक सीमाओं के कारण तथा नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन अथवा उसको प्रस्तुत करने की संभावनाओं के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से गलत वक्तव्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं और उनका पता नहीं चलता है इसके साथ ही भावी अवधि के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय प्रक्रिया का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है, बशर्ते कि कोई जोखिम न हो, कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रक्रिया परिस्थित वश कोई बदलाव आने के कारण अथवा नीतियां अथवा पद्धतियों का अनुपालन होने के कारण, अपर्याप्त हो सकती है।

### **अर्हता प्राप्त विचार**

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है।

- (क) कंपनी के पास विक्रेताओं की शेष राशियों का मिलान करने/पुष्टि करने के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी जिसके कारण कंपनी की देय व्यापार राशियों में गलत वक्तव्य प्रस्तुत होने की संभावना पैदा हो गई।
- (ख) कंपनी के पास विक्रेताओं की कार्य निष्पादन बैंक गारंटी जारी करने की उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप बकाया विक्रेताओं से हर्जाने की वसूली नहीं हो पाई है।
- (ग) कम्पनी के पास ग्राहक विभाग द्वारा कम्पनी के बैंक में इलेक्ट्रॉनिकी के रूप से स्थानांतरित की गयी/सीधे जमा की गयी राशि के संबंध में उचित लेखा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप निधियों का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता तथा वह निधि बैंक में बेकार पड़ी रहती है।
- (घ) कंपनी के पास फिक्स्ड डिपॉजिट (सावधि जमा राशि) में आधिक्य राशि के निवेश पर एक उचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप संभावतया ब्याज से आय प्राप्त नहीं हो पाई।
- (ङ) कंपनी के पास प्रयोक्ताओं को विक्रेता द्वारा पूर्ति किए गए माल की प्रदायगी के सत्यापन हेतु एक उचित आंतरिक

नियंत्रण प्रणाली नहीं थी। जिसके कारण प्रयोक्ताओं से प्रत्यक्ष पुष्टि के बिना माल प्रदायगी की उचित निश्चितता जाने बिना कंपनी के द्वारा संभावतया राजस्व की पहचान हो सकी।

- (च) कम्पनी के पास ग्राहकों से देय राशि की वसूली करने के लिए नियमित अनुवर्ती कारवाई करने और उसकी वसूली हेतु उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है।
- (छ) कम्पनी के पास उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है जिससे कि सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुरूप कम्पनी द्वारा की गयी खरीद को सुनिश्चित किया जा सके। ओपन निविदाओं के बिना महत्वपूर्ण नीतियों के जरिये खरीद की जा रही है।
- (ज) कम्पनी के पास लिक्विडिटी क्षति को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध नहीं है इसलिए पूर्तिकार द्वारा आपूर्ति करने में होने वाले विलम्ब के सभी मामलों में कटौतियाँ की जाती है। जिसके परिणामस्वरूप, विलम्ब होने पर जुर्माना की कटौती किये बिना पूर्तिकारों को अधिक भुगतान हो जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के संबंध में 'महत्वपूर्ण कमजोरी' एक ऐसी कमी है अथवा कमियों का एक ऐसा संयोजन है जैसे कि वहां एक उचित संभावना बनी रहती है कि कंपनी के वार्षिक वित्त विवरणों के गलत वक्तव्यों को समय पर रोका अथवा उनका पता नहीं लगाया जायेगा।

हमारे विचार में नियंत्रण कसौटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण कमजोरियों के प्रभाव/संभव प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुसार रखरखाव किया है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से चल रही थी। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी की गई वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखने की लेखा-परीक्षा से संबंधित मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण रखने के महत्वपूर्ण संघटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण रखने के आधार पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली परिचालित थी।

हमने कंपनी के 31.03.2017 के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा करते हुए लागू लेखा-परीक्षा जांच की सीमा और उसकी प्रकृति व समय का निर्धारण करते हुए ऊपर बताई गई तथा पहचान की गई महत्वपूर्ण कमियों पर विचार किया है और इन कमियों का कंपनी के वित्तीय विवरणों से संबंधित हमारे विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 000397एन

ह0/-

**(अजय रस्तोगी)**

भागीदार

सदस्य संख्या : 084897

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 सितम्बर, 2017

# नेशनल इंफोमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक के भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर सम तारीख की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'बी'

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i)

के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

1. क्या कम्पनी के पास क्रमशः फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड के लिए स्पष्ट हकध लीज्ड विलेख उपलब्ध है, यदि नहीं, तो कृपया उस फ्री होल्ड और लीज्ड होल्ड भूमि का क्षेत्र बतायें, जिसके लिए हक/लीज्ड विलेख उपलब्ध नहीं है ।

हमें दी गयी सूचना के अनुसार कम्पनी के स्वामित्व में सभी परिसंपत्तियों की हक विलेख को लेखा परीक्षित विवरणों की टिप्पणी संख्या 42 में उल्लेखित को छोड़कर पंजीकृत किया गया है ।

2. कृपया बतायें कि क्या छोड़ने/बढ़े खाते में डालने/ऋण/लोन/ब्याज आदि का कोई मामला है, यदि हाँ तो, उसका कारण बतायें और उसमें शामिल राशि भी बतायें ।

हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार छोड़े गये/बढ़े खाते में डाले गये ऋण/लोन/ब्याज आदि का कोई मामला नहीं है । फिर भी, पार्टियों से कम्पनी द्वारा कटौती की गयी 30.04 / – लाख रुपये की प्रदायगी राशि पर जुर्माना राशि को छोड़ दिया गया है ।

3. क्या तीसरी पार्टियों के पास रखी गयी वस्तु सूचियों के लिए उचित रिकार्ड बनाये गये हैं और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में परिसंपत्तियाँ प्राप्त की गयी?

हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी से संबंधित कोई भी वस्तु सूचियाँ तीसरी पार्टियों के पास नहीं पड़ी हुई है और सरकारी अथवा अन्य प्राधिकारियों से कोई भी उपहार/अनुदान (अनुदानों) के रूप में हमें दी गयी सूचना के अनुसार कोई भी परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की गयी है । तथापि, अनुदान सहायता के अधीन प्रयोक्ताओं के लिए प्राप्त की गयी परिसंपत्तियाँ संबंधित प्रयोक्ता विभागों से संबंधित है, न कि कम्पनी से ।

**कृते गोयल गर्ग एंड कंपनी**

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या : 000397एन

₹0/-

**(अजय रस्तोगी)**

भागीदार

सदस्य संख्या : 084897

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 11 सितम्बर, 2017



**31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक.  
के वार्षिक विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(क) के अधीन भारत के  
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां**

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट की रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक/लेखा-परीक्षकों की यह जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा-परीक्षा मानकों के अनुसार की गई स्वतंत्र लेखा-परीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अधीन उनके वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करें। इसे दिनांक 11 सितम्बर 2017 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिज इंक. के वित्तीय विवरणों की इस अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखा परीक्षा को सांविधिक लेखा-परीक्षकों के कार्यगत कागजात के बिना स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित किया गया है और जिसे प्रारंभिक रूप से कुछ लेखांकन रिकार्डों की चयनात्मक परीक्षा करने तथा कंपनी के कार्मिकों और सांविधिक लेखा-परीक्षकों से पूछताछ करने के लिए सीमित किया गया है। मेरी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मेरी जानकारी में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जाये अथवा जो सांविधिक लेखा-परीक्षा के अनुपूरक हो।

**भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक  
के लिए और उनकी ओर से**

ह0/—

**(पी.के. तिवारी)**

लेखा परीक्षा के महानिदेशक  
(डाक व दूरसंचार)

स्थान : दिल्ली

दिनांक : 13.11.2017

# BOARD OF DIRECTORS

(As on 31-03-2017)

<b>Chairman</b>	:	Dr. Ajay Kumar Additional Secretary, MeitY
<b>Director</b>	:	Dr. M. R. Anand Senior Advisor, MeitY Shri R. K. Sudhanshu Joint Secretary, MeitY Ms. Anuradha Mitra Additional Secretary & FA, MeitY Dr. Neena Pahuja Director General, ERNET India Shri Sanjay Singh Gahlout Deputy Director General, NIC Shri Deepak Chandra Misra Deputy Director General, NIC Dr. Ranjna Nagpal Deputy Director General, NIC Shri Vishnu Chandra Deputy Director General, NIC & FA/CA, NICSI Shri P. V. Bhat, STD, NIC, Karnataka Smt. Shalini Mathrani, STD, NIC Shri Manoj Kumar Mishra, MD, NICSI
<b>Company Secretary</b>	:	Dr. Girish Kumar
<b>Auditors</b>	:	Goel Garg & Co., Chartered Accountants 18 Ground Floor, National Park, Lajpat Nagar - IV. New Delhi, Delhi-110024
<b>Registered Office</b>	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
<b>Bankers</b>	:	Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, Corporation Bank, Bhikaji Cama Place, State Bank of Travancore, Bhikaji Cama Place, Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, Bank of India, CGO Complex, Lodhi Road, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd.

# **BOARD OF DIRECTORS**

(As on 30-09-2017)

<b>Chairman</b>	:	Dr. Ajay Kumar Additional Secretary, MeitY
<b>Director</b>	:	Shri Sanjay Kumar Rakesh Joint Secretary, MeitY Ms. Anuradha Mitra Additional Secretary & FA, MeitY Dr. Debashsis Dutta Scientist G, MeitY Dr. Neena Pahuja Director General, ERNET India Shri Sanjay Singh Gahlout Deputy Director General, NIC Shri Deepak Chandra Misra Deputy Director General, NIC Dr. Ranjna Nagpal Deputy Director General, NIC Shri Vishnu Chandra Deputy Director General, NIC & FA/CA, NICS Shri P. V. Bhat, STD, NIC, Karnataka Smt. Shalini Mathrani, STD, NIC Shri Manoj Kumar Mishra, MD, NICS
<b>Company Secretary</b>	:	Dr. Girish Kumar
<b>Auditors</b>	:	Goel Garg & Co., Chartered Accountants, 18 Ground Floor, National Park, Lajpat Nagar - IV, New Delhi, Delhi-110024
<b>Registered Office</b>	:	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15th, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066
<b>Bankers</b>	:	Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, Corporation Bank, Bhikaji Cama Place, State Bank of Travancore, Bhikaji Cama Place, Punjab National Bank, Bhikaji Cama Place, Bank of India, CGO Complex, Lodhi Road, State Bank of India, Bhikaji Cama Place, New Delhi and ICICI Bank Ltd.

# **NOTICE**

## **22nd ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) that its 22nd Annual General Meeting is scheduled to be held on Monday 26th September, 2017 at 03:00 PM at Conference Room No. 4009 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, to carry out the following business:

### **ORDINARY BUSINESS**

1. To receive, consider and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2017, the Income and Expenditure Account of the Company for the year ended 31st March 2017, the Directors' Report along with the Auditor's Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.
2. To Fix the Remuneration of Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 142 of the Companies Act, 2013 for Financial Year 2016-17.

**For and on behalf of the Board of Directors  
National Informatics Centre Services Inc.**

**(Dr. Girish Kumar)  
Company Secretary**

Place: New-Delhi  
Date: 11.09.2017

### **NOTE:**

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself / herself.
2. As per rule 19(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, a member of a company registered under section 8 of the Companies Act, 2013 (erstwhile section 25 of the Companies Act, 1956) shall not be entitled to appoint any other person as his/her proxy unless such other person is also a member of such company.
3. This form of proxy in order to be effective should be duly completed and deposited at the registered office of the company, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

**For and on behalf of the Board of Directors  
National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-  
(Dr. Girish Kumar)  
Company Secretary**

Place: New-Delhi  
Date: 11.09.2017

# **NOTICE**

## **22nd ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given to the Members of National Informatics Centre Services Incorporated (NICS) that the 22nd Annual General Meeting will now be held on Friday 29th September, 2017 at 12:00 Noon at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003, instead of on Monday 26th September, 2017.

**For and on behalf of the Board of Directors  
National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-  
(Dr. Girish Kumar)  
Company Secretary**

Place: New-Delhi  
Dated: 25.09.2017

## **NOTICE**

Notice is hereby given that the adjourned 22nd Annual General Meeting of National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI) will be held on Thursday 30th November, 2017 at 12:00 Noon at Conference Room No. 4009, 4th Floor, Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

**National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-  
(Dr. Girish Kumar)  
Company Secretary**

To:  
The Chairman, NICSI  
All the Shareholders of NICSI  
All the Members of the Board

# Directors' Report

Dear Shareholders,

Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty Second Annual Report on the business and operations of the Company with the Audited Statement of Accounts and the Auditors' Report thereon for the Financial Year ended 31st March 2017.

The Summarized Financial Results for the year ended 31st March 2017, as compared with the earlier year 2015-16, is as under:

## (1) Financial Highlights

(Rupees in Crores)

S. No.	Description	2016-17	2015-16
<b>(A)</b>	<b>Receipts:</b>		
1	Stock & Sales	514.19	312.36
2	Services & Support	726.50	533.34
3	Operating Margin*	0.72	2.04
4	Interest / Other Income Less: Interest paid on Grant in Aid and NKN Projects amounting to Rs. 4.99 Crores. (P.Y. Rs. 7.82 Crores)	85.66	82.64
	<b>Total (A)</b>	<b>1327.07</b>	<b>930.38</b>
<b>(B)</b>	<b>Payments:</b>		
1	Cost of Goods Sold	486.69	296.78
2	Services & Support	638.22	458.10
3	Employees Remuneration and Benefits	9.94	7.45
4	Other Expenses	64.82	53.90
5	Depreciation	16.71	5.76
	<b>Total (B)</b>	<b>1216.38</b>	<b>821.99</b>
	<b>Gross Surplus (A) – (B)</b>	<b>110.69</b>	<b>108.38</b>
6	Less: Impairment of Property, Plant & Equipment.	1.51	-
7	Less: Impairment of Other Intangible Assets.	2.16	-
8	Provision for Tax	42.61	38.69
9	<b>Net Surplus</b>	<b>64.41</b>	<b>69.69</b>
10	<b>Reserves and Surplus as per last year Balance Sheet</b>	<b>541.37</b>	<b>471.68</b>
	<b>Total Reserves and Surplus (9+10)</b>	<b>605.78</b>	<b>541.37</b>

\* The above income is through Operating Margin (earlier known as administrative charges) on Projects from supply of Hardware Items other than Stock & Sales. The Operating Margin of NICSI w.e.f. 15.01.2015 is 5% or 7% depending upon the Value of Project.

## (2) Dividend

The company is registered under Section 25 of the Companies Act, 1956, (Now Section 8 of the Companies Act,

2013) and as per the provisions of the Section, the Company is prohibited from the payment of any dividend to its members.

### (3) Transfer to reserves

The Company has not transferred any amount to reserves.

### (4) Grading By DPE

#### (i) Process for Evaluation

- DPE issues Guidelines every year to enter into MoUs with Administrative Ministry i.e. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY).
- DPE set up Inter-Ministerial Committee (IMC) on MoU consisting following:

1	Secretary, DPE	Chairman
2	Secretary of concerned administrative Ministry / Department or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member
3	Secretary, Ministry of Statistics and Programme Implementation or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member
4	Additional Secretary, NITI Aayog or his representative not below the rank of Joint Secretary	Member
5	Secretary DPE may co-opt any officer who is a Finance Expert in case the need is felt.	
6	Joint Secretary / Adviser (MoU), DPE would provide secretarial support to the committee	

- Draft MoU, consisting of Financial and Non-Financial Parameters, is submitted by NICS I to its Board for approval before forwarding to DPE through MeitY.
- IMC negotiates the Parameters and fix the targets in the MoU in the meetings, in which JS Level Officer from MeitY/NIC and NICS I officials are present.
- MoU is signed between NICS I and MeitY.
- After closure of Financial Year, the Audited Accounts, duly approved by the Board, are submitted to DPE along with the details in the prescribed proforma.
- Based on above, DPE evaluates actual performance of NICS I against targets in the MOU and declare grading.

#### (ii) Grading of NICS I by DPE

Financial Year	MoU Composite Score based on Audited Data
2015-16	Excellent
2014-15	Excellent
2013-14	Very Good
2012-13	Very Good
2011-12	Very Good



- (iii) Early signs of weakness: NIL claims against the company not acknowledged as debt over previous year (raised by CPSEs and others).
- (iv) NICS I has complied with the additional eligibility criteria as mentioned in para 14.2 & 14.3 of the MoU Guidelines FY 2016-17, to the extent applicable.
- (v) Reduction in Trade Receivables of over 6 months over previous years was 6.99%.
- (vi) Completion of Clients Orders (of Rs. 10 Crores or more) without time overrun is 93.75% as per Annexure to the MoU for FY 2016-17.
- (vii) As per certificate received from M/s Rolta India ERP has been implemented in NICS I from 08.11.2016.

## **(5) Ongoing Projects in F.Y.2016-17**

### **National Knowledge Network (NKN Project)**

Initiated in 2009-10, NKN Project is approved by the Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) for a period of 10 years at a cost of around Rs.5990 crore. NIC is the Implementing Agency for this project, while NICS I assisting in procurement and providing IT Support. The Project is to establish high speed data communication network which would inter-connect institutions of higher learning and research to enable creation, acquisition and establishing of knowledge resources amongst them. It would also facilitate collaborative research, countrywide classrooms etc by commissioning links to the institutions connectivity to NIC District Centres, setting up Centres in the States/UTs.

### **e-Vidhan – a Green Governance Tool, Government of Himachal Pradesh**

NICS I continued providing support to e-Vidhan Project during the year which had made available all the documents related to the House to Hon'ble Members of the Legislative Assembly through touch screen installed at their tables and mobile apps. The activities in the project continued successfully by establishing linkage with the Hon'ble Governor of HP, CM Office and State Government's Departments/ Undertakings and also, its citizens.

### **KV 'Shaala Darpan' – Kendriya Vidyalaya Sangathan Ministry of HRD, Government of India.**

Under Digital India Vision, NICS I continued the activities in the project in around 1200 Kendriya Vidyalayas PAN India, with the objective of improving the quality of learning through efficiency of administration and their Governance, improve service delivery of school education department with the stake holders i.e. students, their parents, teachers and schools and provided access to near real-time for better quality data in decision making.

### **NICS I Data Centre (NDC) at Shastri Park**

NDC at Shastri Park, Delhi has been providing the services with disaster management facility to the Government Departments and their Organisations with State-of-art tier-III facility. The activities continued to function smoothly and successfully during the year.

## **DATA CENTRE at Laxmi Nagar**

NICSI has its own Data Centre at Laxmi Nagar. It is providing services to various government Ministries / Departments and their organisations in maintaining their data.

## **NICSI Development Centre**

The Development Centre on the 2nd floor at DMRC's IT Park, Shastri Park, Delhi with around 400 workstations continued to provide services to the Users in the Projects smoothly and satisfactorily.

## **(6) I. Other Projects from MeitY**

During the year, NICSI continued the activities under various projects from MeitY, as under:

<b>Project Name</b>	<b>Project in brief</b>
Collaborative Application Development Platform by opening the source code of Government Application	To create operational and legal framework for adoption of Source Open initiative.
Procurement of Various Items by National Centre for e-Governance Standards & Technology, New Delhi	To develop and adopt ICT Standards and Technologies for effective and efficient implementation of e-Governance projects.
Asset Mapping of Panchayats	To create awareness on significance of location of current assets and proposed assets in the locality to the citizens.
Digital Signature to Lok Sabha MP's	To develop login portals for Lok Sabha MP's with single sign-on facility.
Computerization of Central Administration Tribunal (CAT), Implementation of Case Management System (CMS)-2015	To improve Case Management System of CAT's Services and easy accessibility and timely availability of information for the stakeholders.
Pro-Active Governman and Time Implementation (PRAGATI)	To faster implement state level projects, central level schemes and resolution of grievances for strengthening of infrastructure required for organizing Vedio-conferencing Services for PRAGATI at NIC Hq. Delhi.
National Information Infrastructure to be implemented in six states.	To create an integrated and secured communication network from the current fragmented infrastructure that will provide data, voice and vedio services on the same platform.
Portal Development and Digital India Programme.	To develop a portal with advance features alongwith latest standards and also a role based access management system to provide secured, restricted access to different stakeholders.  To make site accessible on all platform like all major browsers etc.
Website Quality Evaluation	To provide counselling through dedicated experts in helping developer / Web Managers in formulating and also provide training to NICSI empanelled and other private vendors.

<b>Project Name</b>	<b>Project in brief</b>
e-Hospital	To implement cloud based e-Hospital / ORS/ e-Bloodbank through SaaS Model in Central & State Government Hospital across country.
Project Development of a Standard ICT Solution for Himachal Pradesh Public Service Commission.	To assist in development of standard ICT Solution for the State Public Service Commission.

## II. Major New Projects in F.Y. 2016-17

<b>User Name</b>	<b>Project Description</b>
<b>Ministry of Women &amp; Child Development.</b> NICSJ Proj. No.: C162644 HNND Cost : Rs.26.43 crore	IT Infrastructure for ICDS-CAS Software Application on NIC Cloud Information and Communication Technology enabled Real Time Monitoring (ITC-RTM) of ICDS under the ICDS Systems Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP) being implemented in 8 high malnutrition burdened States.
<b>Ministry of Health &amp; Family Welfare</b> NICSJ Proj. No. : C160952 GNND Cost : Rs.29.13 crore	Application Software Development, Security & Performance Audit, Training and Work-shops etc involving Servers, IVRS, SMS/USDD and Call Centre, for National Health Protection Scheme (NHPS) Project.  Purpose is Web-based Application and to manage Data of 40 crore NHPS beneficiaries, with PostgreSQL Support to them.
<b>Centre for e-Governance –Lucknow (UP)</b> NICSJ Proj. No.: S160256 GNUP Cost : Rs.29.12 crore	Providing Implementation /IT Manpower Support to SWAN PoPs in the Districts in UP with State funding.
<b>MyGov, New Delhi</b> NICSJ Proj.No.: D161106 MIND Cost : Rs.25.97 crore	Providing of National SMS Gateway Services to MyGov.
<b>RajCOMP Info Services Ltd, Rajasthan</b> NICSJ Proj. No.: S161720 MPRJ Cost : Rs.33.94 crore	Providing Implementation / Image Processing & Digitisation Support Services in Rajasthan State for Data Centres & other activities.
<b>Enhancement and upgradation of NIC Cloud Services.</b> NICSJ Proj.No. : I160683 GNND Cost : Rs.191.83 crore	Enhancement and upgradation of NIC Cloud Services at National Data Centres at Delhi, Pune and Hyderabad at a total cost of Rs.191.83 crore, with entire funding by NICSJ. It would impact on speeding up the development & implementation of e-Governance Applications at various levels of Government. This would lead to increase in Capacity of ICT Infrastructure, Enhancement of spectrum of Cloud Services, Automation of Services and Capacity building across the government.

<b>Ministry of Home Affairs</b> NICSI Proj.No. : C161399GNND Cost : Rs.40.00 crore	NICSI had hired 5 <sup>th</sup> floor at DMRC IT Park, Shastri Park, Delhi and after getting the interior furnishing work completed, has given the entire space with on chargeable basis to the Ministry of Home Affairs for implementation of its e-Tourist Visa Scheme for various countries to set up visa process limit support centre and sitting arrangements for other administrative activities.
<b>Establishing Wifi Campus LAN in various colleges across Jharkhand State</b> NICSI Proj.No. : S163170NWJH Cost : Rs.78.87 crore	Project is aimed that at facilitating the learning needs of various educational institutes by establishing seamless and secured wireless connectivity in each campus through scaling-up existing LAN infrastructure or lay new LAN facilities with Wifi access, provide internet connectivity through Wifi within various blocks in the campus etc.
<b>Banaras Hindu University</b> NICSI Proj.No. : C161537NWND Cost : Rs.33.21 crore	Scope of work is implementation of hotspot/ wifi campus connectivity as per specifications and to conduct gap analysis for additional equipments etc. required for satisfactory operation of hotspot/ wifi, etc.

## 7. Highlights for 2016-17

		<b>April 2016 to March' 2017</b>	<b>April 2015 to March' 2016</b>
a) Segment - wise breakup of new projects received:	Hardware Items	670	466
	Software Items	108	143
	Manpower	1710	1440
	Web/Soft Dev	162	127
	Training	NIL	NIL
	Network	382	124
	General Projects	382	443
	Other items	550	569
	<b>Total</b>	<b>3964</b>	<b>3312</b>
b) Segment-wise number of Work Orders issued:		<b>April 2016 to March' 2017</b>	<b>April 2015 to March' 2016</b>
	Hardware Items	2209	1521
	Software Items	205	241
	Manpower	5354	5655
	Network & Misc.	1802	1520
<b>Total</b>	<b>9570</b>	<b>8937</b>	
c) Proforma Invoice Issued	<b>No. of PI Issued</b>	<b>April 2016 to March' 2017</b>	<b>April 2015 to March' 2016</b>
	Hardware	4268	3764
	Software	690	733
	Manpower	7123	6220
	Network	2451	1937
	Miscellaneous	2796	1882
	<b>Total</b>	<b>17328</b>	<b>14536</b>

d) Tenders Floated		<b>April 2016 to March' 2017</b>	<b>April 2015 to March' 2016</b>
	No. of Open Tenders	26	36
	No. of Limited Tenders	08	04
	No of Strategic Alliances	25	Nil
	<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>40</b>

**Note:**

- (i) Number of New Orders of above Rs. 1 Crore received during the FY 2016-17 was 218.
- (ii) Number of Projects received during FY 2016-17 in difficult States like NE, J & K, Uttarakhand and HP was 240.
- (iii) % Increase in No. of e-Governance projects from Central/ State /UT Governments/Organisations over previous year was 19.69%.
- (iv) ERP Completion Certificate has been received from M/s Rolta showing completion date 08.11.2016.
- (v) The date of Empanelment of Manufactureres / Vendors of Hardware manufactured in India under "Make in India" Programme as per PMA Guidelines to boost indigenization was 15.12.2016.

**(8) Manpower**

As per the manpower profile approved by the government through notification in the Gazette of India, deputation of manpower in NICS I will be on temporary rotational deputation basis along with their posts from NIC.

The total staff strength of NICS I as on 31st March 2017 was 41.

**(9) Particulars of Employees**

None of the employees of the Company was in receipt of remuneration in excess of limits prescribed under rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

**(10) Corporate Social Responsibility**

National Informatics Centre Services Inc. (NICS I) is a Section 8 Company (Erstwhile Section 25 Company). NICS I's objective is to promote ICT Solutions and Technology and to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects and prohibited to pay any dividend to its members.

As per Section 135, read with Companies (CSR Policy) Rules, 2014 along with the Companies (CSR Policy) Amendment Rules 2015, Private Limited Companies under Section 8 (Erstwhile Section 25 Company), the Board of Directors of other Companies may decide to undertake its CSR activities approved by its CSR Committee through a registered trust or a registered society or a company under section 8 of the Act like NICS I.

Accordingly, in view of aforesaid provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules, Corporate Social Responsibility (CSR) activities are not taken as Dynamic Parameters by the Task Force Members appointed by Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industry & Public Enterprises, Government of India in the MoU entered into between MeitY and NICS I for the F.Y. 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

However, NICS I has created a corpus of Rs. 191.83 Crore to be incurred in five years exclusively for enhancement of National Informatics Centre Cloud Services for purposes relatable to subjects covered in Schedule VII of the Companies Act, 2013. During F.Y. 2016-17 Rs. 66.31 Crore has been incurred towards Redeployment of Surplus for ICT Infrastructure and Services towards enhancement of National Informatics Centre Cloud Services. Subsequently, the Board in its meeting held on 26th December, 2016 constituted CSR Committee comprising of the following members of the Board of Directors of the NICS I:

1. Shri R. K. Sudhanshu, IAS, Joint Secretary, MeitY    Chairman
2. Shri S.S. Gahlout, DDG, NIC    Member
3. Shri D.C. Misra, DDG, NIC    Member
4. Dr.(Mrs) Ranjna Nagpal, MD, NICS I & DDG, NIC    Member

The terms of reference of CSR Committee shall, inter-alia, include the following:

- To formulate and recommend to the Board, a CSR policy which shall indicate the activities to be undertaken by NICS I as per the Companies Act, 2013;
- To review and recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities to be undertaken by the company;
- To monitor the CSR policy of the Company from time to time;
- Any other matter as the CSR Committee may deem appropriate after approval of the Board of Directors or as may be directed by the Board of Directors from time to time.

The quorum for the CSR Committee Meeting shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one third be rounded off as one) or two members, whichever is higher.

The Company Secretary to NICS I shall act as Secretary to the CSR Committee.”

## **(11) Corporate Governance**

Corporate Governance is an ethically driven business process that is committed to values aimed at enhancing an organisation’s brand and reputation. This is ensured by taking ethical business decisions and conducting business with a firm commitment to values. At NICS I, it is imperative that our company affairs are managed in a fair and transparent manner. This is vital to gain and retain the trust of our stakeholders.

**(i) Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2016-17**

S. No.	FY 2015-16	Date	Venue
1	97th	23.06.2016	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
2	Extraordinary General Meeting	11.08.2016	National Informatics Centre, A-Block, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003.
3	98th	30.09.2016	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
4	Annual General Meeting	30.09.2016	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
5	99th	26.12.2016	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
6	100th	28.03.2017	Ministry of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003

**(ii) Number of Board Meetings and General Meetings Convened in Financial Year 2015-16**

S. No.	FY 2015-16	Date	Venue
1	91st	23.04.2015	Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
2	92nd	13.05.2015	Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
3	Extraordinary General Meeting	10.07.2015	Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
4	93rd	27.07.2015	Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
5	94th	23.09.2015	NICSI H.Q. Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066
6	Extraordinary General Meeting	02.11.2015	Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
7	95th	18.12.2015	Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003

<b>S. No.</b>	<b>FY 2015-16</b>	<b>Date</b>	<b>Venue</b>
8	96th	18.03.2016	Department of Electronics and Information Technology, Electronics Niketan, Conference Room No. 4009, 4th Floor, 6, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi -110003
9	20th Annual General Meeting	23.09.2015	NICSI H.Q. Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110066

## **(12) Audit Committee**

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute an Audit Committee under Section 177 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014. However, the Board of Directors in its meeting held on 26th December, 2016, keeping in view of good governance practices, advised to constitute the Audit Committee comprising the following:

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Shri R. K. Sudhanshu, IAS, Joint Secretary, MeitY | Chairman |
| 2. | Shri S.S. Gahlout, DDG, NIC                       | Member   |
| 3. | Shri Vishnu Chandra, DDG & AFA, NIC & FA, NICSI   | Member   |

The Audit Committee to review NICSI Financial and Audit matters and ensure that NICSI follow prescribed financial rules and regulations; and

The Company Secretary to NICSI shall act as Secretary to the Audit Committee.”

## **(13) Declaration by Independent Directors**

The Company was not required to appoint Independent Directors under Section 149(4) and Rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 hence no declaration has been obtained.

## **(14) Company’s policy on directors’ appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of section 178**

The Company, being a wholly owned Government Private Limited Company was not required to constitute a Nomination and Remuneration Committee under Section 178(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 and Stakeholders Relationship Committee under Section 178(5) of the Companies Act, 2013.

## **(15) Extract of the Annual Return in Form MGT-9**

Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014. Form MGT 9 i.e. Extract of Annual Return is placed at Annexure.



**(16) Material Changes and Commitments affecting financial position between the end of financial year and date of the Board report**

There have been no material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the Company which have occurred between the end of the financial year of the Company to which the financial statements relate and the date of the report.

**(17) Change in the nature of business**

There is no change in the nature of business of the company.

**(18) Annual Accounts for the Financial Year 2016-17 as per Ind AS**

Annual Accounts for the Financial Year 2016-17 has been prepared as per Ind AS. In this regard, a Certificate dated 11th September, 2017 has also been received from M/s K M G S & Associates, Chartered Accountants, Basement, 18, National Park Lajpat Nagar- IV, New Delhi – 110024.

**(19) The Conservation of Energy, Technological Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo**

The information on Conservation of Energy and Technological Absorption is NIL. Foreign Exchange earnings was NIL and outgo of the company during the year was Rs. 31.23 Lakh (On accrual basis).

**(20) Particulars of loans, guarantees or investments under section 186 of the Companies Act, 2013**

During the year under review, the Company has not advanced any loans/ given guarantees/ made investments.

**(21) Related Party Transactions**

Particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the form AOC-2 of the Companies (Accounts) Rules, 2014

Related party transactions that were entered into during the financial year were on an arm's length basis and were in the ordinary course of business.

Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014:

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis: Nil
2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis: Nil

**(22) Significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future**

During the year under review there has been no such significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

**(23) Subsidiary Company**

As on March 31, 2017, the Company does not have any subsidiary.

## **(24) Auditors**

M/s. Goel Garg & Co., Chartered Accountants, 18, Ground Floor, National Park, Lajpat Nagar-IV, New Delhi – 110024 were appointed by the Comptroller and Auditor General of India as Statutory Auditors of the Company u/s 139 of the Companies Act, 2013, to audit the accounts for the year ended 31st March 2018.

## **(25) Directors' Responsibility Statement**

Pursuant to the requirement under section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the company hereby state that:

- a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- e) the Directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively.
- f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## **(26) Acknowledgement**

The Board places on record its gratitude to acknowledge the cooperation, assistance and guidance extended to the Company by Central and State Government Ministries/Departments / Organizations and PSUs etc. including NIC and MeitY. The Directors are also grateful to the Comptroller and Auditor General of India and Auditors for their cooperation. The Board expresses its sincere gratitude to the members, bankers and clients for their continued support. The Board also wholeheartedly acknowledges with thanks the dedicated efforts of all the staff and employees of the Company.

**For and on behalf of the Board of Directors  
of National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-  
Chairman**

**Place: New Delhi**

**Date: 29th September, 2017**

## Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN  
as on the financial year ended on 31.03.2017

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies  
(Management and Administration) Rules, 2014]

### I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i)	CIN	U74899DL1995NPL072045
ii)	Registration Date	29.08.1995
iii)	Name of the Company	National Informatics Centre Services Incorporated
iv)	Category / Sub-Category of the Company	Private Limited Section 8 (Erstwhile Section 25) Company under National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India
v)	Address of the Registered office and contact details	Hall No. 2 & 3, 6th Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 Tel.: 91-11-26105054, 26105193 Fax: 91-11-26105212
vi)	Whether listed company Yes / No	No
vii)	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	Nil

### II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the company shall be Stated:

Sl.No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/Service	% to total turnover of the company
1	ICT Solutions – Hardware and Software		41.45
2	Manpower, Network and Others		58.55

### III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

S. No.	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING/ SUBSIDIARY/ ASSOCIATES	% of shares held	Applicable Section
1			NIL		

#### IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

##### (i) Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A. Promoters</b> (1) <b>Indian</b> a) Individual/HUF <b>b) Central Govt</b> c) State Govt (s) d) Bodies Corp. e) Banks / FI f) Any Other.... <b>Sub-total (A) (1)</b>	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
(2) <b>Foreign</b> a) NRIs -Individuals b) Other Individuals c) Bodies Corp. d) Banks / FI e) Any Other.... <b>Sub-total (A) (2)</b>	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
<b>Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)</b>	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL
<b>B. Public Shareholding</b> <b>1. Institutions</b> a) Mutual Funds b) Banks / FI c) Central Govt d) State Govt(s) e) Venture Capital Funds f) Insurance Companies g) FIs h) Foreign Venture Capital Funds i) Others (specify) <b>Sub-total (B)(1)</b>	Not Applicable								
	Not Applicable								

<b>2.Non-Institutions</b> a) Bodies Corp. i) Indian ii) Overseas b) Individuals i) Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh c) Others (specify) <b>Sub-total (B)(2)</b>	Not Applicable								
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	Not Applicable								
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	Not Applicable								
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	NIL	200000	200000	100	NIL	200000	200000	100	NIL

**(ii) Shareholding of Promoters**

Sl. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Share holding at the end of the year			
		No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	No. of Shares	% of total Shares of the company	%of Shares Pledged / encumbered to total shares	% Change in share holding during the year
1	President of India through NIC	200000	100	NIL	200000	100	NIL	NIL
	<b>Total</b>	<b>200000</b>	<b>100</b>	<b>NIL</b>	<b>200000</b>	<b>100</b>	<b>NIL</b>	<b>NIL</b>

**(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)**

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
2	At the beginning of the year	No Change			
3	Date wise Increase / Decrease in Promoters Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
4	At the end of the year				

**(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

Sl. No.	For Each of the Top 10 Shareholders	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
	At the beginning of the year	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	Not Applicable			
	At the End of the year ( or on the date of separation, if separated during the year)				

**(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

Sl. No.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the Year	
	For Each of the Directors and KMP	No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NIL			
	Date wise Increase /Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year				

**V. INDEBTEDNESS**

**Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment**

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
<b>Indebtedness at the beginning of ASQthe financial year</b> i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due	Not Applicable			
<b>Total (i+ii+iii)</b>				
<b>Change in Indebtedness during the financial year</b> • Addition • Reduction				
Net Change				
<b>Indebtedness at the end of the financial year</b> i) Principal Amount ii) Interest due but not paid iii) Interest accrued but not due				
<b>Total (i+ii+iii)</b>				

## VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

### A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/Manager	Total Amount
		(i) Shri Rajesh Bahadur, MD (01.04.2016 to 26.12.2016) & (ii) Shri Manoj Kumar Mishra (15.02.2017 to onwards)	(i) Rs. 22.87 Lakh (P.Y. Rs. 20.85 Lakh) per annum (ii) Rs. 3.97 Lakh (P.Y. NIL)
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	<p>NICSI is promoted by Government of India through National Informatics Centre (NIC), as a Private Limited Section 25 Company (Now Section 8 Company). As per Article 59(i) of the Articles of Association of the company, the Managing Director shall be appointed by the Director General, NIC on behalf of the President of India by deputing suitable officer of NIC.</p> <p>The Managerial Remuneration for Financial Year 2016-17 to Shri Rajesh Bahadur, Managing Director (01.04.2016 to 26.12.2016) of the Company was Rs. 22.87 Lakh (P.Y. Rs. 20.85 Lakh) and Shri Manoj Kumar Mishra, Managing Directors (15.02.2017 to onwards) of the Company is Rs. 3.97 Lakh (P.Y. NIL) only.</p>	
2	Stock Option	Not Applicable	
3	Sweat Equity		
4	Commission - as % of profit - others, specify...		
5	Others, please specify Total (A) Ceiling as per the Act		
	<b>Total (A)</b>		
	Ceiling as per the Act		

### B. Remuneration to other directors

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount	
	3. Independent Directors ...Fee for attending board / committee meetings ...Commission ...Others, please specify	----	----	----	----	
	<b>Total (1)</b>	Not Applicable				
	4. Other Non-Executive Directors ...Fee for attending board / committee Meetings ...Commission ...Others, please specify					
	<b>Total (2)</b>					
	<b>Total (B)=(1+2)</b>					
	<b>Total Managerial Remuneration</b>					
	<b>Overall Ceiling as per the Act</b>					

**C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD**

Sl. No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO	Company Secretary	CFO	Total
1	Gross salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961 (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961 (In Rs.)	The Remuneration for Financial Year 2016-17 to Company Secretary of the Company is Rs. 7,20,500/-		Not Applicable	7,20,500/-
2	Stock Option	Not Applicable			
3	Sweat Equity				
4	Commission - as % of profit - others, specify...				
5	Others, please specify				
	<b>Total</b>				<b>7,20,500/-</b>

**VII. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES**

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty / Punishment/ Compounding fees imposed	Authority [RD / NCLT/ COURT]	Appeal made, if any (give Details)
Penalty			NIL		
Punishment					
Compounding					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty			NIL		
Punishment					
Compounding					

**For and on behalf of the Board of Directors  
of National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-  
Chairman**

**Place: New Delhi**

**Date: 29th September, 2017**



# National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI)

## Addendum to the Directors Report for Financial Year 2016-17

Replies to the Observations of the Statutory Auditors in their Report dated 11.09.2017

from M/s. Goel Garg & Company, Chartered Accountants

on the Accounts of NICSI for F.Y.2016-17

	AUDIT OBSERVATION	NICSI REPLY
1	Reference is invited to the note no.49 and 59 of the Ind AS financial statements, regarding Grants-in-aid.	
	a) The unaudited accounts of grant-in-aid projects have been incorporated in the Ind AS financial statements of the Company.	<p>NICSI has been implementing a number of grants in aid projects from some Ministries / Departments since its inception. Earlier, as per the approval of the Board of Directors, the fund received as grants in aid was being treated by NICSI as 'Advance' and hence, the Audit of individual project was not being got done. Subsequently, the Board of Directors, in its 75th meeting held on 21.12.2011, had re-considered the matter and in view of the provisions in the terms &amp; conditions in the sanctions for release of grants-in-aid towards getting the accounts of each project audited, had approved to get the Accounts audited every year for each project through a CA firm. Accordingly, the audit of grants in aid projects, is thereafter, being got done by NICSI on continuous basis through a CA firm and the Audit Certificates issued.</p> <p>The Board of Directors, in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICSI to get the Audit of all Grants in Aid Projects completed before the completion of Statutory Audit for each year, so that the para is not repeated.</p>
	b) During the current year, the interest on Grant-in-Aid projects amounting to Rs. 499.10 Lakhs/- (Previous year Rs. 786.85 Lakhs) has been reduced from interest income earned during the year as per the interest rate on saving bank account given by the public sector banks based on the management estimation instead of actual interest earned on unutilized funds of Grant –in – aid projects as per the terms & conditions laid down by grantor institution.	<p>NICSI has been implementing a number of grants in aid projects from some Ministries / Departments since its inception. Earlier, as per the approval of the Board of Directors, the fund received as grants in aid was being treated as 'Advance' and hence, the interest earned by NICSI was neither calculated nor refunded to the grantor departments. Subsequently, the Board of Directors, in its 75th meeting held on 21.12.2011, had re-considered the matter and in view of the provisions in the terms &amp; conditions in the sanctions towards release of grants-in-aid about refund / adjustment of interest earned, had approved to calculate the interest on the unspent amount available from time to time in each grants in aid project as per the Savings Account Policy of the Public Sector Banks.</p>

		Accordingly, NICS I has refunded/provided Rs.499.10 lakh as interest, which includes NIL for the previous years and Rs.499.10 lakh for FY.2016-17.
	<p>c) Till FY 2014-15, the Company paid interest on unutilized amount of Grants-in-Aid projects without considering service tax paid in Grants-in-Aid projects. From the FY 2015-16 Company has changed its method of calculation and considered Service tax paid in Grants-in-Aid projects while calculating interest. The effect of same on previous year's interest payment has not been worked out.</p> <p>The overall impact of matters referred to in the preceding para on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable.</p>	Till F.Y. 2014-15, NICS I had not taken Service Tax paid on Advances as expenditure (as it was to be adjusted against payments to be released in future) and interest on unutilised amount of grants-in-aid was calculated on entire amount. From F.Y.2015-16, the Service Tax paid on Advances has been treated as expenditure and interest paid on net unutilised amount. Grantor department has not pointed out any irregularity on the same in earlier years. Infact, NICS I has refunded some excess amount towards interest by earlier method during F.Y.2012-13 to 2014-15. Auditors conducted the grants in aid audit had also accepted the method during these years and certificates issued by them accepted by grantor department. In future also, Service Tax amount being paid on Advances would continue to be deducted from the unutilised amount in the project, while calculating interest for refund to grantor department.
2	Reference is invited to note no. 48 and 51 of	Ind AS financial statements on recognition of operating margin
	i) The company as per MeitY approval, has not been charging any operating margin from NIC on the procurement towards their internal project.	Secretary, MeitY had taken a meeting on 26.05.2014 on the issues relating to clarity of "Roles" between NIC & NICS I in regard to procurement of ICT Solutions for the Government Sector. In the meeting, it was decided that the procurements made by NICS I for NIC's internal requirement projects would be exempted from the payment of Operating Margin. In this regard, NIC had issued a Circular, vide No. G-30012/02/2014/IFS dated 18.06.2014, which mentioned that "procurements made by NICS I for NIC's internal requirements would be exempted from payment of Operating Margin".
	ii) The Company, has been taking a uniform operating margin @5% on digital signature project irrespective of project cost.	This is being recognised as per Note 51 of the Financial Statements.
	iii) Revenue from operation includes income recognized @ 1% as administrative charges of expenditure incurred on NKN Project. The same is subject to Ministry of Electronics & Information Technology ('MeitY') approval.	The Board of Directors, in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICS I to provide its approval to the Audit for recognising income at 1% as its Operating Margin so that the para is not repeated.

	In the absence of documentation and details, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable.	The position is clarified against each in the foregoing sub-paras.
3	Reference is invited to note no. 52 of Ind AS financial statements regarding MeitY project of "Asset Mapping of Panchayats" having total cost of Rs. 3238.99 Lakhs and the Operating Margin of NICSI, as per Administrative Approval is fixed at Rs. 100.00Lakhs. The Company has taken its income at 7% of expenses incurred for the project during the year as per the rate of operating margin approved by the Board. Feedback from MeitY is not received.	NICSI had taken up the matter with MeitY, vide letter dated 10.09.2015, to amend the Administrative Approval to the extent that NICSI would be charging its Operating Margin @ 7% in the project as per the rate approved by its Board of Directors. A reminder to the same had been issued by NICSI to MeitY on 28.07.2016 and another reminder also issued on 27.07.2017.  The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICSI to follow-up with MeitY to approve applicable rate of Operating Margin in the project, keeping in view that the project is now taken over by the Ministry of Panchayati Raj, so that the para is not repeated.
4	In our opinion, internal controls/internal audit systems in relation to, project management, book keeping, invoicing, procurement, stores, inventory, physical verification of fixed assets and tendering process of the company are not commensurate with the size and nature of its operations.	NICSI has internal control system through Delegation of Powers and other guidelines from the Board of Directors from time to time. All the activities of NICSI are got performed within those approved guidelines.  Further, NICSI has been empanelling its Internal Auditors through tender process from time to time, which have been conducting the audit as per the scope of work given and issuing the Reports on quarterly basis. The shortcomings have not specifically been pointed out in this Report and these are general comments. Proper accounting and other procedures are being followed towards purchase of goods, stores, inventory, fixed assets, book keeping etc.
5	Reference is invited to note no.41 of the Ind AS financial statements, balance confirmations have not been received from Trade Payables, Trade Receivables, Advances received from customers, Earnest Money Deposits receipts, Security deposits and Grants-in-aid received for balance outstanding as at March 31, 2017. In the absence of confirmations, we are unable to comment on the accuracy of the balances and adjustment thereof, along with impact, if any, on Ind AS financial statements.	NICSI issues Balance Confirmation Letters to all the Debtors, Creditors etc. from time to time. It is a regular feature that the Users / Customers of NICSI, all being Government Ministries / Departments / Organisations are issued such letters but no response is received against the same. NICSI has also issued such letters during F.Y. 2016-17 but the same position exists. Recently, NICSI has set up a Cell to pursue these Outstanding Debtors from the concerned Departments / Organisations and it is likely that the position would improve in future.

6	<p>Reference is invited to Note 9 to the Ind AS financial statements and accounting policy No. 2(xvii), Provision for bad and doubtful debts as on balance sheet date amounting to Rs.303.28 Lakhs (Previous YearRs.271.48 Lakhs) created against trade receivables.</p> <p>In the absence of balance confirmations and proper documentation, we are unable to comment on the adequacy of such provision and impact thereof, if any, on Ind AS financial statements.</p>	<p>The "Provision towards Bad &amp; Doubtful Debts" had been made for the first time for F.Y.2012-13, based on the 'Policy' approved by the Board of Directors in its 81st meeting held on 20.03.2013. However, as mentioned in the foregoing para, since balance confirmations are not received, NICSI does not have any further comment in the matter.</p> <p>The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, advised NICSI to examine the complete details and to bring to the Board with details of the efforts made in recovering the old outstanding amounts, especially more than 10 years old. A proposal be thereafter submitted to NICSI Board for consideration to write-off the amounts, if any.</p>						
7	<p>Reference is invited to accounting policy no. 2(ix) regarding credit note issued. In the absence of sufficient documentation in relation to completeness of reversal of such excess income, we are unable to comment on the accuracy and completeness. Impact of same on the Ind AS financial statement is unascertainable and unquantifiable.</p>	<p>In F.Y. 2016-17, NICSI has taken its Operating Margin @ 5 or 7 % of the total cost of the project, as approved by its Board of Directors. During the year, some orders were cancelled by the user departments and accordingly sales were reversed by issuing credit notes. Further, in some projects, the rate of operating margin was changed due to increase in the Project Cost hence credit notes were issued to maintain the correct Operating Margin.</p> <p>The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after deliberations advised NICSI to charge Operating Margin as follows:</p> <table border="1" data-bbox="797 1119 1464 1549"> <thead> <tr> <th>Project Value</th> <th>% of Project Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Up to Rs. 50 Crore</td> <td>7 % [While implementation of the project, if value of the project decreases or equivalent to Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 7% only]</td> </tr> <tr> <td>Above Rs. 50 Crore</td> <td>5 % [While implementation of the project, if value of the project increases Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 5% only on the value in excess of Rs. 50 Crore]</td> </tr> </tbody> </table>	Project Value	% of Project Value	Up to Rs. 50 Crore	7 % [While implementation of the project, if value of the project decreases or equivalent to Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 7% only]	Above Rs. 50 Crore	5 % [While implementation of the project, if value of the project increases Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 5% only on the value in excess of Rs. 50 Crore]
Project Value	% of Project Value							
Up to Rs. 50 Crore	7 % [While implementation of the project, if value of the project decreases or equivalent to Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 7% only]							
Above Rs. 50 Crore	5 % [While implementation of the project, if value of the project increases Rs. 50 Crore, NICSI will charge Operating Margin with prospective effect @ 5% only on the value in excess of Rs. 50 Crore]							
8	<p>Reference is invited to note no. 65 of the Ind AS financial statements, Companies Act, 2013 requires classification of Assets and Liabilities into current and non-current. In absence of documentary evidence showing reasonable basis for such bifurcation disclosed in the Ind AS financial statements, we are unable to comment on accuracy of such disclosure.</p>	<p>The classification of Assets &amp; Liabilities into current and non-current has been done with the approval of FA, NICSI and MD, NICSI, based on expectations.</p> <p>The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after deliberations advised NICSI to go through the relevant provisions related to the matter and based on that, a document be created and shown to the Audit, so that the para is not repeated.</p>						

9	Reference is invited to note no. 14 of the Ind AS financial statements, Taxes Recoverable as on balance sheet date includes Sales tax recoverable balance of Rs. 117.70 Lakhs which pertains to financial year 1996-97 to 2013-14 and TDS on works contract Rs. 2.34 Lakhs for FY 2000-01. In the absence of reasonable and sufficient documentation in relation to recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any.	The long outstanding Sales Tax cases have been followed up and are still being followed by NICSi with the concerned Tax Authorities regularly. However, the Tax Authorities are yet to take final decision in the matter.  The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICSi to pursue vigorously with the concerned Tax Authorities for early settlement of the old outstanding Tax amounts, so that the para is not repeated.
10	Reference is invited to note no. 68 of the Ind AS financial statements regarding current tax assets of Rs. 6036.78 Lakhs which includes certain balances of TDS/Advance tax refundable from FY 2007-08 to 2014-15. In the absence of reasonable and sufficient documentation in relation to recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any	NICSi would be pursuing the matter with the concerned Tax Authorities for early settlement of its applications.
11	Reference is invited to note no. 57 of the Ind AS financial statements regarding LTC payment by the Company in the period 2010-11 to 2013-14 amounting to Rs. 1.89 Cores without approval of MeitY. Pending approval/finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, of the matter on the Ind AS financial statements of the Company.	The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICSi to follow-up with MeitY for early ratification of its Service Rules, so that the C&AG's Office could be provided a copy of the same, towards settlement of the para.
12	Reference is invited to note no. 58 of the Ind AS financial statements regarding project incentive paid/provided by the Company for the period 2007-08 to 2015-16 amounting to Rs. 3.02 crores without approval of MeitY/NIC. Pending approval/finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company.	NICSi had received a Draft Audit Para (DAP) in the matter from the Post & Telecommunications Audit Office. Additional Secretary, MeitY, vide D.O. dated 02.07.2015, had informed to the DG Audit, P&T, the details in the matter and the peculiar circumstances, under which an incentive was being given to NICSi employees.

		<p>In-between, the Report of the C&amp;AG of India (No. 55 of 2015) for the year ended March, 2014 (Communications &amp; IT Sector), presented to Parliament on 11.03.2016, had been received in NICS, which related to irregular payment of Project Incentive/HRA/Transport Allowance/LTC to NICS employees. IFD, MeitY, vide O.M. dated 24.06.2016, had forwarded the relevant extracts from the Report (Para No. 5.6) to NICS, with the request to provide the reply by 04.07.2016 for vetting, before sending the Action Taken Note (ATN) to the O/o the DG Audit, P&amp;T. NICS, vide letter dated 04.07.2016, had furnished the reply on the para to IFD, MeitY for vetting and forwarding to the P&amp;T Audit Office. IFD, MeitY, vide letter dated 02.08.2016, had forwarded the reply to the P&amp;T Audit office, after getting the same vetted from NIC.</p> <p>No provision has however, been made in the Ind As Financial Statements for FY.2016-17 towards Project Incentive to be paid to the employees.</p>
13	<p>Reference is invited to note no. 61 of the Ind AS financial statements regarding payment of Transport and House Rent Allowance being paid/provided by the Company from 01.07.2007 to 31.03.2017 without approval/rectification by MeitY. Pending finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company.</p>	<p>NICS had received a Draft Audit Para (DAP) in the matter from the Post &amp; Telecommunications Audit Office. Additional Secretary, MeitY, vide D.O. dated 28.08.2015, had informed to the DG Audit, P&amp;T, the details in the matter and the peculiar circumstances, under which a small incentive was being given to NICS employees.</p> <p>In-between, the Report of the C&amp;AG of India (No. 55 of 2015) for the year ended March, 2014 (Communications &amp; IT Sector), presented to Parliament on 11.03.2016, had been received in NICS, which related to irregular payment of Project Incentive/HRA/Transport Allowance/LTC to NICS employees. IFD, MeitY, vide O.M. dated 24.06.2016, had forwarded the relevant extracts from the Report (Para No. 5.6) to NICS, with the request to provide the reply by 04.07.2016 for vetting, before sending the Action Taken Note (ATN) to the O/o the DG Audit, P&amp;T. NICS, vide letter dated 04.07.2016, had furnished the reply on the para to IFD, MeitY for vetting and forwarding to the P&amp;T Audit Office. IFD, MeitY, vide letter dated 02.08.2016, had forwarded the reply to the P&amp;T Audit office, after getting the same vetted from NIC.</p>

14	<p>Reference is invited to note no. 69 of the Ind AS financial statements regarding Obsolete Assets, During the physical verification of fixed assets conducted by the Company, some assets are identified as obsolete/non-working. Effect of the same has not been provided for the Ind AS financial statements. In the absence of documentation and details, consequential impact on the Ind AS financial statement for year is not ascertainable and quantifiable.</p>	<p>The obsolete and unserviceable items earlier identified for disposed off during F.Y.2016-17 and the amount of Rs.6,31,500/- received by NICS I on 08.07.2016 from M/s. JAINEEX Computer Pvt. Ltd. However, action is in process to dispose off the obsolete and unserviceable items of Assets further identified.</p>
15	<p>Reference is invited to note no. 47 regarding method of calculating License Fee and Spectrum Charges and demand of Rs.65445.02 lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09Lakhs towards Spectrum Charges raised by DOT, the Company has paid/provided for the License Fee and Spectrum Charges to DOT during the year as per past practice. As the matter is pending in Hon'ble Supreme Court of India consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.</p>	<p>Hon'ble Court of India, in its interim judgement dated 29.02.2016, had decided as under:          "The Union of India will continue to raise demands as per its understanding. However, the same will not be enforced till the final decision of the controversy by this Court".</p> <p>As per said judgement, DoT, vide its DO dated 10.05.2016, has informed NICS I that Assessment shall continue to be made in accordance with the terms and conditions of the relevant Licence Agreement, the Department's guidelines / inspections / clarifications issued from time to time, as is being done hither to, until further orders.</p> <p>Accordingly, NICS I is calculating and remitting the Licence Fee and Spectrum Charges to DoT as per the Agreement dated 20.11.2009 and clarifications related thereto.</p> <p>Further to above, NICS I had received 2 letters both dated 09.02.2017 from the O/o the Principal Chief Controller of Accounts (Pr.CCA), DoT to deposit the amounts of around Rs.654.45 crore towards outstanding Licence Fee and Rs.323.83 crores towards Spectrum charges for the period from FY.2009-10 to 2015-16.</p> <p>NICS I had taken up the matter with MeitY, based on which Secretary, MeitY had informed the details to Secretary, DoT vide D.O. dated 14.03.2017, with the request to revise the said demand. Secretary, MeitY has again taken up the matter with Secretary, DoT vide D.O. dated 18.09.2017. Further feedback in the matter is however, awaited.</p>

16	<p>Reference is invited to note no. 66 regarding advance for publishing of "Notice Inviting Tenders" in the dailies through DAVP. The advance given is subject to settlement and adjustment. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.</p>	<p>NICSI gets all its Advertisements towards tenders etc. published in the Newspapers through DAVP only. As per its Policy, DAVP publishes the Advertisements after getting advance in lumpsum from the Organisations giving Advertisements. After receipt of advance and publishing of the Advertisements, DAVP raises the bill on its site for adjustment by the concerned Organisations. NICSI has also been following the same practice and on display of the bills by DAVP on its site, NICSI adjusts the advance in its books.</p> <p>The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICSI to show to the Auditors print out of the bills &amp; other documents from the DAVP site towards adjustment of advances, so that the para is not repeated.</p>
17.	<p>Reference is invited to note no. 19 Other Financial Liabilities which includes liability of Earnest money Deposit of Rs. 1396.41 lakhs. In the absence of sufficient and reasonable documentary evidence, we are unable to comment on completeness and accuracy of this amount. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.</p>	<p>The amount of Rs.1396.41 lakhs towards Earnest money Deposit reflected in the Accounts is accurate.</p> <p>The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICSI to examine and settle the outstanding amounts, so that the para is not repeated.</p>
18	<p>Reference is invited to note no. 17 and 19 other financial liabilities include securities deposit payable Rs. 51.46 Lakhs and Earnest Money Deposit Payable Rs. 1396.41Lakhs which are not measured at amortized costs or at fair value as per Significant Accounting Policy 2(vii) and (viii) regarding measurement of financial liabilities. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.</p>	<p>The amounts of Rs.51.46 lakhs towards Security Deposits payable and Rs.1396.41 lakhs towards Earnest Money Deposit payable provided are accurate. However, the periodicity of refund of these amounts depends on the provisions in the respective Bid documents.</p> <p>The Board in its 103rd meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICSI to examine and settle the outstanding amounts, so that the para is not repeated.</p>
19	<p>The Company has not complied with the following Indian Accounting Standards (IndAS) prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. -</p>	



	<p>i) Reference is invited to the Cash Flow Statement, fixed deposits with maturity period of more than 3 months have been considered as Cash Equivalents at the beginning and at the end of the year. This is resulting in non-compliance with requirement of Ind AS 7 "Statement of Cash Flows".</p>	<p>The position has been reflected as per Ind AS7 "Statement of Cash Flows".</p>
	<p>ii) The company has not complied with disclosure requirements Ind AS 10 "Events after the Reporting Period", as the Company receives service and material on behalf of third party to carry out certain projects. Sometimes, as informed to us, information related to such expense and acquisition comes after closing date and the same has not been recognized in the Ind AS financial statements.</p>	<p>NICSI continues to receive the bills from the vendors after 31<sup>st</sup> March every year and based on that, the entries are made in the accounts for the bills received after 31<sup>st</sup> March till the closure of the financial statements for that year.</p>
	<p>iii) Reference is invited to the note no. 2(ix) of the Ind AS financial statements; as per the Company's policy, revenue on sales of goods is being recognized at the time of generation of invoice, whereas, the risk and reward are transferred to customers on acceptance of goods. This is resulting in non-compliance of Ind AS 18 Revenue Recognition.</p>	<p>As per practice, NICSI has been recognising its revenue at the time of generation of invoice towards sale of goods.</p>
	<p>iv) Refer note no. 37 of the Ind AS financial statements, provision for pension contribution and leave salary liability as at March 31, 2017 has been made on the basis of guidelines issued by the Central Government and not as per requirement of Ind AS 19 Employee Benefits.</p>	<p>As per the provisions in Government of India Notification dated 03.03.1998, all the officers in NICSI are on rotational deputation from NIC along with their posts. In those cases, the guidelines towards payment of Leave Salary Contribution and Pension Contribution of the Government of India are applicable. The amounts are thus calculated at the rates prescribed by Government of India and paid to NIC accordingly.</p>
	<p>v) Reference is invited to the note no.38 of the Ind AS financial statements; the Company has disclosed only key managerial person of the Company as a related party. The company has not examined and disclosed the transactions with other related parties. This has resulted in non-compliance with Ind AS 24 Related Party Disclosures.</p>	<p>The Managing Director is the related party getting remuneration from the company. No other Director or Share Holder is getting paid any remuneration by the company. Same position existed in the previous years also.</p>

	<p><b>Qualified Opinion</b></p> <p>In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matters described in the 'Basis for Qualified Opinion' paragraph above, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2017, and its surplus (including other comprehensive income) and its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.</p>	
	<p><b>Other Matters -</b> Without qualifying our opinion, we lay emphasis that-</p>	
	<p>a. The Company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013, the company has to apply its surplus, if any, in promoting its objects. The company has accumulated reserves of Rs. 60578.14 Lakhs (PYRs. 54137.11 Lakhs) on account of surplus earned. No proper information is readily available with regard to future plans of the company with respect to application of its surplus in promoting its objects as mentioned in Memorandum of Association ('MOA').</p>	<p>NIC had formulated a SFC Memorandum on <b>"Enhancement of NIC Cloud Services"</b> in August, 2015. This Memorandum was considered by the Standing Finance Committee (SFC) in its meeting held on 15.10.2015 and approved with entire project outlay of Rs. 191.83 crores (Rs.128.90 crores as Capital and Rs. 62.93 crores as Operational) to be met by NICS I in a period of 5 years, out of its <b>"Reserves"</b>. MeitY had issued the Minutes on 19.10.2015 towards the approval of the Project in the SFC meeting held on 15.10.2015. During the year, NICS I has incurred expenditure of Rs. 66.31 Crore and earned revenue of Rs 0.86 crore in the project.</p>
	<p>b. Reference is invited to note no. 63 of the Ind AS financial statements, the company has incurred extra expenditure than the advances received from user departments in case of some projects, as they restrict the release of advances to NICS I to 40% or so as per GFR provisions. Reference is also invited to note no. 9 of the Ind AS financial statements, amount of trade receivables of Rs. 28130.13 Lakhs (PYRs. 18774.25 Lakhs) as at March 31,2017 is on account of such excess project expenditure incurred by the Company.</p>	<p>As per the provisions in the General Finance Rules, 2005, various Ministries / Departments / Organisations have been restricting the release of advances upto 40% or so of the total cost of the project, whereas NICS I has to issue the work orders to the empanelled vendors to full extent. After the order is executed, the vendors submit the bills to NICS I for payment and based on that, NICS I requests the User Organisations to release the balance payments. Due to delay in receipt of balance funds from the User Departments/Organisations, the balance in the projects results in negative, as NICS I has to release the payments to the vendors, as per the terms and conditions of empanelment/work orders.</p>

		The Board in its 103 <sup>rd</sup> meeting held on 29.09.2017, after considering the matter, advised NICS I to get the outstanding amounts pursued vigorously by the cell constituted at NICS I with the concerned user departments/ organisations towards recovery of amount outstanding at the earliest, so that the para is not repeated.
	c. The Company is not maintaining separate bank accounts for money received for separate projects. Though, the company is maintaining a separate project account for each project in the accounting software.	NICS I receives a large number of new projects every year. During F.Y.2016-17 itself, NICS I has received 3964 new projects for implementation from various Ministries/ Departments/ Organisations of the Government of India / States / UTs. It is neither a requirement to have separate bank account for each project nor it is feasible. However, the Board of Directors of NICS I, in its 100 <sup>th</sup> meeting held on 28.03.2017, has decided to open separate Bank Accounts for each grants in aid project and action is in process towards the same.
	d. Reference is invited to the note no. 42 of the Ind AS financial statements, conveyance/ title deeds in respect of office building at Bhikaji Cama Place, New Delhi of Rs. 931.50 Lakhs are pending for execution/ registration.	NICS I has taken up the matter with NBCC, as well as with Land & Development Office under Ministry of Urban Development (GoI) from time to time but the registration of the Deed is yet to be done. NICS I would be following up the matter further with the concerned authorities to get the deeds registered at the earliest.
	e. Reference is invited to note no. 60 of the Ind AS financial statements, due to irregular/improper execution of interior fit out works at hired accommodation at 5 <sup>th</sup> floor (DMRCIT Park, Shastri Park, Delhi) by the company in contravention of GFR guidelines and resultant delay in occupation of hired accommodation leading to unfruitful payment of rent and maintenance charges.	With the approval of Board of Directors, NICS I had placed Work Order on a firm for Interior & Furnishing works at 5 <sup>th</sup> floor, Shastri Park, Delhi. Subsequently, as per the Board decision, NICS I had to cancel that Work Order and had placed fresh Work Order to M/s. NBCC Limited for the same. The interior and furnishing work thereat is since complete and the space is handed over to Ministry of Home Affairs on 11.07.2016 to locate its Immigration Visa, Foreigners Registration and Tracking (IVFRT) Centre.

	<p>f. Reference is invited to note no. 64 of the Ind AS financial statements, the Company had filed an application with the commissioner of income tax on 13/06/2013 for its registration under section 12A of the Income Tax Act,1961. However the same application was rejected by the commissioner of income tax. The company's appeal with the Income Tax Appellate Tribunal, New Delhi against CIT order has been decided in favour. Appeal effect is still pending with income tax Department</p>	<p>The Company has since filed the application with Income Tax Department to give Appeal effect.</p>
	<p>g. Reference is invited to Note no. 32 of Ind AS financial statements, in relation to prior period expenses/income, the Company has treated only errors or omissions as prior period.</p>	<p>The Company has treated errors &amp; omission only as prior period in the Ind AS Financial Statements. However, there is no prior period during the year.</p>
	<p>h. Reference is invited to note no.53 of the Ind AS financial statements, as per information provided to us the company recognized revenue of Rs. 1,303 crores during FY 2010-11 on the basis of advances received instead of actual expenses incurred for National Knowledge Network 'NKN' Project. In the current year, the Company has not recognized any income on the expense incurred out of above advances.</p>	<p>Towards NKN Project, NICS I had inadvertently taken its income in FY.2010-11 on the advances of around Rs.1303.83 crores, treating it as an expenditure. All these advances are since adjusted.</p>
	<p>i. As per Ind AS 18 Revenue Recognition, the company is acting as an agent as the amount the entity earns is predetermined, being either a fixed fee per transaction or a stated percentage of the amount billed to the customer. The amounts collected and paid on behalf of the principal are not revenue. However the Company is showing amount collected as revenue. This is resulting in non-compliance with requirement of IND AS 18 Revenue Recognition.</p>	<p>The Company has been taking its Operating Margin from the Users as per the rates approved by its Board of Directors from time to time and reflecting in the accounts accordingly.</p>
	<p>j. Reference is invited to note no. 58 of the Ind AS financial statements regarding non provision of project incentive for the current year as the same is not in line with DPE Guidelines.</p>	<p>No provision has been made in Ind AS Financial Statements towards Project Incentive to NICS I employees, as the scheme is under consideration of the Government of India.</p>

	<b>Report on Other Legal and Regulatory Requirements</b>	
1.	The Company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act,2013,therefore,the disclosure required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act is not applicable.	No comments.
2.	<b>As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:</b>	
	a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as mentioned in basis of qualified opinion paragraph above.	No comments
	b) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as mentioned in basis of qualified opinion paragraph above.	No comments
	c) The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, and the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account.	No comments
	d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.	No comments
	e) The internal controls described in sub paragraph 6 under the basis for qualified opinion above, in above opinion, may have adverse effect on the functioning of the company;	
	f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;	No comments

	g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;	No comments
	h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:	
	i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements(Refer Note no. 33 to the Ind AS financial statements);	No comments
	ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.	No comments
	iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.	No comments
	iv. The company has provided requisite disclosures in its Ind AS Financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8 <sup>th</sup> November,2016 to 30 <sup>th</sup> December,2016 and these are in accordance with the books of accounts maintained by the Company. Refer Note No. 10 to the Ind AS financial statements.	No comments
3.	Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as annexure B.	No comments

# ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

## Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act").

<p><b>Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting</b></p> <p>A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable details, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.</p>	<p>No comments, being general.</p>
<p><b>Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting</b></p> <p>Because of the Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial over financial reporting</p>	<p>NICSI is a Section 8 Company set up by the Government of India under the Companies Act, 2013 (earlier known as under Section 25 Company). All its employees are on rotational deputation basis, alongwith their posts, as per the Government of India Notification dated 03.03.1998.</p> <p>NICSI has its Board of Directors under the Chairmanship of Additional Secretary, Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY),</p>

	<p>to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changed in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.</p>	<p>with all other Directors also being from the Government. Its Board of Directors formulates various guidelines / policies, which are followed by NICSI without any deviation. The Board has also approved the internal Delegation of Powers, which is completely followed in NICSI, while incurring any expenditure. The provisions as per GFRs, 2005, as well as the guidelines issued by the Department of Expenditure (DoE) and the Central Vigilance Commission (CVC) were also kept in view while incurring the expenditure.</p> <p>NICSI Accounts branch is headed by a senior level officer in the rank of General Manager (equivalent to Director in the Government of India) with a Dy. Manager and Chartered Accountants, apart from the support staff.</p> <p>Further, NICSI has a CA firm as its an Internal Auditors, which is empanelled based on tender process as per the provisions in the said GFRs. This firm conducts the Audit on quarterly basis and submits its Reports. NICSI examines the same and takes appropriate action / remedial measures on all the paras in the Reports and also, bring the main points from these Reports to the Board of Directors for their consideration and advice.</p> <p>Thereafter, the Statutory Auditors conduct the office on those accounts and submits their Reports on Annual basis. NICSI's accounts are also inspected by the teams from the C&amp;AG office.</p> <p>In view of above, it is not correct to say that Internal Financial Control in NICSI is inadequate or may become inadequate.</p>
<p><b>Qualified Opinion</b> According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2017 .:</p>		
	<p>a) The Company did not have an appropriate internal control system for reconciliation/ confirmation of vendor balances. These could potentially result in material misstatements in the Company's trade payables.</p>	<p>NICSI Accounts sends Balances Confirmation Letters to all the Users Departments / Organisations with the request to confirm the balances. These are also followed-up by the concerned Project Coordinators through correspondence and personal discussions. It is incorrect to say that it may potentially result in material misstatement.</p>



	<p>b) The Company did not have an appropriate internal control system on releasing of performance Bank Guarantees of vendors. These could potentially result in non recovery of damages from defaulting vendors.</p>	<p>NICSI has full-proof internal control system on releasing of expired Performance Bank Guarantees of the Vendors and reviewed the same from time to time for necessary action. It is incorrect to say that it may potentially result in non recovery of damages from defaulting vendors.</p>
	<p>c) The Company did not have an appropriate internal control system to ensure proper accounting of amount directly deposited/ electronically transferred in bank of Company by the client department. These could potentially result inefficient utilization of Fund and fund lying idle in Bank.</p>	<p>The Company receives amounts through RTGS / NEFT from the User Departments/Organisations. However, since the complete details are not reflected in the RTGS / NEFT nor received from the Users, it becomes difficult for the Company to identify/link the amounts received to the related projects. Efforts are subsequently made to link those amounts with the related projects and since, it takes time the amounts remain unidentified for a certain period. NICSI would, however make more efforts in future in linking such amounts to the related projects.</p>
	<p>d) The Company did not have an appropriate internal control system on investment of excess funds in fixed deposits. These could potentially result in loss of interest income.</p>	<p>NICSI continuously takes stock of its surplus funds viz.viz its requirements and after taking internal approvals, invest the same in the Fixed Deposits (FDs). These FDs are so prepared that premature encashments are not occurred, which may result in effective maintenance of FD of Company. Further, the FDs on maturity are also renewed on immediate basis, so that no loss is there to the Company. Proper records of all the FDs made / renewed /encashed / matured is kept both in the CS Branch and Accounts Branch, so that there is no discrepancy in the record related to the FDs and it also tallies with the figures of the Banks. It is incorrect to say that it may potentially result in loss of interest income.</p>
	<p>e) The Company did not have an appropriate internal control system on verification of delivery of goods supplied by vendor to the user. These could potentially result in Company recognizing revenue without establishing reasonable certainty of delivery without direct confirmation from user.</p>	<p>NICSI issues the Work Orders to the empanelled vendors from time to time towards supply of materials to the User Departments / Organisations. Towards actual delivery/installation of the equipments etc. the vendors obtains the duly signed delivery challans and the installation certificates from the Users and submits the same in original to NICSI, along-with their bills for</p>

		payment. NICS I examines the same and releases the payment to the vendors only after verifying the bills that these are complete in all respects and the requisite documents are attached to it in original. It is incorrect to say that it may potentially result in recognising revenue without establishing reasonable certainty of delivery without direct confirmation from the User.
	f) The Company did not have an appropriate internal control system for recovery and regular follow up for recovery of dues from clients.	This is a regular feature that NICS I makes efforts from time to time to recover the dues. Recently, a Cell has been set up a NICS I and the matter would be pursued vigorously with the clients to get the outstanding amounts settled.
	g) The Company did not have an appropriate internal control system to ensure the purchases made by Company are GFR compliant. Purchases are being made through strategic alliances without open tenders.	NICS I floats tenders completely as per the provisions in the GFRs. NICS I has also been entering into Strategic Alliance Agreements directly with the OEMs for the strategic and proprietary products and services. This process had also been approved by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, vide their ID dated 28.08.2015. However, as per Board approval, NICS I has stopped procurement of ICT Products & Services through Strategic Alliance Agreement after 30 <sup>th</sup> April, 2017.
	h) The Company did not have an appropriate internal control system to ensure liquidity damages are deducted in all cases of delay in supply by the supplier. These could potentially result in excess payment to suppliers without deduction of penalty on delay.	NICS I deducts liquidity damages from the payments to the vendors completely as per the provisions in the Work Orders.
	A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.  In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were	No comments, being general

<p>operating effectively as of March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over</p> <p>Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.</p> <p>We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2017 Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.</p>	
--	--

# ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

## REPORT ON DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013.

<p>Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.</p> <p>As per the information provided to us, the title deeds of all the assets owned by the company are registered except those mentioned in note no. 42 of audited statements.</p>	<p>The Conveyance Deed / Title Deed towards purchase of Hall Nos. 2 &amp; 3 at 6th floor, NBCC Towers, Bhikaji Cama Place, New Delhi in the year 2003 &amp; 2001 respectively are not yet registered by NBCC Limited, despite several requests from NICS. The matter is being taken-up by NICS regularly with NBCC Limited. It will be pursued further.</p>
<p>Please report whether there are any cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved. –</p> <p>As per the information and explanation provided to us, there is no case of waiver/write off the debts/ loans/ interest, etc. Though penalty on delivery amounting to Rs. 30.04 Lakhs deducted by the company from the parties has been waived off.</p>	<p>No comment, being factual.</p>
<p>Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties &amp; assets received as gift/grant(s) from Govt. or other authorities?</p> <p>As per the information and explanation provided to us, no inventories which belong to the company are lying with third parties and no assets have been reported to us as gifts /grant(s) received from government or other authorities. However assets procured for the users under Grant in Aid belong to respective user departments and not to the company.</p>	<p>No comment, being factual.</p>

**For and on behalf of the Board of Directors  
of National Informatics Centre Services Inc.**

**Sd/-  
Chairman**

**Place: New Delhi**

**Date: 29th September, 2017**

# National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated  
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

## Balance Sheet as at March 31, 2017

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No	As on 31-03-2017	As on 31-03-2016	As on 01-04-2015
<b>ASSETS</b>					
1	<b>Non-current assets</b>				
	Property, Plant and Equipment	3	4,633.46	2,184.70	2,516.37
	Capital work-in-progress		-	640.38	147.92
	Other Intangible assets	4	3,098.57	57.48	96.71
	Financial assets:				
	(a) Loans	5	618.35	573.72	376.54
	(b) Others Financial Assets	6	320.35	318.25	316.31
	Deferred tax assets (net)	7	-	35.04	-
	Other non-current assets	8	2,282.70	2,593.44	1,514.11
2	<b>Current assets</b>				
	Financial assets:				
	(a) Trade receivables	9	28,130.13	18,774.25	19,167.59
	(b) Cash and cash equivalents	10	20,470.42	24,090.02	13,788.60
	(c) Bank balances other than '(b)' above	11	120,372.46	99,729.68	98,992.11
	(d) Others Financial Assets	12	4,201.14	4,129.01	4,469.46
	Current Tax Assets (Net)	13	6,036.78	3,252.17	1,915.72
	Other current assets	14	27,183.74	16,034.72	15,358.95
	<b>Total Assets</b>		<b>217,348.10</b>	<b>172,412.86</b>	<b>158,660.39</b>
<b>EQUITY AND LIABILITIES</b>					
<b>Equity</b>					
	Equity Share capital	15	200.00	200.00	200.00
	Other Equity	16	60,578.15	54,137.11	47,167.72
<b>LIABILITIES</b>					

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No	As on 31-03-2017	As on 31-03-2016	As on 01-04-2015
<b>Non-current liabilities</b>					
Financial Liabilities					
	(a) Other financial liabilities	17	51.46	52.46	14.96
Provisions					
	Deferred tax liabilities (Net)	7	507.31	-	52.81
<b>Current liabilities</b>					
Financial liabilities:					
	(a) Trade payables	18	47,782.97	33,392.69	36,893.55
	(b) Other financial liabilities	19	2,485.00	2,410.54	1,897.13
	Other current liabilities	20	105,668.69	82,145.54	72,359.70
	Provisions	21	74.52	74.52	74.52
<b>Total Equity and Liabilities</b>			<b>217,348.10</b>	<b>172,412.86</b>	<b>158,660.39</b>
	Significant accounting policies	2			

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date  
**For Goel Garg & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 000397N

**For and on behalf of the Board of Directors of  
National Informatics Centre Services Inc.**  
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**  
**Ajay Rastogi**  
Partner  
Membership No.084897

**Sd/-**  
**Manoj Kumar Mishra**  
Managing Director  
DIN: 07652553

**Sd/-**  
**Dr. Ajay Kumar**  
Chairman  
DIN:01975789

**Sd/-**  
**Dr. Girish Kumar**  
Company Secretary  
FCS: 6468

**Sd/-**  
**Pradeep Kumar**  
FA&CA

Place: New Delhi  
Date: 11-09-2017

Place: New Delhi  
Date: 08-09-2017

# National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated  
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

## Statement of Income and Expenditure for the year ended 31-03-2017

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2017	Year ended 31-03-2016
I	Revenue From Operations	22	124,141.06	84,774.40
II	Other Income	23	8,566.34	8,264.05
III	<b>III Total Income (I+II)</b>		<b>132,707.40</b>	<b>93,038.45</b>
IV	<b>EXPENSES</b>			
	Purchases of Stock-in-Trade	24	48,669.21	29,678.02
	Services Support Expenses		63,821.94	45,809.84
	Employee benefits expense	25	993.84	745.29
	Depreciation and amortization expense	3	1,671.56	575.89
	Other expenses	26	6,482.05	5,390.95
	<b>Total expenses (IV)</b>		<b>121,638.60</b>	<b>82,199.99</b>
V	Profit/(loss) before exceptional items and tax (III- IV)		11,068.80	10,838.46
VI	<b>Exceptional Items</b>			
	Impairment of Property, Plant and Equipment	3	151.15	-
	Impairment of Other Intangible assets	4	215.65	-
VII	Profit/(loss) before tax (V-VI)		10,702.00	10,838.46
VIII	Tax expense:		<b>4,260.95</b>	<b>3,869.07</b>
	(1) Current tax		3,410.69	4,023.28
	(2) Deferred tax		542.35	(87.85)
	(3) Tax for Earlier Years adjusted/(Written back)		307.91	(66.36)

₹ in lakhs

Sl. No.	Particulars	Note No.	Year ended 31-03-2017	Year ended 31-03-2016
IX	Profit (Loss) for the year from continuing operations (VII-VIII)		6,441.05	6,969.39
X	<b>Earnings per equity share (for continuing operation):</b>			
	(1) Basic	27	3,220.52	3,484.69
	(2) Diluted	27	3,220.52	3,484.69

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

As per our report of even date  
**For Goel Garg & Co.**  
 Chartered Accountants  
 Firm Registration No. 000397N

**For and on behalf of the Board of Directors of  
 National Informatics Centre Services Inc.**  
 CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**  
**Ajay Rastogi**  
 Partner  
 Membership No.084897

**Sd/-**  
**Manoj Kumar Mishra**  
 Managing Director  
 DIN: 07652553

**Sd/-**  
**Dr. Ajay Kumar**  
 Chairman  
 DIN:01975789

**Sd/-**  
**Dr. Girish Kumar**  
 Company Secretary  
 FCS: 6468

**Sd/-**  
**Pradeep Kumar**  
 FA&CA

Place: New Delhi  
 Date: 11-09-2017

Place: New Delhi  
 Date: 08-09-2017



# National Informatics Centre Services Inc.

(A Government of India Enterprise Incorporated  
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)

## Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2017

Particulars	Year ended March 31, 2017	Year ended March 31, 2016
	₹ in lakhs	
<b>Cash Flow from Operating Activities</b>		
<b>Surplus /(Deficit) before tax and extraordinary items</b>	<b>11,068.80</b>	<b>10,838.46</b>
Adjustments for:		
Depreciation on fixed assets	1,671.56	575.89
Loss/(Profit) on sale of fixed assets	(0.09)	(0.04)
Interest expense	502.10	785.02
Deduct:		
Interest income	8,827.97	8,814.17
<b>Operating Surplus /(Deficit) before Working Capital changes</b>	<b>4,414.40</b>	<b>3,385.16</b>
Adjustments for :		
(Increase) /Decrease in trade receivables	(9,355.88)	393.34
(Increase) /Decrease in loans and advances and other assets	(13,741.75)	(2,950.22)
Increase/(Decrease) in trade payable & other liabilities	37,986.89	6,835.87
Increase/(Decrease) in provisions	-	-
<b>Cash Generated from Operations</b>	<b>19,303.66</b>	<b>7,664.15</b>
Income tax Paid	(3,410.69)	(4,023.28)
Income tax for Previous Years	(307.91)	66.36
<b>Net Cash inflow/(outflow) from Operating activities (A)</b>	<b>15,585.06</b>	<b>3,707.23</b>
<b>Cash Flow from Investing Activities</b>		
Purchase of fixed assets	(7,528.31)	(205.05)
Sale of fixed assets	0.18	0.11
Intangible Asset under Development	640.38	(492.46)
Interest received	8,827.97	8,814.18
<b>Net Cash inflow/(outflow) from Investing activities (B)</b>	<b>1,940.22</b>	<b>8,116.78</b>
<b>Cash Flow from Financing Activities</b>		

Interest paid	(502.10)	(785.02)
<b>Net Cash inflow/(outflow) from Financing activities (C)</b>	(502.10)	(785.02)
<b>Net increase /(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)</b>	<b>17,023.18</b>	<b>11,038.99</b>
<b>Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year</b>	<b>124,111.30</b>	<b>113,072.32</b>
<b>Cash and Cash Equivalents at the closing of the year</b>	<b>141,134.48</b>	<b>124,111.30</b>

#### Notes

- 1) The above Cash Flow Statement has been prepared under the "Indirect Method" as set out in the Ind AS - 5 on Cash Flow Statement issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
- 2) Cash and Bank Balances at the end of the year consist of Cash and Balances with Banks. The detail of these is as follows:

<b>Particulars</b>	<b>As at March 31, 2017</b>	<b>As at March 31, 2016</b>
<b>Cash and Cash Equivalents</b>		
Balances with Banks	20,470.02	24,089.72
Imprest Account	0.40	0.30
<b>Other Bank Balances</b>		
Fixed Deposits	120,664.06	100,021.28
	<b>141,134.48</b>	<b>124,111.30</b>

As per our report of even date  
**For Goel Garg & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 000397N

**For and on behalf of the Board of Directors of  
National Informatics Centre Services Inc.**  
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**  
**Ajay Rastogi**  
Partner  
Membership No.084897

**Sd/-**  
**Manoj Kumar Mishra**  
Managing Director  
DIN: 07652553

**Sd/-**  
**Dr. Ajay Kumar**  
Chairman  
DIN:01975789

**Sd/-**  
**Dr. Girish Kumar**  
Company Secretary  
FCS: 6468

**Sd/-**  
**Pradeep Kumar**  
FA&CA

Place: New Delhi  
Date: 11-09-2017

Place: New Delhi  
Date: 08-09-2017

# National Informatics Centre Services Inc.

## Statement of changes in equity for the year ended 31 March 2017

### A. Equity share capital for issued, subscribed and paid up equity share of Re. 100/- each

Particulars	Note	₹ in lakhs	
		Amount	
As at 1 April 2015	15.00	200.00	
Changes during the year			
As at 31 March 2016	15.00	200.00	
Changes during the year			
As at 31 March 2017	15.00	200.00	

### B. Other equity (Refer note 16)

Particulars	₹ in lakhs	
	Reserves and Surplus Retained earnings	Total equity
<b>As at 1 April 2015</b>	47,167.72	47,167.72
Net income / (loss) for the year	6,969.39	6,969.39
<b>Total comprehensive income</b>	<b>6,969.39</b>	<b>6,969.39</b>
<b>At 31 March 2016</b>	<b>54,137.11</b>	<b>54,137.11</b>
Net income / (loss) for the year	6,441.04	6,441.04
Total comprehensive income	6,441.04	6,441.04
<b>At 31 March 2017</b>	<b>60,578.15</b>	<b>60,578.15</b>

Significant accounting policies

As per our report of even date

**For Goel Garg & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 000397N

**For and on behalf of the Board of Directors of  
National Informatics Centre Services Inc.**

CIN: U74899DL1995NPL072045

Sd/-

**Ajay Rastogi**

Partner

Membership No.084897

Sd/-

**Manoj Kumar Mishra**

Managing Director

DIN: 07652553

Sd/-

**Dr. Ajay Kumar**

Chairman

DIN:01975789

Sd/-

**Dr. Girish Kumar**

Company Secretary

FCS: 6468

Sd/-

**Pradeep Kumar**

FA&CA

Place: New Delhi

Date: 11-09-2017

Place: New Delhi

Date: 08-09-2017

# **National Informatics Centre Services Inc.**

**(A Government of India Enterprise Incorporated  
Under Section 8 as per Companies Act, 2013)**

## **Significant Accounting Policies & Notes to the financial statements for the year ended March 31, 2017**

### **1. Corporate information**

National Informatics Centre Services Inc. ('The Corporation') was incorporated on August 29, 1995 under Section-25 of the Companies Act, 1956 (now section 8 of Companies Act, 2013 ) under National Informatics Centre ('NIC'), Ministry of Communications & Information Technology, Government of India. The Corporation is engaged to provide total IT Solutions to the Government Ministries/Departments/Organizations.

### **2. Significant Accounting Policies**

#### **i. Basis of Preparation of Financial Statements**

The financial statements have been prepared on accrual basis in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, read with Revised Schedule III of the Companies Act ('the Act'), 2013, and the provisions of the Act to the extent notified. The mandatory requirement of preparation of the first Ind AS compliant Financial Statements for the Reporting Period FY 2016-17, has been necessitated on account of the networth of the Corporation exceeding the stipulated threshold limit of Rs. 500 crores.

The financial statements uptill the FY 2015-16, had been prepared in accordance with previous Indian Accounting Standards (IGAAP), prescribed in section 133 of the Companies Act 2013, read with the Rule-7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and the provisions of the Act to the extent notified.

The accounting policies used by the Company in its opening financial statement may differ from those previously used in accordance with Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP) or the previous GAAP. The resulting adjustments, which arise for events and transactions before the date of transition to Ind-AS, have been directly recognized in retain earnings at the date of transition to Ind-AS i.e. April 01, 2015.

The financials in the financial statements have been denominated in Indian Rupees, which is the functional as well as the reporting currency of the Corporation.

#### **ii. First Time Adoption of Indian Accounting Standards (Ind AS)**

In compliance with the requirements of Ind AS 101- First-time Adoption of Indian Accounting Standards, the Financial Statements of the Corporation include:

#### **Balance Sheets, namely**

- (a) Opening Balance Sheet on the Transition Date viz. 1.4.2015,

- (b) Balance Sheet for the Comparative Period viz. FY 2015-16 &
- (c) Balance Sheet for the first Ind AS compliant reporting period viz. FY 2016-17,

Profit & Loss Accounts, Cash Flow Statements & Statement of Changes in Equity:

- (a) for the Comparative Period viz. FY 2015-16 &
- (b) for the first Ind AS compliant reporting period viz. FY 2016-17.

### **iii. Mandatory Exceptions and Voluntary Exemptions from Retrospective Application of Ind AS as per Ind AS 101- First Time Adoption of Ind As**

In preparing the Financial Statements, the under-mentioned Mandatory Exceptions, as applicable to the Corporation, as per Ind AS 101, have been complied with:

- (a) Derecognition of Financial Assets & Financial Liabilities;
- (b) Estimates;
- (c) Classification & Measurement of Financial Assets;
- (d) Impairment of Financial Assets.

In preparing the Financial Statements, the under-mentioned Voluntary Exemptions, as applicable to the Corporation, as per Ind AS 101, have been opted:

- (a) Deemed Cost;
- (b) Decommissioning Liabilities included in the cost of Property, Plant & Equipment.

### **iv. Current vs Non Current Classification of Assets & Liabilities:**

An Asset is treated as Current when it is:

- Expected to be realized or intended to be sold or consumed in normal operating cycle;
- Held primarily for the purpose of trading;
- Expected to be realized within 12 months after the reporting period;
- Cash or Cash Equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

A Liability is treated as Current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle;
- It is held primarily for the purpose of trading;

- It is due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as Non-Current.

Deferred Tax Assets & Liabilities are classified as Non Current Assets & Liabilities.

The Operating Cycle is the time between the acquisition of assets for processing & their realization in cash & cash equivalents. The Corporation has identified 12 months as its operating cycle.

## **v. Property Plant & Equipment (PPE) & Depreciation**

### **(a) Tangible assets**

Under the previous GAAP (Indian GAAP), property, plant and equipment were carried in the balance sheet at cost net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any as at 31 March 2015. The Company has elected to regard those values of property as deemed cost at the date of the transition to Ind AS, i.e., 1 April 2015.

Property, plant and equipment are stated at cost [i.e., cost of acquisition or construction inclusive of freight, erection and commissioning charges, non-refundable duties and taxes, expenditure during construction period, borrowing costs (in case of a qualifying asset) upto the date of acquisition/ installation], net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any.

When significant parts of property, plant and equipment (identified individually as component) are required to be replaced at intervals, the Company derecognizes the replaced part, and recognizes the new part with its own associated useful life and it is depreciated accordingly. Whenever major inspection/overhaul/repair is performed, its cost is recognized in the carrying amount of respective assets as a replacement, if the recognition criteria are satisfied. All other repair and maintenance costs are recognized in the statement of Income and Expenditure.

The present value of the expected cost for the decommissioning of an asset after its use is included in the cost of the respective asset if the recognition criteria for a provision are met.

Property, plant and equipments are eliminated from financial statements, either on disposal or when retired from active use. Losses/gains arising in case retirement/disposals of property, plant and equipment are recognized in the statement of Income and Expenditure in the year of occurrence.

Depreciation on the items of PPE has been provided on the Written Down Value Method & at the rates as prescribed in Schedule II of the Companies Act, 2013. The Corporation has determined the useful life of all the items of PPE in alignment with Schedule II of the Companies Act, 2013.

## **vi. Intangible Assets and Amortization**

The intangible assets have been initially measured at costs. The intangibles assets have been subsequently measured at costs less accumulated amortisation & accumulated impairment losses. The useful life of the

intangible assets may be finite or infinite. Intangible assets with finite lives have been amortised over their useful economic life as per the Written Down Value Method. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the statement of Income and Expenditure unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

As per companies act, costs relating to computer software and server are capitalized and amortized on straight line method over their estimated useful economic life of three years and six years respectively. Costs relating to ERP software are capitalized and amortized on straight line method over its estimated useful economic life of ten years.

### **vii. Financial Assets & Financial Liabilities**

Financial Assets include Non Current Financial Instruments like Investments in Equity, Debt Securities & Derivatives, & Current Assets like Cash & Cash Equivalents, Trade Receivables, Bank Balances, Fixed Deposits with Banks, Bills Receivables, Security Deposits.

Financial Liabilities include Redeemable Preference Shares, Cash Credit Facilities, Trade Payables, Bills Payables. Outstanding Statutory Dues like Income Tax, Service Tax, PF, ESI etc are not financial liabilities.

Financial Assets are classified into three categories: measured at (i) Amortized costs; (ii) Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI); (iii) Fair Value Through Profit & Loss (FVTPL).

Financial Liabilities are classified into two categories: measured at (i) amortized costs; (ii) FVTPL.

The closing balances of financial assets & financial liabilities as on 31.3.2015 shall become the deemed amortized costs/fair values of financial assets & financial liabilities as on 1.4.2015, as per the mandatory exceptions & optional exemptions provided in Ind AS 101 on First Time Adoption.

### **viii. Fair value measurement**

The Company measures financial instruments such as derivatives and certain investments, at fair value at each balance sheet date.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 — Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities
- Level 2 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable
- Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable

For assets and liabilities that are recognized in the balance sheet on a recurring basis, the Company determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the Company has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

#### **ix. Revenue Recognition**

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation & the revenue can be measured reliably. Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable, taking into account the contractually defined terms of payment & excluding taxes or duties collected on behalf of the government.

Revenue in respect of sale of goods/stock & sale items is recognized when the significant risks & rewards of ownership of the goods have passed to the buyers, usually on delivery of the goods. Revenue from the sale of goods is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns & allowances, trade discounts & volume rebates.

The Corporation recognizes operating margin at the slab rates prescribed from time to time depending upon the project costs. Usually the operating margin rates are inversely proportionate to the project costs i.e. higher the project costs, lower the operating margin rate. Any subsequent decrease in operating margin rate on account of an increase in project costs is accounted for by issuing corresponding credit notes at the yearend or at the time of project closing. The Credit Notes so issued are netted off from the respective heads of income.

Interest Income on Fixed Deposits (FDs) with Banks is recognized on Effective Interest Rate (EIR). EIR is the rate that exactly discounts the estimated future receipts over the maturity tenure of the FDs to the gross carrying amount of the FDs. In the absence of any transactions costs, the bank interest rate of the FDs is itself the EIR.

#### **x. Inventories**

The Cost of Inventories comprises all cost of purchase, cost of conversion and other cost incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Inventories (including inventory of software's) have been valued at cost or net realizable value, whichever is lower on the First-In-First-Out (FIFO) method. Consumable stores have been charged to revenue in the year of purchase, being negligible.

#### **xi. Retirement Benefits**

As per arrangement with NIC, the amount towards leave salary and pension contribution are calculated on basic pay and grade pay of the respective employee based on the percentage prescribed by Government of India and passed on to NIC. The Company is not liable to pay any other retirement benefits to employees, which shall entirely be borne by NIC in future.



## **xii. Prior Period Items**

Prior Period items are omissions/misstatements in an entity's earlier period financial statements, including balance sheet misclassifications. Ind AS 8 requires the rectification of prior period errors retrospectively in the first set of financial statements approved, after their discovery, by restating the comparative amounts for the prior periods presented in which the error occurred. However, if such restatement is impracticable i.e. when an entity can't apply it after making every reasonable effort to do so, then Ind AS doesn't require restatement of such prior period items in comparatives of earlier periods.

## **xiii. Events after the Reporting Period**

The Corporation, in each year, is in receipt of a few expenditure invoices pertaining to the reporting period, after the reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period but before the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors are considered as adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period to which they pertain. The corresponding income on such expenditure invoices is also accounted for in the same reporting period. The expenditure invoices, pertaining to a reporting period, which are received by the Corporation after the reporting period & even after the management approved cut-off date or the approval of audited financial statements by the Corporation's Board of Directors, are considered as non adjusting events after the reporting period & are accounted for in the reporting period in which they are received. The corresponding income is also accounted for in the reporting period in which the expenditure invoices are received & accounted for.

## **xiv. Leases**

Assets taken under lease, where the lesser effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Income & Expenditure Account on a straight-line basis over the lease term. However, Ind AS 17 doesn't mandate straight lining of lease rentals if these are structured to increase in line with general inflationary conditions.

## **xv. Deferred Taxes**

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised. Deferred Tax Assets/Liabilities are not recognised if they arise from initial recognition of liabilities/assets respectively & at the time of transactions they don't affect either the accounting profit/loss or the taxable profit/loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognised deferred tax assets are re-assessed at each

reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities and the deferred taxes relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

#### **xvi. Impairment of Assets**

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date if there is any indication of impairment based on internal/external factors. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the asset's net selling price and value in use. In assessing value in use, the Corporation has measured its 'value in use' on the basis of discounted cash flows of next five years projections estimated based on current prices.

After impairment, depreciation/amortisation is provided on the revised carrying amount of the asset over its remaining useful life.

#### **xvii. Impairment of Financial Assets/Provision for Bad & Doubtful Debts**

A provision @5% is recognized towards Trade Receivables which are outstanding for more than three years at Balance Sheet date.

#### **xviii. Earnings per Share**

Basic earnings per share are calculated by dividing the net surplus or deficit for the year attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share are calculated after adjusting effects of potential equity shares (PES). PES are those shares which will convert into equity shares at a later stage. Surplus/deficit is adjusted by the expenses incurred on such PES. Adjusted surplus/deficit is divided by the weighted average number of ordinary plus potential equity shares.

#### **xix. Provisions and Contingencies**

A provision is recognized when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Long term provisions may be discounted to their present values at an appropriate risk adjusted discounted

rate. Short term provisions are not required to be discounted. The provisions are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Provisions are also required to be created in respect of constructive obligations. However, the Corporation was not having any constructive obligations in the reporting period.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have arisen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of future events not wholly within the control of the Company.

## **xx. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalent for the purpose of cash flow statement comprise cash at bank and cash in hand and short term investment with the original maturity of three months or less. Cash Flow statement is prepared using the indirect method.

### **2.1 Significant accounting judgements, estimates and assumptions**

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgements, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements. Estimates and assumptions are continuously evaluated and are based on management's experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

In particular, the Company has identified the following areas where significant judgements, estimates and assumptions are required. Further information on each of these areas and how they impact the various accounting policies are described below and also in the relevant notes to the financial statements. Changes in estimates are accounted for prospectively.

#### **Judgements**

In the process of applying the Company's accounting policies, management has made the following judgements, which have the most significant effect on the amounts recognized in the financial statements:

#### **Contingencies**

Contingent liabilities may arise from the ordinary course of business in relation to claims against the Company, including legal, contractor, land access and other claims. By their nature, contingencies will be resolved only when one or more uncertain future events occur or fail to occur. The assessment of the existence, and potential quantum, of contingencies inherently involves the exercise of significant judgments and the use of estimates regarding the outcome of future events.

## **Estimates and assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments, however, may change due to market change or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

### **(a) Impairment of non-financial assets**

The Company assesses at each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs of disposal and its value in use. It is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded subsidiaries or other available fair value indicators.

### **(b) Fair value measurement of financial instruments**

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the balance sheet cannot be measured based on quoted prices in active markets, their fair value is measured using valuation techniques including the DCF model. The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but where this is not feasible, a degree of judgment is required in establishing fair values. Judgements include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair value of financial instruments.

### **(c) Impairment of financial assets**

The impairment provisions for financial assets are based on assumptions about risk of default and expected loss rates. The Company uses judgments in making these assumptions and selecting the inputs to the impairment calculation, based on Company's past history, existing market conditions as well as forward looking estimates at the end of each reporting period.

**Note No. 3. Property, plant and equipment**

₹ in Lakhs

	Buildings	Plant and equipment	Furniture and Fixtures	Vehicles	Office Equipments	Computers	Total
<b>Cost</b>							
<b>As at April 1, 2015</b>	1,985.85	147.36	549.49	7.01	1,772.22	3,153.11	7,615.04
Additions	-	-	11.97	-	173.13	16.67	201.77
Disposals	-	-	7.30	-	0.27	-	7.57
<b>As at March 31, 2016</b>	<b>1,985.85</b>	<b>147.36</b>	<b>554.16</b>	<b>7.01</b>	<b>1,945.08</b>	<b>3,169.78</b>	<b>7,809.24</b>
Additions	-	-	7.70	-	324.01	3,420.17	3,751.88
Disposals	-	-	-	-	0.19	-	0.19
<b>As at March 31, 2017</b>	<b>1,985.85</b>	<b>147.36</b>	<b>561.86</b>	<b>7.01</b>	<b>2,268.90</b>	<b>6,589.95</b>	<b>11,560.93</b>
<b>Depreciation</b>							
<b>As at April 1, 2015</b>	854.59	103.81	339.07	4.52	1,008.89	2,787.79	5,098.67
Depreciation charge for the year	55.34	8.90	59.89	0.82	275.16	133.25	533.36
Disposals	-	-	7.23	-	0.27	-	7.50
<b>As at March 31, 2016</b>	<b>909.93</b>	<b>112.71</b>	<b>391.73</b>	<b>5.34</b>	<b>1,283.78</b>	<b>2,921.04</b>	<b>5,624.53</b>
Depreciation charge for the year	52.63	7.05	46.17	0.55	216.21	829.27	1,151.89
Impairment Loss	-	-	-	-	-	151.15	151.15
Disposals	-	-	-	-	0.10	-	0.10
<b>As at March 31, 2017</b>	<b>962.56</b>	<b>119.76</b>	<b>437.90</b>	<b>5.89</b>	<b>1,499.89</b>	<b>3,901.46</b>	<b>6,927.47</b>
<b>Net book value :</b>							
As at March 31, 2017	1,023.29	27.60	123.96	1.12	769.01	2,688.49	4,633.46
As at March 31, 2016	1,075.92	34.65	162.43	1.67	661.30	248.74	2,184.70
As at April 1, 2015	1,131.26	43.55	210.42	2.49	763.33	365.32	2,516.37

**Note No. 4. Intangible assets**

₹ in Lakhs

	Software	Total
<b>Cost</b>		
<b>As at April 1, 2015</b>	284.68	284.68
Additions	3.25	3.25
Disposals	-	-
<b>As at March 31, 2016</b>	<b>287.93</b>	<b>287.93</b>
Additions	3,776.41	3,776.41
Disposals	-	-
<b>As at March 31, 2017</b>	<b>4,064.34</b>	<b>4,064.34</b>
<b>Amortisation</b>		
As at April 1, 2015	187.96	187.96
Amortisation charge for the year	42.49	42.49
Disposals	-	-
<b>As at March 31, 2016</b>	<b>230.45</b>	<b>230.45</b>
Amortisation charge for the year	519.67	519.67
Impairment Loss	215.65	215.65
Disposals	-	-
<b>As at March 31, 2017</b>	<b>965.77</b>	<b>965.77</b>
Net book value :		
As at March 31, 2017	3,098.57	3,098.57
As at March 31, 2016	57.48	57.48
As at April 1, 2015	96.71	96.71

**Note No. - 5 - Loans**

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
<b>Security deposits</b>			
Unsecured, considered good	618.35	573.72	376.54
<b>TOTAL</b>	<b>618.35</b>	<b>573.72</b>	<b>376.54</b>

Note: - Non-current Security Deposit have been discounted to their present value using a pre-tax discount rate of 10.85% per annum.

**Note No. - 6 - Other Financial Assets**

₹ in Lakhs

Particulars	Non-current		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
<b>Fixed Deposits</b>			
Fixed Deposit having maturity more than 12 months*	291.60	291.60	291.60
<b>Interest Accrued on Fixed Deposits</b>			
Interest Accrued	28.75	26.65	24.71
	<b>320.35</b>	<b>318.25</b>	<b>316.31</b>

\* Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee.

**Note No. 7 - Income Taxes**

The major components of income tax expense for the year ended 31 March 2017 and 31 March 2016 are:

**A. Statement of profit and loss:**

₹ in Lakhs

(i)	Profit & loss section	31 March 2017	31 March 2016
	Current income tax charge	3,410.69	4,023.28
	Adjustments in respect of current income tax of previous year	307.91	(66.36)
	Deferred tax:		
	Relating to origination and reversal of temporary differences	542.35	(87.85)
	Income tax expense reported in the statement of Profit & loss	4,260.95	3,869.07
<b>(ii)</b>	<b>Other Comprehensive Income (OCI) Section</b>		
	Deferred tax related to items recognised in OCI during the year:	-	-
	Net loss/(gain) on remeasurements of defined benefit plans	-	-
	Income tax charged to OCI	-	-

**B. Reconciliation of tax expense and the accounting profit multiplied by India's domestic tax rate for FY ended 31 March 2016 and 31 March 2017:**

₹ in Lakhs

	31 March 2017	31 March 2016
Accounting profit before tax from continuing operations	10,701.99	10,838.46
<b>Accounting profit before income tax</b>	<b>10,701.99</b>	<b>10,838.46</b>
At India's statutory income tax rate of 34.608% (31 March 2016: 34.608%)	3,703.74	3,750.97
Adjustments in respect of current income tax of previous years	307.91	(66.36)
Non-deductible expenses for tax purposes	249.30	184.46
<b>At the effective income tax rate of 39.81% (31 March 2016: 35.70%)</b>	<b>4,260.95</b>	<b>3,869.07</b>
Income tax expense reported in the statement of profit and loss	4,260.95	3,869.07
	<b>4,260.95</b>	<b>3,869.07</b>

**C. Deferred tax :**

**Deferred tax relates to the following:**

₹ in Lakhs

	Balance sheet			Statement of Income & Expenditure	
	31 March 2017	31 March 2016	01 April 2015	31 March 2017	31 March 2016
Accelerated depreciation for tax purposes	(679.22)	(132.02)	(203.88)	547.20	(71.86)
Provision for Doubtful Debts	104.95	93.95	89.67	(11.00)	(4.28)
Provision for Employee benefits	-	15.85	15.24	15.85	(0.61)
Present valuation of Security Deposits (assets)	66.96	57.26	46.16	(9.70)	(11.10)
<b>Deferred tax expense/(income)</b>				<b>542.35</b>	<b>(87.85)</b>
<b>Net deferred tax assets/(liabilities)</b>	<b>(507.31)</b>	<b>35.04</b>	<b>(52.81)</b>		

**Reflected in the balance sheet as follows:**

₹ in Lakhs

	31 March 2017	31 March 2016	01 April 2015
Deferred tax assets (continuing operations)	171.91	167.06	151.07
Deferred tax liabilities (continuing operations)	679.22	132.02	203.88
<b>Deferred tax Assets/(liabilities), net</b>	<b>(507.31)</b>	<b>35.04</b>	<b>(52.81)</b>



**Note No. - 8 - Other Non-Current Assets**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Deferred Lease Expense	784.27	857.03	928.10
Advances to Suppliers	1,498.43	1,736.41	586.01
	<b>2,282.70</b>	<b>2,593.44</b>	<b>1,514.11</b>

**Note No. - 9 - Trade Receivables**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Unsecured, considered good	28,130.13	18,774.25	19,167.59
Unsecured, considered doubtful	303.28	271.48	263.84
Less: Provision for doubtful debts *	(303.28)	(271.48)	(263.84)
<b>Total</b>	<b>28,130.13</b>	<b>18,774.25</b>	<b>19,167.59</b>

\* Provision for Doubtful Debts is based on the Trade Receivable which are outstanding for more than 3 years at Balance Sheet date.

**Note No. - 10 - Cash and Cash Equivalents**

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
a. Balances with banks			
Saving Account	20,470.02	24,089.72	13,788.30
b. Others			
Imprest Account	0.40	0.30	0.30
<b>Total</b>	<b>20,470.42</b>	<b>24,090.02</b>	<b>13,788.60</b>

## Specified Bank Notes (SBN)

Disclosure related to details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period 08 November 2016 to 30 December 2016:

Particulars	SBNs	Other denomination notes	Total
<b>Closing cash in hand as on 08.11.2016</b>	-	-	-
(+) Withdrawal from Bank accounts	-	-	-
(+) Permitted receipts	-	-	-
(-) Permitted payments	-	-	-
(-) Amount deposited in Banks	-	-	-
<b>Closing cash in hand as on 30.12.2016</b>	-	-	-

### Note:

For the purposes of above disclosure, the term 'Specified Bank Notes' shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016.

## Note No. - 11 - Other Bank Balances

₹ in Lakhs

Particulars	Current Assets		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Fixed Deposit*	119,260.15	98,617.37	98,249.48
Fixed Deposit mortgaged against Bank Guarantee	1,112.31	1,112.31	742.63
<b>Total</b>	<b>120,372.46</b>	<b>99,729.68</b>	<b>98,992.11</b>

\* Includes Bank Balances of Sweep Deposit Accounts.

## Note No. - 12 - Other Financial Assets

₹ in Lakhs

Particulars	Current		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
<b>Interest Accrued on Fixed Deposits</b>			
Interest Accrued	4,201.14	4,129.01	4,469.46
<b>Total</b>	<b>4,201.14</b>	<b>4,129.01</b>	<b>4,469.46</b>

**Note No. - 13 - Current Tax Assets (Net)**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Income tax paid (Net of provision)	6,036.78	3,252.17	1,915.72
<b>Total</b>	<b>6,036.78</b>	<b>3,252.17</b>	<b>1,915.72</b>

**Note No. - 14 - Other Current Assets**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
<b>Advances to Employees</b>			
Unsecured, considered good	22.84	16.86	3.66
<b>TOTAL</b>	<b>22.84</b>	<b>16.86</b>	<b>3.66</b>
<b>Other advances</b>			
Unsecured, considered good			
Advances to Suppliers	9,954.90	2,409.60	6,334.17
Service Tax on Advances**, SBC & KCC	16,878.25	13,215.05	8,789.12
Prepaid expenses	207.69	259.36	97.05
Taxes Recoverable*	120.06	133.85	134.95
	<b>27,160.90</b>	<b>16,017.86</b>	<b>15,355.29</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>27,183.74</b>	<b>16,034.72</b>	<b>15,358.95</b>

\* Break-up of Taxes Recoverable

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Sales Tax/DVAT Recoverable (1996-97 to 2013-14)	117.70	131.50	132.60
TDS On Works Contract 2000-2001	2.34	2.33	2.33
<b>Total</b>	<b>120.04</b>	<b>133.83</b>	<b>134.93</b>

\*\* Includes an amount of Rs.3029.27 Lakhs (PY. Rs.3029.27 Lakhs) towards Service Tax deposited under protest (Refer Note No. 50)

## Note No. - 15 - Equity Share Capital

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
<b>Authorised</b>			
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00	200.00
Issued, subscribed and fully paid-up			
200,000 (Previous Year 200,000) Equity Shares of Rs.100/- each	200.00	200.00	200.00
	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>

### a. Information on shareholders\*

Name of Shareholder	Relationship	As at March 31, 2017		As at March 31, 2016		As at April 1, 2015	
		No. of Equity shares held	Percentage (%)	No. of Equity shares held	Percentage (%)	No. of Equity shares held	Percentage (%)
President of India through DG, NIC	Shareholder	199,995.00	100.00	199,995.00	100.00	199,995.00	100.00
Sh. Shyam Bihari Singh	Shareholder	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
Sh. Sanjay Singh Gahlout	Shareholder	1.00	0.00	-	-	-	-
Dr. Ambreesh Kumar	Shareholder	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
Mrs. J. R. D. Kailay	Shareholder	-	-	1.00	0.00	1.00	0.00
Sh. Vishnu Chandra	Shareholder	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
Sh. R S Mani	Shareholder	1.00	0.00	1.00	0.00	-	-
Dr. (Mrs.) Shefali Shushil Dash	Shareholder	-	-	-	-	1.00	0.00
Dr. Mahesh Chandra	Shareholder	-	-	-	-	1.00	0.00
Sh. Rajeev P Saxena	Shareholder	-	-	-	-	1.00	0.00
<b>Total</b>		<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>100.00</b>

\* Held on behalf of Government of India

**b. Reconciliation of the paid up shares outstanding at the beginning and end of the reporting year**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017		As at March 31, 2016		As at April 1, 2015	
	Number	Rs.	Number	Rs.	Number	Rs.
Shares outstanding at the beginning of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00
Add: - Shares Issued during the year	-	-	-	-	-	-
Shares outstanding at the end of the year	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00	200,000.00	200.00

**c. Rights, Preference and Restriction attached to equity shares**

The Company has one class of equity shares having a par value of Rs. 100 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share.

**Note No. - 16 - Other Equity**

₹ in Lakhs

Particulars	Amount
Retained Earnings	
As at 1 April 2015	47,167.72
Profit for the year 2015-16	6,969.39
As at 31 March 2016	54,137.11
Profit for the year 2016-17	6,441.04
As at 31 March 2017	60,578.15

**Note No. - 17 - Other Financial Liabilities**

Particulars	Non-current		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Security Deposits Payable	51.46	52.46	14.96
<b>Total</b>	<b>51.46</b>	<b>52.46</b>	<b>14.96</b>

**Note No. -18 - Trade Payables**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Trade Payables			
- Due to Micro and Small Enterprises	-	-	-
- Other than Micro and Small Enterprises	47,782.97	33,392.69	36,893.55
<b>Total</b>	<b>47,782.97</b>	<b>33,392.69</b>	<b>36,893.55</b>

**Note No. - 19 - Other Financial Liabilities**

₹ in Lakhs

Particulars	Current		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Creditors for Expenses	376.89	191.97	149.90
Earnest Money Deposit Payable	1,396.41	1,341.56	1,147.01
Employee Benefits Payable	312.16	191.10	161.24
Expenses Payable	103.36	314.34	168.97
Retention Money*	296.18	371.57	270.01
<b>Total</b>	<b>2,485.00</b>	<b>2,410.54</b>	<b>1,897.13</b>

\* Refer Note No.67

**Note No. - 20 - Other Current Liabilities**

₹ in Lakhs

Particulars	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Statutory Dues and Taxes	1,615.74	608.68	1,056.76
Advances received from customers	101,363.31	72,013.19	51,908.91
Grants-in-Aid received from customers	2,689.64	9,523.67	19,394.03
<b>Total</b>	<b>105,668.69</b>	<b>82,145.54</b>	<b>72,359.70</b>

**Note No. - 21 - Provisions**

₹ in Lakhs

Particulars	Current		
	As at March 31, 2017	As at March 31, 2016	As at April 1, 2015
Provision for Stamp Duty	74.52	74.52	74.52
<b>Total</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>	<b>74.52</b>

**Note No. : 22 Revenue From Operations**

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2017	Year ended March 31, 2016
<b>Revenue from operations</b>		
Sale of Traded Goods	51,419.03	31,236.34
Service Income	72,650.39	53,334.34
<b>Total (A)</b>	124,069.42	84,570.68
Administrative Charges	71.64	203.72
<b>Total (B)</b>	71.64	203.72
<b>Total Revenue from operations (A)+(B)</b>	<b>124,141.06</b>	<b>84,774.40</b>

**Note No. - 23 Other Income**

₹ in Lakhs

Particulars	Year ended March 31, 2017	Year ended March 31, 2016
Interest Income	8,827.96	8,814.17
Other non-operating income	192.76	193.59
Less: -		
Interest on Grants-in-Aid Projects (other than NKN)	408.72	721.14
Interest on NKN Projects (Grants-in-Aid)	90.38	61.53
Unwinding of discount on security deposits	44.72	38.96
	8,566.34	8,264.05

**Note No. - 24 Purchases of Stock-in-Trade**

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2017	Year Ended March 31, 2016
Purchases: -		
Hardware	41,499.00	19,405.04
Software	7,170.21	10,272.98
	48,669.21	29,678.02

**Note No. - 25 Employee Benefits Expense**

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2017	Year Ended March 31, 2016
Salaries and incentives	959.70	670.62
Project Incentive (Refer Note No. 58)	-	45.80
Staff Welfare	34.14	28.87
	<b>993.84</b>	<b>745.29</b>

## Note No. - 26 Other Expenses

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2017	Year Ended March 31, 2016
Audit Fees ( 2014-15)	-	0.65
Audit Fees ( 2016-17 )	7.54	6.82
Advertisement Expenses	18.90	29.44
Bank Charges	3.33	2.39
Books & Periodicals	24.45	20.31
Conference Seminar W/Shop Expenses	126.86	41.00
Consumable Stores	43.00	34.58
Conveyance Expenses	7.19	6.28
Doubtful Debts	31.80	7.64
Diesel for D.G. Set	1.39	-
Electricity & Water Charges	521.61	493.93
Foreign Exchange Variation	0.55	0.01
Hire Charges	4.19	4.40
House Keeping & Cleaning Charges	173.56	154.23
House Lease Charges	25.60	26.70
Internal Audit Fee	0.75	1.01
Membership & Subscription Charges	1.18	1.23
Miscellaneous Expenses	32.23	52.95
Office Expenses	965.12	668.18
Office Rent	2,558.18	2,267.79
Printing & Stationery	14.65	15.51
Professional & Consultancy Charges	242.00	273.92
Rent Rates & Taxes	4.27	4.28
Repairs & Maintenance	387.63	346.71
Service Tax on Reverse Charges	18.24	17.47
Service Tax U/s 6(3) Rule	259.23	173.81
Swachh Bharat Cess Non Cenvatable	361.97	133.82
Swachh Bharat Cess Non Cenvatable Other	10.76	3.67
Taxi Hire Charges	308.79	237.35
Telephone Expenses	62.16	74.78
Travelling Expenses ( Staff ) Foreign	31.23	7.01
Travelling Expenses (Director )	0.21	-
Travelling Expenses( Staff )	231.68	279.98
Vehicle - Petrol	1.48	2.38
Vehicle Maintenance	0.31	0.71
	<b>6,482.05</b>	<b>5,390.95</b>

The figures under the head Electricity & Water Charges and Housekeeping & Cleaning Charges are shown after net of reimbursement.



## 27 - Earning per Share

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2017	Year Ended March 31, 2016
<b>Earning per share</b>		
Surplus attributable to Equity shareholders (Rs. in Lakhs)	6,441.05	6,969.39
Weighted average number of equity shares (In Lakhs)	2	2
<b>Basic earning per share (Amount in Rs.)</b>	<b>3,220.52</b>	<b>3,484.69</b>
<b>Diluted earning per share (Amount in Rs.)</b>	<b>3,220.52</b>	<b>3,484.69</b>
Face value per share (Amount in Rs.)	100	100

## 28. Fair values measurements

### (i) Financial instruments by category

₹ in Lakhs

Particulars	31 March 2017		31 March 2016		1 April 2015	
	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost	FVTPL	Amortised cost
Financial assets						
Trade receivables	-	28,130.13	-	18,774.25	-	19,167.59
Cash and cash equivalents	-	20,470.42	-	24,090.02	-	13,788.60
Other bank balances	-	120,372.46	-	99,729.68	-	98,992.11
Interest Accrued (current)	-	4,201.14	-	4,129.01	-	4,469.46
Security deposits	-	618.35	-	573.72	-	376.54
Fixed deposits	-	291.60	-	291.60	-	291.60
Interest Accrued (non-current)	-	28.75	-	26.65	-	24.71
Total financial assets	-	174,112.85	-	147,614.93	-	137,110.61
Financial liabilities						
Trade payables	-	47,782.97	-	33,392.69	-	36,893.55
Other financial liabilities (current)	-	2,485.00	-	2,410.54	-	1,897.13
Other financial liabilities (non-current)	-	51.46	-	52.46	-	14.96
Total financial liabilities	-	50,319.43	-	35,855.69	-	38,805.64

## (ii) Fair value hierarchy

All financial instruments for which fair value is recognised or disclosed are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is insignificant to the fair value measurements as a whole.

Level 1 : quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities.

Level 2 : valuation techniques for which the lowest level inputs that has a significant effect on the fair value measurement are observable, either directly or indirectly.

Level 3 : valuation techniques for which the lowest level input which has a significant effect on fair value measurement is not based on observable market data.

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Company's assets and liabilities, other than those whose fair values are close approximations of their carrying values.

### Assets and liabilities which are measured at amortised cost for which fair values are disclosed at 31 March 2017:

₹ in Lakhs

	Date of valuation	Total	Fair value measurement using		
			Quoted prices in active markets	Significant observable inputs	Significant unobservable inputs
			(Level 1)	(Level 2)	(Level 3)
<b>Financial assets</b>					
Security deposits given	31-Mar-17	423.46	-	-	423.46

There have been no transfers between Level 1 and Level 2 during the period.

### Assets and liabilities which are measured at amortised cost for which fair values are disclosed at 31 March 2016:

₹ in Lakhs

	Date of valuation	Total	Fair value measurement using		
			Quoted prices in active markets	Significant observable inputs	Significant unobservable inputs
			(Level 1)	(Level 2)	(Level 3)
<b>Financial assets</b>					
Security deposits given	31-Mar-16	375.45	-	-	375.45

There have been no transfers between Level 1 and Level 2 during the year ended 31 March 2016.

**Assets and liabilities which are measured at amortised cost for which fair values are disclosed at 1 April 2015:**

₹ in Lakhs

	Date of valuation	Total	Fair value measurement using		
			Quoted prices in active markets	Significant observable inputs	Significant unobservable inputs
			(Level 1)	(Level 2)	(Level 3)
<b>Financial assets</b>					
Security deposits	01-Apr-15	279.65	-	-	279.65

For cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables, short term borrowing, trade payables and other current financial liabilities the management assessed that their fair value is approximate their carrying amounts largely due to the short-term maturities of these instruments.

The fair values of the Company's long-term interest free security deposits are determined by applying discounted cash flows ('DCF') method, using discount rate that reflects the market borrowing rate as at the end of the reporting period. They are classified as level 3 fair values in the fair value hierarchy due to the inclusion of unobservable inputs including counterparty credit risk.

## **29. Financial risk management objectives and policies**

The Company's principal financial liabilities comprise trade payables, security deposits, earnest money deposits and employee liabilities. The Company's principal financial assets include trade receivables, security deposits, fixed deposits, cash and bank balances that derive directly from its operations.

The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's management oversees the management of these risks. The Company's senior management is supported by the Board of Directors that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Company. The board provides assurance to the Company's management that the Company's financial risk activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with the Company's policies and risk objectives. The management reviews and agrees policies for managing each of these risks, which are summarised below.

### **I. Market risk**

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, currency risk and other price risk. Financial instruments affected by market risk include fixed deposits

#### **A. Interest rate risk**

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates

primarily to the Company's investment in fixed deposits with banks. The company's fixed deposits are carried at fixed rate. Therefore not subject to interest rate risk as defined in Ind AS 107, since neither the carrying amount nor the future cash flows will fluctuate because of a change in market interest rates.

## **B. Foreign currency sensitivity**

Foreign currency risk is the risk that the fair value of future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in exchange rates. Foreign currency risk sensitivity is the impact on the Company's profit before tax is due to changes in the fair value of monetary assets and liabilities. The company is not exposed to foreign currency risk as it does not have any foreign currency monetary assets and liabilities.

## **II. Credit risk**

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables) and from its financing activities.

The maximum credit risk exposure relating to financial assets is represented by the carrying value as at the Balance Sheet date.

### **A. Trade receivables**

"Customer credit risk is managed by the Company's management subject to the established policies, procedures and control relating to customer credit risk management. Credit quality of a customer is assessed based on an extensive credit review and individual credit limits are defined in accordance with this assessment. Outstanding customer receivables are regularly monitored.

At the year end the Company does not have any significant concentrations of bad debt risk other than that disclosed in note 9."

An impairment analysis is performed at each reporting date on an individual basis for major clients. The calculation is based on historical data. The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying value of each class of financial assets disclosed in Note 9. The Company does not hold collateral as security. The Company evaluates the concentration of risk with respect to trade receivables as low, as its customers mainly include the Government of India and its ministries.

### **B. Financial instruments and cash deposits**

Credit risk from balances with banks is managed by the Company's treasury department in accordance with the Company's policy. Investments of surplus funds are made only with approved counterparties.

## **III. Liquidity risk**

Liquidity risk is the risk that the Company will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. The Company's approach to

managing liquidity is to ensure as far as possible, that it will have sufficient liquidity to meet its liabilities when they are due. Management monitors rolling forecasts of the Company's liquidity position and cash and cash equivalents on the basis of expected cash flows. The Company takes into account the liquidity of the market in which the entity operates.

The table below summarises the maturity profile of the Company's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

₹ in Lakhs

	On demand	Less than 3 months	3 to 12 months	1 to 5 years	> 5 years	Total
<b>Year ended</b>						
<b>31-Mar-17</b>						
Trade payables	47,782.97					47,782.97
Other financial liabilities (non-current)	51.46					51.46
Other financial liabilities (current)	2,485.00					2,485.00
	<b>50,319.43</b>	-	-	-	-	<b>50,319.43</b>
<b>Year ended</b>						
<b>31-Mar-16</b>						
Trade payables	33,392.69					33,392.69
Other financial liabilities (non-current)	52.46					52.46
Other financial liabilities (current)	2,410.54					2,410.54
	<b>35,855.69</b>	-	-	-	-	<b>35,855.69</b>
<b>As at 1 April 2015</b>						
<b>Trade payables</b>	36,893.55					36,893.55
Other financial liabilities (non-current)	14.96					14.96
Other financial liabilities (current)	1,897.13					1,897.13
	<b>38,805.64</b>	-	-	-	-	<b>38,805.64</b>

#### IV. Excessive risk concentration

Concentrations arise when a number of counterparties are engaged in similar business activities, or activities in the same geographical region, or have economic features that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic, political or other conditions. Concentrations indicate the relative sensitivity of the Company's performance to developments affecting a particular industry.

In order to avoid excessive concentrations of risk, the Company's policies and procedures include specific guidelines to focus on the maintenance of a diversified portfolio. Identified concentrations of credit risks are controlled and managed accordingly.

### 30 . Capital Management

"The objective of the Company's capital management structure is to ensure that there remains sufficient liquidity within the Company to carry out committed work programme requirements. The Company monitors the long term cash flow requirements of the business in order to assess the requirement for changes to the capital structure to meet that objective and to maintain flexibility.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes to economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, return capital, issue new shares for cash, repay debt, put in place new debt facilities or undertake other such restructuring activities as appropriate.

**No changes were made in the objectives, policies or processes during the year ended 31 March 2017."**

₹ in Lakhs

Particulars	31 March 2017	31 March 2016	1 April 2015
<b>Borrowings</b>			
Trade payables	47,782.97	33,392.69	36,893.55
Other payables	108,279.67	84,683.06	74,346.31
Less: Cash & cash equivalents	(20,470.42)	(24,090.02)	(13,788.60)
<b>Net Debt</b>	<b>135,592.22</b>	<b>93,985.73</b>	<b>97,451.26</b>
<b>Total equity</b>	<b>60,778.15</b>	<b>54,337.11</b>	<b>47,367.72</b>
<b>Capital and Net debt</b>	<b>196,370.37</b>	<b>148,322.84</b>	<b>144,818.98</b>
<b>Gearing ratio (%)</b>	<b>69.05%</b>	<b>63.37%</b>	<b>67.29%</b>

### 31 (a) Reconciliation of equity as at 01 April 2015

₹ in Lakhs

Particulars	Indian GAAP As at 1 April 2015	Ind AS adjustments	Ind AS As at 1 April 2015
<b>I. ASSETS</b>			
<b>(1) Non-current assets</b>			
(a) Property, Plant and Equipment	2,516.37	-	2,516.37
(b) Capital work-in-progress	147.92	-	147.92
(c) Intangible Assets	96.71	-	96.71
(d) Financial Assets			
(i) Non-current investments			-
(ii) Loans	2,024.01	(1,647.47)	376.54
(iii) Other Financial Assets		316.31	316.31
(e) Deferred Tax Assets (Net)	632.88	(632.88)	-
(f) Other non-current assets	8,286.86	(6,772.75)	1,514.11
<b>(2) Current assets</b>			
(a) Inventories			
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	8,673.52	10,494.07	19,167.59
(ii) Cash and cash equivalents	112,780.71	(98,992.11)	13,788.60
(iii) Bank balances other than (ii) above		98,992.11	98,992.11
(iv) Loans	26,587.44	(26,587.44)	-
(v) Other financial assets		4,469.46	4,469.46
(c) Current Tax Assets (Net)		1,915.72	1,915.72
(d) Other current assets	4,469.46	10,889.49	15,358.95
TOTAL	166,215.88	(7,555.49)	158,660.39
<b>II. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
(1) Equity			
(a) Equity Share capital	200.00	-	200.00
(b) Other Equity	45,960.41	1,207.31	47,167.72
(2) Non-current liabilities			
(a) Financial Liabilities			

(i) Borrowings			
(ii) Other financial liabilities	-	14.96	14.96
(b) Other Non-Current Liabilities	21,703.27	(21,703.27)	-
(c) Provisions	1,859.50	(1,859.50)	-
(d) Deferred tax liabilities(Net)	-	52.81	52.81
<b>(3) Current liabilities</b>			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings			
(ii) Trade Payables	85,411.96	(48,518.41)	36,893.55
(ii) Other financial liabilities	-	1,897.13	1,897.13
(b) Other current liabilities	1,507.15	70,852.55	72,359.70
(c) Short-term provisions	9,573.60	(9,499.08)	74.52
(d) Current tax liabilities (net)			
<b>TOTAL</b>	<b>166,215.88</b>	<b>(7,555.49)</b>	<b>158,660.39</b>

### 31 (b) Reconciliation of equity as at 31 March 2016

₹ in Lakhs

Particulars	Indian GAAP As at 1 April 2015	Ind AS adjustments	Ind AS As at 1 April 2015
<b>I. ASSETS</b>			
<b>(1) Non-current assets</b>			
(a) Property, Plant and Equipment	2,184.70	-	2,184.70
(b) Capital work-in-progress	640.38	-	640.38
(c) Intangible Assets	57.48	-	57.48
(d) Financial Assets			
(i) Non-current investments			
(ii) Loans	3,332.62	(2,758.90)	573.72
(iii) Other Financial Assets	-	318.25	318.25
(e) Deferred Tax Assets (Net)	867.65	(832.61)	35.04
(f) Other non-current assets	9,113.79	(6,520.35)	2,593.44
<b>(2) Current assets</b>			



(a) Inventories			
(b) Financial Assets			
(i) Trade Rreceivables	9,978.71	8,795.54	18,774.25
(ii) Cash and cash equivalents	123,819.70	(99,729.68)	24,090.02
(iii) Bank balances other than (ii) above	-	99,729.68	99,729.68
(iv) Loans	29,195.92	(29,195.92)	-
(v) Other financial assets	-	4,129.01	4,129.01
(c) Current Tax Assets (Net)	-	3,252.17	3,252.17
(d) Other current assets	4,129.01	11,905.71	16,034.72
	<b>183,319.96</b>	<b>(10,907.10)</b>	<b>172,412.86</b>
<b>II. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>(1) Equity</b>			
(a) Equity Share capital	200.00	-	200.00
(b) Other Equity	52,832.65	1,304.46	54,137.11
<b>(2) Non-current liabilities</b>			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings			
(ii) Other financial liabilities	-	52.46	52.46
(b) Other Non-Current Liabilities	16,384.71	(16,384.71)	-
(c) Provisions	2,283.29	(2,283.29)	-
(d) Deferred tax liabilities(Net)			
<b>(3) Current liabilities</b>			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	-	-	-
(ii) Trade Payables	100,130.83	(66,738.14)	33,392.69
(ii) Other financial liabilities	-	2,410.54	2,410.54
(b) Other current liabilities	1,306.50	80,839.04	82,145.54
(c) Provisions	10,181.99	(10,107.47)	74.52
(d) Liabilities for current tax (net)			
<b>TOTAL</b>	<b>183,319.96</b>	<b>(10,907.10)</b>	<b>172,412.86</b>

### 31 (c) Reconciliation of Income & Expenditure for the year ended 31 March 2016

₹ in Lakhs

Particulars	Indian GAAP	GAAP adjustments	Ind AS
	Year ended	Year ended	Year ended
Continuing Operations			
Revenue from operations	84,774.40	-	84,774.40
Other Income	8,225.09	38.96	8,264.05
Total Revenue	92,999.49	38.96	93,038.45
EXPENSES			
(a) Cost of materials consumed			
(b) Purchases of finished, semi-finished and other products	29,678.02	-	29,678.02
(c) Support Services Expenses	45,809.84	-	45,809.84
(d) Employee benefit expense	745.29	-	745.29
(e) Depreciation and amortisation expense	575.88	-	575.88
(f) Other expenses	5,726.45	(335.50)	5,390.95
<b>Total Expenses</b>	<b>82,535.49</b>	<b>(335.50)</b>	<b>82,199.98</b>
Profit/(loss) before exceptional items and tax	10,464.00	374.46	10,838.47
Exceptional Items	(130.38)	130.38	
Profit/(loss) before and tax from continuing operations	10,594.38	244.08	10,838.47
Tax Expense			
Current tax	4,023.28	-	4,023.28
Adjustment of tax relating to earlier periods	(66.37)	-	(66.37)
Deferred tax	(234.78)	146.93	(87.85)
Total tax expense	3,722.14	146.93	3,869.06
<b>Profit/(loss) after tax from continuing operations</b>	<b>6,872.24</b>	<b>97.16</b>	<b>6,969.41</b>
<b>Profit/(loss) for the period</b>	<b>6,872.24</b>	<b>97.16</b>	<b>6,969.41</b>
<b>Other comprehensive income</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total comprehensive income for the period</b>	<b>6,872.24</b>	<b>97.16</b>	<b>6,969.41</b>

Footnotes to the reconciliation of equity as at 1 April 2015 and 31 March 2016 and profit & loss for the year ended 31 March 2016

## **1 Security deposits**

Under Previous GAAP, the security deposits paid for lease rent are shown at the transaction value whereas under Ind AS, the same are initially discounted and subsequently recorded at amortized cost at the end of every financial reporting period. Accordingly, the difference between the transaction and discounted value of the security deposits paid towards lease rent is recognized as deferred lease expense and is amortized over the period of the lease term. Further, interest is accreted on the present value of the security deposits paid for lease rent.

## **2 Deferred tax assets**

Previous GAAP requires deferred tax accounting using the profit and loss account approach, which focuses on differences between taxable profits and accounting profits for the period. Ind AS 12 requires entities to account for deferred taxes using the Balance Sheet approach, which focuses on temporary differences between the carrying amount of an asset or liability in the Balance Sheet and its tax base. The application of Ind AS 12 approach has resulted in recognition of deferred tax on new temporary differences relating to various transition adjustments which are recognised in correlation to the underlying transaction either in retained earnings as a separate component in equity.

## **3 Lease equalisation reserve**

Under the previous GAAP, lease rent expenses (in case of non cancellable lease having tenure more than 12 months) were recognised in statement of profit and loss on straight line basis and the difference between the lease rent paid and rent recognised as expense would be credited/ debited as the case may be to lease equalisation reserve. However under Ind AS, lease rents are not required to be straight lined if the increase in rent is representative of general economic inflation. Accordingly, the company has reversed lease equalisation reserve where the increase in rent was representative of general inflation.

## **4 Re-classification**

The company has reclassified previous year figures to conform to Ind AS classification.

Footnotes to the reconciliation of profit & loss for the year ended 31 March 2016

### **1 Prior Period Items**

Under the previous GAAP, prior period items were recognised in the period in which they were discovered, whereas under Ind AS period period items are recognised in the period to which they pertain.

### **2 Rent expense**

Deferred lease expense has been recognized on a straight line basis over the life of security deposits for the term of the deposit.

### 32. Prior period items adjusted in respective previous period Financial Statement.

₹ in Lakhs

Relating to Year	Prior Period Items discovered in FY 2015-16	
	Expenditure	Income
2014-15	2,388.97	2,523.52
Total	2,388.97	2,523.52

During the current FY 2016-17, the company has treated only errors or omissions as prior period. However in FY 2016-17 no error or omission is there and hence, no prior period expense or income.

33. Contingent Liabilities  
As at Balance Sheet date, the contingent liability in respect of off site warranty provided by the company to the users is not considered since all the equipments supplied towards projects are covered under AMC from the vendors/suppliers from time to time, after warranty period.

Contingent liabilities, other than the above, not provided for are as under: -

₹ in Lakhs

i.	Particulars	As at March 31, 2017 (Rs.)	As at March 31, 2016 (Rs.)
	Claim against the Company not acknowledged as debts	108.47	7.45
	Guarantees	1359.58	1068.27
	Income Tax Demand (Assessment Year 2010-11)	7.91	7.91
	Income Tax Demand (Assessment Year 2012-13)	-	37.26
	Income Tax Demand (Assessment Year 2013-14)	-	8.44
	Total	1475.96	1129.33

ii. Rs.65445.02 Lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09 Lakhs towards Spectrum Charges for the period 2009 to 2016 has been levied by DOT as penalty (Refer Note No.47(a).

iii. Penalty @ 2% on Income from V-sat Services (CSC Project and NDRF Project) towards DOT license – Amount unascertained.

### 34. Commitments

The Company has made commitment to procure the trading goods and to avail the services in the subsequent period based on the purchase orders and agreements made with suppliers. Those commitments can be amended as per the agreed terms. However, the amount of such commitments towards internal projects of the company is Rs.17.98 Lakhs (PY Rs.4.94 Lakhs) as at March 31, 2017. In addition, commitment of Rs.61.67 Lakhs (PY Rs.573.78 Lakhs) is also there towards Enhancement & Up-gradation of NIC Cloud Services.

**35. Information pursuant to Para 5(viii) of the General Instructions for preparation to the Income & Expenditure Account given under schedule III of Companies Act, 2013.**

- i. Value of Imports on C.I.F Basis: NIL (PY Rs. NIL)
- ii. Expenditure in foreign currency (on accrual basis):

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2017 (Rs.)	Year Ended March 31, 2016 (Rs.)
Travelling - Staff (Foreign)	31.23	7.02
Total	<b>31.23</b>	<b>7.02</b>

- iii. Earnings in foreign currency (on accrual basis): Rs. Nil (PY Rs. Nil)

**36. Auditor Remuneration\***

₹ in Lakhs

Particulars	Year Ended March 31, 2017 (Rs.)	Year Ended March 31, 2016 (Rs.)
Auditor Fee including Tax Audit Fee	7.54	6.83
For Reimbursement of expenses	2.00	1.58
Total	<b>9.54</b>	<b>8.41</b>

\* Inclusive of applicable taxes. Further, Rs. 4.82 Lakhs (PY Rs. 4.63 Lakhs) are paid for certification work for various projects which are directly debited in the respective projects.

**37. Disclosure pursuant to Ind-As 19 - 'Employee Benefits'**

**i. Contribution to Provident Fund**

The company is not having any Provident Fund scheme as the employees of the company are on deputation from NIC, along-with their posts, as per the Government of India Notification dated 3<sup>rd</sup> March, 1998. The Provident Fund is deducted from their salary every month as per the rates prescribed for the purpose and government guidelines thereon subsequently, passed on to NIC as its entire account is maintained by them. There is thus, no liability of the company towards any payment to the employees on Provident Fund Account.

**ii. Leave Salary**

Since the employees are on deputation from NIC as per the Government of India Notification dated 3<sup>rd</sup> March, 1998, the leave salary contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of leave salary/encashment.-

### iii. Pension Contribution

Since the employee are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3<sup>rd</sup> March, 1998, the pension contribution (as per the prescribed rates to the salary of the respective employee), is calculated / provided by the company in its account every month and subsequently, passed on to NIC. No liability is thus, there on the company towards payment of Pensionary benefits.

### iv. Gratuity

Since the employees are on deputation from NIC as per the said Government of India Notification dated 3<sup>rd</sup> March, 1998, the company is not liable to pay any Gratuity, as the same shall entirely be borne by NIC.

## 38. Related Party disclosures

### I List of related parties

Name of the Party	Relationship
Sh. Manoj Kumar Mishra (15-02-2017 onwards)	Managing Director
Dr. (Mrs.) Ranjana Nagpal (27-12-2016 to 14-02-2017)	Managing Director
Sh. Rajesh Bahadur (01-04-2016 to 26-12-2016)	Managing Director

### ii Transactions with Related Parties :

₹ in Lakhs

Name of Party	Period	Nature of Transaction	Year ended March 31, 2017 (Rs.)	Year ended March 31, 2016 (Rs.)
Sh. Manoj Kumar Mishra	(15-02-2017 onwards)	Managerial Remuneration	3.97	Nil
Dr. (Mrs.) Ranjana Nagpal*	27-12-2016 to 14-02-2017	Managerial Remuneration	Nil	Nil
Sh. Rajesh Bahadur	01-04-2016 to 26-12-2016	Managerial Remuneration	22.87	20.85
	<b>Total</b>		<b>26.84</b>	<b>20.85</b>

\* Held additional charge of MD, NICS and salary drawn from NIC.

iii Balance payable as on 31-03-2017 to Related Parties: Rs.2.00 Lakhs/- (PY Rs.1.52 Lakhs)

## 39. Operating Lease

The Company has hired office space under operating lease. Further, as per IND AS-17 'Leases' the details of total future minimum lease payments is as under: -

₹ in Lakhs

Sl. No.	Particulars	As at March 31, 2017 (Rs.)	As at March 31, 2016 (Rs.)
i.	Not Later than one year	1322.59	1261.56
ii.	Later than one year and not later than five years	7337.06	6916.11
iii.	Later than five years	15807.82	17488.08

#### 40. Disclosure pursuant to IND AS– 108 ‘Operating Segments’

The company is providing services in ‘Information Technology’ segment only from a centralized office in Delhi. Considering the same as one segment only, no disclosure according to IND AS– 108 ‘Operating Segments’ have been made in the financial statements.

#### 41. Balance Confirmation

The balances shown under the head loans & advances, trade receivables, trade payables, advance from customers, EMDs and security deposits are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustments thereof, if any.

#### 42. Non-execution of Conveyance/Title Deed

The Company had purchased Hall No’s 2&3 at 6<sup>th</sup> Floor, NBCC Towers, Bhikaiji Cama Place, New Delhi from M/s. NBCC Limited in the year 2003 and 2001 respectively. However, the Conveyance Deed / Title Deeds towards the same amounting to Rs. 931.50 lakhs (PY 931.50 lakhs) have not yet been got registered by NBCC despite several requests from the company. M/s. NBCC is being reminded regularly in the matter by the company. Hence, the initial provision of Rs 74.51 lakhs (PY Rs 74.51 lakhs) towards amount of Stamp Duty has been kept in the financial statements and the differential amount, if any, shall be provided for in year the same got registered.

#### 43. In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value on realization in ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated.

#### 44. Disclosure u/s 22 of the MSMED Act, 2006

Sl. No.	Particulars	F. Y. 2016-17	F. Y. 2015-16
1	The Principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any supplier.	NIL	NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, along with the amount of the payment made to the supplier.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment but without adding the interest specified under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

4	The amount of interest accrued and remaining unpaid.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.	NIL	NIL

There is no party covered under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act, 2006 in F. Y. 2016-17.

#### 45. Information on Stock-in-Trade

The company does not have any manufacturing unit or facility; as such information regarding licensed/installed capacity are not applicable. The information of stock-in-trade is given below-

₹ in Lakhs

Particulars	FY 2016-2017		FY 2015-2016	
	Qty.	Value	Qty.	Value
	(Nos.)	(Rs.)	(Nos.)	(Rs.)
<b>OPENING STOCK</b>				
Hardware	Nil	Nil	Nil	Nil
Software	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>Total</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>
<b>PURCHASE</b>				
Hardware	3414096	41498.99	2395924	19405.04
Software	278201	7170.21	107050	10272.98
<b>Total</b>	<b>3692297</b>	<b>48669.20</b>	<b>2502974</b>	<b>29678.02</b>
<b>SALES</b>				
Hardware	3414096	43768.25	2395924	20748.06
Software	278201	7650.78	107050	10488.28
<b>Total</b>	<b>3692297</b>	<b>51419.03</b>	<b>2502974</b>	<b>31236.34</b>
<b>CLOSING STOCK</b>				
Hardware	Nil	Nil	Nil	Nil
Software	Nil	Nil	Nil	Nil
<b>Total</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>	<b>Nil</b>

#### 46. Disclosure pursuant to IND AS – 36 'Impairment of Assets'

As per IND AS – 36 'Impairment of Assets' the assessment of impairment of Assets has been carried out during the FY 2016-17 in respect of Data Centre at Laxmi Nagar and Development Centre at Shastri Park locations, which



are cash generating units of the company and no impairment loss has been identified thereon. The assessment of impairment of Assets during the F.Y. 2016-17 has also been carried out in respect of National Data Centre at Shastri

Park towards investment on "Enhancement of NIC Cloud Services" by NICS. It has resulted in an impairment loss by Rs.366.81 Lakhs, which has been provided for the Accounts.

**47. (a) Revenue Generation (GR/ AGR) towards VSAT Projects against DOP License No. 815-100/ NICS/2009-DS dated 20.11.2009 and payment of License Fee and Spectrum Charges to DOT thereon**

NICS had entered into a commercial VSAT License Agreement with DOT on 25.11.2009 and had been paying the License Fee and Spectrum Charges to DOT accordingly. During the year, two projects i.e. CSC and NDRF have been implemented against this License. C&AG Audit in October, 2015 had pointed out that Hon'ble Supreme Court of India, in its Order dated 11.10.2011, had stated that "If the wide definition of Adjusted Gross Revenue so as to include revenue beyond the License was in any way going to affect the Licensee, it was open for the Licensees not to undertake activities for which they do not require License under clause (4) of the Telegraph Act and transfer these activities to any other person or firm or company". NICS thereafter, took up the matter with DOT through MeitY that the DOT charges in respect of NICS should be levied on the revenue generated through these projects only and not on whole revenue of the Company, as per the initial agreed terms. DOT, vide DO No. 32-4/ CCA-Delhi/2015-LFP (KW-2) dated 10.05.2016, has informed that the AGR matter is presently under "Appeal" in Hon'ble Supreme Court and in the hearing on 29.02.2016, the Court has stated that "The Union of India will continue to raise demands as per its understanding, however, the same will not be enforced till the final decision of the controversy by this Court". DOT has further stated that the assessment shall continue to be made in accordance with the terms & condition of the relevant License Agreements and the guidelines/ instructions/ clarifications issued from time to time, as is being done hitherto, until further orders. However, DoT, vide its letters No. 7-16/ 2009-LF/ VSAT 2015-16/ 107 dated

09.02.2017 and No. WPF-1000/ NICS/ Comm. VSAT/ 2010-11/ 107 dated 09.02.2017, had sent a provisional assessment to NICS at Rs.65445.02 Lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09 Lakhs towards Spectrum Charges for the period 2009 to 2016. Against this demand, NICS had taken-up the matter with MeitY and Secretary, MeitY had sent a D.O. letter No. 80752/GEN/ND dated 14.03.2017 to Secretary, DoT to revise the said demand as per NICS revenue from VSAT services only, as per their original clarification vide letter dated 25.11.2009 and Hon'ble Supreme Court of India's said interim advice dated 29.02.2016 on assessment, till final decision in the matter is taken. Response from DoT is awaited. NICS has therefore, paid/provided the charges to DOT during the year as per past practice accordingly.

**(b) VSAT for CSC Project**

During FY 2016-17, an amount of Rs.296.56 Lakhs has been generated as revenue towards V-Sat for CSC in North East Project against DOT License No. 815-100/NICS/2009-DS dated 20/11/2009. The details are as follows:-

₹ in Lakhs

S. No.	Particulars	FY 2016-17 (Rs.)	FY 2015-16* (Rs.)
(a)	Total Revenue as per Income and Expenditure A/c of the Company	132707.40	92999.49
(b)	Income from V-sat Services (CSC Project) towards said DOT license	296.56	879.04
(c)	Revenue from Projects other than at (b)	132410.84	92120.45

The fee of DOT against the above license towards this project on NICSI's revenue has been charged to the project No.80752/GEN/ND.

Penalty, if any, to be imposed by DOT in the project would be accounted for in the year in which it would be levied.

### (c) VSAT for NDRF Project

During FY 2016-17, an amount of Rs.343.54 Lakhs has been generated as revenue towards V-Sat for NDRF Project against DOT License No. 815-100/NICSI/2009-DS dated 20/11/2009. The details are as follows: -

₹ in Lakhs

S. No.	Particulars	FY 2016-17 (Rs.)	FY 2015-16* (Rs.)
(a)	Total Revenue as per Income and Expenditure A/c of the Company	132707.40	92999.49
(b)	Income from V-sat Services (NDRF Project) towards said DOT license	343.54	1283.61
(c)	Revenue from Projects other than at (b)	132363.86	91715.88

The fee of DOT against the above license towards this project on NICSI's revenue has been charged to the project No. 111116/GEN/ND.

Penalty, if any, to be imposed by DOT in the project would be accounted for in the year in which it would be levied.

\* As per Audited financial statements for FY 2015-16.

### 48. Operating Margin (Administrative Charges) on NKN Project

As per the minutes of the High Level Committee meeting held on 19/07/2011 towards NKN Project, specific approval from Integrated Finance Division (IFD) of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) towards levying 1% Operating Margin on the expenditure under NKN Project is awaited. However, as per the approval from the Board of Directors, the company has been booking its Operating Margin @1% of expenditure, subject to Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY's) approval.

### 49. Grants-in-Aid Projects

The Company is in process of getting the accounts of grants-in-aid projects audited as on March 31, 2017. The Audit of Grants in aid projects for F.Y. 2016-17 would be conducted after the financial statements for that year are adopted.

The interest on unutilized fund on Grant-in-Aid projects (including NKN Project) for the F. Y. 2016-17 amounting to Rs.499.10 Lakhs (P. Y. Rs.786.85 Lakhs including NKN Project) has been reduced from interest income for the year.

## 50. Service Tax on Advance

A Demand-cum-Show Cause Notice No. 38 / Audit /2014-15 / 13266 – 71 dated 24.06.2014 had been received in NICS I from the O/o the Commissioner of Service Tax, New Delhi, towards depositing the Service Tax of Rs.389.02 crores and interest of Rs.13.94 crores. A personal hearing and submission of final reply against the said notice was made on 10-03-2015. The "Order-in-Original" No. 16/ST/SVS/DL-III/2015 dated 16.06.2015 was received from the Principal Commissioner of Service Tax (Delhi-III Commissionerate), according to which, the decision is as under:

- a) " I hereby **drop** the entire service tax demand of Rs.389,02,36,342/- (Rupees: Three hundred and eighty nine crore two lakhs thirty six thousand three hundred and forty two only) including Education Cess and S&HE Cess proposed in the SCN's for the period 2008-09 to 2012-13 and
- b) I confirm the demand of interest of Rs.13,93,72,760/- (Rupees thirteen crore ninty three lakhs seventy two thousand seven hundred and sixty only) and order to adjust the same against the amount deposited by assessee under protest. (Rs.44.23 crores)."

The company has not filed any appeal against the demand of interest of Rs. 13,93,72,760/- and charged off the same in books of accounts as an expense in FY 2014-15 itself.

However, the Service Tax Department had filed an "Appeal" before Hon'ble Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) vide Appeal No. ST/APPEAL No.53521 OF 2015 ST(DB) dated 16-10-2015 against the dropping of the said Service Tax demand of Rs.3,89,02,36,342/- and also, an Application for "Stay" in the matter till the decision on the Appeal. CESTAT, heard the Application for "Stay" on 10.05.2016 and dismissed the same. The hearing on the Appeal is awaited before CESTAT. The Company had accordingly, filed a fresh Application with the Service Tax Office for refund of Rs. 30,29,27,240/- on 15.06.2016. The Service Tax Department, vide Order dated 30.11.2016, sanctioned the refund of Rs. 30,29,27,240/- to NICS I which has been received.

## 51. Recognition of Operating Margin

The company is facilitating computer hardware on behalf of Government Departments and organizations for which administrative charges as approved by Board are being levied on receipt of bills, along with acknowledgment towards deliveries to the customers are completed.

As per Board approval, the rates of Operating Margin during F.Y. 2016-17 have been as under:

Project Cost	Rate in percentage of Project cost
Upto Rs.50 crore	7%
Above Rs.50 crore	5%

(The above rates are applicable since 15.01.2015 and prior to that, different slab rates were applicable between 3 to 8% of the cost of project).

However, as per MeitY approval, the company has not been charging any Operating Margin from NIC on the procurement towards their internal projects and further, towards Digital Signature Project, the company has been taking a uniform Operating Margin @ 5% irrespective of project cost.

#### **52. Fixed Operating Margin in NICSI Project Nos. D150084, D150085, D150086 and D150087 from MeitY.**

MeitY, vide its Administrative Approval No. 3 (64)/ 2014-EG-II dated 29.03.2015, had given "Asset Mapping of Panchayats" to NICS I at a total cost of Rs. 3238.99 Lakhs, mentioning therein that the Operating Margin of NICS I would be Rs. 100.00 Lakhs. NICS I has taken up the matter with MeitY informing that the rate of Operating Margin on the cost of project is 7% and the Administrative Approval be accordingly revised. Feedback from MeitY is awaited. However, NICS I has taken its income at 7% in the project during the year and would be further following up the matter with MeitY to revise the rate / amount towards its Operating Margin in the project.

#### **53. Advance under the NKN Project**

In FY 2010-11 Rs. 1303 crores (approx) was given as an advance to various vendors/suppliers on which administrative charges (Operating margin) @1% was charged in that year itself. In the F.Y. 2016-17, the bills received for settlement against the above advance of Rs. 1303 Crores, the administrative charges (Operating margin) are not levied on these. As on 31-03-2017, the advances of Rs. NIL (P.Y. Rs. 44.02 crores) is pending with the vendors/ suppliers for settlement, out of the said Rs. 1303 crores.

#### **54. Expenditure towards 4<sup>th</sup> Floor, DMRC, Shastri Park, Delhi**

During F.Y.2016-17, NICS I has incurred expenditure of Rs.419.03 Lakhs (P.Y. Rs.366.67 Lakhs) towards rent, maintenance, electricity, security etc., which has been entirely debited to the NKN project (100069/GEN/ND).

#### **55. Income/Expenditure on National Data Centre Project, Shastri Park, Delhi**

MeitY had approved that from 01-04-2014 onwards, NICS I would be incurring operational expenditure headwise on the National Data Centre, Shastri Park, Delhi upto Rs.8.00 crores on the heads Rent & Maintenance/ Basic Infrastructure Maintenance/ Basic Infrastructure O & M Manpower and NIC would reimburse the expenditure from its Budgetary Provision to NICS I towards Electricity & Diesel Charges/ Physical Security & Housekeeping Charges/ Water Charges/ Logistics Support/ Contingency Charges upto 3% of all these charges, after these expenditure are initially incurred by NICS I. Against the expenditure of Rs.8.00 crores, NICS I would generate income through servers given to other organizations on chargeable basis. In case the income is less than the expenditure, the balance amount would be treated as Promotional Expenses towards NICS I objectives. During the year the income for NICS I has been Rs.1235.20 Lakhs (P. Y. Rs.1801.17 Lakhs ) as against the expenditure of Rs. 570.95 Lakhs (P.Y. Rs.818.61 Lakhs).

## 56. Expenditure towards Corporate Social Responsibility

During the Financial Year 2016-17, no expenditure has been distinctly booked towards Corporate Social Responsibility, as not applicable being a Section 8 Company.

## 57. LTC to NICS I employees on deputation from NIC

The company had reimbursed an amount of Rs. 1.89 crore towards LTC, based on the Service Rules of NICS I to the NICS I employees deputed from NIC during the Financial Years 2010-11 to 2013-14. This amount had been reimbursed by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49<sup>th</sup> meeting held on 17.05.2006 and amended in 69<sup>th</sup> meeting held on 24.09.2010, which were not in line with DPE/ DOPT guidelines & CCS LTC Rules. These Service Rules had thereafter, been sent by NICS I to NIC/MeitY on 11.11.2014 for ratification. As per Board approval that the recovery be made in installments, NICS I had recovered the amount from the salary of employees in May, 2015. Against the same, the employees had filed a Writ Petition in the Hon'ble Delhi High Court against the recovery and the Court, vide **"Order"** dated 09.06.2015, had granted the **"Stay"** on the recovery of amount from the employees, pending the final decision by the Court in the matter. Finally, the Hon'ble Delhi High Court, in its judgment dated 18.03.2016, had decided that **"Service conditions which induce the present appellants to apply for NICS I for deputation and continue there held out a liberalized LTC option. That option was availed of continuously. The LTC regulations were amended further-it is not in dispute that the original regulations of NICS I and the amendments continue in force. In these circumstances, the recovery sought to be made without altering the conditions of service could not have been upheld. Accordingly, the respondents are permitted to recover only amounts paid in excess of the deputation terms either pre-2010 as existing with some of the employees joined the organization or those which are contrary to the 2010 amendments. The Appeal is allowed to that extent"**.

MeitY, vide letter dated 14.07.2016, had directed NICS I to continue recovery of over-payment to the employees who had irregularly drawn LTC. NICS I, vide letter dated 29.07.2016, informed MeitY that in view of the current directives, NICS I has re-started the process of recovery of over-payment made to the employees on account of LTC and an Office Memorandum was also issued towards the same on 29.07.2016 itself, informing that the recovery would start from the salary for the month of August, 2016. The matter was simultaneously submitted by NICS I to MeitY on 16.08.2016.

In the meantime, the affected employees had gone to Hon'ble Delhi High Court by filing a contempt petition against the re-started process of recovery as per the said NICS I O.M. dated 29.07.2016, in which NICS I and MeitY were both made Respondents. MeitY had re-considered the matter and advised NICS I, vide note dated 17.03.2017, to adhere to the said decision dated 18.03.2016 from Hon'ble Delhi High Court in the matter. Based on MeitY directive, NICS I issued O.M. dated 21.03.2017 mentioning "not to effect recovery of LTC claims by NIC/ NICS I employees and further, the recovery of amounts already made to be paid back to concerned officers in due course. The Respondents accordingly, informed the decision to Hon'ble Delhi High Court in its hearing on 23.03.2017 by handing over a photocopy of the O.M. dated 21.03.2017. The contempt petition was thus treated as disposed off as satisfied and the respondents were directed to forthwith give effect to the O.M. dated 21.03.2017

### **58. Project Incentive to NICS I employees on deputation from NIC**

The Company had paid an amount of Rs. 2.11 crores towards Project Incentive to the NICS I employees deputed from NIC for the Financial Years 2007-08 to 2013-14. In addition, an amount of Rs. 44.84 Lakhs had been provided in the Accounts for F.Y. 2014-15, Rs. 45.80 Lakhs for F. Y. 2015-16 towards the same, based on the guidelines approved by the Board of Directors in its 60<sup>th</sup> meeting held on 22.12.2008 which are not in line with DPE guidelines. Matter had been taken up by NICS I with NIC/ MeitY to approve the guidelines. TDS on Project Incentive will be deducted at the time actual payment. Since no feedback in the matter is yet received, no provision towards Project Incentive has been made in the financial year 2016-17.

### **59. Interest on Un-utilized fund of Grant in Aid projects**

Till F.Y. 2011-2012, the Company was treating the amount received from Grantor Institution for execution of projects as 'Advances received from customer' instead of treating them as Grant in Aid receipt and accordingly, no interest was provided on un-utilized fund to Grantor Institution. Board of Directors vide meeting dated 21-12-2011 has approved to calculate and refund the interest earned on unutilized fund available in Grant in Aid Projects from time to time as per the rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks. Accordingly, the Company has calculated and refunded the amount of interest to the Grantor institution i.e. rate of interest applicable in the Saving Bank Accounts in the Public Sector Banks whereas as per terms and conditions laid down by the Grantor Institution the actual interest earned on un-utilized balance of Grant in Aid projects is to be refunded. The Board of Directors, in its 100<sup>th</sup> meeting held on 28.03.2017, has re-considered the matter and advised NICS I to refund the interest on Grants-in-Aid Project on actual basis. NICS I would accordingly, be refunding the interest in Grants-in-Aid Projects to the government on actual basis in subsequent year.

### **60. "Interior fit-outs (Civil / Electric) Works etc. at hired accommodation" on the 5<sup>th</sup> floor at Shastri Park, Delhi.**

The Company had placed a work order in April 2013 to M/s Teekays towards interior furnishing, etc work on the 5<sup>th</sup> floor at Shastri Park, Delhi. Due to some reasons, the Work Order awarded to M/s Teekays was subsequently cancelled in November, 2013 and later on awarded in January, 2014 to M/s NBCC Limited, a CPSE of Government of India, based on the guidelines from Ministry of Urban Development (Work Division), on nomination basis with approval of Board of Directors. NBCC had accordingly, started the interior work through the Contractors selected based on tender process and the work is since completed. The floor is now given by NICS I to the Ministry of Home Affairs for its IVFRT Centre on 11.07.2016.

### **61. Transport Allowance and House Rent Allowance to NICS I employees on deputation from NIC**

The Company has paid an excess amount of Rs. 0.49 crore towards Transport Allowance and Rs. 0.17 crore towards House Rent Allowance to the NICS I employees deputed from NIC during the period from 01.07.2007 to 31.03.2014. This amount has been paid by the Company based on the Service Rules approved by the Board of Directors in its 49<sup>th</sup> meeting held on 17.05.2006 which is not in line with GOI Rules. These Service Rules have been sent by NICS I to NIC / MeitY on 11.11.2014 for ratification. Further feedback in the matter is awaited. Payments have also been made by the company during the year 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

## **62. Director (Finance) in NICSI**

The Company had been set-up by NIC under MeitY in the year 1995. Since then, the Additional Financial Advisor (AFA), NIC has been looking after the functions of Financial Advisor, NICSI, as an additional charge. The Board of Directors of NICSI, in its 98<sup>th</sup> meeting held on 30.09.2016, had felt that in view of NICSI's procurement process to be strengthened and suitable check & balance system to be introduced to have best practices, NICSI should have a full-fledged Finance Division, headed by a full-time Director (Finance) as a Board Member, supported with requisite Manpower. As per NIC advice, vide letter dated 26.12.2016, NICSI has appointed , a General Manager as full-time Financial Advisor/ Controller of Accounts w.e.f. 23.05.2017, vide Office Order No. 1(1)/2017-Admn dated 23.05.2017. This is approved by the DG, NIC and also, by Secretary, MeitY. NICSI Board has also taken note of the same in its 101<sup>st</sup> Meeting held on 22.06.2017.

## **63. Trade Receivables**

NICSI implements a large number of new projects every year from various Ministries/ Departments / Organizations of the Government of India and States / UTs. As per the provisions in the General Financial Rules (GFRs), they restrict the release of advances to NICSI to 40% or so, whereas in many cases mainly related to procurement of ICT Hardware, NICSI has to release the work orders to full extent and after delivery / installation of those items, NICSI has to release the payments to the vendors as per the payment terms in the work orders. This, on many occasions, result in Trade Receivables, disclosed in note no. 9 of the financial statements, amount of trade receivables of Rs. 28130.13 Lakhs (PY Rs. 18774.25 Lakhs) as at March 31, 2017, which is followed up by NICSI from time to time with the concerned Departments /Organizations to recover the same.

## **64. Income Tax Exemption Appeal with ITAT**

The company had filed an application with the Commissioner of Income Tax on 13.06.2013 for its Registration u/s 12A (a) of the Income Tax Act, 1961. However, the request was rejected by the Competent Authority, vide "Order" dated 17.12.2013. NICSI had thereafter filed an Appeal with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi on 20.02.2014 in the matter, against the order of dated 17.12.2013. The Hon'ble ITAT vide Order dated 17.04.2017 has directed the Income Tax Authorities to grant the registration u/s 12A to NICSI. The company has filed an application with Income Tax Department for further necessary action.

## **65. Classification of Assets and Liabilities into current and non-current**

The company provides the bifurcations of Assets & Liabilities into 'Current' and 'Non-Current' in the financial statements on the basis of estimation of recoverability/payment within operating cycle.

## **66. Publishing of "Notice Inviting Tenders" (NIT) in the Dailies by NICSI through DAVP**

As on 01.04.2016, DAVP was having advances of Rs. 39.93 Lakhs outstanding from NICSI towards publications. During the year, NICSI had released further advances of Rs. 6.37 Lakhs to DAVP. Adjustments made during the year were for Rs. 18.90 Lakhs.

## 67. Retention Money

During the year 2016-17, some vendors has not submitted the performance bank guarantees as per the terms & conditions of empanelment but rather requested to the company to retain the amount equivalent to performance bank Guarantee from his payment. Accordingly Rs.296.18 Lakhs (P. Y. Rs.371.57 Lakhs) has been retained and transferred to a new head naming Retention Money.

## 68. Income Tax

Income Tax paid (Schedule 13 – Current Tax Assets) includes certain balances of TDS/Advance Tax refundable from FY 2007-08 to FY 2014-15. The Company has filed necessary applications with Income Tax Department for refund/adjustment. The final entry, if any, shall be made in the year of refund/adjustment.

## 69. Obsolete Items

The Company has certain obsolete items of Fixed Assets as on 31-03-2017. Action is in process to dispose off these items. Till the time the same being disposed off, the carrying value of such assets is appearing in Fixed Assets and depreciation as per companies accounting policy is being charged

As per our report of even date  
**For Goel Garg & Co.**  
Chartered Accountants  
Firm Registration No. 000397N

**For and on behalf of the Board of Directors of  
National Informatics Centre Services Inc.**  
CIN: U74899DL1995NPL072045

**Sd/-**  
**Ajay Rastogi**  
Partner  
Membership No.084897

**Sd/-**  
**Manoj Kumar Mishra**  
Managing Director  
DIN: 07652553

**Sd/-**  
**Dr. Ajay Kumar**  
Chairman  
DIN:01975789

**Sd/-**  
**Dr. Girish Kumar**  
Company Secretary  
FCS: 6468

**Sd/-**  
**Pradeep Kumar**  
FA & CA

Place: New Delhi  
Date: 11-09-2017

Place: New Delhi  
Date: 08-09-2017



# INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

## TO THE MEMBERS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.

### Report on the Ind AS financial statements

We have audited the accompanying Ind AS financial statements of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2017, the Income & Expenditure Account, the Cash Flow Statement, statement of changes in equity for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

### Management's Responsibility for the Ind AS financial statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Ind AS financial statements that give a true and fair view of the state of affairs, income and expenditure (including other comprehensive income), cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these Ind AS financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under and the order under section 143(11) of the Act.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Ind AS financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the Ind AS financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the Ind AS financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the Ind AS financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit opinion on the Ind AS financial statements.

1. Reference is invited to the note no.49 and 59 of the Ind AS financial statements, regarding Grants-in-aid,
  - a) The unaudited accounts of grant-in-aid projects have been incorporated in the Ind AS financial statements of the Company.
  - b) During the current year, the interest on Grant-in-Aid projects amounting to Rs. 499.10 Lakhs (Previous year Rs. 786.85 Lakhs) has been reduced from interest income earned during the year as per the interest rate on saving bank account given by the public sector banks based on the management estimation instead of actual interest earned on unutilized funds of Grant-in-aid projects as per the terms & conditions laid down by grantor institution.
  - c) Till FY 2014-15, the Company paid interest on unutilized amount of Grants-in-Aid projects without considering service tax paid in Grants-in-Aid projects. From the FY 2015-16 Company has changed its method of calculation and considered Service tax paid in Grants-in-Aid projects while calculating interest. The effect of same on previous year's interest payment has not been worked out.

The overall impact of matters referred to in the preceding para on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable.

2. Reference is invited to note no. 48 and 51 of Ind AS financial statements on recognition of operating margin
  - i) The company as per MeitY approval, has not been charging any operating margin from NIC on the procurement towards their internal project.
  - ii) The Company, has been taking a uniform operating margin @5% on digital signature project irrespective of project cost.
  - iii) Revenue from operation includes income recognized @ 1% as administrative charges of expenditure incurred on NKN Project. The same is subject to Ministry of Electronics & Information Technology ('MeitY') approval.

In the absence of documentation and details, the overall impact of matters referred to in the preceding paras on the Ind AS financial statements for the year is unascertainable and unquantifiable.

3. Reference is invited to note no. 52 of Ind AS financial statements regarding MeitY project of "Asset Mapping of Panchayats" having total cost of Rs. 3238.99 Lakhs and the Operating Margin of NICSI, as per Administrative Approval is fixed at Rs. 100.00 Lakhs. The Company has taken its income at 7% of expenses incurred for the project during the year as per the rate of operating margin approved by the Board. Feedback from MeitY is not received.
4. In our opinion, internal controls/internal audit systems in relation to, project management, book keeping, invoicing, procurement, stores, inventory, physical verification of fixed assets and tendering process of the company are not commensurate with the size and nature of its operations.
5. Reference is invited to note no.41 of the Ind AS financial statements, balance confirmations have not been received from Trade Payables, Trade Receivables, Advances received from customers, Earnest Money Deposits receipts, Security deposits and Grants-in-aid received for balance outstanding as at March 31,

2017. In the absence of confirmations, we are unable to comment on the accuracy of the balances and adjustment thereof, along with impact, if any, on Ind AS financial statements.

6. Reference is invited to Note 9 to the Ind AS financial statements and accounting policy No. 2(xvii), Provision for bad and doubtful debts as on balance sheet date amounting to Rs. 303.28 Lakhs (Previous Year Rs.271.48 Lakhs) created against trade receivables. In the absence of balance confirmations and proper documentation, we are unable to comment on the adequacy of such provision and impact thereof, if any, on Ind AS financial statements.
7. Reference is invited to accounting policy no.2(ix) regarding credit note issued. In the absence of sufficient documentation in relation to completeness of reversal of such excess income. we are unable to comment on the accuracy and completeness. Impact of same on the Ind AS financial statement is unascertainable and unquantifiable.
8. Reference is invited to note no. 65 of the Ind AS financial statements, Companies Act, 2013 requires classification of Assets and Liabilities into current and non-current. In absence of documentary evidence showing reasonable basis for such bifurcation disclosed in the Ind AS financial statements, we are unable to comment on accuracy of such disclosure.
9. Reference is invited to note no. 14 of the Ind AS financial statements, Taxes Recoverable as on balance sheet date includes Sales tax recoverable balance of Rs. 117.70 Lakhs which pertains to financial year 1996-97 to 2013-14 and TDS on works contract Rs. 2.34 Lakhs for FY 2000-01. In the absence of reasonable and sufficient documentation in relation to recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any.
10. Reference is invited to note no. 68 of the Ind AS financial statements regarding current tax assets of Rs. 6036.78 Lakhs which includes certain balances of TDS/Advance tax refundable from FY 2007-08 to 2014-15. In the absence of reasonable and sufficient documentation in relation to recoverability of above, we are unable to comment on the accuracy and existence of these balances and consequential impact on the Ind AS financial statements, if any
11. Reference is invited to note no. 57 of the Ind AS financial statements regarding LTC payment by the Company in the period 2010-11 to 2013-14 amounting to Rs. 1.89 Cores without approval of MietY. Pending approval/finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, of the matter on the Ind AS financial statements of the Company.
12. Reference is invited to note no. 58 of the Ind AS financial statements regarding project incentive paid/ providedby the Company for the period 2007-08 to 2015-16 amounting to Rs. 3.02 crores without approval of MietY/NIC. Pending approval/finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company.
13. Reference is invited to note no. 61 of the Ind AS financial statements regarding payment of Transport and House Rent Allowance being paid/provided by the Company from 01.07.2007 to 31.03.2017 without

approval/rectification by MeitY. Pending finalization of matter, we are unable to comment on the impact, if any, on the Ind AS financial statements of the Company.

14. Reference is invited to note no. 69 of the Ind AS financial statements regarding Obsolete Assets, During the physical verification of fixed assets conducted by the Company, some assets are identified as obsolete/ non-working. Effect of the same has not been provided for the Ind AS financial statements. In the absence of documentation and details, consequential impact on the Ind AS financial statement for year is not ascertainable and quantifiable.
15. Reference is invited to note no. 47 regarding method of calculating License Fee and Spectrum Charges and demand of Rs. 65445.02 lakhs towards License Fee and Rs. 32383.09Lakhs towards Spectrum Charges raised by DOT, the Company has paid/provided for the License Fee and Spectrum Charges to DOT during the year as per past practice. As the matter is pending in Hon'ble Supreme Court of India consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.
16. Reference is invited to note no. 66 regarding advance for publishing of "Notice Inviting Tenders" in the dailies through DAVP. The advance given is subject to settlement and adjustment. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.
17. Reference is invited to note no. 19 Other Financial Liabilities which includes liability of Earnest money Deposit of Rs. 1396.41 crores. In the absence of sufficient and reasonable documentary evidence, we are unable to comment on completeness and accuracy of this amount. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.
18. Reference is invited to invited to note no. 17 and 19 other financial liabilities include securities deposit payable Rs. 51.46 Lakhs and Earnest Money Deposit Payable Rs. 1396.41Lakhs which are not measured at amortized costs or at fair value as per Significant Accounting Policy 2(vii) and (viii) regarding measurement of financial liabilities. Consequential impact, if any, on the Ind AS financial statement is not ascertainable and quantifiable.
19. The Company has not complied with the following Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015. -
  - i. Reference is invited to the Cash Flow Statement, fixed deposits with maturity period of more than 3 months have been considered as Cash Equivalents at the beginning and at the end of the year. This is resulting in non-compliance with requirement of Ind AS 7 "Statement of Cash Flows".
  - ii. The company has not complied with disclosure requirements Ind AS 10 "Events after the Reporting Period", as the Company receives service and material on behalf of third party to carry out certain projects. Sometimes, as informed to us, information related to such expense and acquisition comes after closing date and the same has not been recognized in the Ind AS financial statements.
  - iii. Reference is invited to the note no. 2(ix) of the Ind AS financial statements; as per the Company's policy, revenue on sales of goods is being recognized at the time of generation of invoice, whereas,

the risk and reward are transferred to customers on acceptance of goods. This is resulting in non-compliance of Ind AS 18 Revenue Recognition.

- iv. Refer note no. 37 of the Ind AS financial statements, provision for pension contribution and leave salary liability as at March 31, 2017 has been made on the basis of guidelines issued by the Central Government and not as per requirement of Ind AS 19 Employee Benefits.
- v. Reference is invited to the note no. 38 of the Ind AS financial statements; the Company has disclosed only key managerial person of the Company as a related party. The company has not examined and disclosed the transactions with other related parties. This has resulted in non-compliance with Ind AS 24 Related Party Disclosures

### **Qualified Opinion**

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matters described in the 'Basis for Qualified Opinion' paragraph above, the aforesaid Ind AS financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India including the Ind AS, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2017, and its surplus (including other comprehensive income) and its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

### **Other Matters**

#### **Without qualifying our opinion, we lay emphasis that-**

- a. The Company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013, the company has to apply its surplus, if any, in promoting its objects. The company has accumulated reserves of Rs. 60578.14 Lakhs (PY Rs. 54137.11 Lakhs) on account of surplus earned. No proper information is readily available with regard to future plans of the company with respect to application of its surplus in promoting its objects as mentioned in Memorandum of Association ('MOA').
- b. Reference is invited to note no. 63 of the Ind AS financial statements, the company has incurred extra expenditure than the advances received from user departments in case of some projects, as they restrict the release of advances to NICS I to 40% or so as per GFR provisions. Reference is also invited to note no. 9 of the Ind AS financial statements, amount of trade receivables of Rs. 28130.13 Lakhs (PY Rs. 18774.25 Lakhs) as at March 31, 2017 is on account of such excess project expenditure incurred by the Company.
- c. The Company is not maintaining separate bank accounts for money received for separate projects. Though, the company is maintaining a separate project account for each project in the accounting software.
- d. Reference is invited to the note no. 42 of the Ind AS financial statements, conveyance/title deeds in respect of office building at Bhikaji Cama Place, New Delhi of Rs. 931.50 Lakhs are pending for execution/ registration.
- e. Reference is invited to note no. 60 of the Ind AS financial statements, due to irregular/improper execution of interior fit out works at hired accommodation at 5th floor (DMRCIT Park, Shastri Park, Delhi) by the company in contravention of GFR guidelines and resultant delay in occupation of hired accommodation

leading to unfruitful payment of rent and maintenance charges.

- f. Reference is invited to note no. 64 of the Ind AS financial statements, the Company had filed an application with the commissioner of income tax on 13/06/2013 for its registration under section 12A of the Income Tax Act, 1961. However the same application was rejected by the commissioner of income tax. The company's appeal with the Income Tax Appellate Tribunal, New Delhi against CIT order has been decided in favour. Appeal effect is still pending with income tax Department
- g. Reference is invited to Note no. 32 of Ind AS financial statements, in relation to prior period expenses/ income, the Company has treated only errors or omissions as prior period.
- h. Reference is invited to note no. 53 of the Ind AS financial statements, as per information provided to us the company recognized revenue of Rs. 1,303 crores during FY 2010-11 on the basis of advances received instead of actual expenses incurred for National Knowledge Network 'NKN' Project. In the current year, the Company has not recognized any income on the expense incurred out of above advances.
- i. As per Ind AS 18 Revenue Recognition, the company is acting as an agent as the amount the entity earns is predetermined, being either a fixed fee per transaction or a stated percentage of the amount billed to the customer. The amounts collected and paid on behalf of the principal are not revenue. However the Company is showing amount collected as revenue. This is resulting in non-compliance with requirement of IND AS 18 Revenue Recognition.
- j. Reference is invited to note no. 58 of the Ind AS financial statements regarding non provision of project incentive for the current year as the same is not inline with DPE Guidelines.

### **Report on Other Legal and Regulatory Requirements**

- 1. The Company is licensed to operate under section 8 of the Companies Act, 2013, therefore, the disclosure required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government in terms of Section 143(11) of the Act is not applicable.
- 2. As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:
  - a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as mentioned in basis of qualified opinion paragraph above.
  - b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.
  - c) The Balance Sheet, the Income and Expenditure Account, and the Cash Flow Statement and Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of account.
  - d) Except for the matters described in basis of qualified opinion, in our opinion, the aforesaid Ind AS financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act.

- e) The internal controls described in sub paragraph 6 under the basis for qualified opinion above, in above opinion, may have adverse effect on the functioning of the company;
  - f) Since the company is a Government company, sub-section (2) of section 164 of the Companies Act, 2013 regarding director's disqualification, is not applicable to the Company in terms of Notification No. GSR-463 (E) dated 05.06.2015;
  - g) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A". Our report expresses qualified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;
  - h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
    - i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its Ind AS financial statements (Refer Note no. 33 to the Ind AS financial statements);
    - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
    - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
    - iv. The company has provided requisite disclosures in its Ind AS Financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 and these are in accordance with the books of accounts maintained by the Company. Refer Note No. 10 to the Ind AS financial statements.
3. Our separate report on directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013 is attached as annexure B.

**For Goel Garg & Co.**

Chartered Accountants

(FRN. 000397N)

**Sd/-**

**(Ajay Rastogi)**

Partner

(M. No. 084897)

Place: New Delhi

Date: 11th September 2017

# **ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.**

## **Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")**

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.** ("the Company") as of March 31, 2017 in conjunction with our audit of the Ind AS financial statements of the Company for the year ended on that date.

### **Management's Responsibility for Internal Financial Controls**

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

### **Auditors' Responsibility**

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's



judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the Ind AS financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

### **Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting**

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Ind AS financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable details, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Ind AS financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the Ind AS financial statements.

### **Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting**

Because of the Inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changed in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

### **Qualified Opinion**

According to the information and explanations given to us and based on our audit, the following material weaknesses have been identified as at March 31, 2017;

- a) The Company did not have an appropriate internal control system for reconciliation/confirmation of vendor balances. These could potentially result in material misstatements in the Company's trade payables.
- b) The Company did not have an appropriate internal control system on releasing of performance Bank Guarantees of vendors. These could potentially result in non recovery of damages from defaulting vendors.
- c) The Company did not have an appropriate internal control system to ensure proper accounting of amount directly deposited/electronically transferred in bank of Company by the client department. These could potentially result inefficient utilization of Fund and fund lying idle in Bank.
- d) The Company did not have an appropriate internal control system on investment of excess funds in fixed

deposits. These could potentially result in loss of interest income.

- e) The Company did not have an appropriate internal control system on verification of delivery of goods supplied by vendor to the user. These could potentially result in Company recognising revenue without establishing reasonable certainty of delivery without direct confirmation from user.
- f) The Company did not have an appropriate internal control system for recovery and regular follow up for recovery of dues from clients.
- g) The Company did not have an appropriate internal control system to ensure the purchases made by Company are GFR compliant. Purchases are being made through strategic alliances without open tenders.
- h) The Company did not have an appropriate internal control system to ensure liquidity damages are deducted in all cases of delay in supply by the supplier. These could potentially result in excess payment to suppliers without deduction of penalty on delay.

A 'material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the company's annual Ind AS financial statements will not be prevented or detected on a timely basis.

In our opinion, except for the effects/possible effects of the material weaknesses described above on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, adequate internal financial controls over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of March 31, 2017, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We have considered the material weaknesses identified and reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the March 31, 2017 Ind AS financial statements of the Company, and these material weaknesses do not affect our opinion on the Ind AS financial statements of the Company.

**For Goel Garg & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**

**(Ajay Rastogi)**

Partner

M. No. 084897

Place: New Delhi

Date: 11th September 2017

# **ANNEXURE 'B' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE IND AS FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC.**

## **REPORT ON DIRECTIONS ISSUED BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013**

- (1) Whether the company has clear title/ lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/ lease deeds are not available.

**As per the information provided to us, the title deeds of all the assets owned by the company are registered except those mentioned in note no. 42 of audited statements.**

- (2) Please report whether there are any cases of waiver/write off debts/loans/interest etc., if yes, the reasons therefore and the amount involved. –

**As per the information and explanation provided to us, there is no case of waiver/write off the debts/loans/ interest, etc. Though penalty on delivery amounting to Rs. 30.04Lakhs deducted by the company from the parties has been waived off.**

- (3) Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/ grant(s) from Govt. or other authorities?

**As per the information and explanation provided to us, no inventories which belong to the company are lying with third parties and no assets have been reported to us as gifts /grant(s) received from government or other authorities. However assets procured for the users under Grant in Aid belong to respective user departments and not to the company.**

**For Goel Garg & Co.**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 000397N

**Sd/-**

**(Ajay Rastogi)**

Partner

M. No. 084897

Place: New Delhi

Date: 11th September 2017

## **COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(a) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES INC. (NICS) FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2017**

The preparation of financial statements of National Informatics Centre Services Inc. (NICS) for the year ended 31 March 2017 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated September 11, 2017

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of National Informatics Centre Services Inc. (NICS) for the year ended 31 March .2017. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the  
**Comptroller & Auditor General of India**

**(P.K. Tiwari)**  
**Director General of Audit**  
**(Post and Telecommunication)**

Place: New Delhi

Date: 13-11-2017







**CIN : U74899DL1995NPL072045**